हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही
09 अगस्त, 2022
खण्ड 3, अंक 2
अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 09 अगस्त, 2022

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण

शून्य/व्यवधान काल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों से संबंधित सूचना

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना

दिल्ली पब्लिक स्कूल, करनाल के अध्यापकों व विद्यार्थियों का अभिनन्दन

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना (पुनरारम्भ)

बैठक का स्थगन

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों की सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) नूंह के तावडू में अवैध खनन रोकने पर डी.एस.पी. की खनन माफिया द्वारा डम्पर से कुचल कर निर्मम हत्या बारे

वक्तव्य–

खान तथा भू–विज्ञान मंत्री द्वारा–उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

(ii) सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के कारण सैंकडों की तादाद में गौवंश की मृत्यु बारे

वक्तव्य–

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

विधायी कार्य–

(i) पुरःस्थापित किए जाने वाले

(1) दि हरियाणा गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2022

(2) दि हरियाणा वाटर रिसोर्सिज (कंजर्वेशन, रेगुलेशन एण्ड मैनेजमैंट) अथॉरिटी (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2022

(3) दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2022

(4) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2022

पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का अभिनन्दन

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)–

(ii) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधायक

दि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2022

(iii) पुरः स्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 3) बिल, 2022

खिलाड़ियों को बधाई संदेश

गैर सरकारी संकल्प

हरियाणा विधान सभा
मंगलवार, 9 अगस्त, 2022

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Problem of Illegal Colonies

***21. Shri Ram Kumar Gautam:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state that: - Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which the problem of illegal colonies in the Municipal areas of State are likely to be resolved?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता): श्रीमान, विभाग को अब तक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लगभग 2176 कॉलोनियों के ले आउट प्लान प्राप्त हुए हैं जो अधिनियम और मानदंडों के अनुसार आगे की आवष्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित नगर पालिकाओं को भी अग्रेषित कर दिए गए हैं। अधिनियम 2016 के तहत कॉलोनियों को अधिसूचित करने की कार्रवाई संबंधित नगर निकाय से संकल्प प्राप्ति के बाद और यदि कॉलोनी अधिसूचना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, तो की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लगभग 2176 कॉलोनियों के ले–आउट प्लान प्राप्त हुए हैं। हमें 11 पालिकाओं से 212 कॉलोनीज के रेजोल्यूशन आये हैं। 212 कॉलोनीज में से 22 कॉलोनीज का नगरपालिकाओं से वैरीफिकेशन हो चुका है। हमारे पास जैसे–जैसे नगरपालिकाएं, परिषद् और निगम रेजोल्यूशन पास करके भेजेंगी। हम वैसे–वैसे उनकी वैरीफिकेशन करके कॉलोनियों को अधिसूचित करने का प्रयास करेंगे।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरा सवाल यह नहीं था। मेरा सवाल यह था कि नगरपालिका क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की समस्या का समाधान करने में कितना समय लगेगा? वर्तमान सरकार को बने हुए 2 साल 10 महीने हो गये हैं। यह सरकार पहले भी अपना 5

साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस प्रकार से इस सरकार को बने हुए टोटल 7 साल 10 महीने हो गये हैं। अभी तक नगरपालिका क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की समस्या का समाधान करने का फैसला नहीं किया गया है। रिप्लाई में लिखा हुआ है कि कॉलोनी अधिसूचना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हो। अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके मुझे यह बताया जाये कि ये नॉर्म्ज कौन से हैं? लोगों ने पैसे देकर के रजिस्ट्रियां करवाई हैं और उसके कारण सरकार को फायदा हुआ, तब सरकार ने इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग उस वक्त कहां सोया हुआ था?। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि आज लाखों लोग इल्लीगल कॉलोनीज में रह रहे हैं या किसी ने अपना प्लॉट खरीद रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंता हूं कि इसमें अगर आपका वहां पर प्लॉट होता और आपने प्लॉट पैसे देकर लिया होता या आपने वहां अपना मकान बनाया होता तो आप ही बतायें कि क्या फिर ऐसी कोई नॉर्म्ज की बात होती? अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बताना चाहूंगा, मैं यहां पर किसी और की बात नहीं बताना चाहता। मैंने अपनी 3 एकड़ जमीन में प्लॉट काटे थे। मेरे गांव के साथ मेरी जमीन लगती है और मैंने उसमें प्लॉट काट दिये। उस समय संबंधित विभाग ने कोई एतराज नहीं किया। पैसे लेने वाले पैसे ले गये और सरकार को इसका लाभ हुआ। मैं जिस दिन विधायक चुना गया तो उसी दिन से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने मुझे नोटिस दे दिया। मेरी खुद की जमीन है मैं कोई कॉलोनाइजर नहीं हूं। मैं यह सवाल हर विधान सभा सत्र में उठाता आया हूं। यह बहुत ही मामूली बात है इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी इस पर अपना फैसला दें। सरकार नॉर्म्ज की बात मत करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार आगे के लिए ऐसे नॉर्म्ज बना दे, चाहे कोई भी नॉर्म्ज बना दे लेकिन जो पहले से ही कॉलोनीज कट चुकी हैं और लोगों ने उनमें प्लॉट ले रखे हैं

तो उनको इस नॉर्म्ज से बाहर रखा जाये। ऐसे में आप ही बतायें कि वे बेचारे कहां जायेंगे? वे कहीं भी नहीं जा सकते हैं। वे गरीब लोग है वे तो लुट गये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इसमें नॉर्म्ज मत रखिये। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा काम करो कि देवी आपका भला माने, कुनबा खीर खावे और जिससे लाखों लोगों को लाभ हो। सरकार को भी लाभ हो और सरकार को खूब पैसा मिले। सरकार के पास खूब डिवैल्पमैंट चार्जिज आये लेकिन पहले इस प्रणाली को सरल बनाने का काम करें। सरकार आगे के लिए नॉर्म्ज फिक्स कर दें। चाहे पार्क बनाओ, कम्युनिटी सैंटर बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ लेकिन जो चीज बिक चुकी, उस पर नॉर्म्ज न लगाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को कहना चाहता हूं कि 7 साल 10 महीने से आपकी सरकार है। इस कार्यकाल के दौरान भी रजिस्ट्रियां खूब हुई हैं और अब भी खूब रजिस्ट्रियां होने लग रही हैं या तो इन रजिस्ट्रियां को होने से रोक दो। जिस वक्त कॉलोनियां काटी गई थी उस वक्त टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग क्या अंधा होकर सोया हुआ था? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें इज्जत कमाओ, बेचारे गरीब लोगों का भला करो तो आपका भी भला होगा।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक अधिनियम वर्ष 2016 में बनाया गया था। इसको हमने काफी सरल करके अनअथोराइज्ड कॉलोनियों को अथोराइज्ड करने का काम किया था। उसके बाद उस नियम को वर्ष 2021 में और सरल कर दिया था। पहले कॉलोनीज को रैगुलर करने का यह नियम था कि कॉलोनी 50 परसैंट या 75 परसैंट बनी हुई होनी चाहिए। अब हमने बहुत सी जटिल चीजें हटाकर इस प्रक्रिया को काफी सरल करके लैटेस्ट नियम बनाये हैं। सरकार की तरफ से अभियान चलाकर लोगों को कहा गया है कि जो लोग अनअथोराइज कालोनी में हैं वे अप्लाई करें और उन्होंने अप्लाई भी किया। माननीय सदस्य गौतम जी ने नारनौंद हल्के की 12

कालोनियों को अथोराइज्ड करने के लिए अप्लाई किया है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वहां की नगरपालिका से इनका रैजोल्यूशन पास करवाकर भिजवायें, हम उन कालोनियों को तुरंत रैगुलेराइज्ड करने का काम करेंगे। हमने पहले ही नियम बहुत ज्यादा सरल बना दिये है इसलिए अब नियम और ज्यादा सरल नहीं किये जा सकते। हमें लोगों का ख्याल है इसीलिए हमारी सरकार ने 2016 में यह नियम बनाया और उस नियम को 2021 में और भी सरल बना दिया गया है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप समय सीमा तय करके डी.एम.सीज. को आदेश दें कि जो भी टर्म्ज एंड कंडीशनंस रैजोल्यूशन पास करवाने की हैं उन्हें एक महीने के अन्दर पूरा करवाकर भिजवायें और इसके जो नियम हैं उनको और भी सरल बनाया जाये।

डॉ. कमल कुमार गुप्ताः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम तीन महीने का समय सभी डी. एम.सीज. को देंगे कि तीन महीने के अन्दर वहां से रैजोल्यूशन पास करके भेजें और इसके अगले तीन महीने में हम यह कार्य करने का प्रयास करेंगे।

.....

Compensation of Land Acquired

***22 Shri Satya Prakash:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to release the 1810 Acre land of Kasan and other villages in District Gurugram or to give best compensation to the farmers for their acquired land; and

(b) the policy of the government for the rehabilitation of farmers whose land has been acquired?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): -

(a) Sir, there is no such proposal of the Government to release the land measuring 1810 acres of villages Kasan, Kukrola and Sehrawan, tehsil Manesar, district Gurugram and the compensation will be given to the landowners as per the law.

(b) The State Government in the Revenue and Disaster Management Department issued the Rehabilitation and Resettlement Policy, 2010, vide notification dated 09.11.2010. As per this policy, residential plots are allotted to the eligible landowners in lieu of their acquired land.

श्री सत्य प्रकाशः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो उत्तर दिया गया है उसके हिसाब से सरकार द्वारा एक्वायर्ड जमीन नहीं छोड़ी जायेगी और कानून के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उपमुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अभी तक इस जमीन का अवार्ड नहीं हुआ और आज के दिन उस जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा है जबकि 2010 के हिसाब से 55 लाख रुपये प्रति एकड़ है। अगर उस जगह पर 55 लाख रुपये में एक 100 गज का प्लाट भी आ जाये तो मैं इस बात को मान सकता हूं। हमारे वहां के किसानों के साथ 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो लूट मचाई थी उसका दुष्परिणाम आज भी वहां के किसान भुगत रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का भला किया है। (शोर एवं व्यवधान) आफताब जी, आप सुनिये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी तत्कालीन सरकार ने 5200 एकड़ जमीन 20 अप्रैल, 2011 को एक्वायर की थी और 2200 एकड़ जमीन छोड़ दी थी। 1128 एकड़ जमीन का आपकी सरकार ने 200 करोड़ रुपये मुआवजा जमा करवाया और अगले दिन उन 200 करोड़ रुपयों को वापस निकाल लिया। आपके पास देने के लिए रुपये तो थे नहीं। यह सब वास्तविकता है जो आपकी सरकार का

किया धरा है। आपकी तत्कालीन सरकार ने मेरे इलाके के साथ अन्याय किया था इसके लिए मेरे दिल में दर्द है। आपने वहां सारी जमीन सस्ते दामों में जिसे मन किया उसे बेच दिया था।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को इस बारे में बताना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आफताब जी आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य जो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वही बता रहे हैं वे आउट ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोल रहे।

श्री सत्य प्रकाशः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपमुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार के स्तर पर इस जमीन को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करवाने की कृपा करें। उस गांव की जमीन को हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ओने–पौने दामों में खरीदने के लिए एक्वॉयर करने की चार बार कार्यवाही की जा चुकी है। इसके अलावा यह नोटिस भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में इशू हुआ था। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से बार–बार यही अनुरोध है कि इस जमीन को छोड़ने की कार्यवाही अविलम्ब शुरू की जाये। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि जरूरत के हिसाब से किसानों की जमीन लेकर उनको वहां के जमीन के वर्तमान बाजार भाव का भुगतान कर दिया जाये। मेरा सरकार से यही अनुरोध है।

श्री दुष्यंत चौटाला : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने 1810 एकड़ कांसल, कुकरोला और सहरावन गांव, तहसील मानेसर की जमीन की रिलीजिंग की बात कही है। इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि माननीय सदस्य खुद एक पढ़े–लिखे वकील हैं। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमें एक्वीजिशन प्रोसैस को आगे ले जाना पड़ेगा। पिछले दिनों वहां के स्थानीय निवासियों के अलग–अलग डैलीगेशन मुझे भी मिले और माननीय मुख्यमंत्री

जी से भी मिले। उन्होंने भी इस बात को माना कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस जमीन को रिलीज करना पॉसीबल नहीं है। हमें यह डॉयरैक्शंज भी हैं कि आगामी 17 अगस्त तक जो प्रोसीडिंग्ज है उसको कम्पलीट करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट में देनी है इसलिए हम 15 अगस्त से पहले जो रिक्वीजिशन की आगे की प्रोविजंज हैं उनको हम टेक–फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल विचार कर रही है कि उसके लिए कोई न कोई प्रावधान बनाया जाये। जैसे माननीय सदस्य ने भी कहा कि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में वर्ष 2011 में जमीन का जो एक्वीजिशन रेट वहां पर था वह बहुत ही कम था और जिस तरीके से उस जमीन की एक्वीजिशन की गई वह हैपहैजर्ड–वे (haphazard-way) में थी। जमीन के उस समय के रेट में और आज के मार्किट रेट में बहुत बड़ा अंतर है। इस बारे में मेरी और माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई और मैं चाहूंगा कि एक आऊस्टीज स्कीम की आज माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी कर दें उसको हम आगे टेक–फॉरवर्ड करके जो नुक्सान वहां के लोगों को इस पूरे पीरियड में हुआ, जो उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसैस होगा और जो उनको अलटरनेट प्लॉट्स इत्यादि देने हैं उसके अंदर हरियाणा सरकार उनके नुक्सान की भरपाई किसी न किसी तरीके से करवाने का काम करेगी।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है कि वर्ष 2010 में इस जमीन को एक्वॉयर करने के लिए नोटिस हुआ था और उस समय के रेट्स काफी कम थे। अब चूंकि जो वहां के किसान बंधू हैं वे सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट में यह केस चलते–चलते वर्ष 2020 में यह निर्णय हुआ कि यह जमीन एक्वॉयर होगी और उसी रेट पर एक्वॉयर होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर काफी रिस्ट्रक्शंज लगाई हैं। अब उसके बाद यह भी ध्यान में आ रहा है कि आज वहां पर जमीनों के रेट्स काफी ज्यादा हो गये हैं। हम चाहते हुए

भी वहां के जमीन मालिकों के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी सुविधा/राहत की घोषणा अवॉर्ड में नहीं कर सकते हैं लेकिन ऐसी हमारी योजना है कि आऊसटीज में जो प्लॉट जमीन के मालिकों को देना होता है उसके ऊपर हम उनको कोई न कोई रियायत देकर कोशिश करेंगे कि इस जमीन की जो आज की कीमत है अगर उतनी नहीं तो उसके नजदीक कहीं न कहीं पहुंचा सकें। इस प्रकार से आऊस्टीज पॉलिसी में अमैंडमैंट करके हम वहां के जमीन मालिकों को लाभ देने की कोशिश करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से एक अनुरोध यह है कि 16 तारीख या उससे पूर्व अगर सरकार के स्तर पर उनके हित में कोई निर्णय हो जाये तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा मेरा एक अनुरोध यह है कि वहां पर उस जमीन के अंदर 65 एकड़ ऐसी जमीन है जिसके ऊपर बिल्कुल गरीब लोग रह रहे हैं उनको 100–100 गज के प्लॉट्स दिये जायें। भले ही इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश हो लेकिन यह हाऊस सुप्रीम है इसलिए वहां पर 65 एकड़ में वहां पर जो गांव बसा हुआ है उस जमीन को छोड़ने की जरूर कृपा करें। धन्यवाद।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि पहले से जो हमारी पॉलिसी है जहां उस समय गांव बसा हुआ था और जहां उस समय मकान बने हुए थे उस एरिया को रिलीज करने का पॉलिसी में प्रावधान है इसलिए हम अवॉर्ड सुनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे।

.....

To Shift the Hospital

***23. Shri Pardeep Chaudhary:** Will the Health Minister be pleased to state that whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Civil Hospitalof Kalka due to shortage of space and congestion at the present site of the hospital; if so, the time by which the above said Civil Hospital

is likely to be shifted to some other place/site having ample space?

Health Minister (Shri Anil Vij): Yes Sir; suitable land has been identified and process of land transfer is under consideration. It is difficult at this stage to provide any time limit till the process of land transfer is completed.

श्री प्रदीप चौधरीः अध्यक्ष महोदय, कालका शहर में बहुत भीड़ रहती है और वहां पार्किंग की भी सुविधा नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था करने की बात रखी थी। पिछली बार भी मैंने जब मोरनी की पी. एच.सी. को सी.एच.सी. में अपग्रेड करने के लिए बात रखी थी तब भी माननीय मंत्री जी ने यही कहा था कि इसके लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। मंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पी.एच.सी. को सी.एच.सी. बना दिया जाये या नई पी.एच. सी. खोल दी जाये। जहां भी जरूरत होगी हम वहां पर अपग्रेड भी करेंगे तथा नई पी.एच.सी. भी खोलेंगे। मेरा कहना यह है कि समय–सीमा निर्धारित करना तो सरकार का काम है और अगर समय–सीमा निर्धारित नहीं की जायेगी तो काम सालों साल लटकते रहेंगें। कालका में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कालका में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाये। जहां तक कालका हॉस्पिटल की बात है तो वहां पर दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं और न ही पूरे डॉक्टर्ज उपलब्ध हैं। बच्चों का डॉक्टर इस समय वहां से चला गया है जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। अगर वहां पर स्पेश्लिस्ट डॉक्टर्ज होंगे तो लोगों को सर्जरी की सुविधा भी मिल सकती है।

श्री अध्यक्षः प्रदीप जी, आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछिए, आप पूरे हैल्थ डिपार्टमैंट की जानकारी मांग रहे हैं जो कि सम्भव नहीं है।

श्री प्रदीप चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस काम के लिए एक समय–सीमा निर्धारित की जाये ताकि यह काम समय पर पूरा हो सके।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, कालका के हॉस्पिटल के बारे में माननीय सदस्य की बात बिल्कुल वाजिब है। उसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सूटेबल लैंड का चुनाव करके वहां पर हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया जाये। इस काम के लिए हमने टिबरा गांव की 10 एकड़ जमीन आइडैंटीफाई कर ली है। यह म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन है और हम इस जमीन को ले रहे हैं। हमने इसका प्रोसैस शुरू कर दिया है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस साल के अन्दर–अन्दर हम यह काम शुरू कर देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बार हमारे पास डिमांड आती है और उस डिमांड के ऊपर विभाग की तरफ से फिजिबिलिटी रिपोर्ट में यह लिख कर आता है कि जमीन का प्रबंध हो जाये तो यह काम सम्भव है। हम भी उत्साह में घोषणा कर देते हैं क्योंकि किसी माननीय सदस्य ने कहा होता है या वहां के लोगों की डिमांड होती है। मेरा निवेदन यह है कि जहां किसी प्रोजैक्ट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होती है उसमें सभी सदस्य महोदय भी सहयोग करें कि कौन सी जमीन आपको खरीदने से मिल सकती है या कोई सरकारी जमीन है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सभी विधायकों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उस इलाके में क्या सम्भव है। हर प्रोजैक्ट के लिए एक्वीजिशन सम्भव नहीं है। एक्वीजिशन का सीधा–सीधा विषय यह है कि अब जमीनों के रेट्स बहुत ज्यादा हो गये हैं। अब हमने कलैक्टर रेट भी काफी बढ़ा दिये हैं। अगर कलैक्टर रेट से 4 गुना रेट पर जमीन खरीदी जाये तो

उसके बाद भी इन्हांस्मैंट के लिए लोग कोर्ट में चले जाते हैं और दो गुना या चार गुना रेट हो जाता है। बाद में फिर उसका या तो सरकारी बजट पर बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर विभाग एच.एस.आई.आई.डी.सी. या एच.एस.वी.पी. जिनको आगे प्लॉट्स या दुकान या इंडस्ट्रीज के प्लॉट बेचने होते हैं उनका रेट ज्यादा हो जाता है जिनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए जमीन कहां से उपलब्ध होगी इसके लिए हमारे माननीय सदस्यगण अपने–अपने क्षेत्र के लिए जरूर सहयोग और सहायता करें।

.....

Details Regarding Vigilance Inquiry

***24 Shri Neeraj Sharma:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the Inquiry Officer, State Vigilance Bureau, Faridabad, vide his letter no. 1210 dated 27.07.2020 asked the Commissioner, Municipal Corporation to provide documents related to Inquiry No. 05 dated 26.04.2019;

(b) whether the abovesaid documents have been provided by the Municipal Corporation; if so, the time when the documents were provided; if not, the time when the letter was again written to provide the said documents;

(c) whether it is also a fact that the abovesaid matter had come up in the meeting of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions of the Haryana Legislative Assembly in which the Government has accepted that the scope and specification have been changed after issuing tender and now at this stage it cannot be regularized at the Government level; and

(d) the action taken by the Government on the officers who have changed the scope and specification of the said tender togetherwith the names

of person who gave the order to change the said scope and specification?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता):

(क) हाँ श्रीमान जी।

(ख) हाँ श्रीमान जी। जांच अधिकारी, राज्य सतर्कता ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा मांगे गए दस्तावेज नगर निगम फरीदाबाद द्वारा ज्ञापन संख्या एम.सी.एफ. /ईई–II/2020/239 दिनांक 07/09/2020 के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए गए थे।

(ग) हाँ श्रीमान जी। बैठक के दौरान इस मामले पर चर्चा की गई और आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मामले की सतर्कता जांच की जा रही है।

(घ) इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है और सरकार द्वारा सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट और उनकी सिफारिश के आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय विधायक द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर तत्कालीन आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद द्वारा कार्य के विषय वस्तु तथा विशिष्टताओं में परिवर्तन को मंजूरी दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चार भागों में यह प्रश्न किया है। इसका जो पहला भाग है उसमें पूछा है कि जो विजिलेंस विभाग है उसने इन्क्वायरी के लिए कुछ कागज मांगे थे तो उसका जवाब है, हां श्रीमान जी। उन्होंने 27.07.2020 को कागज मांगने का एक पत्र दिया था। दूसरे प्रश्न ख में पूछा है कि क्या ये दस्तावेज उनको उपलब्ध करवाये गये थे तो उसके बारे में भी बता दिया गया है कि हां, श्रीमान जी, दिनांक 07.09.2020 को ये दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये हैं। तीसरे प्रश्न (ग) में पूछा है कि उपरोक्त विषय हरियाणा विधान सभा के स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों पर समिति की बैठक में आया था जिसमें वहां के तत्कालीन डी.एम.सी. आए थे उन्होंने यह कहा था कि जो यह काम चल रहा है उसमें थोड़ा सा

चेंज किया गया है क्योंकि पहले ही वहां विजिलेंस इंक्वायरी मार्क हो चुकी थी जिसकी वजह से वहां काम रूक गया था। जैसे ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ा दुःख होता है कि जो इस हाऊस में कागज दिये जाते हैं उनमें सही फैक्ट्स नहीं रखे जाते। मेरे समक्ष दो कमल जी हैं एक कमल जी आज मंत्री बनकर जवाब दे रहे हैं। एक कमल जी वे हैं जो 21.09.2021 को हुई हरियाणा विधान सभा की स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों पर समिति की बैठक में चेयरपर्सन थे। उस कमेटी की बैठक में जब मैंने पूछा था कि क्या आपने विजिलेंस डिपार्टमैंट को कागज दे दिये हैं तो माननीय सचिव महोदय ने कहा कि हम जल्दी से जल्दी कागज उपलब्ध करवा देंगे। उस समय कमेटी की बैठक में माननीय चेयरपर्सन साहब का ही जवाब था कि–"Hence, the approval of Govt. may be obtained to regularize the expenditure at the earliest. A huge sum of payment may be held until the proper approval from State Govt. is not received. Strict action may be initiated after the receipt of approval against erring officials who did not got prior approval of such big tender work and executed at the own level. The matter was brought to the notice of authority of Municipal Corporation Faridabad for early compliance vide Audit Requisition No.07 dated 27.08.18."

अध्यक्ष महोदय, यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और यह लगभग 100 करोड़ रुपये का टैंडर है और मंत्री जी ने कहा है कि इसमें छोटा सा बदलाव किया गया है। उसमें छोटा सा बदलाव नहीं हुआ था। हरियाणा विधान सभा की स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों पर समिति की बैठक की प्रोसिडिंग में आया हुआ है कि इसके अन्दर 16 करोड़ रुपये का चेंज हुआ है और 16 करोड़ रुपये की रकम कम

नहीं होती है। उस समय मंत्री जी स्वयं उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। इस संबंध में 26.02.2018 को स्थानीय सांसद और उस समय के स्थानीय विधायकों के साथ भी मीटिंग हुई थी। उसमें यह कहा गया कि यह लॉ लाइंग एरिया है।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आप सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमैंट्री यही है कि इस केस में आप आर. एन.सी.(Republican National Committee) बना दीजिए। इसके साथ ही मेरा यह मुद्दा भी था कि हार्डवेयर चौक से प्याली चौक की सड़क भी बनाई जाए जिसमें एक बच्चा भी शहीद हो गया था। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह मसला वर्ष 2018 का है और वर्ष 2019 से विजिलेंस डिपार्टमैंट कागज मांग रहा है। मैं हर दरबार में गया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने High Power Committee on Corruption बनाई और मैंने उस कमेटी के एक–एक सदस्य को एक–एक कागज दिया। एक सदस्य को ही नहीं मैंने नौ के नौ सदस्यों को कागज दिये लेकिन किसी का भी यह जवाब नहीं आया कि आपकी चिट्ठी मिल गई है। इसके लिए मैं दो–दो रिमाईंडर तक दे चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने इसमें ऑफिसर्ज के नाम मांगे लेकिन मुझे नाम नहीं दिये गये। मंत्री जी विभाग के मालिक हैं और हमारा फरीदाबाद नगर निगम चुना हुआ सदन है जिसमें 40 सदस्य हैं और फाईनांस कमेटी भी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक नगर निगम कमिश्नर को इतनी पावर है कि वह एक चीफ इंजीनियर की संस्तुति पर स्कॉप भी चेंज कर दे, स्पैसिफिकेशन भी चेंज कर दे और मंत्री जी कह रहे हैं कि छोटा सा चेंज किया गया है। इसमें मंत्री जी, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि विजिलैंस विभाग को सारे दस्तावेज कब तक चले जाएंगे क्योंकि इस मसले को पांच साल हो गये है। मैं तो यह चाह रहा था कि इसका जवाब विजिलैंस विभाग देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं उनके पास भी विजिलेंस विभाग है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा

कि इसमें एफ.आई.आर. कब तक दर्ज हो जाएगी और दोषी कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे। वहां घोटाला तो हुआ है ऐसा तो नहीं है कि वहां घोटाला नहीं हुआ है।

श्रीमती सीमा त्रिखाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान इस विशेष प्रश्न की तरफ दिलाना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहां से स्थानीय विधायक रही हूँ और वर्ष 2014 से ही हमने लोकल एरिया के संदर्भ में अधिकारियों के सामने सुझाव और अपनी डिमांड्ज रखी थी क्योंकि हमारी वैल्फेयर स्टेट है और हम पब्लिक के हित में तथा पब्लिक की डिमांड पर काम करने का हमेशा प्रयास करते हैं। इनको सबको बताया गया कि यह आउट ऑफ पैरीफरी रोड है अतः इसे आर.एम.सी. का ही बनना चाहिए। यह बात हमारी जानकारी में लाई गई। दूसरी वजह यह है कि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है। मैं उस राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहती कि हर साल सड़कें बनें, हर साल बारिश में टूटे और फिर बने। अध्यक्ष महोदय, आज इस सड़क को बने हुए 5 से 7 साल हो चुके हैं लेकिन आज तक इस पर एक भी गढ्डा नहीं है। जब फरीदाबाद में कोई भी विजिलेंस की जांच या कोई भी स्टेट या सैंटर का बड़ा अधिकारी आपके काम को देखने आता है तो बैस्ट परफौरमेंस के तौर पर प्रशासन द्वारा इसी सड़क की प्रस्तुतिकरण की जाती है। जनता की मांग पर यह सारा काम मेरे द्वारा लिखित रूप में देकर करवाया गया था और मेरे पास यह अधिकार जनता के माध्यम से ही आता है कि मैं उनकी हर बात को प्रशासन और शासन तक लेकर जाउं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में एक विशेष दखल चाहती हूँ कि यदि इसमें कोई पैसे का घोटाला है या चोरी चकारी हुई है तो जो कसूरवार है, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए लेकिन यदि इसमें काम ही वही करवाया गया है जोकि जनता की इच्छा है और इस बारे में मेरे लैटर हैड पर लिखकर गया हुआ है तो इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह इसे सभी प्रोसैस के साथ, अनुमति प्रदान करने का काम करे। अंत में मैं इस सारे विषय के संदर्भ में एक

लाइन और जोड़ना चाहूंगी कि आज भी अगर इस सड़क का कोई हिस्सा टूट जाता है तो हम अधिकारियों को कह देते हैं कि इस सड़क को आर.एम.सी. की बनाओ। अध्यक्ष महोदय, जो बार–बार विजिलेंस जांच की बात करते हैं, के संदर्भ में मेरा आपसे निवेदन है कि आप विशेषकर इस मुद्दे पर हमारे यू.एल.बी. मिनिस्टर के नेतृत्व में एक विशेष स्पैशल कमेटी गठित करें और इसका हल जरूर निकालें क्योंकि यहां पर जो भी कुछ हुआ वह मेरे द्वारा अर्थात् सीमा त्रिखा और मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी के कहने पर ही हुआ है और इस काम में यदि कोई पैसे का घोटाला हुआ है तो आप उसकी जांच करायें। यह नहीं अगर जमीन कंवर्ट करने का भी मामला है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे पास करने का अधिकार भी तो सरकार का ही है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। धन्यवाद।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा अभी इस विषय को 5–7 साल ही हुए हैं। चूंकि सदन में बात आई है तो सारी बात स्पष्ट करना जरूरी है। मेरे पास ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग्ज हैं। 26 फरवरी, 2018 को श्री कृष्ण पाल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बहन सीमा त्रिखा जी भी थी और भाई मूल चंद शर्मा भी मौजूद थे और साथ में तत्कालीन विधायक नगेन्द्र भड़ाना जी भी उस समय मीटिंग में उपस्थित थे। मीटिंग के मिनट्स में बड़ा क्लीयर लिखा है कि टैंडर की डिमिट में आर.एम.सी. का कोई जिक्र ही नहीं है। 100 करोड़ रूपये का टैंडर है और मुख्यमंत्री जी की भी यह घोषणा है। अध्यक्ष महोदय, जब कोई कार्य शुरू हुआ होगा तो उस कार्य की डी.पी.आर. भी बनी होगी। कंसल्टैंट भी एप्वॉयंट हुआ होगा। थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन हुई होगी तो इस प्रकार 5–6 करोड़ रूपये तो इसी प्रोसैस में ही चले गए। क्या यह सब बेकार की चीजें थी ? प्रोसिडिंग्ज की पहली लाइन में लिखा गया है कि it will serve upto 2038. अनाज गोदाम के सामने आज

भी सीवरेज की लाइन नहीं जोड़ी गई है। यहां पर दो सालों में सड़कें टूट गई हैं। घोटाला है या नहीं है, मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार इस सारे मामले की जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है ? 5 साल हो गए सिर्फ चिट्ठी पर चिट्ठी चल रही है। सरकार को इस सारे मामले में टाइम बाउंड कर देना चाहिए कि इतने दिन में कागज देंगे, एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे और इतने दिन में सड़क का काम चालू हो जायेगा। हम भी चाहते हैं कि सड़क का काम जल्द से जल्द चालू हो जाये।

पंडित मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नीरज शर्मा ने अपनी बात रखते हुए मेरा भी नाम लिया है और कृष्ण पाल गुर्जर जी का भी नाम लिया है। इनके द्वारा बार–बार इस बात का शोर मचाया जाता है कि फरीदाबाद का विकास का काम रूका हुआ है और बार–बार घोटालों की बात कही जाती है। यही नहीं ऐसा करके एक प्रकार से अधिकारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि फरीदाबाद के अंदर विकास के काम न हो। अध्यक्ष महोदय, जबसे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फरीदाबाद में सड़कें बनी हैं, सरकार के इस 7–8 साल के कार्यकाल में किसी भी सड़क को दोबारा से बनाने की नौबत नहीं आई है। पूर्व की सरकारों के समय सड़कों की यह हालत हुआ करती थी कि एक बारिश में ही सारी सड़क नाले में बह जाया करती थी। इसका जीता जागता उदाहरण एन.आई.टी. है। नीरज शर्मा मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने मेरा नाम लेकर बात कही है। अध्यक्ष महोदय, इनके राज में कोई भी ऐसी सड़क नहीं थी जो कि नाले में नहीं बह जाती थी। ये बार–बार सी.बी.आई. और विजिलेंस की बात करते हैं और साथ ही तरह–तरह की नोटंकी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके पिता के समय में 2009 में जो सड़कें बनी थी, उनकी तो रोडी तक बह गई थी। आज जो काम हुआ है। उस पर बार–बार आरोप लगाने के काम किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, मुझे लगता है कि इस विषय में कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लैप्स हुआ है अर्थात् प्रोसीज़र को फॉलो नहीं किया गया है। विभाग को प्रोसीज़र के तहत काम करना चाहिये था। यदि इस प्रोसीज़र के अंदर कोई कमी रही है तो वह क्यों रही है और उसके क्या कारण रहे हैं? इन सब बातों का पता जरूर लगना चाहिये। इस प्रोसीज़र में कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिये। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि माननीय मंत्री जी एक कमेटी बनाये और तुरंत प्रभाव से वह कमेटी ऑन–द–स्पॉट विजिट करे, उसके बाद सकारात्मक निर्णय ले क्योंकि जो सड़क बनी हुई है, उसके ऊपर सरकार का पैसा लगा हुआ है। इस तरह से यदि वह सड़क नहीं बनी तो सरकार का पैसा बर्बाद हो जायेगा (विघ्न)

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मुझे पता लगा है कि इसे रेगुलर करने के लिये फाईल सरकार के पास भेजी हुई है। (विघ्न) विभाग के सचिव महोदय कह रहे हैं कि इसको रेगुलर नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्षः मेरा इसमें इतना ही कहना है कि संबंधित माननीय मंत्री जी कोई ना कोई एक कमेटी बनाकर उस पर तुरंत निर्णय ले।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, विजिलैंस इन्क्वॉयरी के लिये जितने डॉक्यूमैंट्स डिपार्टमैंट से मांगे गये थे, वे सभी डॉक्यूमैंट्स दे दिये गये हैं। अब हम विजिलैंस को कहेंगे कि इस जांच को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करे। अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें कोई भी दोषी अधिकारी/कर्मचारी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। मैं एक विषय और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। इस समय सदन में बहुत सीनियर मैम्बर्ज एडवोकेट भी हैं, यदि मेरे कहने में किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है तो वे जरूर इसको दुरूस्त करें। वर्ष 1976 में म्यूनिसिपल कमेटी के कुछ नियम बने थे। उन नियमों के 8 नं0 में यह लिखा गया है कि 10 प्रतिशत तक इन्हांसमैंट की जा सकती है। लेकिन उसकी व्याख्या इस ढंग से की

गई है कि 10 प्रतिशत तक इन्हांसमैंट तो अपने–आप कर सकते हैं और 10 प्रतिशत से ऊपर भी कर सकते हैं अर्थात् 10 प्रतिशत से ऊपर की अनुमति भी ले सकते हैं। उस समय से लेकर आज तक इस नियम की अलग–अलग व्याख्याएं हुई हैं। सरकार ने बीच में उस संबंधित क्लॉज के संबंध में यह भी तय किया था कि 10 प्रतिशत से ऊपर इन्हांसमैंट बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे इसका कारण नहीं मालूम, यह तो डिपार्टमैंट से ही पता लगेगा और बाद में उसको विदड्रा भी कर लिया गया था।

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी, 10 प्रतिशत से ज्यादा इन्हांसमैंट नहीं हो सकती। अगर 10 प्रतिशत से ज्यादा इन्हांसमैंट की है तो वह गलत तरीके से किया गया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1976 में संबंधित क्लॉज में परिभाषा स्पष्ट नहीं है। क्या इसमें 10 प्रतिशत तक इन्हांसमैंट ही कर सकते हैं या फिर 10 प्रतिशत से ज्यादा भी कर सकते हैं? अंग्रेजी की व्याख्या तो अपने–अपने ढंग से सब करते हैं, जिसको जैसे सूट करती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं इसको पढ़ा है कि 10 प्रतिशत से ज्यादा क्यों होता रहा है। तब भी मेरे सामने इस प्रकार की व्याख्या आई थी। मैं डिपार्टमैंट से कहूंगा कि संबंधित क्लॉज की ठीक ढंग से व्याख्या करने के लिये उसमें संशोधन करें। मेरा कहना है कि 10 प्रतिशत से ऊपर कोई भी इन्हांसमैंट ना हो। यदि 10 प्रतिशत से ज्यादा इन्हांसमैंट होती है तो उसको रि–टैंडर किया जाये। रि–टैंडर में जो आयेगा वह तो आयेगा ही। जहां तक मुझे इस विषय की जानकारी है, इसमें इतना ही है कि स्थानीय लोगों ने मिलकर के डिपार्टमैंट के साथ यह तय किया था कि इस सड़क को तारकोल की ना बनाकर आर.एम.सी. की बनाई जाये। उन्होंने उसी समय आर.एम.सी. के टैंडर दिये थे उसके रेट को बेस मानकर पास किया था। उसी समय यह काम किया गया था और साथ ही सड़क बनी थी। इस प्रकार से आर.एम.सी. का रेट अलग होगा क्योंकि तारकोल की सड़क और आर.एम.सी. की सड़क के रेट में काफी अंतर होता है। यदि अंतर ज्यादा है तो स्वाभाविक है

कि सड़क बनाने वाला उस सड़क के अंतर की कॉस्ट को तो लेगा ही। अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें कोई प्रौसीजरल लैप्स हुआ है या कोई करप्शन हुई है, निश्चित रूप से हम जल्दी से जल्दी विजिलैंस से जांच के लिये आग्रह करेंगे और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

.....

To Upgrade the Regional Centre as a University

***25 Shri Laxman Singh Yadav:** Will the Education Minister be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the regional centre of Bhagat Phool Singh University running at Village Lula Ahir in Kosli Assembly Constituency as University, or to attach it with the regional centre of the Indira Gandhi University Mirpur; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the action taken by the Government in the said matter so far?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मण सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे यहां से विश्वविद्यालय की दूरी एक तरफ से 125 किलोमीटर व दूसरी तरफ से 50 किलोमीटर पड़ती है। यह दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए यदि यह विश्वविद्यालय खुलता है तो हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी वर्तमान में विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहते तो भविष्य के लिये जरूर इसको लिस्ट में जोड़ कर रखे ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के गांव लूला अहीर में भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय का एक रीजनल सैंटर बना हुआ है । लूला अहीर की भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय से कुल दूरी लगभग सवा सौ किलोमीटर है

। इसके अलावा हमारे जिले में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर है और उसका लूला अहीर से केवल 44 किलोमीटर डिस्टैंस है । अतः गांव लूला अहीर के रीजनल सैंटर को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के साथ जोड़ दिया जाए । रीजनल सैंटर से संबंधित कामों के लिए लोगों को विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है । इससे उनको सवा सौ किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । उनको वहां तक आने–जाने में ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ता है और समय व धन भी अधिक लगता है । अतः मेरा निवेदन है कि जब लूला अहीर के नजदीक एक अन्य विश्वविद्यालय है तो उस रीजनल सैंटर को नजदीक के विश्वविद्यालय से ही जोड़ा जाए ।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, लूला अहीर के रीजनल सैंटर को विश्वविद्यालय बनाने की तो कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है । लूला अहीर के रीजनल सैंटर के नजदीक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर है । अगर माननीय सदस्य उस रीजनल सैंटर को नजदीक के विश्वविद्यालय के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो उस रीजनल सैंटर को को–ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वह विश्वविद्यालय को–ऐड है । अगर माननीय सदस्य इसके लिए सहमत हों तो हम इस पर भी विचार कर लेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव से सहमत हैं ।

श्री कंवर पाल : ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम इस पर विचार कर लेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, रीजनल सैंटर्स की व्यवस्था तब की गई थी जब एक विश्वविद्यालय का एरिया बहुत ज्यादा होता था और उससे संबद्ध महाविद्यालयों को भी वहां तक जाने में कठिनाई आती थी । वर्ष 1947 से पहले पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में होता था और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सभी महाविद्यालय उसी से संबद्ध थे । उस विश्वविद्यालय के रीजनल सैंट्र्स बनाए गए

थे। हरियाणा ऐग्रीकल्चर युनिवर्सिटी भी पहले गुरू नानक देव युनिवर्सिटी का ही एक रीजनल सैंटर था । अतः जिस समय विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों की दूरी सैकड़ों किलोमीटर होती थी तब रीजनल सैंट्र्स खोले जाते थे । भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के 2 रीजनल सैंट्र्स खुले हुए हैं । जिस समय लूला अहीर और जीन्द में भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सैंट्र्स खुले होंगे उस समय न तो मीरपुर में कोई विश्वविद्यालय होगा और न ही जीन्द में कोई विश्वविद्यालय होगा । अतः 50–100 किलोमीटर की दूरी कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को नहीं बल्कि कॉलेजिज की मैनेजमैंट को जाना पड़ता है । उनके विश्वविद्यालय में ऐफिलियेशन आदि के काम होते हैं । यह संभव नहीं है कि हर विश्वविद्यालय का कोई एक्सटैंशन सैंटर खुले या नये विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाए । आज के दिन प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट युनिवर्सिटीज की संख्या 50 से भी ज्यादा हो चुकी हैं । मेरा मत तो यह है कि युनिवर्सिटीज की ज्यादा संख्या भी कई बार एजुकेशन सिस्टम को dilute कर देती है । इसके बाद युनिवर्सिटीज में होड़ लगती है और फर्जी सर्टिफिकेट्स आदि का सिस्टम भी शुरू हो जाता है । इसके अलावा युनिवर्सिटीज की संख्या ज्यादा होने से उनकी मान्यता भी खत्म हो रही है क्योंकि हर जगह एंट्रैंस एग्जाम्स हो रहे होते हैं । वहां पर स्टूडैंट्स एक बार एंट्रैंस एग्जाम देने के बाद दोबारा से एंट्रैंस एग्जाम देते हैं । पहले तो विद्यार्थियों के एडमिशन डायरैक्ट हो जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है । अतः अब हमें इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि जगह–जगह युनिवर्सिटीज खोलना विद्यार्थियों के हित में नहीं है । अब कॉलेजिज और युनिवर्सिटीज का समन्वय बिठाने की जरूरत है ।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ठीक बात कही है लेकिन जिस समय गांव लूला अहीर के रीजनल सैंटर को भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध किया गया था उस समय इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय

मीरपुर भी खुला हुआ था । अतः मेरा निवेदन है कि गांव लूला अहीर के रीजनल सैंटर को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के साथ जोड़ दिया जाए ।

श्री कंवर पाल : ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य के निवेदन पर विचार करते हुए उस रीजनल सैंटर को एक कॉलेज का दर्जा दे देंगे ।

.....

To Construct PWD Rest House

***26 Rao Dan Singh:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct PWD rest house in village Paiga of district Mahendragarh; and

(b) if so, the time by which said rest house is likely to be constructed/ completed togetherwith the details thereof?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Yes, Sir.

(a) At present there is a proposal under consideration of the Government for construction of PWD Rest House in village Paiga.

(b) The approval for land transfer has not been received from Gram Panchayat. Hence, no time frame can be given at this juncture.

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मई, 2019 को लोक निर्माण विभाग के रैस्ट हाउस, महेन्द्रगढ़ का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था । उसके लिए ग्राम पंचायत से जमीन देने का आग्रह किया गया । तत्पश्चात् ग्राम पंचायत ने लोक निर्माण विभाग को अपनी 3 एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दी । बाद में पाया गया कि 3 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन पर सरकार की पोंड बनाने की कोई योजना है । इस प्रकार रैस्ट हाउस, महेन्द्रगढ़ के लिए 2 एकड़ जमीन ही बची । उस 2 एकड़ जमीन के लिए सरकार ने ग्राम पंचायत को लगभग 1.36 लाख रुपये मुआवजा देने की बात कही । पंचायत ने उस जमीन का रेजोल्यूशन पास करके बी.डी.पी.ओ. के पास भेज दिया । बी.डी.पी.

ओ. ने उसको डी.डी.पी.ओ. के भेज दिया और डी.डी.पी.ओ. ने डायरैक्टर, विकास एवं पंचायत विभाग के पास भेज दिया । आज के दिन इस बात को लगभग 3 साल हो चुके हैं । अभी तक पिछले 3 साल से उस रैस्ट हाउस का काम शुरू नहीं हुआ है । अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस रैस्ट हाउस को बनाना चाहती है या नहीं ? अगर सरकार उसको बनाना चाहती है तो उसमें इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि सबका साथ– सबका विकास और सबका विश्वास। हमारा क्षेत्र हर मामले में पिछड़े हुआ है। यह वही 142 बी रोड है जिसके बारे में मैं बार– बार कहता हूं और इस रोड के साथ रैस्ट हाउस भी लगता है। इस रोड को बनाने के लिए 4 बार टैंडर्ज हो चुके हैं, लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी 2– 2 बार आश्वासन दिये हैं, लेकिन बात वहीं पर रूकी हुई है और आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) रैस्ट हाउस के बारे में भी वही बात की जा रही है और सरकार उसको भी नहीं बनाना चाह रही है। आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है ? इसमें सबका साथ– सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात कहां पर है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि इस रैस्ट हाउस के लिए वर्ष 2019 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इन्होंने पायगा गांव में जो जमीन ग्राम पंचायत के रैजोल्यूशन पर दिलवायी थी, उस ग्राम पंचायत की जमीन गांव के सबसे लो लाईंग एरिया में है जिसके कारण वहां पर आज भी पानी खड़ा हुआ है। इसको देखते हुए संबंधित प्रपोजल को रिजैक्ट कर दिया है। सरकार आज भी अल्टरनेटिव लैंड की तलाश कर रही है और जैसे ही लैंड उपलब्ध हो जाएगी तो

हम संबंधित प्रपोजल को टेक अप करेंगे। माननीय सदस्य जदोजहद के साथ रैस्ट हाउस की बात कह रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज के दिन वहां पर रूकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। महेन्द्रगढ के किले में आलरेडी पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) का रैस्ट हाउस है जिसमें 3 कमरे हैं। नारनौल में 33 कमरों का नया रैस्ट हाउस पुरानी बिल्डिंग में बन रहा है। इसके अतिरिक्त महेन्द्रगढ में इरीगेशन डिपार्टमैंट और पॉवर डिपार्टमैंट का रैस्ट हाउस भी है। सतनाली में मार्केटिंग बोर्ड का रैस्ट हाउस है। पाली सैंट्रल यूनिवर्सिटी में भी रैस्ट हाउस है। आज सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपकीप करना और यूटिलाइजेशन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। मगर वहां पर जैसे ही लैंड उपलबध हो जाएगी तो हम पुराने रैस्ट हाउस को नयी बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। चूंकि संबंधित किला हैरिटेज साईट है तो उसको भी अल्टरनेट यूज में लेने का काम करेंगे।

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महेन्द्रगढ में रैस्ट हाउसिज की कमी नहीं है। इन्होंने जिस पुराने रैस्ट हाउस का जिक्र किया है, वह आजादी से पहले का किले के साथ बना हुआ है और उसकी कंडीशन बड़ी क्षत– विक्षत थी। आज वह थोड़ा – सा रहने के लायक हुआ है। हमारे महेन्द्रगढ में सैंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और वहां पर 2 दिन डी.सी. और एस.पी. भी आते हैं। वे जब आते हैं तो जगह की तलाश की जाती है। वहां तक जाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि संबंधित रैस्ट हाउस बनाने का प्रपोजल इन्हीं की सरकार का था। यह प्रपोजल हमने नहीं दिया था कि हम वहां पर रैस्ट हाउस बनाएंगे। सरकार अपने ही दिये गये प्रपोजल को पूरा नहीं करना चाहती है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले तो माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने सदन में इस बात को स्वीकार किया है कि संबंधित

रैस्ट हाउस रूकने के लायक बन चुका है। इनकी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में माननीय सदस्य संबंधित रैस्ट हाउस को रूकने के लायक नहीं बना सके, परन्तु हमारी सरकार ने उसको रूकने लायक बनवा दिया है। दूसरी चीज यह है कि हम माननीय सदस्य को पूरी छूट देते हैं कि हम ई– भूमि पोर्टल पर लैंड के अलग–अलग पैचिज नयी सैक्रेटरिएट की बिल्डिंग के पास डलवा देंगे और वहां पर माननीय सदस्य कोई अल्टरनेटिव साईट दिलवा सकते हैं। चूंकि वहां पर इनकी भी जमीन है। अगर माननीय सदस्य उसके साथ लगती जमीन दिलवा पायें तो we will be more than happy. माननीय सदस्य कलैक्टर रेट पर जमीन दिलवा दें। हम उसको प्रक्योर भी करेंगे और नया रैस्ट हाउस भी बनवाएंगे।

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने लो लाईंग एरिया की बात की है। जब रोड बनाया जा रहा था तब उस जगह से मिट्टी उठाकर संबंधित रोड पर डाली गयी थी। इसमें सिर्फ एक या डेढ फिट ही भरत करने की जरूरत है। इससे ज्यादा अर्थ पीलिंग की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार जब चाहे कहीं से भी रिक्लेम कर सकती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यह बात कहें कि लो लाईंग एरिया होने की वजह से रैस्ट हाउस नहीं बन पा रहा है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल गलत बात कही है। वह पूरा लो लाईंग एरिया है, केवल लैंड लो लाईंग नहीं है।

श्री धर्म सिंह छौक्करः अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्षः धर्म सिंह जी, अगर आप कोई प्रश्न लगाएंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

.....

To Restrict the Movements of Over Loaded Vehicles

*27. **Smt. Renu Bala:**Will the Transport Minister be pleased to state the reasons for which the Government has not been able to restrict the movements of overloaded vehicles in State ?

परिवहन मंत्री (श्री मूल चन्द शर्मा): श्रीमान जी, राज्य में ओवरलोड वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे वाहनों की जांच एक अविरत प्रक्रिया है, जिसके तहत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ओवरलोड वाहनों का सख्ती से चालान किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष (1 अप्रैल, 2022 से 31 जुलाई, 2022) के दौरान कुल 15751 ओवरलोड वाहनों का चालान किया गया है और रु. 66,48,36,100/- करोड की प्रशमन /जुर्माना राशि वसूल की गई है।

श्रीमती रेनू बाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इन्होंने मेरे क्वैश्चन के जवाब में आंसर दिया है कि जो ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं उनका सख्ती से चालान करने का काम किया जायेगा। अगर मैं अपने सढौरा विधान सभा क्षेत्र में ओवरलोडिंग वाहन की बात करूं तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है वैसी बात मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुझे होती हुई दिखाई नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे अकेले सढौरा विधान सभा क्षेत्र की समस्या नहीं है यह समस्या पूरे यमुनानगर की भी समस्या नहीं है बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि यह पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या है।

श्री अध्यक्ष : रेनू जी, आप प्लीज अपनी सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्रीमती रेनू बाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वैश्चन पूरा हो जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : रेनू जी, आपने पूरे प्रदेश के बारे में क्वैश्चन पूछा है कि प्रदेश में कितने ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं और उनके कितने चालान किये गये हैं? इसका माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। अगर आप पर्टिकुलर सढौरा विधान सभा क्षेत्र के बारे में क्वैश्चन पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए।

श्रीमती रेनू बाला : अध्यक्ष महोदय, सढौरा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर दिन रात ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं उनसे सड़कों को बहुत नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : रेनू जी, यह आपका प्रश्न नहीं है। आप अपना प्रश्न बोलिये।

श्रीमती रेनू बाला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिए।

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सढौरा विधान सभा क्षेत्र से हमारी छोटी बहन विधायक हैं। अपने विधान सभा क्षेत्र के अलावा ये आसपास के क्षेत्रों का भी दौरा करेंगी। छोटी बहन ने कहा है कि जो ओवरलोडिंग वाहन है, वह दूसरी विधान सभा क्षेत्रों में भी जायेगा। वह एक जिले से दूसरे जिले में भी जायेगा। हमने वर्ष 2021–22 में 180 करोड़ 72 लाख रुपये के करीब चालान किये हैं। जहां तक यमुनानगर की बात है तो हमने यमुनानगर में ओवरलोडिंग के 800 वाहन पकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले महीने 33 करोड़ रुपये के चालान किये हैं। इसके अलावा यमुनानगर में ओवरलोडिंग के 3949 चालान किये हैं, जिसमें हमने 46 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि एकत्रित की है। जहां तक ड्राईविंग लाइसैंस की बात है तो हमने 467 ड्राईविंग लाइसैंस रद्द किये हैं। कुल लम्बित पंजीकरण 1 किया है। कुल परमिट 152 रद्द किये हैं। जहां पर सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग हो रही है हम वहां पर सबसे ज्यादा चालान भी करने के प्रयास कर रहे हैं। केवल एक हरियाणा प्रदेश से ओवरलोडिंग वाहन नहीं चल रहे हैं बल्कि दूसरे प्रदेशों जैसे पंजाब, यू.पी., राजस्थान से भी हमारे यहां पर ओवरलोडिंग वाहन आते हैं। जहां तक एन.सी.आर. में ओवरलोडिंग वाहन पर बैन लगाने की बात है तो एन.सी.आर. में भी ओवरलोडिंग वाहन पर बैन लगाया गया है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राजस्थान, यू.पी., दिल्ली और पंजाब से आने वाले ओवरलोडिंग वाहन पर भी बैन लगाया जायेगा। इस तरह से इन ओवरलोडिंग वाहनों पर भी पूरा शिकंजा कसा जायेगा।

श्रीमती रेनू बाला : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा क्वैश्चन पूरा नहीं हुआ है। जहां तक सढौरा हल्के की बात है तो वहां पर ओवरलोडिंग वाहन चलते हैं। मेरे हल्के में गांव हवेली पड़ता है। मैं वहां पर 10–15 दिन पहले गई थी। मां बाप का एक इकलौता बेटा था। वह परिवार बहुत ही गरीब है। अध्यक्ष महोदय, उस लड़के को ओवरलोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उस लड़के की मौके पर मौत हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ओवरलोडिंग वाहनों पर चालान करके रोक लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन पर सख्ती क्यों नही बरती जा रही है? इन ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से न जाने कितने परिवारों के घरों के चिराग उजड़ गये। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी आंखों से उस मां को 15–15 मिनट पर अपने बच्चे के गम में बेहोश होकर गिरते हुए देखा है और दूसरी तरफ उसका बाप बैठा हुआ था और उसकी आंखों में अपने बेटे के गम में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही निकल रहे थे। इसमें उन मां बाप का क्या कसूर है? आप ही इस बारे में बताये।

श्री अध्यक्ष : रेनू जी, आपने अपनी बात रख दी है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब हम सढौरा हल्के में ही खड़े होकर के ओवरलोडिंग वाहनों के चालान करेंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट में छोटी बहन को दूंगा कि सढौरा हल्के में ओवरलोडिंग के कितने चालान हुए हैं?

श्रीमती रेनू बालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि अगर चालान सख्ती से हो रहे हैं तो इसके बावजूद भी ओवर लोडिंग ट्रक रुक क्यों नहीं रहे हैं? इनके कारण क्यों लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः रेनू जी, आप अपनी सैप्लीमैंट्री पूछें क्योंकि यह समय बहस के लिए नहीं है। ऐसे तो बाकी सदस्यों को प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिल पायेगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्या, आप यह सुझाव मंत्री जी को लिखित में दे दें।

.....

Details of Benefits Provided to Scheduled Castes Farmers

***28 Shri Jagdish Nayar:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the number of farmers belonging to the Scheduled Castes who have been benefitted from the schemes of Govt. in State during the year 2021-22 together with the details of benefits provided to the above said farmers?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): श्रीमान जी, राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 7626.95 लाख रूपये अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ के रूप में दिया। इसका विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग के लिए क्रमशः अनुलग्नक –'ए' और अनुलग्नक–'बी' में दिया गया है।

अनुलग्नक–'ए'

वर्ष 2021–22 के दौरान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को योजनावार लाभ दिये गये।

क्रमांक	स्कीम का नाम	लाभान्वित अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या	विवरण के साथ दिए गए लाभ (रूपये लाख में)	दिए गए लाभ के प्रकार
1	अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों एवं किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी उपलब्ध कराने की योजना	225	4.12	बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप।
2	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	1825	6.95	बीज, खाद, कीटनाशक, फफूंदीनाशक इत्यादि कि प्रर्दशन प्लॉट, जल अनुप्रयोग उपकरण एवं पौध सरंक्षण के उपकरण।
3	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के	4246	52.68	कृषि इनपुट (बीज, उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक आदि)

	विस्तार सुधार हेतु समर्थन योजना (आत्मा)			
4	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर. के.वी.वाई.)	7501	1012.36	जल संचयन संरचना का निर्माण, बीज, झींगा पालन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर।
5	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	11813	769.30	यह राशि सरकार द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की सब्सिडी थी।
6	कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन (एसएमएम)–9 सीएचसी	63	38.13	कृषि यंत्र।
7	फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम)–125 व्यक्तिगत किसान+23 सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र	286	235.42	कृषि यंत्र।
8	गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएस)	46	2.35	कृषि आदान (बीज, उर्वकर, कीटनाशक)
9	कपास की खेती	3	11.55	सूक्ष्म सिंचाई के साथ पानी की टंकी।
10	पीएमकेएसएनवाई	62960	3777.60	रू. 6000/– प्रति किसान
	कुल	**88968**	**5910.46**	

अनुलग्नक–'बी'

वर्ष 2021–22 के दौरान उद्यान विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को योजनावार लाभ दिये।

क्रमांक	स्कीम का नाम	लाभान्वित अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या	विवरण के साथ दिए गए लाभ (रूपये लाख में)	दिए गए लाभ के प्रकार
1	अनुसूचित जाति परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना।	511	488.86	सब्जियों की फसलों में बांस की स्टेकिंग, सब्जियों की फसलों में एमएस आयरन स्टेकिंग, मशरूम ट्रे और संरक्षित संरचना।
2	अनुसूचित जाति के किसानों के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए केन्द्रीय योजना	544	1115.26	फलों ओर रखरखाव का क्षेत्र विस्तार, सब्जियों, मसालों, सुगंधित(ऐरोमैटिक) फसलों और नवीनीकरण जल फार्म तालाबों का क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, मशीनीकरण, पीएचएम और विपणन, आईपीएम/आइएनएम और मधुमक्खी/आईएनएम और मधुमक्खी पालन।

3	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए रेशम उद्योग (आईसडीएसआई) के विकास के लिए एकीकृत योजना ''सिल्क समाग्रा''	326	112.37	लाभार्थी अधिकारिता कार्यक्रम (बीईपी), शहतूत वृक्षारोपण विकास, 100 डीएफएलएस के लिए पालन गृह का निर्माण, पालन उपकरण की आपूर्ति, सुनिश्चित कोकून उपज और वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए रोगनिरोधी उपाय के लिए सर्मथन।
	कुल	**1381**	**1716.49**	

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए नई–नई योजनाएं लेकर आ रही हैं जिसमें अनुसूचित जाति के किसानों के लिए भी सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पलवल जिले के किसानों की सूची मांगना चाहता हूं। यह तो मैं मानता हूं कि सरकार ने होडल विधानसभा क्षेत्र के एस.सी. कैटेगरी के किसानों को बहुत लाभ दिया है लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपके अधिकारी किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए क्या प्रोग्राम कर रहे हैं?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, इनके विधानसभा क्षेत्र के किसानों की सूची इनको उपलब्ध करवा दी जायेगी। किसानों को योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में ऐसे सभी क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति के किसान ज्यादा हैं उन क्षेत्रों में हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि उन किसानों को योजनाओं के बारे में जागरुक करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों तक पहुंचें। योजनाओं का डाटा सरकार द्वारा दिया जा चुका है जिसमें भारत सरकार व हरियाणा सरकार की कई योजनाएं हैं जैसे पॉलीहाऊस, नैटहाउस, बीज खाद आदि योजनाओं द्वारा किसान को हर तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं। इनका लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसान भी उठायेंगे।

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब किसान कल्याण के लिए जो बजट दिया था उसमें बहुत सारा पैसा लैप्स हुआ था। वह पैसा किसानों तक पहुंच सके उसके लिए विधायक या अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर कोई मेला या जागरूक अभियान चलाया जाये।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह अच्छा सुझाव है। सरकार की यही कोशिश है कि जितने भी अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको सरकार की नीतियों का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले सके। इसी विषय पर मेरी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई समूह बनाया जाए जिसमें आधे किसान अनुसूचित वर्ग और आधे दूसरे वर्ग के हो जिससे सभी को लाभ दिलाया जा सके।

.....

Income Limit for Old age Pension

*29. **Shri Varun Chaudhary:** Will the Minister of State for Social Justice & Empowerment be pleased to state the time since when the income limit for old age pension was last reviewed by the Government togetherwith the reasons for delay in registration of new pensioners?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश यादव): अध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हेतु आय की सीमा की विगत समीक्षा वर्ष 2012 में की गई थी। वर्तमान में ऐसा व्यक्ति, जिसकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय, उसके पति या पत्नी की आय समेत, रूपये 2,00,000/– से अधिक नहीं है, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र है। दिनांक 22 मार्च, 2012 तक यह सीमा रूपये 50,000/– प्रति वर्ष थी। सरकार लाभार्थीयों की पहचान के लिए प्रो–एक्टिव प्रणाली पर स्थानांतरित हो

गई है, जिसमें सरकार सीधे लाभार्थीयों से सम्पर्क करती है और परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उनकी सहमति लेती है।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह प्रदेश के बुजुर्गों के मान–सम्मान की बात है। मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2012 में इस योजना की समीक्षा हुई थी। मेरा यह कहना है कि उस समीक्षा को 10 साल हो गये हैं। इस दौरान कितनी महंगाई बढ़ी और कितना महंगाई भत्ता बढ़ा इसलिए बुजुर्गों को ये जो मान–सम्मान वृद्धावस्था पैंशन के रूप में सरकार की तरफ से दिया जाता है इसकी समीक्षा पिछले 10 साल में क्यों नहीं हुई? इसी प्रकार से परिवार की आय का सम्बन्ध है। मंत्री जी ने बताया कि सिर्फ पति–पत्नी की आय जोड़ी जायेगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें उन बच्चों की आय नहीं जोड़ी जायेगी जिनका नाम एक ही राशन कार्ड में है। मेरा इस मामले में यही कहना है कि बीते 10 वर्षों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है इसलिए जो 10 साल पहले आय की सीमा 2 लाख रूपये निर्धारित की गई थी उसकी जल्द से जल्दी समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि आज हालात ये हैं कि प्रदेश के जितने बुजुर्ग वृद्धावस्था पैंशन ले रहे थे आज उनकी संख्या घट रही है जबकि हमारे प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वृद्धावस्था पैंशन धारकों की संख्या क्यों घट रही है? जब हम 10 वर्ष पहले यह मान रहे थे कि जिसके परिवार की आय 2 लाख थी उनको यह लाभ मिलना चाहिए आज 10 साल बाद भी हम उसी 2 लाख सालाना आय पर क्यों रूके हुए हैं इसकी जल्दी से जल्दी समीक्षा करके इसको बढ़ाना चाहिए और हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यह मान–सम्मान मिलना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि उनकी यह बात ठीक है कि वर्ष 2012 के बाद आय की समीक्षा

नहीं हुई है लेकिन वर्ष 2012 में वृद्धावस्था पैंशन 1000 रूपये प्रति माह थी और आज हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पैंशन 2500 रूपये प्रति माह कर रखी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा वृद्धावस्था पैंशन तौर पर दिये जाने वाले 2500 रूपये प्रति माह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे पड़ोस के राज्य पंजाब में 60 हजार रूपये प्रति वर्ष की आय की सीमा है 60 हजार रूपये सालाना की आय से ज्यादा आय वाला पैंशन का पात्र नहीं है। इसी प्रकार से राजस्थान में यह सीमा 48 हजार रूपये सालाना है। ऐसे ही चण्डीगढ़ में वृद्धावस्था पैंशन धारक की सालाना आय की सीमा डेढ़ लाख रूपये है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश इस मामले में पूरे देश में सबसे आगे है। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि इस मामले में हमारी सरकार पूरी तरह से सचेत है और ऐसे जरूरतमंद लोगों का हर हाल में पूरा ख्याल रखा जायेगा।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया कि पैंशन की राशि बढ़ी। इस पर मेरा यह कहना है कि वह फायदा तो लाभार्थियों को ही मिल रहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन बुजुर्गों का नाम इस योजना में जोड़ा ही नहीं जा रहा है इससे उनको क्या लाभ है? जब मंत्री जी आय की सीमा की समीक्षा करेंगे तभी प्रदेश के वृद्धावस्था पैंशन के वास्तविक पात्र बुजुर्गों को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है वरूण जी, आपके सुझाव को मंत्री जी ने नोट कर लिया है। अब आप कृपया करके बैठ जायें।

.....

Details of the Mines

***30 Dr. Abhe Singh Yadav, MLA.:** Will the Mines & Geology Minister be pleased to state: -

(a) the depth of the mines in plot no. 1,2 & 3 of village Bakhrija in Nangal Chaudhary Assembly Constituency;

(b) whether the depth of above said mines has gone below the water table in some plots;

(c) whether it is the violation of environment parameters affecting the groundwater balance in this already dry zone area;

(d) whether the mining in above said mines has been operated as per the mining plan approved by the department; and

(e) the periodical inspection reports of the mining officers pertaining to the above said mines for the last two years?

खनन तथा भूविज्ञान मंत्री (श्री मूल चन्द शर्मा):

(क) श्रीमान, बखरीजा गांव में प्रत्येक खदान की गहराई का विवरण निम्नानुसार हैः

खदान का नाम	खनन योजना/ई.सी. के अनुसार स्वीकृत गहराई (मीटर में)	वर्तमान गहराई (मीटर में)
बखरीजा प्लाट नं. 1 (वर्तमान में बन्द पड़ा है)	53	50
बखरीजा प्लाट नं. 2	130	105
बखरीजा प्लाट नं. 3	74	60

(ख) नहीं श्रीमान।

(ग) नहीं श्रीमान।

(घ) खनन गड्ढों की गहराई स्वीकृत खनन योजना के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर है। खनन कार्य चल रही प्रक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या संचालन खनन योजना, पर्यावरण मंजूरी, संचालन की सहमति और सुरक्षा प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है, सीपीसीबी, एमओईएफसीसी, महानिदेशक, खान सुरक्षा, गाजियाबाद और खनन विभाग निरंतर निगरानी रखते हैं और नियमित रूप से खानों का निरीक्षण करते हैं। मामूली विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है और बड़ी विसंगतियों के मामले में संबधिंत पट्टाधारक को नोटिस जारी किया जाता है और सुधार सुनिश्चित किया जाता है। जबकि संबधित प्राधिकारियों द्वारा अलग-अलग कार्रवाई की जाती है तथापि

खानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी खनन अधिकारियों को आदेश दिनांक 04.02.2022 द्वारा खानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये है।

(ड) खनन अधिकारीए नारनौल की बखरीजा प्लाट संख्या 2 एवं 3, तहसील नांगल चौधरी जिला महेंदरगढ़ की आवधिक निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18.02.2022, 11.04.2022, 18.04.2022, 24.05.2022 और 28.06.2022 की प्रतियां अनुलग्नक ए (सामूहिक रूप से) साथ संलग्न है। रिपोर्टों के अनुसार, कोई बड़ा उल्लघंन होना नहीं पाया है।

Annexure-A (Colly)

57

~~Report dated 18.02.2022 of Mining Officer, Narnaul~~

Sr. No.	Details	Remarks
1	Name of Mines along with Mineral	M/s Nimawat Granites Pvt. Ltd., Bakhrija Plot-3 (Stone)
2	Date of Inspection	Friday, February 18, 2022
3	Name of members of Inspection team	Sh. Niranjan Lal M.O with Sh. Deepak M.I & Sh. Punit M.G. & Pankaj M.G.
4	Status of Boundary Pillars (B.P) are in place with GPS Readings	All bourdary pillars are in place EXCEPT B.P 43 & 44
	In case of any discrepancy noted, observation of the team	Benches are not found as per approved mining plan
5	Mining operation, if any found outside lease/contracted area	No
	If yes. Details of area found being mined outside lease/ contracted area	Nil
	Extent of mining taken outside lease/contracted area	Nil
	Action taken at the site/at the time of inspection	Nil
	Staff of lease holder/contractor associated during inspection	Sh. Dinesh & Subarta
6	Whether the mining operation was found beyond permissible depth?	No
	Permissible depth as per Mining Plan (Dated 29.12.2017)/EC	74 Mtr.
	The actual depth found at the time of Inpsection	59 Mtr.
	In case depth of mining found beyond permissible depth, what was the actual depth and how much deep beyond permissible depth was noted	No
	Specific recommendation for above voilation	Nil
7	Whether any mining found outside lease/contracted area	No
	If yes, details of the same	Nil
	Action taken at the same	Nil
8	Complaint regarding working of the mine inspected (Local Admiration/CM window/ others)	Nil
	In case Yes: Date of complaint: Gist of Complaint: Action Taken	Nil
9	Mineral Stock of the lease holder/contractor	Overburden stock near and outside the lease boundary

Mining Officer
Mines & Geology Deptt.
NARNAUL

58

Report dated 18.02.2022 of Mining Officer, Narnaul

No.	Details	Remarks
1	Name of Mines along with Mineral	M/s Tirupati Vinlyoge Pvt. Ltd., Baldirlja Plot-2 (Stone)
2	Date of Inspection	Friday, February 18, 2022
3	Name of members of Inspection team	Sh. Niranjan Lal M.O with Sh. Deepak M.I & Sh. Punit M.G. & Pankaj M.G.
4	Status of Boundary Pillars (B.P) are in place with GPS Readings	All bourdary pillars are in place EXCEPT B.P 23 to B.P 29 and B.P 32 to B.P 40
	In case of any discrepancy noted, observation of the team	Benches are not found as per approved mining plan
5	Mining operation, if any found outside lease/contracted area	No
	If yes. Details of area found being mined outside lease/ contracted area	Nil
	Extent of mining taken outside lease/contracted area	Nil
	Action taken at the site/at the time of inspection	Nil
	Staff of lease holder/contractor associated during inspection	Sh. Abhishek & Rohit
6	Whether the mining operation was found beyond permissible depth?	No
	Permissible depth as per Mining Plan (04.11.2015)/EC	80 Mtr.
	The actual depth found at the time of inpsection	102 Mtr.
	In case depth of mining found beyond permissible depth, what was the actual depth and how much deep beyond permissible depth was noted	No
	Specific recommendation for above vollation	Nil
7	Whether any mining found outside lease/contracted area	No
	If yes, details of the same	Nil
	Action taken at the same	Nil
8	Complaint regarding working of the mine inspected (Local Admiration/CM window/ others)	Nil
	In case Yes: Date of complaint: Gist of Complaint: Action Taken	Nil
9	Mineral Stock of the lease holder/contractor	Overburden stock within lease near common boundary along Baldirlja Plot No. 3

Mining Officer
Mines & Geology Deptt.
NARNAUL

Report dated 11.04.2022 of Mining Officer, Narnaul 579

Sr.No	Details	Remarks
1	Name of Mines along with Mineral	M/s Tirupati Vinlyoge Pvt. Ltd., Bakhrija Plot-2 (Stone)
2	Date of Inspection	Monday, April 11, 2022
3	Name of members of Inspection team	Sh. Niranjan Lal M.O, Sh. Punit M.G., Pankaj M.G.
4	Status of Boundary Pillars (B.P) are in place with GPS Readings	All boundary pillars are in place EXCEPT B.P 23 to B.P 29 and B.P 32 to B.P 40
	In case of any discrepancy noted, observation of the team	Benches are not found as per approved mining plan
5	Mining operation, if any found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 11.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes. Details of area found being mined outside lease/ contracted area	Nil
	Extent of mining taken outside lease/contracted area	Nil
	Action taken at the site/at the time of inspection	Nil
	Staff of lease holder/contractor associated during inspection	Sh. Abhishek & Rohit
6	Whether the mining operation was found beyond permissible depth?	No
	Permissible depth as per Mining Plan (08.07.2020)/EC	130 Mtr.
	The actual depth found at the time of inpsection	104 Mtr.
	In case depth of mining found beyond permissible depth, what was the actual depth and how much deep beyond permissible depth was noted	No
	Specific recommendation for above voilation	Nil
7	Whether any mining found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 11.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes, details of the same	Nil
	Action taken at the same	Nil
8	Complaint regarding working of the mine inspected (Local Admiration/CM window/ others)	Nil
	In case Yes: Date of complaint: Gist of Complaint: Action Taken	Nil
9	Mineral Stock of the lease holder/contractor	Overburden stock within lease near/along common boundary of Bakhrija Plot No.3

Mining Officer
Geology Deptt.

60

Report dated 18.04.2022 of Mining Officer, Narnaul

Sr. No.	Details	Remarks
1	Name of Mines along with Mineral	M/s Nimawat Granites Pvt. Ltd., Bakhrija Plot-3 (Stone)
2	Date of Inspection	Monday, April 18, 2022
3	Name of members of Inspection team	Sh. Niranjan Lal M.O with Sh. Deepak M.I & Sh. Punit M.G., Pankaj M.G., Amar Singh M.G., Narender M.G., Veer Singh M.G.
4	Status of Boundary Pillars (B.P) are in place with GPS Readings	All bourdary pillars are in place EXCEPT B.P 43 & 44 as per mining plan (Report pending)
	In case of any discrepancy noted, observation of the team	Benches are not found as per approved mining plan
5	Mining operation, if any found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 18.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes. Details of area found being mined outside lease/ contracted area	Nil
	Extent of mining taken outside lease/contracted area	Nil
	Action taken at the site/at the time of inspection	Nil
	Staff of lease holder/contractor associated during inspection	Sh. Kishan (2nd Class Mines Manager), Sh. Dinesh & Subarta
6	Whether the mining operation was found beyond permissible depth?	No
	Permissible depth as per Mining Plan (Dated 29.12.2017)/EC	74 Mtr.
	The actual depth found at the time of inpsection	60 Mtr.
	In case depth of mining found beyond permissible depth, what was the actual depth and how much deep beyond permissible depth was noted	No
	Specific recommendation for above voilation	Nil
7	Whether any mining found outside lease/contracted area	No
	If yes, details of the same	Nil
	Action taken at the same	Nil
8	Complaint regarding working of the mine inspected (Local Admiration/CM window/ others)	Nil
	In case Yes: Date of complaint: Gist of Complaint: Action Taken	Nil
9	Mineral Stock of the lease holder/contractor	Overburden stock near and outside the lease boundary

Mining Officer
Mining & Geology Dept

61

Report dated 24.05.2022 of Mining Officer, Narnaul

Sr. No.	Details	Remarks
1	Name of Mines along with Mineral	M/s Nimawat Granites Pvt. Ltd., Bakhrija Plot-3 (Stone)
2	Date of Inspection	Tuesday, May 24, 2022
3	Name of members of Inspection team	Sh. Niranjan Lal M.O with Sh. Deepak M.I & Sh. Punit M.G., Devender M.G., Veer Singh M.G.
4	Status of Boundary Pillars (B.P) are in place with GPS Readings	All bourdary pillars are in place but B.P 18,19 are not of standard size
	In case of any discrepancy noted, observation of the team	Benches are not found as per approved mining plan
5	Mining operation, if any found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 18.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes. Details of area found being mined outside lease/ contracted area	Nil
	Extent of mining taken outside lease/contracted area	Nil
	Action taken at the site/at the time of inspection	Nil
	Staff of lease holder/contractor associated during inspection	Sh. Kishan (2nd Class Mines Manager), Sh. Dinesh & Subarta
6	Whether the mining operation was found beyond permissible depth?	No
	Permissible depth as per Mining Plan (Dated 29.12.2017)/EC	74 Mtr.
	The actual depth found at the time of Inpsection	60 Mtr.
	In case depth of mining found beyond permissible depth, what was the actual depth and how much deep beyond permissible depth was noted	No
	Specific recommendation for above voilation	Nil
7	Whether any mining found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 18.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes, details of the same	Nil
	Action taken at the same	Nil
8	Complaint regarding working of the mine Inspected (Local Admiration/CM window/ others)	Nil
	In case Yes: Date of complaint: Gist of Complaint: Action Taken	Nil
9	Mineral Stock of the lease holder/contractor	Overburden stock near and outside the lease boundary

Mining Officer
Mines & Geology Deptt.
NARNAUL

62

Report dated 24.05.2022 of Mining Officer, Narnaul

Sr.No	Details	Remarks
1	Name of Mines along with Mineral	M/s Tirupati Vinlyoge Pvt. Ltd., Bakhrija Plot-2 (Stone)
2	Date of Inspection	Tuesday, May 24, 2022
3	Name of members of Inspection team	Sh. Niranjan Lal M.O with Sh. Deepak M.I & Sh. Punit M.G., Devender M.G., Veer Singh M.G.
4	Status of Boundary Pillars (B.P) are in place with GPS Readings	All bourdary pillars are in place except B.P 1,2 and 5,6&7. And B.P 18,19, 23, 24,25,29,38,43 & 44 are not of standard size and
	In case of any discrepancy noted, observation of the team	Benches are not found as per approved mining plan
5	Mining operation, if any found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 11.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes, Details of area found being mined outside lease/ contracted area	Nil
	Extent of mining taken outside lease/contracted area	Nil
	Action taken at the site/at the time of inspection	Nil
	Staff of lease holder/contractor associated during inspection	Sh. Rohit
6	Whether the mining operation was found beyond permissible depth?	No
	Permissible depth as per Mining Plan (08.07.2020)/EC	130 Mtr.
	The actual depth found at the time of inpsection	105 Mtr.
	In case depth of mining found beynnd permissible depth, what was the actual depth and how much deep beyond permisstble depth was noted	No
	Specific recommendation for above vollation	Nil
7	Whether any mining found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 11.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes, details of the same	Nil
	Action taken at the same	Nil
8	Complaint regarding working of the mine inspected (Local Admiration/CM window/ others)	01
	In case Yes: Date of complaint:30.03.2022 Gist of Complaint:Illegal mining Action Taken: Explaination letter has been issued vide this office memo no. 478 dated 24.05.2022.	A survey was conducted on dated 11.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
9	Mineral Stock of the lease holder/contractor	Overburden stock within lease near/along common boundary of Bakhrija Plot No. 3

Mining Officer
Mines & Geology Deptt.
NARNAUL

63

Report dated 28.06.2022 of Mining Officer, Narnaul

Sr.No	Details	Remarks
1	Name of Mines along with Mineral	M/s Tirupati Vinlyoge Pvt. Ltd., Bakhrija Plot-2 (Stone)
2	Date of Inspection	Tuesday, June 28, 2022
3	Name of members of Inspection team	Sh. Niranjan Lal M.O with Sh. Deepak M.I & Sh. Punit M.G., Devender M.G., Vinod, M.G.
4	Status of Boundary Pillars (B.P) are in place with GPS Readings	All boundary pillars are in place except B.P 5,6&7 broken. And B.P 18,19, 23, 24,25,29,38,43 & 44 are not of standard size and
	In case of any discrepancy noted, observation of the team	Benches are not found as per approved mining plan
5	Mining operation, if any found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 11.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes. Details of area found being mined outside lease/ contracted area	Nil
	Extent of mining taken outside lease/contracted area	Nil
	Action taken at the site/at the time of inspection	Nil
	Staff of lease holder/contractor associated during inspection	Sh. Rohit
6	Whether the mining operation was found beyond permissible depth?	No
	Permissible depth as per Mining Plan (08.07.2020)/EC	130 Mtr.
	The actual depth found at the time of inpsection	105 Mtr.
	In case depth of mining found beyond permissible depth, what was the actual depth and how much deep beyond permissible depth was noted	No
	Specific recommendation for above voilation	Nil
7	Whether any mining found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 11.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes, details of the same	Nil
	Action taken at the same	Nil
8	Complaint regarding working of the mine inspected (Local Admiration/CM window/ others)	01
	In case Yes: Date of complaint:30.03.2022 Gist of Complaint:Illegal mining Action Taken: Explaination letter has been issued vide this office memo no. 478 dated 24.05.2022.	A survey was conducted on dated 11.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
9	Mineral Stock of the lease holder/contractor	Overburden stock within lease near/along common boundary of Bakhrija Plot No. 3

Mining Officer
Mines & Geology Deptt.
NARNAUL

64

Report dated 28.06.2022 of Mining Officer, Narnaul

Sr. No.	Details	Remarks
1	Name of Mines along with Mineral	M/s Nimawat Granites Pvt. Ltd., Bakhrija Plot-3 (Stone)
2	Date of Inspection	Tuesday, June 28, 2022
3	Name of members of Inspection team	Sh. Niranjan Lal M.O with Sh. Deepak M.I & Sh. Punit M.G., Devender M.G., Vinod M.G.
4	Status of Boundary Pillars (B.P) are in place with GPS Readings	All bourdary pillars are in place but B.P 18,19,22,23 are not of standard size
	In case of any discrepancy noted, observation of the team	Benches are not found as per approved mining plan
5	Mining operation, if any found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 18.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes, Details of area found being mined outside lease/ contracted area	Nil
	Extent of mining taken outside lease/contracted area	Nil
	Action taken at the site/at the time of inspection	Nil
	Staff of lease holder/contractor associated during inspection	Sh. Kishan (2nd Class Mines Manager), Sh. Dinesh & Subarta
6	Whether the mining operation was found beyond permissible depth?	No
	Permissible depth as per Mining Plan (Dated 29.12.2017)/EC	74 Mtr.
	The actual depth found at the time of inspection	60 Mtr.
	In case depth of mining found beyond permissible depth, what was the actual depth and how much deep beyond permissible depth was noted	No
	Specific recommendation for above vollation	Nil
7	Whether any mining found outside lease/contracted area	A survey was conducted on dated 18.04.2022 alongwith Tehsildar Narnaul, and Patwari as per directions of worthy Deputy Commissioner (Report pending)
	If yes, details of the same	Nil
	Action taken at the same	Nil
8	Complaint regarding working of the mine inspected (Local Admiration/CM window/ others)	Nil
	In case Yes: Date of complaint: Gist of Complaint: Action Taken	Nil
9	Mineral Stock of the lease holder/contractor	Overburden stock near and outside the lease boundary

Mining Officer
Mines & Geology Deptt.
NARNAUL

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके साथ ही इंस्पैक्शन रिपोर्ट भी लगाई हुई हैं। मैं उन्हीं रिपोर्ट्स को पढ़ रहा हूं। मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि माइनिंग प्लान के अनुसार ही माइनिंग हो रही है। उस रिपोर्ट में एक कॉलम यह भी है कि स्टेटस ऑफ बाउंड्री पिल्लर्स। स्टेटस ऑफ बाउंड्री पिल्लर्स के बारे में कुछ पिल्लर्स को छोड़ कर बाकी पिल्लर्स के बारे में लिख

दिया गया है कि एक्सैप्ट पिल्लर्स सच एण्ड सच। इसका मतलब यह है कि इस दिशा में पिल्लर्स को तोड़ दिया गया है। उसके बाद आपकी रिपोर्ट ही कहती है कि दिनांक 11.04.2022 को सर्वे किया गया है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि रिपोर्ट अभी पैंडिंग है। इस प्रकार से 4 महीने पहले आपने पैमाइश करवाई लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें फैक्ट यह है कि जो पंचायती जमीन है वहां पर मनमर्जी से माइनिंग हो रही है। इसी तरह से जहां पर माइनिंग हो रही है वहां के वाटर लैवल की बात की जाये तो पिछले 4–5 सालों से वाटर लैवल इम्प्रूव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महेन्द्रगढ़ जिले के लिए जो वाटर रिचार्ज की स्कीम बनाई थी और नहरों में पानी छोड़ा गया है उसके बाद हमारे एरिया का वाटर लैवल ऊपर आया है जिसके कारण माइन्ज में पानी भर जाता है। मंत्री जी पता करवा लें वहां खानों में से पम्प लगा लगा कर पानी निकाला जा रहा है। इस प्रश्न के रिप्लाई में अनैक्स्र रिपोर्ट के सीरियल नं. 9, लास्ट में लिखा हुआ है "Mineral stock of the lease holder/contractor" तथा इसके (Remarks) के column में यह लिखा है– "Overburden stock within lease near/ along common boundary of Bakhrija Plot No.3." It is a matter of record कि मेगोत बिंजा पंचायत की जमीन है। बिना किसी रैंट व कम्पनसेशन के कई एकड़ जमीन के ऊपर मलबा डम्प कर रखा है। जब मैंने इस संबंध में संबंधित अधिकारी को कहा कि आपने पंचायत की जमीन में मलबे का पहाड़ बना दिया तो वह कहने लगा कि हमने इस मलबे को सीज कर दिया है। यह उससे भी बड़ी बीमारी है। सीज करने का मतलब परमानैंटली उसको वहां छोड़ दिया है। Either you dispose it off, या आप उसका ऑक्शन करवाइये या जो भी करवाएं लेकिन उस पंचायत की जमीन को खाली करवाईये। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे मेरे को आश्वस्त करें कि वे वहां किसी इंडीपैंडेंट एजेंसी से सर्वे करवाएंगे। मुझे माइनिंग के बारे में कोई एतराज नहीं है लेकिन माइनिंग

नॉर्म्स के मुताबिक हो और मलबे का डिस्पोज ऑफ भी नॉर्म्स के मुताबिक हो क्योंकि वहां आगे आने वाली पीढ़ियों को रहना है। वहां रहने वाली हमारी आखिरी पीढ़ी नहीं है। उस इलाके को इतना बर्बाद न करें कि उस इलाके में आने वाली पीढ़ियां रहने लायक ही न बचें। धन्यवाद।

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने जो पंचायत की जमीन पर मलबा पड़ा होने की बात कही है, उस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पंचायत की जमीन पर जो इस तरह की माइनिंग होती है अगर उसकी ऑक्शन नहीं हो पाती है तो उसको सीज कर दिया जाता हैं लेकिन हम उस जमीन की ऑक्शन करवाएंगे। दूसरा जो वाटर लेवल की बात की गई थी। उस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि जहां बारिश का पानी भरा हुआ था उसको तो हमने बाहर निकाल दिया है। हमने कल ही रिपोर्ट मंगवाई है वहां पानी का लेवल 175 मीटर नीचे है। वहां जो बाउंडरी लाइन की बात की गई है उसमें पिल्लर्स की रिपोर्ट तो मेरे पास है लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार चैक करवा लूंगा कि वह बाउंडरी लाइन से बाहर तो नहीं हैं। वैसे उसकी पूरी जानकारी की रिपोर्ट मेरे पास है अगर फिर भी कहीं रह गई है तो मैं उसको एक बार दोबारा से चैक करवा लूंगा।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से सिर्फ इतना निवेदन है कि मुझे दो–तीन महीने या छः महीने का समय दे दीजिए कि हम इतने दिन में उस पंचायत की जमीन को खाली करवा देंगे।

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बाउंडरी लाइन की बात कही है। पानी की रिपोर्ट तो हमारे पास है लेकिन पंचायत की जमीन को खाली करवाने की जो प्रक्रिया है वह हम डी.सी. के थ्रू जल्दी ही करवा देंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जल्दी की बात नहीं है। मुझे मंत्री जी टाईम बता दें कि हम इतने दिन में उस पंचायती जमीन को खाली करवा देंगे।

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सी पंचायत की जमीन है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, अगर वह लीगल है तो उसको ऑक्शन करवाने में क्या दिक्कत है? आप उस जमीन की ऑक्शन करवा दीजिए।

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम उसकी तीन–चार महीने में ऑक्शन करवा देंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव : मंत्री जी, आप चाहे हमें छः महीने का समय दे दीजिए। Let it come on the record of this House.

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम उस जमीन की चार महीने में ऑक्शन करवा देंगे। (शोर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

.....

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Repair of Road

***31. Shri Ghanshyam Dass:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the road from Yamuna Nagar to Radaur is badly damaged; and

(b) If so, the time by which the abovesaid road is likely to be repaired togetherwith the detail thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

क) हां श्रीमान जी

ख) इस मार्ग का कार्य ठेकेदार को दिनांक 26-07-2022 को आवंटित किया गया है और यह कार्य दिनांक 15-12-2022 तक पूरा होने की संभावना है।

.....

Total Number of Schools in the State

*32 **Shri Balraj Kundu:** Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) The total number of Primary, High, Senior Secondary Schools in State; and

(b) Whether the Government has any such information regarding Government Schools which have been closed in State in the last eight years together with the total number of posts of teachers lying vacant?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) राज्य में राजकीय प्राथमिक, राजकीय उच्च तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	विद्यालयों के प्रकार	विद्यालयो की संख्या
1	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	2,297
2	उच्च विद्यालय	1,037
3	मिडल विद्यालय	2,416
4	प्राथमिक विद्यालय	8,672
5	आरोही विद्यालय	36
6	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	33
7	लैब विद्यालय	01
कुल		**14,492**

(ख) (i) सरकार द्वारा गत 8 वर्षों में कुल 196 (179 प्राथमिक+17 माध्यमिक) राजकीय विद्यालयों को बन्द किया गया है। बन्द किए गए विद्यालयों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	बंद किए गए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का विवरण	बंद किए गए राजकीय मिडल विद्यालयों का विवरण
2015	–	–
2016	–	–
2017	–	–
2018	62	–
2019	76	12
2020	–	–
2021	41	05
2022	–	–
कुल	**179**	**17**
कुल योग	**प्राथमिक/मिडल विद्यालय = 196**	

(ii) विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र में दाखिले के आधार पर शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण ड्राईव शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए रेशनलाईज़ेशन की प्रक्रिया दिनांक 15.08.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है, इसलिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर रिक्तियों की संख्या केवल रेशनलाईज़ेशन प्रक्रिया सम्पूर्ण होने पर ही ज्ञात होगी। हालांकि, गत शैक्षणिक सत्र की आवश्यकता के आधार पर शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या 35,980 थी। गत शैक्षणिक सत्र की रेशनलाईज़ेशन प्रक्रिया के आधार पर विद्यालय शिक्षा विभाग में शैक्षणिक अमले के पदों की आवश्यकता तथा रिक्त पदों की स्थिति का विवरण इस प्रकार है:–

शैक्षणिक अमला

क्रमांक	वर्ग	गत शैक्षणिक सत्र के अनुसार आवश्यकता	कार्यरत पद	रिक्त पद

1	प्रधानाचार्य	2315	1924	391
2	मुख्याध्यापक	1023	761	262
3	पी0जी0टी0	40931	27414	13517
4	टी0जी0टी0	41254	24269	16985
5	पी0आर0टी0	40613	35788	4825
योग		**126136**	**90156**	**35980**

Functioning of E.P.D.S. website

*33. **Shri Surender Panwar**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the E.P.D.S. website for applying new ration cards is lying non-functional since February, 2021; if so, the reasons thereof; and

(b) the time by which it is likely to be made functional?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, जानकारी निम्न प्रकार है:–

(क) ई.पी.डी.एस. वेबसाईट संचालित है। हालांकि, राशन कार्ड सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2021 से पी.डी.एस. डाटाबेस को परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) डेटाबेस के साथ अंतिम सत्यापन तक अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया था;

(ख) पी.डी.एस. डाटाबेस का परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) डेटाबेस के साथ शत् प्रतिशत एकीकरण होने उपरांत सेवाओं को तदानुसार फिर से संचालित किया जाएगा।

To Construct the Four Lane Road

***34. Shri Vinod Bhayana:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the four lane road from Hansi to Kaithal; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) और (ख) नहीं श्रीमान।

To Metal the Unmetalled Passage

*35. **Shri Indu Raj:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether it is a fact that the passage from village Siwanka to Ahmadpur Majra is unmetalled; if so, the steps taken by the Government to metal the said passage togetherwith the time by which the abovesaid passage is likely to be metalled?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): जी हां श्रीमान, उपलब्ध रास्ते की चौड़ाई कम होने के कारण इस रास्ते को पक्का करने का कार्य बोर्ड की सड़क निर्माण नीति के अंतर्गत नहीं आता है इसलिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

.....

To Construct Community Centre

*36 **Smt. Shalley Chaudhary:** Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state that :-

(a) whether it is a fact that there is no community centre for scheduled castes in any of the village of Naraingarh Assembly Constituency for organizing their religious programmes; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct community centre for scheduled castes in the abovesaid villages togetherwith the details thereof?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली):

(क) नहीं श्रीमान् जी, नारायणगढ़ विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के गाँवों में स्थित सामुदायिक केन्द्रों को किसी भी वर्ग द्वारा अपने किसी भी सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रमों के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) उपरोक्त गाँवों में केवल अनुसूचित जाति के लिए सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Total Number of Registered Labourers

***37 Shri Ram Kumar:** Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state the block-wise number of registered labourers in Distt. Karnal as on date ?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनुप धानक): अध्यक्ष महोदय, जिला करनाल में पंजीकृत श्रमिकों की कुल संख्या नीचे दी गई है:–

(i) कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्याः 44,400

(ii) दुकानात एवं वाणिज्यक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्याः 34,623

(iii) हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 29,643

वर्तमान में ब्लॉक–वाईज श्रमिकों की संख्या एकत्रित नहीं की जाती है। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या तहसील–वाईज निम्न प्रकार से है:

असंध	**2029**
घरौंडा	**4786**
इन्द्री	**4040**
करनाल	**15293**
निलोखेड़ी	**3495**

To Plant Trees in Reserve Forest

***38. Shri Sita Ram Yadav:** Will the Forest Minister be pleased to state that: -Will the Forest Minister be pleased to state: -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to plant, Peepal, Neem, Kikar, Sisam, Banyan and other trees in place of the dried trees of Acacia Tortilis and Muscat planted in the reserved forest of village Kanti; and

(b) if so, the time by which the said trees are likely to be planted together with the details thereof?

वन मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) हां श्रीमान जी, कांटी आरक्षित वन में सूखे वृक्षों को हटाकर चालू मानसून सीजन में पौधारोपण का कार्य किया गया है। इस वन क्षेत्र में इस वर्ष 3500 पौधे लगाए गए हैं।

(ख) पौधारोपण का कार्य चालू पौधारोपण सीजन में पूर्ण कर लिया जाएगा।

To Construct the Building of Girls College

*39 **Shri Subhash Gangoli:** Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the classes of Girls College of Pillukhera are being run in the building of Government School; and

(b) the present status of construction work of building of Girls College, Pillukhera togetherwith the time by which the classes of abovesaid Girls College are likely to be started in new building of the College?

शिक्षा मंत्री (श्री ंकवर पाल) : –

क) हां, श्रीमान जी,

ख) राजकीय महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा के लिए भवन निर्माण का मामला सरकार के विचाराधीन है। राजकीय महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा नें शैक्षणिक सत्र 2019-20 से वैकल्पिक भवन में काम करना शुरू कर दिया है। महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा 8 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा महाविद्यालय भवन के लिए 33 वर्ष की अवधि के लिए 11.04.2022 को लीज डीड दर्ज की गई है। निर्माण कार्य अगले 6 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है और यह शैक्षणिक सत्र यानी 2025-26 से पहले पूरा हो जाएगा।

To Check Accumulation of Water

***40 Shri Bharat Bhushan Batra:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total area of land related to Public Health Engineering epartment in the pond namely Rahad Wala situated on Gohana road opposite T.B. Hospital and behind Krishna Colony, Mahavir Colony and Gurunanak Pura togetherwith the time when it was acquired and

possessed by the Government alongwith the possessor of the said land at present;

(b) the purpose for which the said land is being utilized by the Public Health Engineering Department togetherwith the details thereof; and

(c) whether it is a fact that the water upto four feet had been accumulated on the abovesaid colonies on dated 30 June; if so, the steps taken or likely to be taken by the Government to check accumulation of water in the said colonies during rainy season togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) 10 बीघा 7 बिस्वा (6.46 एकड़) भूमि का हिस्सा सरकार द्वारा 10.4.2008 को अधिग्रहित किया गया था और यह भूमि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कब्जे में है।

(ख) उक्त भूमि पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का एक सीवेज डिस्पोजल व एक स्ट्रोम वॉटर डिस्पोजल है जो कि उपरोक्त कालोनियों के सीवरेज व बरसाती पानी निकालने के लिए बनाए गए हैं।

(ग) हां, श्रीमान् जी। रोहतक शहर में दिनांक 30.6.2022 को 6 से 7 घंटों में लगातार 153 मिलीमीटर के करीब भारी वर्षा हुई जो कि हरियाणा की 550 मिलीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा से कहीं अधिक थी। गोहाना सड़क टी.बी. अस्पताल के सामने व कृष्णा कालोनी, महावीर कॉलोनी तथा गुरू नानकपुरा में वर्षा का पानी एकत्रित हो गया था। उपरोक्त कालोनियों में वर्षा के पानी को एकत्रित होने से रोकने के लिए 45.27 करोड़ का एक अनुमान वॉटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड की मीटिंग जो कि दिनांक 20.7.2022 को हुई थी, उसमें प्रशासनिक अनुमोदन कर दिया गया है। इस कार्य के पूर्ण होने पर वर्षा ऋतु के दौरान उपरोक्त कालोनियों में वर्षा का पानी एकत्रित नहीं होगा।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Check the Shortage and Hoarding of Fertilisers

41. Chaudhary Abhay Singh Chautala: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the steps being taken by the Government to check the shortage and hoarding of fertilisers in the State?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (जय प्रकाश दलाल): श्रीमान जी, प्रदेश में वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा दिन-प्रति-दिन के आधार पर सभी उर्वरकों की आवश्यकता, आपूर्ति, बिक्री और स्टॉक की स्थिति पर लगातार नजर रखता है। भारत सरकार द्वारा भी प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के माध्यम से राज्य को आपूर्ति की समीक्षा की जाती है। क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के समय भारत सरकार के साथ किसी विशेष मौसम के लिए सभी उर्वरकों की माहवार आवश्यकता का पारस्परिक रूप से आंकलन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा राज्यों को आवश्यकता के अनुसार मासिक आवंटन किया जाता है तथा आपूर्तिकर्ता/आयातकों को उसी अनुसार गंतव्यों तक यूरिया और डीएपी सहित प्रमुख उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है। वर्तमान खरीफ 2022 मौसम के दौरान प्रमुख उर्वरकों की आकलित आवश्यकता, उपलब्धता और खपत का विवरण निम्नानुसार हैः

(मात्रा लाख मिट्रीक टन में)

उर्वरक ग्रेड	खरीफ 2022 के लिए आवश्यकताएँ	01.04.22 को प्रारंभिक शेष	02.08.22 तक रसीद	02.08.22 तक कुल उपलब्धता	02.08.22 तक बिक्री	वर्तमान स्टॉक 02.08.22 तक
यूरिया	10.00	2.54	6.77	9.31	7.24	2.07
डी.ए.पी	3.00	0.36	1.86	2.22	1.50	0.72
एस.एस.पी	0.95	0.77	0.57	1.34	0.64	0.70
एनपीके	0.20	0.05	0.04	0.09	0.04	0.04
कुल	14.15	3.72	9.23	12.95	9.42	3.53

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सभी उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करा दी गई, खपत/बिक्री भी संतोषजनक रही और वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है। प्रदेश में वर्तमान खरीफ मौसम में

यूरिया और डीएपी उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 तक जमाखोरी, कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए की गई जिला-वार कार्यवाही निम्न प्रकार से हैः-

क्रमांक	**ज़िला**	**शिकायतें**	**कारण बताओ नोटिस जारी**	**लाइसेंस निलंबित**	**जिले में दर्ज एफआईआर की कुल संख्या**	**उड़न दस्ते और जिला पुलिस द्वारा छापेमारी**
1	अंबाला	1	8	4	2	55
2	भिवानी	2	2	1	2	1
3	च.दादरी	0	0	0	0	12
4	फरीदाबाद	3	11	9	0	65
5	फतेहाबाद	8	11	9	1	30
6	गुरुग्राम	4	37	3	0	4
7	हिसार	0	0	4	5	3
8	झज्जर	3	7	4	3	1
9	जींद	4	6	4	1	2
10	कैथल	7	67	13	3	56
11	करनाल	6	7	7	2	13
12	कुरुक्षेत्र	11	11	8	1	161
13	महेंद्रगढ़	3	2	2	2	2
14	मेवात	5	3	0	8	8
15	पलवल	4	0	26	0	45
16	पंचकुला	6	19	4	0	21
17	पानीपत	2	2	1	0	11
18	रेवाड़ी	2	1	0	1	35
19	रोहतक	3	3	2	0	2

20	सिरसा	5	12	6	2	25
21	सोनीपत	0	0	0	1	1
22	यमुनानगर	5	26	28	5	60
कुल		**84**	**235**	**135**	**39**	**613**

राज्य में उर्वरकों की कमी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैः-

- अर्ध-सरकारी पत्र दिनांक 09.03.2022 के माध्यम से, महानिदेशक, कृषि हरियाणा ने संयुक्त सचिव (आईएनएम), भारत सरकार से अगले सात दिनों में पर्याप्त रेक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि आवंटित डीएपी की आपूर्ति की जा सके।
- निर्देश दिनांक 12.04.2022 द्वारा कृषि विभाग के सभी उप-निदेशकों को सलाह दी गई है कि सभी डीलरों को पीओएस मशीनों में दैनिक उर्वरक स्टॉक की स्थिति और बिक्री डेटा की रीयल टाइम फीडिंग प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाए।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि ने अर्ध-सरकारी पत्र दिनांक 24-06-2022 के माध्यम से सचिव (उर्वरक), भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जून, 2022 में कम आपूर्ति की गई मात्रा को भी पूरा किया जाए।
- माननीय कृषि मंत्री, हरियाणा ने भी अर्ध-सरकारी पत्र दिनांक 20.07.2022 के माध्यम से माननीय उर्वरक मंत्री, भारत सरकार से उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अनुरोध किया ताकि राज्य को पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी मिल सके।
- पत्र दिनांक 15.07.2022 के माध्यम से महानिदेशक, कृषि ने राज्य के सभी उपायुक्तों से औद्योगिक/गैर-कृषि उपयोगों के लिए सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी, तस्करी और डायवर्जन/टैगिंग को रोकने और उर्वरकों की पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया ।
- महानिदेशक, कृषि ने पत्र दिनांक 02.08.2022 के द्वारा संयुक्त सचिव (उर्वरक), भारत सरकार से अगस्त और सितंबर, 2022 में आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया गया।
- महानिदेशक, कृषि ने राज्य में सुचारू आपूर्ति के लिए दिनांक 05.08.2022 को उर्वरक मंत्रालय का दौरा भी किया। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

---

42. Shri Rakesh Daultabad: Will the Forest Minister be pleased to state that: -

(a) the details of the schemes of Government for soil conservation and construction of protection trenches/ponds/other structures in Aravali Hills;

(b) the details of the works done by the Forest Department for soil conservation and construction of trenches/ponds/other structures in Aravali Hills from the year 2014 till to date; and

(c) the details of the tenders awarded for the abovesaid works together with their copies?

वन मंत्री (श्री **कंवर पाल**)

(क) श्रीमान, अरावली क्षेत्र में मृदा संरक्षण के कार्य एवं सुरक्षा ट्रैन्च/तलाबो एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण कार्य हेतू निम्न योजनाएं लागू की जा रही है।

1. नेशनल मिशन फोर ग्रीन इण्डिया।
2. कम्पनसेटरी अफोरस्टेशन मैनेजमेन्ट प्लानिंग अथोरिटी।
3. राज्य सरकार की प्रायोजित योजना-भूमि संरक्षक।

(ख) अरावली क्षेत्र में वर्ष 2014 से अब तक करवाए गए मृदा संरक्षण के कार्य एवं सुरक्षा ट्रैन्च/तलाबो एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण सम्बन्धी कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैः-

1. स्कीम नेशनल मिशन फोर ग्रीन इण्डिया

क्रम संख्या	वर्ष	कार्य का विवरण	संख्या	गांव का नाम
1	2014-15	तालाब	1	रोजका गुज्जर
2	2014-15	तालाब	1	कादरपुर

2. कम्पनसेटरी अफोरस्टेशन मैनेजमेन्ट प्लानिंग अथोरिटी

क्रम संख्या	वर्ष	कार्य का विवरण	संख्या	गांव का नाम
1	2014-15	तालाब	1	लोह सिंघानी
2	2014-15	तालाब	1	मानेसर सैक्शन 4 व 5
3	2014-15	तालाब		कैरवाला
4	2020-21	तालाब	7	सरबसीरपुर आर. एफ. रोजका गुज्जर

				खुंटपुरी मण्डावर
5	2021-22	तालाब	1	गैरतपुरबास
6	2021-22	चैक डैम	1	मण्डावर
7	2021-22	सिमेन्ट स्ट्रक्चर	3	घाटा बालियावास

3. स्टेट स्कीम 2402 भूमि संरक्षण

क्रम संख्या	वर्ष	कार्य का विवरण	संख्या	गांव का नाम
1	2015-16	जल संग्रह बांध	1	मानेसर
2	2015-16	जल संग्रह बांध	1	घामडोज
3	2015-16	भू-संरक्षण	1	घामडोज
4	2016-17	जल संग्रह बांध	1	घामडोज
5	2016-17	तालाब	1	सकतपुर
6	2016-17	जल संग्रह बांध	1	मानेसर
7	2017-18	तालाब	1	नरहेडा
8	2017-18	तालाब	1	मिरजापुर
9	2017-18	तालाब	1	भौडाखुर्द
10	2017-18	तालाब	1	जेनियावास
11	2017-18	तालाब	1	बाघनकी
12	2017-18	तालाब	1	दौलताबाद कूनी
13	2017-18	तालाब	1	खण्डेवला
14	2017-18	तालाब	1	गुढाना
15	2017-18	तालाब	4	सकतपुर

(ग) इन कार्यो से सम्बन्धित निविदाओं की सूचना अनुलग्नक क पर रखी गई है।

97
अनुलग्नक 'क'

प्रपत्र–VII
वन विभाग, हरियाणा
कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम।
अनुबन्ध प्रपत्र

मैं राजकुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी गांव उजाना तहसील नरवाना, जिला जीन्द, हरियाणा निम्न कार्य करने के लिए वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम से अनुबन्ध करता हूँ।

क्र०सं०	कार्य की प्रकृति	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Digging of Pond at Village Mirjapur	-	497900	497900	31.03.2018

शर्ते:--

1. कार्य के संपादन के लिए ओजार अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाए। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फेसिंग तार खाद, बीज, सीमेंट इत्यादि विभाग उपलब्ध करवाएगा। मैंने 10000/– रूपए बतौर जमानत राशि जमा करा दी है।
2. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश (वर्क आर्डर) में दी गई कार्य की अवधि के अनुसार ही होगी।
3. सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दी गई शर्ते अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
4. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नहीं करने/भली प्रकार संपादित नहीं करने पर उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का देय भुगतान वन मण्डल अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा तथा जमा की गई अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को होगा। अपूर्ण कार्यों को विभागीय तौर पर पूर्ण करवाया [illegible] कटौती ठेकेदारों को दी जाने वाली राशि में से की जा सकेगी।
5. बीस हजार रूपए तक की अनुमानित लागत के कार्यों के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे एवं भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश के अनुसार [illegible] बिल न दे दिया जाए। 20 हजार रूपए से अधिक राशि के कार्य के लिए 50 प्रतिशत [illegible] पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
6. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा उसके ग्राम वासियों [illegible] प्राथमिकता देगा।
7. विज्ञप्ति में दी शर्ते इस अनुबन्ध का भाग होगी।
8. कार्य की समाप्ति पर संविदाकार के लिए कार्य कर रहे मजदूरों का विभाग के किसी [illegible] करने का अधिकार नहीं होगा।
9. कार्यों के संपादन के दौरान सभी श्रम नियमों एवं अधिनियमों जैसे (Contract [illegible] Abolition) Act, Payment of Wages Act, Bonus Act, Gratuity Act, E.S.I. Act etc) की [illegible] जिम्मेवारी ठेकेदारों की होगी। यदि किसी कारणवश इन नियमों अधिनियमों की [illegible] एवं अदालत के द्वारा इन उल्लंघनाओं के कारण कोई मुआवजा देय होता है [illegible] भुगतान/अनुपालना ठेकेदारों द्वारा की जाएगी।

[illegible] अधिकारी

हस्ताक्षर
अनुबन्धकर्ता [illegible]

98 3

प्रपत्र–VII
वन विभाग, हरियाणा
कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम।
अनुबन्ध प्रपत्र

मैं मोहम्मद ईकबाल पुत्र श्री मोहम्मद ईसराईल निवासी गांव मालब तहसील नूंह (मेवात) [illegible] का निम्न कार्य करने के लिए वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम से अनुबन्ध करता हूँ।

क्र०सं०	कार्य की प्रकृति	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Digging of Pond at Village Gudhana	-	440700	440700	31-03-2018

शर्तें –

1. कार्य के संपादन के लिए औजार अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जांए। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फेसिंग तार खाद, बीज, सीमेंट इत्यादि विभाग उपलब्ध करवाएगा। मैंने 10000/– रूपए बतौर जमानत राशि जमा करा दी है।
2. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश (वर्क आर्डर) में दी गई कार्य की अवधि के अनुसार ही होगी।
3. सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
4. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नहीं करने/भली प्रकार संपादित नहीं करने पर उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का देय भुगतान वन मण्डल अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा तथा जमा की गई अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को होगा। अपूर्ण कार्यो को विभागीय तौर पर पूर्ण करवाया जाएगा एवं उत्ती राशि की कटौती ठेकेदारों को दी जानी वाली राशि में से की जा सकेगी।
5. दस हजार रूपए तक की अनुमानित लागत के कार्यो के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे एवं संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर बिल न दे दिया जाए। 20 हजार रूपए से अधिक राशि के कार्य के लिए 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
6. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा उसके ग्राम वासियों को कार्य पर लगाने में प्राथमिकता देगा।
7. विज्ञप्ति मे दी शर्ते इस अनुबन्ध का भाग होगी।
8. कार्य की समाप्ति पर संविदाकार के लिए कार्य कर रहे मजदूरो का विभाग के किसी अन्य कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।
9. कार्यो के संपादन के दौरान सभी श्रम नियमों एवं अधिनियमों जैसे (Contract Labour (Regulation & Abolition) Act; Payment of Wages Act; Bonus Act; Gratuity Act; E.S.I. Act etc) की पालना करने की जिम्मेवारी ठेकेदारों की होगी। यदि किसी कारणवश इन नियमों, अधिनियमों की उल्लंघना होती है या अदालत के द्वारा इन उल्लंघनाओं के कारण कोई मुआवजा देय होता है तो उसका भुगतान/अनुपालना ठेकेदारों द्वारा की जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी,
गुरूग्राम।

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता ठेकेदार

10

99

प्रपत्र–VII
वन विभाग, हरियाणा
कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम।
अनुबन्ध प्रपत्र

मैं मोहम्मद ईकबाल पुत्र श्री मोहम्मद ईसराईल निवासी गांव मालब तहसील नूंह (मेवात) हरियाणा का निम्न कार्य करने के लिए वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम से अनुबन्ध करता हूँ।

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Digging of Pond at Village Narhera	-	497900	497900	31-03-2018

शर्तें–

1. कार्य के संपादन के लिए औजार अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फेसिंग तार खाद, बीज, सीमेंट इत्यादि विभाग उपलब्ध करवाएगा। मैंने 10000/– रूपए बतौर जमानत राशि जमा करा दी है।
2. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश (वर्क आर्डर) में दी गई कार्य की अवधि के अनुसार ही होगी।
3. सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
4. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नही करने/भली प्रकार संपादित नही करने पर उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का देय भुगतान वन मण्डल अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा तथा जमा की गई अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को होगा। अपूर्ण कार्यो को विभागीय तौर पर पूर्ण करवाया जाएगा एव उसी राशि की कटौती ठेकेदारों को दी जानी वाली राशि में से की जा सकेगी।
5. बीस हजार रूपए तक की अनुमानित लागत के कार्यो के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नही किए जा सकेंगें एवं संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर बिल न दे दिया जाए। 20 हजार रूपए से अधिक राशि के कार्य के लिए 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
6. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा उसके ग्राम वासियों को कार्य पर लगाने मे प्राथमिकता देगा।
7. विज्ञप्ति में दी शर्तें इस अनुबन्ध का भाग होगी।
8. कार्य की समाप्ति पर संविदाकार के लिए कार्य कर रहे मजदूरो का विभाग के किसी अन्य कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।
9. कार्यो के संपादन के दौरान सभी श्रम नियमों एवं अधिनियमों जैसे (Contract Labour (Regulation & Abolition) Act; Payment of Wages Act; Bonus Act; Gratuity Act; E.S.I. Act etc) की पालना करने की जिम्मेवारी ठेकेदारों की होगी। यदि किसी कारणवश इन नियमों, अधिनियमों की उल्लंघना होती है एवं अदालत के द्वारा इन उल्लंघनाओं के कारण कोई मुआवजा देय होता है तो उसका भुगतान/अनुपालना ठेकेदारों द्वारा की जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी,
गुरूग्राम।

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता ठेकेदार

100 T

प्रपत्र–VII
वन विभाग, हरियाणा
कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम।
अनुबन्ध प्रपत्र

मैं मोहम्मद ईकबाल पुत्र श्री मोहम्मद ईसराईल निवासी गांव मालब तहसील नूंह (मेवात) हरियाणा निम्न कार्य करने के लिए वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम से अनुबन्ध करता हूँ।

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Renovation of Pond at Village Baghanki	-	412600	412600	31-03-2018

शर्तेः–

1. कार्य के सपादन के लिए औजार अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाए। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फेसिंग तार खाद, बीज, सीमेंट इत्यादि विभाग उपलब्ध करवाएगा। मैंने 10000/– रूपए बतौर जमानत राशि जमा करा दी है।
2. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश (वर्क आर्डर) में दी गई कार्य की अवधि के अनुसार ही होगी।
3. सामान्य वित्तीय लेखा नियम मे दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
4. अनुबन्धकर्ता ठकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नहीं करने/भली प्रकार सपादित नहीं करने पर उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का देय भुगतान वन मण्डल अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा तथा जमा की गई अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को होगा। अपूर्ण कार्यो को विभागीय तौर पर पूर्ण करवाया जाएगा एवं उसी राशि की कटौती ठेकेदारों को दी जानी वाली राशि मे से की जा सकेगी।
5. बीस हजार रूपए तक की अनुमानित लागत के कार्यो के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगें एवं संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर बिल न दे दिया जाए। 20 हजार रूपए से अधिक राशि के कार्य के लिए 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
6. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा उसके ग्राम वासियों को कार्य पर लगाने में प्राथमिकता देगा।
7. विज्ञप्ति में दी शर्तें इस अनुबन्ध का भाग होगी।
8. कार्य की समाप्ति पर संविदाकार के लिए कार्य कर रहे मजदूरो का विभाग के किसी अन्य कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।
9. कार्यो के संपादन के दौरान सभी श्रम नियमों एवं अधिनियमों जैसे (Contract Labour (Regulation & Abolition) Act; Payment of Wages Act; Bonus Act; Gratuity Act; E.S.I. Act etc) की पालना करने की जिम्मेवारी ठेकेदारों की होगी। यदि किसी कारणवश इन नियमों, अधिनियमों की उल्लंघना होती है एवं अदालत के द्वारा इन उल्लंघनाओं के कारण कोई मुआवजा देय होता है तो उसका भुगतान/अनुपालना ठेकेदारों द्वारा की जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी,
गुरूग्राम।

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता ठेकेदार

101

प्रपत्र–VII
वन विभाग, हरियाणा
कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम।
अनुबन्ध प्रपत्र

[illegible] मोहम्मद ईकबाल पुत्र श्री मोहम्मद ईसराईल निवासी गांव मालब तहसील नूंह (मेवात) [illegible] निम्न कार्य करने के लिए वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम से अनुबन्ध करता हूँ।

[illegible]	कार्य की प्रकृति	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	[illegible] of Pond at Village [illegible]awas	-	464900	464900	31-03-2018

[illegible] सम्पादन के लिए औजार अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। कार्य के लिए [illegible] सामग्री जैसे फेंसिंग तार खाद, बीज, सीमेंट इत्यादि विभाग उपलब्ध करवाएगा। मैंने [illegible]/– रूपए बतौर जमानत राशि जमा करा दी है।

[illegible] अवधि कार्य आदेश (वर्क आर्डर) में दी गई कार्य की अवधि के अनुसार ही होगी।

[illegible] लखा नियम में दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होंगी।

[illegible] ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नहीं करने/भली प्रकार संपादित [illegible] उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का देय भुगतान वन मण्डल अधिकारी द्वारा रोका [illegible] जमा की गई अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित वन मण्डल [illegible]। अपूर्ण कार्यों को विभागीय तौर पर पूर्ण करवाया जाएगा एव उसी राशि की [illegible] को दी जानी वाली राशि में से की जा सकेगी।

[illegible] तक की अनुमानित लागत के कार्यों के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नहीं किए जा [illegible] तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर [illegible] जाए। 20 हजार रूपए से अधिक राशि के कार्य के लिए 50 प्रतिशत तक कार्य [illegible] रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।

[illegible] ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा उसके ग्राम वासियों को कार्य पर लगाने में [illegible]

[illegible] इस अनुबन्ध का भाग होगी।

[illegible] संविदाकार के लिए कार्य कर रहे मजदूरों का विभाग के किसी अन्य कार्य [illegible] नहीं होगा।

[illegible] के दौरान सभी श्रम नियमों एवं अधिनियमों जैसे (Contract Labour (Regulation & [illegible] Act, Payment of Wages Act; Bonus Act; Gratuity Act; E.S.I. Act etc) की पालना करने की [illegible] होगी। यदि किसी कारणवश इन नियमों, अधिनियमों की उल्लंघना होती है [illegible] इन उल्लंघनाओं के कारण कोई मुआवजा देय होता है तो उसका [illegible] ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

[illegible]

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता ठेकेदार

102

प्रपत्र–VII
वन विभाग, हरियाणा
कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम।
अनुबन्ध प्रपत्र

मैं मुस्ताक पुत्र श्री सरीफ निवासी गांव रहणा, तहसील नूंह (मेवात) हरियाणा का निम्न कार्य करने के लिए वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम से अनुबन्ध करता हूँ।

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	कार्य का नाम	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Sakatpur South Side Mandir Johar	Johar	517600	517600	31-03-2018

शर्तेः–

1. कार्य के संपादन के लिए औजार अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाए। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फेंसिंग तार खाद, बीज, सीमेंट इत्यादि विभाग उपलब्ध करवाएगा। मैने 10000/– रूपए बतौर जमानत राशि जमा करा दी है।
2. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश (वर्क आर्डर) में दी गई कार्य की अवधि के अनुसार ही होगी।
3. सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दी गई शर्ते अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
4. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नहीं करने/भली प्रकार संपादित नही करने पर उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का देय भुगतान वन मण्डल अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा तथा जमा की गई अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को होगा। अपूर्ण कार्यो को विभागीय तौर पर पूर्ण करवाया जाएगा एव उतनी राशि की कटौती ठेकेदारों को दी जानी वाली राशि में से की जा सकेगी।
5. बीस हजार रूपए तक की अनुमानित लागत के कार्यो के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सकेगें एवं संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर बिल न दे दिया जाए। 20 हजार रूपए से अधिक राशि के कार्य के लिए 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
6. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा उसके ग्राम वासियों को कार्य पर लगाने में प्राथमिकता देगा।
7. विज्ञप्ति में दी शर्ते इस अनुबन्ध का भाग होगी।
8. कार्य की समाप्ति पर संविदाकार के लिए कार्य कर रहे मजदूरो का विभाग के किसी अन्य कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।
9. कार्यो के संपादन के दौरान सभी श्रम नियमों एवं अधिनियमों जैसे (Contract Labour (Regulation & Abolition) Act; Payment of Wages Act; Bonus Act; Gratuity Act; E.S.I. Act etc) की पालना करने की जिम्मेवारी ठेकेदारों की होगी। यदि किसी कारणवश इन नियमों, अधिनियमों की उल्लंघना होती है एवं अदालत के द्वारा इन उल्लंघनाओं के कारण कोई मुआवजा देय होता है तो उसका भुगतान/अनुपालना ठेकेदारों द्वारा की जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी,
गुरूग्राम।

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता ठेकेदार

18

103

प्रपत्र–VII
वन विभाग, हरियाणा
कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम।
अनुबन्ध प्रपत्र

मैं मोहम्मद ईकबाल पुत्र श्री मोहम्मद ईसराईल निवासी गांव मालब तहसील नूंह (मेवात) हरियाणा का निम्न कार्य करने के लिए वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम से अनुबन्ध करता हूँ।

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Sakatpur Peerwala Johar	-	597700	597700	31-03-2018

शर्तेः–

1. कार्य के संपादन के लिए औजार अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जांए। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फेसिंग तार खाद, बीज, सीमेंट इत्यादि विभाग उपलब्ध करवाएगा। मैंन 10000/– रूपए बतौर जमानत राशि जमा करा दी है।
2. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश (वर्क आर्डर) में दी गई कार्य की अवधि के अनुसार ही होगी।
3. सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
4. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नहीं करने/भली प्रकार संपादित नहीं करने पर उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का देय भुगतान वन मण्डल अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा तथा जमा की गई अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को होगा। अपूर्ण कार्यो को विभागीय तौर पर पूर्ण करवाया जाएगा एवं उसी राशि की कटौती ठेकेदारों को दी जानी वाली राशि में से की जा सकेगी।
5. बीस हजार रूपए तक की अनुमानित लागत के कार्यो के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नही किए जा सकेंगे एवं संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर बिल न दे दिया जाए। 20 हजार रूपए से अधिक राशि के कार्य के लिए 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
6. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा उसके ग्राम वासियों को कार्य पर लगाने में प्राथमिकता देगा।
7. विज्ञप्ति में दी शर्तें इस अनुबन्ध का भाग होगी।
8. कार्य की समाप्ति पर संविदाकार के लिए कार्य कर रहे मजदूरो का विभाग के किसी अन्य कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।
9. कार्यों के संपादन के दौरान सभी श्रम नियमों एवं अधिनियमों जैसे (Contract Labour (Regulation & Abolition) Act; Payment of Wages Act; Bonus Act; Gratuity Act; E.S.I. Act etc) की पालना करने की जिम्मेवारी ठेकेदारों की होगी। यदि किसी कारणवश इन नियमों, अधिनियमों की उल्लंघना होती है एवं अदालत के द्वारा इन उल्लंघनाओं के कारण कोई मुआवजा देय होता है तो उसका भुगतान/अनुपालना ठेकेदारों द्वारा की जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी,
गुरूग्राम।

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता ठेकदार

104

प्रपत्र–VII
वन विभाग, हरियाणा
कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम।
अनुबन्ध प्रपत्र

मैं मोहम्मद **ईकबाल** पुत्र श्री मोहम्मद ईसराईल निवासी गांव मालब तहसील नूंह (मेवात) हरियाणा निम्न कार्य करने के लिए वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम से अनुबन्ध करता हूँ।

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Pond Cattle Path Sakatpur	-	32293	32293	31-03-2018

शर्तें:–

1. कार्य के संपादन के लिए औजार अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फेंसिंग तार खाद, बीज, सीमेंट इत्यादि विभाग उपलब्ध करवाएगा। मैंने 10000/– रूपए बतौर जमानत राशि जमा करा दी है।
2. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश (वर्क आर्डर) में दी गई कार्य की अवधि के अनुसार ही होगी।
3. सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दी गई शर्तें अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
4. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नहीं करने/भली प्रकार संपादित नहीं करने पर उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का देय भुगतान वन मण्डल अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा तथा जमा की गई अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को होगा। अपूर्ण कार्यो को विभागीय तौर पर पूर्ण करवाया जाएगा एवं उसी राशि की कटौती ठेकेदारों को दी जानी वाली राशि में से की जा सकेगी।
5. बीस हजार रूपए तक की अनुमानित लागत के कार्यो के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगें एवं संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर बिल न दे दिया जाए। 20 हजार रूपए से अधिक राशि के कार्य के लिए 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
6. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा उसके ग्राम वासियों को कार्य पर लगाने में प्राथमिकता देगा।
7. विज्ञप्ति में दी शर्तें इस अनुबन्ध का भाग होगी।
8. कार्य की समाप्ति पर संविदाकार के लिए कार्य कर रहे मजदूरो का विभाग के किसी अन्य कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।
9. कार्यो के संपादन के दौरान सभी श्रम नियमों एवं अधिनियमों जैसे (Contract Labour (Regulation & Abolition) Act; Payment of Wages Act; Bonus Act; Gratuity Act; E.S.I. Act etc) की पालना करने की जिम्मेवारी ठेकेदारों की होगी। यदि किसी कारणवश इन नियमों, अधिनियमों की उल्लंघना होती है एवं अदालत के द्वारा इन उल्लंघनाओं के कारण कोई मुआवजा देय होता है तो उसका भुगतान/अनुपालना ठेकेदारों द्वारा की जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी,
गुरूग्राम।

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता ठेकेदार

105

प्रपत्र–VII
वन विभाग, हरियाणा
कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम।
अनुबन्ध प्रपत्र

मैं मुस्ताक पुत्र श्री सरीफ निवासी गांव रहणा, तहसील नूंह (मेवात) हरियाणा का निम्न कार्य करने के लिए वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम से अनुबन्ध करता हूँ।

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	कार्य की मात्रा	निर्धारित दर	अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Renovation of Pond Sakatpur (Pond No.4)	-	410300	410300	31-03-2018

शर्तेः–

1. कार्य के संपादन के लिए औजार अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाए। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फेसिंग तार खाद, बीज, सीमेंट इत्यादि विभाग उपलब्ध करवाएगा। मैंने 10000/– रूपए बतौर जमानत राशि जमा करा दी है।
2. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश (वर्क आर्डर) में दी गई कार्य की अवधि के अनुसार ही होगी।
3. सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दी गई शर्ते अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
4. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण संपादित नहीं करने/भली प्रकार संपादित नहीं करने पर उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य का देय भुगतान वन मण्डल अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा तथा जमा की गई अमानत राशि जब्त करने का अधिकार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को होगा। अपूर्ण कार्यो को विभागीय तौर पर पूर्ण करवाया जाएगा एव उतनी राशि की कटौती ठेकेदारों को दी जानी वाली राशि में से की जा सकेगी।
5. बीस हजार रूपए तक की अनुमानित लागत के कार्यो के लिए रनिंग बिल प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे एवं संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर बिल न दे दिया जाए। 20 हजार रूपए से अधिक राशि के कार्य के लिए 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण होने पर एक रनिंग बिल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
6. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार जिस ग्राम की सीमा में कार्य लेगा उसके ग्राम वासियों को कार्य पर लगाने में प्राथमिकता देगा।
7. विज्ञप्ति में दी शर्ते इस अनुबन्ध का भाग होगी।
8. कार्य की समाप्ति पर संविदाकार के लिए कार्य कर रहे मजदूरो का विभाग के किसी अन्य कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।
9. कार्यो के संपादन के दौरान सभी श्रम नियमों एवं अधिनियमों जैसे (Contract Labour (Regulation & Abolition) Act; Payment of Wages Act; Bonus Act; Gratuity Act; E.S.I. Act etc) की पालना करने की जिम्मेवारी ठेकेदारों की होगी। यदि किसी कारणवश इन नियमों, अधिनियमों की उल्लंघना होती है एवं अदालत के द्वारा इन उल्लंघनाओं के कारण कोई मुआवजा देय होता है तो उसका भुगतान/अनुपालना ठेकेदारों द्वारा की जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी,
गुरूग्राम।

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता ठेकेदार

106 148

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमाकः 3469-G
निमितः

दिनांकः 7/2/18

Raj Kumar S/o Sh. Ram Singh,
R/o VPO Ujhana Teh Narwana,
District Jind, Haryana

विषयः– पीस रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत पौधारोपण से सम्बन्धित व अन्य कार्य करवाने बारे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा **क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी** के अधीन Digging of Pond Village Khandewla इत्यादि निविदा क्रमांक **25–एच0/2017–18** में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा **401400/–** रू0 की 2 प्रतिशत राशि **8028/–**रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि **10000/–** रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के **नॉन जूडिशियल स्टाम्प** पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक **12.02.2018** तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

वन मण्डल अधिकारी,
गुरुग्राम।
7/2/18

पृ0क्रमांक/ 3470-G. दिनांक/ 7/2/18

एक प्रति **वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी** को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य पीस रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

वन मण्डल अधिकारी,
गुरुग्राम।
7/2/18

07

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 2932 दिनांकः 11/02/2022

सेवा में,

Sh. Mustaq S/o Shareef,
M/s The Dehgal Patti Coop
Labour & Construction Society,
H.No. 203, Ward No. 02,
Near Mazjid Rehna, District Nuh,
Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/55/2021-22 वर्ष 2021–22 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Construction of Stone Masonry Water Recharging Structure No.03 work in Ghata Bhaliawas के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा **क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम** के अधीन Construction of Stone Masonry Water Recharging Structure No.03 work in Ghata Bhaliawas इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/55/2021-22** वर्ष **2021–22** में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 3401500/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 68000/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 34000/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 07.02.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

पृ0क्रमांक/ 2933 दिनांक/ 11/02/2022

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, **गुरूग्राम** को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

108

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 2930 दिनांकः 11/2/22

सेवा में,

Sh. Mustaq S/o Shareef,
M/s The Dehgal Patti Coop
Labour & Construction Society,
H.No. 203, Ward No. 02,
Near Mazjid Rehna, District Nuh,
Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/54/2021-22 वर्ष 2021–22 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Construction of Stone Masonry Water Recharging Structure No.02 work in Ghata Bhaliawas के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा **क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम** के अधीन Construction of Stone Masonry Water Recharging Structure No.02 work in Ghata Bhaliawas इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/54/2021-22** वर्ष **2021–22** में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 3377000/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 67400/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 33700/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक **07.02.2022** तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

पृ0क्रमांक/2931 दिनांक/ 11/2/2022

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, **गुरूग्राम** को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

109

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 2928 दिनांकः 11/02/2022

सेवा में,

Sh. Mustaq S/o Shareef,
M/s The Dehgal Patti Coop
Labour & Construction Society,
H.No. 203, Ward No. 02,
Near Mazjid Rehna, District Nuh,
Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/53/2021-22 वर्ष 2021–22 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Construction of Stone Masonry Water Recharging Structure No.01 work in Ghata Bhaliawas के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन Construction of Stone Masonry Water Recharging Structure No.01 work in Ghata Bhaliawas इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/53/2021-22** वर्ष **2021–22** में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 3021500/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 60400/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 30200/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध, प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक **07.02.2022** तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

पृ0कमांक/ 2929 दिनांक/ 11/2/2022

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

110

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 1359-C

दिनांकः 14/1/2022

सेवा में,

Sh. Susheel Kumar S/o Sh. Jaipal Singh,
M/s DSK Buildcon & Infra Private Limited,
R/o Hari Nagar, Ward No.04, Hari Nagar,
Baluda Road, Sohna District Gurugram 122103

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/50/2021-22 वर्ष 2021–22 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Construction of DAM/WHS at Mandawar के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन Construction of DAM/WHS at Mandawar इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/52/2021-22** वर्ष **2021–22** में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा **9779500/–रू0** की 2 प्रतिशत राशि **195590/–रू0** बनती है। परन्तु सफल संविदाकार लघु एवं मध्यम उद्योगों में पंजीकृत है जिसके तहत सरकारी नियम में ऐसे पंजीकृत उद्योगों को ~~निविदा~~ EMD राशि जमा नहीं करानी होती है। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर एक सप्ताह के अन्दर–2 प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक **31.03.2022** तक मान्य होगा अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

पृ0कमांक/ 1360-सी   दिनांक/ 14/1/2022

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

111

Proceeding of Tender Allotment Committee Forest Division, Gurugram
Dated 12.01.2022

वन मण्डल, गरूग्राम क्षेत्रीय के वित्तिय वर्ष 2021–22 के दौरान Construction of Rooms Construction of DAM/WHS at Mandawar हेतु दिनांक 01.01.2022 को entenders.hry.nic.in पर निविदाए आमन्त्रित की गई तथा दिनांक 12.01.2022 को सांय 04:00 बजे प्राप्त निविदाओं को गठित कमेटी द्वारा ऑन लाईन खोला गया। सर्व प्रथम टैक्नीकल बिड खोली गई तथा पात्र निविदाकारों का चयन किया गया। तत्पश्चात पात्र निविदाकारों/संविदाकारों की वित्तिय बिड खोली गई और उसमें जिन ब्लॉकों पर कार्य करवाया जाना है, सूची अनुसार तुलनात्मक सूची बनाकर सबसे कम लाभांश प्राप्त करने की मांग करने वाले निविदाकारों का चयन किया गया। निविदा/संविदाकार में निम्नलिखित निविदाकारों को निम्न प्रकार से निविदा प्राप्त हुई है :–

Sr. No.	Tender No.	Work Place	Name of Contractors	Bid No.	Amount	Awarded Yes/No
01	DFO/GGM/50/2021-22 2021_HRY_202315_1	Construction of DAM/WHS at Mandawar Sohna Range	Iqbal Contractor	665112	9050500	No
			DSK Buildcon & Infra Pvt. Ltd.	665341	9046038	Yes
			Vinod Saharan Contractor	667450	-22.11%	No

नोटः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा पंचकूला द्वारा जारी Revised Guidelines PS/PCCF/312-14 दिनांक 21.05.2021 के अनुसार संविदा के लिए न्यूनतम 3 बीड प्राप्त होनी अनिवार्य है।

Tender No. DFO/GGM/50/2021-22 :- (सोहना रेन्ज) Construction of DAM/WHS at Mandawar हेतु टैण्डर जारी किया गया था। जिसमें 4 बिड प्राप्त हुई थी। जिसमें The Dehgal Patti L&C Society को टैक्निकल बीड में अनुभव कम होने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात टैण्डर की बकाया 3 वित्तिय बीड खोली गई जिसमें **Vinod Saharan Contractor** ने राशि न भरकर प्रतिशत में दर्शाया है जो कि टैण्डर में दर्शाए गए निर्देश के विरूद्ध है। अतः Vinod Saharan Contractor की बिड को निरस्त किया जाता है एवं **M/s DSK Buildcon & Infra Pvt. Ltd.** की बीड 9046300/–रू0 प्राप्त हुई जो कि सबसे कम है। अतः यह टैण्डर **DSK Buildcon & Infra Pvt. Ltd.** को जारी किया जाता है।

उप वन संरक्षक, गुरूग्राम।	उप अधीक्षक, वन मण्डल, गुरूग्राम।	लेखाकार, वन मण्डल, गुरूग्राम।	12-1-22 वन राजिक अधिकारी, सोहना।

112 32

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 1323 दिनांकः 5/8/21

सेवा में,

Smt. Anuradha W/o Sh. Sushobhit Sehrawat,
M/s SSI Management Services,
R/o H.No.911, Sector-4,
District Gurugram, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/28/2021-22 वर्ष 2021–22 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Pond at Gairatpurbas, Golf Course के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन **Block of Gairatpurbas** इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/28/2021-22** वर्ष 2021–22 में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 500000/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 10000/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 5000/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 09.08.2021 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

पृ0क्रमांक/ 1324 दिनांक/ 5/8/21

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

113

53

ANNEXURE-I
SCHEDULE OF WORKS

Tender No.: DFO/GGM/28/2021-22 Dated: 26.07.2021

The name of sites, targeted area, scope of works and estimated cost of the works are given below:
* Estimated value of the works as per departmental cost norms.

Sr. No.	Component	Range	Block	Beat	Name of Site	Target	Amount
						Pond	
1	Pond	Sohna	Gairatpurbas	Gairatpurbas	Gairatpurbas, Near Golf Course	1	500000
					Total	1	500000

Divisional Forest Officer,
Gurugram

To post Doctors

43. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Ayush Minister be pleased to state whether it is a fact that the doctors have not been posted in the Ayurvedic Hospitals of Village Tikkar Tall, Tandog and Mandhana for the last several years in the Morni Block of Kalka Assembly Constituency; if so, the time by which the doctors are likely to be posted in the abovesaid Ayurvedic Hospitals?

स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री (श्री अनिल विज): नहीं, श्रीमान जी।

.....

Repair of Road

44. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is fact that a road from village Dhauj to Fatehpur Tega is under the Public Works Department; if so the detail of the amount spent on its construction together with the time when the construction work of said road has been completed alongwith the detail of defect liability period of the said road; and

(b) whether it is also a fact that the water remain accumulated on said road and the road is lying damaged from many places; if so, the name of the officer who is responsible for it together with the time by which said road is likely to be repaired of reconstructed?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):–

(क) जी श्रीमान। फरीदाबाद जिले में ग्राम धौज से फतेहपुर तेगा तक 4.80 कि.मी. की लंबाई वाली सड़क लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग के अधीन है। इसका निर्माण 1990-91 के दौरान 11.78 लाख रुपये की लागत से किया गया था। इस सड़क को 04 वर्ष की दोष दायित्व अवधि के साथ अंतिम बार जून, 2017 में 20 मि.मी. मोटी पी.सी. के साथ आवधिक नवीनीकरण परत प्रदान करके उपचारित किया गया था। जिसकी दोष दायित्व अवधि 30.06.2021 को समाप्त हो गई है।

(ख) नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है कि इस सड़क पर बिना बारिश के ही पानी जमा हो जाता है। इस खंड में सड़क की स्थिति यातायात योग्य है और संतोषजनक है।

Status of Chirag Yojana

45. Shri Balraj Kundu: Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the Government has introduced Chirag Yojana as an alternative scheme instead of 134-A; if so, the status of scheme thereof togetherwith the number of children enrolled under the said Yojana till to date alongwith the district wise details of children who got benefit under the said Yojana; and

(b) the number of eligible children who have been deprived of the admission under the said Yojana togetherwith the steps taken by the Government in this regard?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):—नहीं, श्रीमान जी।

(क) चिराग योजना हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003—के नियम 134—क का विकल्प नही है। चिराग योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों के बच्चे (वार्षिक आय 1.80 लाख रूपए तक) निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढने के लिए कक्षा दूसरी से पांचवी— 700 रूपए, कक्षा छठी से आठवीं—900 रूपए तथा कक्षा नौवीं से बाहरवीं—1100 रूपए का मासिक समर्थन प्रदान किया जाता है। यह सिर्फ स्कूलो में लागू है।

(ख) चिराग योजना के अंतर्गत प्राप्त 1967 आवेदनों में से 1881 को प्रवेश मिला, 63 को प्रवेश नही मिला तथा 23 के प्रवेश फॉर्म प्राप्त नही हुए।

.....

To Construct the Passage

46. Shri Deepak Mangla: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the passage from Jawahar Nagar Camp to cremation ground on the both sides of Bhanguri Distributary was to be constructed under the announcement of the Hon'ble Chief Minister but its construction work has not been started so far; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता):

(क) हाँ श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त कार्य के लिए कोड नंबर 25678 दिनांक 14.12.2021 को एक घोषणा की गई थी।

(ख) नगर परिषद पलवल द्वारा 3.60 करोड रुपये की राशि का अनुमान तैयार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी मिलने, धन की व्यवस्था होने एवम उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के उपरान्त कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

.....

To Develop Salwan as Tourist Place

47. Shri Shamsher Singh Gogi:- Will the Tourism Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop the 22 acres land of historical and religious importance situated at Village Salwan in Assandh Assembly Constituency; if so, the details thereof togetherwith the time by which its development work is likely to be started?

पर्यटन मंत्री (श्री कवंर पाल): नही, श्रीमान् जी, पर्यटन विभाग हरियाणा के पास असंध विभानसभा क्षेत्र के गॉव सालवन मे न तो कोई जमीन है और ना ही गॉव सालवन मे स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की 22 एकड भूमि को विकसित करने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव है।

.....

48 Shri Ram Kumar: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the time by which the sewage treatment plant on the Dhanaura escape is likely to be set-up; and

(b)whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of abovesaid sewage treatment plant; if so, the time by which the capacity of said treatment plant is likely to be increased ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) और (ख) श्रीमान जी, धनौरा एस्केप पर मल संशोधन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए संशोधन संयंत्र की क्षमता को बढाने का प्रश्न ही नहीं बनता ।

.....

To Open PHCs

49. Smt. Naina Singh Chautala: - Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Primary Health Centres in village Badhwana, Chiriya and Birhi Kalan; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज): नहीं, श्रीमान जी।

.....

To establish Industry in each block of State under PADMA Scheme

50. Shri Sita Ram Yadav: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish a small Industry in each block of State under PADMA Scheme; and

(b) if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized together with the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): हां श्रीमान् जी, हरियाणा सरकार ने 23 फरवरी 2022 को राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए "**प्रोग्राम टू ऐक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट**" (पद्मा) के तहत एक योजना शुरू की है। कार्यक्रम की पहल का उद्देश्य पूरे हरियाणा में समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और राज्य के युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें विकसित होने और औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के अवसर प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन ओर कार्यान्वित करना, औद्योगिक क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाना और उद्यमिता के अवसरों

के साथ–साथ संतुलित क्षेत्री विकास को बढ़ावा देना है। इस आश्य के साथ, राज्य के सभी जिलों के 143 ब्लॉकों में से प्रत्येक में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, मौजूदा एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र, हितधारकों के परामर्श, कच्चे माल की उपलब्धता, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और टिकाऊ तथा लागत प्रभावी क्लस्टर बनाने के लिए विकास क्षमता के आधार पर एक उपदा की पहचान की गई है। इनमें से प्रत्येक ब्लॉक में, सरकार द्वारा चयनित उत्पाद पर केंद्रित एक नया मिनी– औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक क्लस्टर कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) और बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस (बीडीएस) हब के साथ कई नए एमएमएमई का गठन करेगा। पदमा योजना पांच साल की अवधि के लिए लागू की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि प्रत्येक ब्लॉक में एक जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर उचित ध्यान दिया जा सके।

.....

To Provide Pucca House

51. **Smt. Renu Bala:** Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide pucca house to every needy person in the State upto Year 2022; if so, the details thereof; and

(b) the steps taken by the Government to implement the abovesaid proposal in the rural areas of State during the past 7 years?

आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): (क) नही श्रीमान् जी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए एक विस्तृत हाउसिंग पॉलिसी सरकार के विचाराधीन है। पॉलिसी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ई.डब्लयू.एस.) को किफायती आवास प्रदान करने की परिकल्पना की गई हैए जिनकी पहचान परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के डेटाबेस से की जाएगी। यह योजना शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक/निजी भूमि पर लागू होगी।

(ख) इस पॉलिसी के अंतर्गत संभावित लाभार्थियों की पहचान के लिए एक सर्वे किया जा रहा है।

.....

To Protect the Cotton Crop.

52. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether any arrangements have been made by the

Government to protect the cotton crop of farmers from insects etc. in the State; if so, the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): हाँ श्रीमान जीए राज्य सरकार ने कपास की फसल को कीड़ों और कीटों से बचाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध और उपाय किए हैं। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) ने कपास की फसल में कीड़ों/कीटों/बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपायों तथा कीटनाशको के विवेकपूर्ण उपयोग करने बारे किसानों को शिक्षित करने के लिए ग्राम स्तरीय अभियानए किसान प्रशिक्षण/बैठकए किसान फील्ड स्कूलए कपास दिवस और किसान मेलों के आयोजन किए गए है तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर परामर्श जारी किए जाते हैं। 2022-23 में आयोजित ऐसी गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया हैः

(संख्या में)

अभियान	किसान प्रशिक्षण	किसान फील्ड स्कूल	कपास दिवस	कृषि विज्ञान केंद्र;केवीके) द्वारा आयोजित किसान प्रशिक्षण	कृषि विज्ञान केंद्र ;केवीके) द्वारा आयोजित किसान मेला
2612	3706	25	50	93	14

.....

Schemes for Maintenance of Plantations

53. Shri Rakesh Daultabad: Will the Forest Minister be pleased to state: -

(a) the details of the schemes of Government for establishment and maintenance of Herbal Parks, plantation and maintenance of plants in district Gurugram;

(b) the details of works undertaken under the abovesaid schemes in the district Gurugram from 2014 till to date;

(c) the details of funds allotted and expenditure incurred by the Government on plantation, maintenance and fabrication of tree guards and fencing under the abovesaid schemes in district Gurugram for the year 2022-2023; and

(d) the details of the tenders awarded for the abovesaid works together with their copies?

135

पौधारोपण के लिए रख–रखाव के लिए योजनाएं

53. श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर):

क्या वन मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) जिला गुरूग्राम में हर्बल पार्कों की स्थापना तथा रखरखाव, पौधा रोपण तथा पौधों के रख–रखाव के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिला गुरुग्राम में वर्ष 2014 से आज तक उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत आरम्भ किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2022–23 के लिए जिला गुरुग्राम में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण, रख–रखाव तथा वृक्षों की छलरचना तथा बाड़ लगाने पर सरकार द्वारा आवंटित निधियों तथा किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है; तथा

(घ) उपरोक्त कार्यों के लिए दी गई निविदाओं का उनकी प्रतियों सहित ब्यौरा क्या है?

(श्री कंवर पाल) वन मंत्री, हरियाणा :–

(क) श्रीमान, औषधि उद्यान की स्थापना एवं देख–रेख पौधारोपण एवं पौधों की देख–रेख हेतू जिला गुरुग्राम में निम्न स्कीम कार्यान्वियन की जा रही है।

1. भूमि संरक्षण
2. प्राकृतिक औषधि उद्यान
3. उजड़े वनों का पुनर्वास
4. शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टी की स्थापना
5. कृषि भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर कृषि वानिकी विकास
6. अरावली क्षेत्रों का पुनर्वास
7. मरूस्थलीय नियंत्रण
8. प्रतिपूरक पौधारोपण

136

(ख) जिला गुरुग्राम में वर्ष 2014 से अब तक विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए गए कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:–

योजना का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	Ha.	Rkm	Ha.	Rkm	Ha.	Rkm	Ha.	Rkm	Ha.	Rkm	Ha.	Rkm	Ha.	Rkm	Ha.	Rkm
अद्यपतित वनो का पर्नुवास	35		27	34			20									
राजकीय भूमि में पौधारोपण		72	0	70												
शहरी क्षेत्रों में हरित पटटी की स्थापना		22	0	16.39	0	10	0	3	0	60		2		15		35
अनुसूचित जाति ग्रामों में वानिकी कार्य।	50	15	25	8												
अरावली क्षेत्रों का पुर्नवास	80		74	0	186.11		130	0	80		45		50		95	
कृषि वानिकी विकास	54.5				0	0			0		53		10		102	
कृषि भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर कृषि वानिकी विकास।			30	0	30		122	0	91	0						
कृषि भूमि पर वानिकी कार्य।			0	20												
मरूस्थलीय नियन्त्रण।			10	0	10										2	
प्रतिपूरक पौधारोपेण।			40	8	5	28				73.6		43.384	50.936		61.34	11
NPV					100		0	10	115	50		40		100	38	
FDA																
Total	219.5	109	206	156.39	331	38	272	13	286	183.60	98	85.384	110.936	115	298.34	46

(ग) वर्ष 2022–23 के लिए जिला गुरुग्राम में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण, रख–रखाव तथा वृक्षों की छलरचना तथा बाड़ लगाने पर सरकार द्वारा आवंटित निधियों एवं व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	कार्य का विवरण	आवंटित निधि रूपयों में (नए कार्यो के लिए)	आवंटित निधि रूपयों में (पुराने कार्यो की देख–रेख के लिए)
1	भूमि संरक्षण	भू–संरक्षण कार्य	0	0
2	प्राकृतिक औषधि	औषधि उद्यान	0	2,59,020

137

	उद्यान	का रख–रखाव		
3	उजड़े वनों का पुनर्वास	वन क्षेत्रों में पौधारोपण	58,74,420	1,30,28,846
4	शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टी की स्थापना	शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण	24,83,375	10,21,217
5	कृषि भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर कृषि वानिकी विकास	सामुदायिक भूमि एवं कृषि भूमि पर पौधारोपण	2,45,83,985	57,36,391
6	अरावली क्षेत्रों का पुनर्वास	अरावली पर्वत क्षेत्रों में सुधार कार्य	28,41,090	39,07,685
7	मरूस्थलीय नियंत्रण	शुष्क क्षेत्रों में पौधारोपण	12,10,320	78,690
8	प्रतिपूरक पौधारोपण	वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिपूर्वक पौधारोपण	6,08,21,239	1,07,21,420

(घ) उक्त कार्यो से सम्बन्धित निविदाओं का ब्यौरा अनुलग्नक क पर रखा गया है।

130

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

अनुलग्नक क5

क्रमांकः 715 - G

दिनांकः 03/06/22

सेवा-में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/20/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Hailymandi Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन New work of Plantation at Hailymandi Block इत्यादि निविदा क्रमांक DFO/GGM/20/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.80 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1622540/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 32450/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 16225/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
03/6/2022

पृ0कमांक/ 716 - G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
03/6/2022

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 717 – G

दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/21/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Hailymandi Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन New work of Plantation at Hailymandi Block इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/21/2022-23** वर्ष **2022–23** में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.80 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा **2235412/–रू0** की 2 प्रतिशत राशि **44708/–रू0** बनती है। जिसमें से धरोहर राशि **22354/–** रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

पृ0क्रमांक/ 718-G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, **हेलीमण्डी** को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

140

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 719-5 दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/22/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Hailymandi Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन New work of Plantation at Hailymandi Block इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/22/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.80 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2246152/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 44922/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 22461/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

3/6/22
उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

पृ0क्रमांक/ 720-5 दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

3/6/22
उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

141

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम

वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष --0124–2322057

क्रमांकः 721-G

दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/23/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Inchapuri Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन New work of Plantation at Inchapuri Block इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/23/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (103.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1295588/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 25910/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 12955/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

पृ0कमांक/ 722-G दिनांक/03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

142

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय:– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांक: 693 - 5 दिनांक: 3/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषय:– निविदा क्रमांक DFO/GGM/24/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Gairatpurbas Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा **क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना** के अधीन New Work of Plantation at Gairatpurbas Block इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/24/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.40 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2213586/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 44270/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 22135/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

पृ0क्रमांक/ 694-5 दिनांक/ 3/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/22

143

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय:– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांक: 691 - 4 दिनांक: 03/06/22

सेवा में,

M/s R.K Gupta Govt. Contractor,
R/o H.No. 1429/21, Gali No.21A,
Surat Nagar, Phase-II,
Near Daultabad Phatak,
District Gurugram, Haryana 122001

विषय:– निविदा क्रमांक DFO/GGM/25/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Plantation at Raisina Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन New Plantation at Raisina Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/25/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.79 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 946002/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 18920/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 9460/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप-वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

पृ0क्रमांक/ 692-4 दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/06/2022

144

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष 0124 2322057

क्रमांकः 695-G दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/26/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन New Work of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/26/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1261800/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 25236/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 12618/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

पृ0कमांक/ 696-G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

145 15

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष -0124-2322057

दिनांकः 03/6/22

क्रमांकः 699-G

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal.
M/s Green Tech.
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/28/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन New Work of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/28/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1610320/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 32206/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 16103/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न / उपरोक्त

उप वन संरक्षक, 03/6/2022
गुरुग्राम।

पृ0कमांक / 700-G दिनांक / 03/6/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले-आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक, 03/6/2022
गुरुग्राम। 3/6

146

17

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

दिनांकः 03/06/22

क्रमांकः 701-G

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/29/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन New Work of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/29/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1610320/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 32206/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 16103/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

पृ0कमांक/ 702-G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022

24

147

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः— उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष —0124—2322057

क्रमांकः 703-G

दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः— निविदा क्रमांक DFO/GGM/30/2022-23 वर्ष 2022—23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा **क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना** के अधीन New Work of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/30/2022-23** वर्ष 2022—23 में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.80 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1576670/—रू0 की 2 प्रतिशत राशि 31532/—रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 15766/— रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/—रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक, 03/6/2022
गुरूग्राम।

पृ0क्रमांक/ 704-G

दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले—आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक, 03/6/2022
गुरूग्राम।

148

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 706-G दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/31/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन New Work of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/31/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.40 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1261336/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 25226/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 12613/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022

पृ0कमांक/ 706-G दिनांक/03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

149

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांक: 707-5 दिनांक: 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/32/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन New Work of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा क्रमांक DFO/GGM/32/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (103.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2365005/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 47300/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 23650/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
03/6/2022

पृ0क्रमांक/ 708-5 दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
03/6/2022

150

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 709-ए

दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/33/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन New Work of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/33/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1622540/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 32450/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि **16225**/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम

पृ0क्रमांक/ 710-ए

दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

27

151

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांक: 711-6 दिनांक: 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/34/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन New Work of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/34/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (103.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2257480/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 45148/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 22574/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

पृ0कमांक/ 712-6 दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

152

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 783-G

दिनांकः 08/6/2022

सेवा में,

M/s J.D. Security,
H.No. 875/35, Janta Colony,
District Rohtak, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/35/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Gurugram Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन New Work of Plantation at Gurugram Block इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/35/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.95 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 811270/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 16224/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 8112/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 13.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

पृ0क्रमांक/784-G

दिनांक/08/6/2022

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

153

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 827-Gn

दिनांकः 13/06/22

सेवा में,

M/s J.D. Security,
H.No. 875/35, Janta Colony,
District Rohtak, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/36/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Gurugram Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन New Work of Plantation at Gurugram Block इत्यादि निविदा क्रमांक-**DFO/GGM/36/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.95 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2658990/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 53178/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 26589/– रू0 जमा करवाई जा चुकी-है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 17.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम।
13/6/2022

पृ0क्रमांक/ 828-Gn

दिनांक/13/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम।
13/6/2022

दिनांक: 13/06/22

क्र: 829-G 154

में,

M/s J.D. Security,
H.No. 875/35, Janta Colony,
District Rohtak, Haryana

षय:— निविदा क्रमांक DFO/GGM/37/2022-23 वर्ष 2022—23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Gurugram Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन Maintenance of Plantation at Gurugram Block इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/37/2022-23** वर्ष **2022—23** में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.95 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 3793395/—रू0 की 2 प्रतिशत राशि **75866/—रू0** बनती है। जिसमें से धरोहर राशि **37933/—** रू0 जमा करवाई जा चुकी-है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/—रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 17.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 13/6/2022

पृ0क्रमांक/ 830-G दिनांक/ 13/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरुग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले—आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरुप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 13/6/2022

155 35

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 767-9 दिनांकः 08/6/2022

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/38/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Hailymandi Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन New Work of Plantation at Hailymandi Block इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/38/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 3153340/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 63066/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 31533/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 13.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

पृ0कमांक/ 768-9 दिनांक/ 08/6/2022

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरुप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

156

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 769-G

दिनांकः 08/06/22

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/39/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Hailymandi Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन Maintenance of Plantation at Hailymandi Block इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/39/2022-23** वर्ष **2022–23** में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा **3067501/–रू0** की 2 प्रतिशत राशि 61350/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 30675/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक **13.06.2022** तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक, 0/c
गुरुग्राम।
08/06/2022

पृ0क्रमांक/ 770-G

दिनांक/ 08/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक, 0/c
गुरुग्राम।

15-7

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः— उप वन संरक्षक, गुरुग्राम

वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष —0124—2322057

दिनांकः 13/06/22

I.D. Security,
). 875/35, Janta Colony,
rict Rohtak, Haryana

वेदा क्रमांक DFO/GGM/40/2022-23 वर्ष 2022—23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट
गाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Manesar Block के कार्य करवाने
रे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरुग्राम के अधीन
of Plantation at Manesar Block इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/40/2022-23**
3 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.95 प्रतिशत) पाए जाने
त्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 3338128 / —रू0 की 2 प्रतिशत राशि
रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 33381 / — रू0 जमा करवाई जा चुकी है।
आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए
शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10 / —रू0 के नॉन जूडिशियल
र सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 17.06.2022 तक करें
आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

. / उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 13/6/2022

क्रमांक / 832-4 दिनांक / 13/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरुग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के पस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले—आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 13/6/2022

158

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

दिनांकः 13/06/22

क्रमांकः 835 –G1

सेवा में,

M/s R.K Gupta Govt. Contractor,
Surat Nagar, Phase-II,
District Gurugram, Haryana 122001

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/41/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Nursery at Gurugram Range के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरुग्राम के अधीन Nursery at Gurugram Range इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/41/2022-23** वर्ष **2022–23** में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (105.89 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1535500/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 30700/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 15350/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 17.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
13/6/2022

पृ0कमांक/ 836 –G1 दिनांक/ 13/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरुग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।
13/6/2022

43

159

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

दिनांकः 13/06/22

क्रमांकः 833-G

सेवा में,

M/s DSK Buildcon & Infra Private Limited
R/o Hari Nagar, Ward No.04, Baluda Road,
Sohna District Gurugram 122103

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/42/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Nursery at Sohna Range के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन Nursery at Sohna Range इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/42/2022-23** वर्ष **2022–23** में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (102.00 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 871500/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 17430/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 8715/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 17.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम। 13/6/2022

पृ0क्रमांक/834-G दिनांक/13/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम। 13/6/2022

160

क्रमांकः 771 - 47

दिनांकः 08/06/2

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः— निविदा क्रमांक DFO/GGM/43/2022-23 वर्ष 2022—23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Nursery at Hailymandi Range के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन Nursery at Hailymandi Range इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/43/2022-23 वर्ष 2022—23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (107.00 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1037500/—रू0 की 2 प्रतिशत राशि 20750/—रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 10375/— रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/—रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 13.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप. वन संरक्षक,
गुरूग्राम।
08/6/22

पृ0कमांक/ 772-47 दिनांक/08/6/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले—आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप. वन संरक्षक,
गुरूग्राम।
08/6/22

Nagar Van Ghata

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 33-G दिनांकः 02/08/22

सेवा में,

M/s J.D. Security,
H.No. 875/35, Janta Colony,
District Rohtak, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/45/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत **Nagar Van Ghata at Gurugram Range** के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन **Nagar Van Ghata at Gurugram Range** इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/45/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.95 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2679629/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 53592/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 26796/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 06.08.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम।
02/8/2022

पृ0कमांक/ 34-G दिनांक/ 02/08/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम।
02/8/2022

162

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 3264-67 दिनांकः 25/07/22

सेवा में,

Sh. Harish Kumar Mehta,
M/s Mehta Electrical & Communication,
R/o 1/1, Devilal Nagar, Gurugram, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/01/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन Maintenance of Plantation इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/01/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (103.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2032343/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 40646/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 20323/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 28.07.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,O/C
गुरूग्राम। 25/7/22

पृ0कमांक/ 3265-67 दिनांक/ 25/07/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,O/C
गुरूग्राम। 25/7/22

163

51

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

दिनांकः 03/06/22

क्रमांकः 669-G

सेवा में,

Sh. Ajay Kumar Aggarwal,
M/s Ajay Enterprises,
2nd Floor, H.No. 41,
A Block, Mahendra Enclave,
North Delhi, 110033

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/02/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Gurugram Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन Maintenance of Plantation at Gurugram Block इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/02/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (102.01 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2215022/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 44300/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 22150/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022

पृ0क्रमांक/ 670-G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022

164

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 773-G
दिनांकः 08/06/22

सेवा में,

M/s J.D. Security,
H.No. 875/35, Janta Colony,
District Rohtak, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/03/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Manesar Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन Maintenance of Plantation at Manesar Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/03/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.95 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2376249/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 47524/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 23762/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 13.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न / उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

पृ0कमांक / 774-G
दिनांक 08/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।

38

165 55

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 775-G दिनांकः 08/6/22

सेवा में,

M/s J.D. Security,
H.No. 875/35, Janta Colony,
District Rohtak, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/04/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Manesar Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन Maintenance of Plantation at Manesar Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/04/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.95 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2005857/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 40118/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 20059/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 13.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 08/6/2022

पृ0कमांक/ 776-G दिनांक/ 08/6/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 08/6/2022

166

57

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

दिनांकः 03/06/22

क्रमांकः 671-G

सेवा में,

Sh. Ajay Kumar Aggarwal,
M/s Ajay Enterprises,
2nd Floor, H.No. 41,
A Block, Mahendra Enclave,
North Delhi, 110033

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/05/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Manesar Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन Maintenance of Plantation at Manesar Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/05/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (102.01 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1136610/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 22732/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 11366/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022

पृ0कमांक/ 672-G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022

167

559

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 777-G

दिनांकः 08/06/22

सेवा में,

M/s R.K Gupta Govt. Contractor,
R/o H.No. 1429/21, Surat Nagar,
Phase-II, District Gurugram

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/06/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Sultanpur Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, गुरूग्राम के अधीन Maintenance of Plantation at Sultanpur Block इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/06/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.89 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 546628/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 10932/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि **5466**/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक **13.06.2022** तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।
08/6/2022

पृ0कमांक/ 778-G दिनांक/ 08/6/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।
08/6/2022

168 61

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 673-G दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/07/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Bilaspur Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन Maintenance of Plantation at Bilaspur Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/07/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2247484/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 44950/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 22475/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

पृ0कमांक/ 674-G दिनांक/03/06/22

एक प्रति वन क्षेत्रिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

63

169

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 675 - G   दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/08/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Hailymandi Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन Maintenance of Plantation at Hailymandi Block इत्यादि निविदा क्रमांक **DFO/GGM/08/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2272236/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 45444/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 22722/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।
03/6/2022

पृ0क्रमांक/ 676 - G   दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।
03/6/2022

65

/70

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 677-G दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/09/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Hailymandi Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन Maintenance of Plantation at Hailymandi Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/09/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1337074/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 26742/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 13371/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम
03/6/2022

पृ0कमांक/ 678-G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम।
03/6/2022

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 679-G

दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/10/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Inchapuri Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा **क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी** के अधीन Maintenance of Plantation at Inchapuri Block इत्यादि निविदा कमांक **DFO/GGM/10/2022-23** वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.90 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 586587/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 11732/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 5866/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। 03/6/2022

पृ0कमांक/ 680-G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम 03/6/2022

172

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 681-G दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/12/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Gairatpurbas Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन Maintenance of Plantation at Gairatpurbas Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/12/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.80 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2044235/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 40884/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 20442/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

पृ0क्रमांक/ 682-G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

173

71

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय:- उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, गुरुग्राम -0124-2322057

दिनांक: 03/06/22

क्रमांक: 683-87

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal.
M/s Green Tech.
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषय:- निविदा क्रमांक DFO/GGM/13/2022-23 वर्ष 2022-23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Raisina Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन Maintenance of Plantation at Raisina Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/13/2022-23 वर्ष 2022-23 में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (103.80 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 2194351/-रू0 की 2 प्रतिशत राशि 43888/-रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 21944/- रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/-रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

- संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

पृ0कमांक/ 684-87 दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन क्षेत्रिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले-आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

174

B

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांक: 685- G

दिनांक: 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/14/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Raisina Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन Maintenance of Plantation at Raisina Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/14/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.40 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1418508/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 28370/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 14185/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्ते, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022

पृ0कमांक/ 686 - G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022

175 75

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 687-G दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/15/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन Maintenance of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/15/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.40 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1981959/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 39640/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 19820/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022

पृ0कमांक/ 688-G दिनांक/ 03/06/22 3/6

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम 03/6/2022
3/6

176 77

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 689-G दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Sh. Yashir Arafat S/o Sh. Jafar Iqubal,
M/s Green Tech,
Ward No.1, H.No. 17,
Post Nuh, District Nuh, Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/16/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत Maintenance of Plantation at Sohna Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, सोहना के अधीन Maintenance of Plantation at Sohna Block इत्यादि निविदा कमांक DFO/GGM/16/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यों की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (104.40 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1482818/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 29656/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 14828/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 3/6

पृ0कमांक/ 690-G दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सोहना को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तों के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 3/6

177

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालयः– उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, गुरुग्राम, दूरभाष –0124–2322057

क्रमांकः 714-6 दिनांकः 03/06/22

सेवा में,

Ahmed Abbas,
M/s Ayaz Enterprise,
A/Colony, Nuh Haryana

विषयः– निविदा क्रमांक DFO/GGM/19/2022-23 वर्ष 2022–23 ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत New Work of Plantation at Bilaspur Block के कार्य करवाने बारे।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा क्षेत्रीय रेन्ज, हेलीमण्डी के अधीन New work of Plantation at Bilaspur Block इत्यादि निविदा क्रमांक DFO/GGM/19/2022-23 वर्ष 2022–23 में जिन कार्यो की ऑफर दी है उनमें से न्यूनतम (106.80 प्रतिशत) पाए जाने पर ऑफर स्वीकार की जाती है। कार्य की कुल निविदा 1295588/–रू0 की 2 प्रतिशत राशि 25910/–रू0 बनती है। जिसमें से धरोहर राशि 12955/– रू0 जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि आप द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य के प्रथम बिल से काट ली जाएगी। कार्य करवाए जाने की शर्तें, नियमावली एवं अनुबन्ध प्रपत्र संलग्न प्रेषित है। 10/–रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर सहमति ऑफर भी प्रस्तुत करें एवं कार्य का अनुबन्ध दिनांक 10.06.2022 तक करें अन्यथा आपका ऑफर निरस्त समझा जाएगा।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

पृ0क्रमांक/ 714-6 दिनांक/ 03/06/22

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, हेलीमण्डी को भेजकर लिखा जाता है कि संविदाकार के उपस्थित होने पर साईट पर कार्य का ले–आउट की कार्यवाही करके कार्य ऑनलाईन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में निहित शर्तो के अनुरूप संपादन कराए।

उप वन संरक्षक,
गुरूग्राम। 03/6/2022

Tender Letter DFO/GGM/2022-23 18

TO Provide Text Books to Students

54 Shri Pardeep Chaudhary: Will the Education Minister be pleased to state: -

(a) Whether it is also a fact that the text books of the students in the Government Schools of Kalka Assembly Constituency are not being

provided for session 2022-23; if so, the reasons thereof togetherwith the books are likely to be provided to these students; and

(b) Whether it is also a fact that the budget for the bicycles has also not been provided by the Government; if so, the time by which the budget for the Bicycles is likely to be provided?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): नही, श्रीमान जी।

(क) शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिये कालका विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दिनांक 17.07.2022 से 25.07.2022 तक पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कक्षा 9 वीं व 11 वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क साईकिल उपलब्ध करवाने हेतु कुल **6** करोड रूपये का बजट प्रावधान उपलब्ध है। सितम्बर 2022 माह में जिला स्तर पर साईकिल मेला, '' मेरी साईकिल मेरी पसन्द'' आयोजित करवाकर कक्षा 9 वीं व 11 वीं के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को साईकिलें वितरित करवा दी जाएंगी।

.....

Investigation of Scam

55. Shri Neeraj Sharma: Will Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) Whether any scam has come into the notice of Government on the land of Rehabilitation Department situated at Hardware Chowk of Faridabad; if so, the name of the Department by which investigation has been conducted in this regard;

(b) The details of the finding of said investigation togetherwith the names of the persons involved in the said scam; and

(c) The details of the action taken by the Government against the delinquents?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चैटाला)

(क) जी हां। राज्य चैकसी ब्यूरो द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है और इसकी जांच की जा रही है।

(ख) चूंकि उक्त अनुसार मामले में एक एफ.आई.आर. नं0 03 दिनांक 22.08.2019 राज्य चैकसी विभाग द्वारा दर्ज है और मामला अभी राज्य चैकसी विभाग फरीदाबाद के स्तर पर लम्बित है। तीन अधिकारी क्रमशः श्री राजेन्द्र गर्ग (तहसीलदार), श्री बिजेन्द्र राणा तहसीलदार और श्री वेद

सिंह (नायब तहसीलदार) के नाम, वतौर दोषी एफ.आई.आर. नं0 03 दिनांक 22.08.2019 में दर्ज है।

(ग) सरकार द्वारा राज्य चैकसी विभाग को एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। राजस्व विभाग द्धारा उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए हरियाणा सिविल सेवाएं दण्ड एवं नियम 2016 के नियम 7 के तहत आरोपित किये गये थे।

Details of Registry Scam

56. Sh. Balraj Kundu: :- Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total number of fake registries made by the Government during the corona period and lockdown in the State togetherwith the number of officers/officials found guilty in the investigation of said registry scam alongwith the action taken by the Government against the guilty officers/officials; and

(b) the total loss of revenue incurred by the Government in the said registry scam togetherwith the details thereof?"

उप मुख्यमंत्री (श्री **दुष्यन्त चौटाला**) **:-**श्रीमान जी, (क) कोरोना लॉकडाउन काल में कोई फर्जी रजिस्ट्री नहीं की गई और इस आधार पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं पाया गया।

(ख) सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ।

To Construct Foot Over Bridge

57. Shri Deepak Mangla: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the permission has been granted by the Government to construct the foot over bridge on the flyover on Palwal to Alawalpur road ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed togetherwith the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चैटाला) :–

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि संरचनात्मक डिजाइन और रेखाचित्रों को साइट की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।

Development works under Gram Darshan Portal

58. Shri Ram Kumar: Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state the block wise detail of the development works executed in district Karnal under the Gram Darshan Portal till to date?

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र बबली):– श्रीमान जी, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ग्राम दर्शन पोर्टल के अंतर्गत जिला करनाल में विकास कार्यों के विवरण का ब्यौरा

विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्रामीण निवासियों से मांगों/ सुझावों को लेने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल विकसित किया है। जिला करनाल में 969 मांगें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 594 मांगों की सिफारिश जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है। इन 594 मांगों में से 530 मांगें 27 विभागों के जिला नोडल अधिकारियों को भेज दी गई हैं और 64 मांगें 27 विभागों के राज्य नोडल अधिकारियों के पास लंबित हैं। विकास एवं पंचायत विभाग की कोई मांग राज्य स्तर पर लंबित नहीं है।

जिला स्तर पर 530 मांगों में से 28 मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है और 25 को पूरा किया जा सकता है। शेष 477 मांगें प्राक्कलन तैयार करने अथवा निधि आबंटन के लिए जिला स्तर पर लंबित हैं। जिला करनाल की मांगों का खण्डवार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

खण्ड का नाम	कुल मांगें प्राप्त (ग्रामीण निवासियों से)	जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित की गई मांगों की संख्या	राज्य नोडल अधिकारी द्वारा जिला नोडल अधिकारी को भेजी गई मांगें	जिला नोडल अधिकारी द्वारा की जा सकने वाली मांगें	जिला नोडल अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकने वाली मांगें
असंद	19	0	0	0	0
चिराओ	0	0	0	0	0
घरौंडा (पार्ट)	208	163	159	6	16
इंद्री	119	101	77	4	4
करनाल	172	113	104	5	8

कुंजपुरा	79	77	60	1	0
मुनक	91	15	15	4	0
नीलोखेड़ी	177	101	91	3	0
निसिंग	104	24	24	2	0
कुल	**969**	**594**	**530**	**25**	**28**

Panchayats Falling Under SDM Office Jagadhri

59. Smt. Renu Bala(Sadhaura): Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there are more than half dozen Panchayats of Sadhaura Assembly Constituency which are falling under Block Bilaspur, Thana Sadhaura, Tehsil Mustafabad, SDM office Jagadhri and XEN (PWD) and Marketing Board, Naraingarh; if so, the reasons thereof ?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान जी, चार ग्राम पंचायतें नामतः उधमगढ, मलिकपुर, चाहरवाला और नवांशहर खण्ड बिलासपुर, थाना सढौरा, तहसील मुस्तफाबाद, एस.डी.एम. कार्यालय जगाधरी तथा एक्स.ई.एन (लोक निर्माण विभाग) तथा मार्केटिंग बोर्ड, नारायणगढ के अंतर्गत आती हैं। विभिन्न विभागों द्वारा उनके अधिनियमों/नियमों/निर्देशों के अंतर्गत गठित/स्थापित खण्ड/थाना/तहसील/राजस्व उप-मण्डल/मार्केटिंग बोर्ड के मण्डल का गठन किया गया है, जिस कारण उनका क्षेत्राधिकार भी अलग-अलग है।

.....

To setup Food Processing Unit to promote the fruit farming related to Tomato and Lemon in Badhra.

60. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to setup Food Processing Unit to promote the fruit farming related to Tomato and Lemon in Badhra; if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

उपमुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): नहीं, मैडम। इस संबंध में एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

ऐसा कोई सरकारी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने इच्छुक उम्मीदवारों/उद्यमियों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 04.06.2018 को हरियाणा कृषि - व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018 को अधिसूचित किया था।

हरियाणा कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018 की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज योजना के तहत मेसर्स नेकी राम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम बाढड़ा, चरखी दादरी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और 08.06.2022 को आयोजित 11वीं राज्य स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण समिति (एसएलसी-एफपी) के दौरान सॉस, गुद्दा, जैम, अचार, मुरबा आदि का निर्माण और पैकिंग के लिए एक टमाटर और अन्य सब्जी प्रसंस्करण का संयंत्र ग्राम बाढड़ा, चरखी दादरी में स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान के प्रस्ताव को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है । परियोजना के पूरा होने और संचालन के लिए समय सारिणी, अनुमोदन की तारीख से 24 महीने होगी।

.....T

Detail of Sanctioned and Vacant Posts

61. **Shri Varun Chaudhary:** Will the Home Minister be pleased to State:-

(a) the details of sanctioned and vacant posts in the Headquarters and each district of State in the State Narcotics Control Bureau as on 15th July, 2022; and

(b) the outcome of formation of above said Bureau since its inception?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान् जी, एक वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

बिंदु संख्या ए) **का उत्तर**

15.07.2022 तक हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कुल रिक्ति स्थिति

	DA	DSO	PA	Asstt.	Sr. Scl. Steno	Steno Typist	Clerk	Group (D)	DSP	Insp	SI	ASI	HC	Ct./ DVR	Total
Sanctioned Post	1	4	1	7	1	2	13	47	05	14	27	44	63	151	380
Posted	1	1	0	4	0	1	02	3	05	10	23	42	32	78	202
Vacant	**0**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**11**	**44**	**0**	**04**	**04**	**02**	**31**	**73**	**178**

(i) **हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय की रिक्ति स्थिति: -**

मिनिस्ट्रियल स्टाफ

	DA	DSO	PA	Asstt.	Sr. Scl. Steno	Steno Typist	Clerk	Group (D)	Total
Sanctioned Post	01	04	01	07	01	02	13	47	76
Posted	01	01	0	04	0	01	02	03	12
Vacant	0	03	01	03	01	01	11	44	64

पुलिस कर्मचारी

	DSP	Inspr.	SI	ASI	HC	EHC/Ct.	Driver/Ct.	Total
Sanctioned Post	1	03	05	11	15	22	10	67
Posted	1	02	05	09	08	20	01	46
Vacant	0	01	0	02	07	02	09	21

(ii) हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्षेत्र इकाइयों की रिक्ति स्थिति (11**)**: -

	DSP	Inspr.	SI	ASI	HC	EHC/Ct.	Driver/Ct.	Total
Sanctioned Post	4	11	22	33	48	78	41	237
Posted	4	08	18	33	24	57	0	144
Vacant	-	03	04	0	24	21	41	93

11 क्षेत्रीय इकाइयों का इकाईवार पदस्थापन विवरण इस प्रकार है:-

District Name	DSP	Insp.	SI	ASI	HC	EHC/CT	Total
Ambala	-	1	-	3	-	4	08
Kurukshetra	-	1	2	2	4	5	14
Karnal	1	1	2	4	2	5	14
Hisar	1	--	2	3	3	6	14
Fatehabad	-	1	2	6	4	3	16
Sirsa	-	-	1	4	2	5	12
Gurugram	1	1	4	1	2	5	13
Rohtak	1	1	-	3	2	7	13
Ch. Dadri	-	-	2	2	0	6	10
Rewari (Dharuhera)	-	1	2	1	3	4	11
Faridabad (Camp at PWL)	-	1	1	2	1	5	10

DSP Staff	04	-	-	02	01	02	09
Total	**04**	**08**	**18**	**33**	**24**	**57**	**144**

बिंदु संख्या बी) **का उत्तर**

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपने कार्यालय आदेश क्रमांक 5/2/2020-2 एच (सी) दिनांक 29.05.2020 के तहत गठन किया है और क्रमांक 5/2/2020 -2 एच (सी) दिनांक 25.08.2020 के तहत अधिसूचित किया है। ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है:-

(i) **29** जुलाई **2020** से **02.08.2022** तक **हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एनडीपीएस अधिनियम के मामलों का वर्षवार बारामदगी विवरण:-**

Sr. No.	Year	Cases Registered NDPS Act	Person Arrested	Recovery									
				Heroin (in gm)	Charas (in kg)	Ganja (in kg)	Opium (in kg)	Poppy Straw (in kg)	Cocaine (in gm)	MDMA (in gm)	Tablets	Capsules	Others
1	2020	19	42	297.55 gm	1.094 kg	233.786 kg	1.63 kg	411.4 kg	-	-	14000 Tablets		6 btls
2	2021	179	338	3755.355 gm	24.702 kg	808.889 kg	24.99185 kg	1160.082 kg	-	-	19519 Tablets	1561 Capsules	10.7 kg opium plants, 124 btl and 48 Inj.
3	2022	307	422	2084.087 gm	4.049 kg	392.314kg	12.32 kg	721.111kg	13 gm	27.36 gm	75158 Tablets and 32 kg Tablet Powder	11616 Capsule	37.600 kg Opium Plants and 0.270 kg Drug Powder and 2637 Inj. and 40 btl
4	**Total**	**505**	**802**	**6136.992 gm**	**29.845 kg**	**1434.989 kg**	**38.941 kg**	**2292.593 kg**	**13 gm**	**27.36 gm**	**108677 Tablets + 32 kg Tablet Powder**	**13177 capsules**	**48.300 kg Opium Plants 170 btls, 2685 injs and 0.270 kg Drug Powder**

(ii) **एनडीपीएस अधिनियम के तहत संपत्ति की जब्ती**

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषियों की संपत्ति की जब्ती के संबंध में सभी जिला एंटी-नारकोटिक्स सैल (एएनसी) के साथ-साथ ब्यूरो के अनुसंधान अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है। जिसके परिणामस्वरूप, एनडीपीएस एक्ट के तहत

दोषियों की 25,09,21,300.48/- रुपये की संपत्ति संलग्न/जब्त की जा चुकी है और 6,82,94,967.89/- रुपये की जब्ती की प्रक्रिया चल रही है।

(iii) पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषियों की निवारक हिरासत

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषियों की निवारक हिरासत की प्रक्रिया के संबंध में सभी जिला एंटी-नारकोटिक्स सैल (एएनसी) के साथ-साथ ब्यूरो के अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप, हरियाणा पुलिस के 06 जिलों ने दोषियों पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्यवाही करना शुरू कर दिया है और 81 अभियोगों में शामिल 14 आरोपियों की निवारक हिरासत की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

(iv) माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा दिनांक 26.06.2022 को हरियाणा से मादक पदार्थों के खतरे के उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना का शुभारम्भ

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अन्य सरकारी एजेंसियों के समन्वय से प्रभावी प्रवर्तन, रोकथाम, पता लगाने, जागरूकता, नशा करने वालों के डेटा संग्रह, मादक पदार्थों के तस्करों और नशा मुक्ति के लिए एक व्यापक राज्य कार्य योजना तैयार की है। आवश्यक कार्यवाही के लिए एक महत्वाकांक्षी समय सीमा भी तय की गई है। यह राज्य कार्य योजना तीन मुख्य बिन्दुओं पर केन्द्रित है । पहला -मांग में कमी, दूसरा- आपूर्ति में कमी और तीसरा- भावी पीढ़ियों के लिए जन जागरूकता। इन तीनों प्रयासों का विवरण इस प्रकार है:-

- **मांग में कमी** :- मांग में कमी के लिए गांव से राज्य स्तर तक पांच स्तरीय संरचना तैयार की गई है। इस संरचना को बनाने का उद्देश्य नारकोटिक्स ड्रग्स और नशीले पदार्थों की मांग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना है। नशा करने वालों का डाटा 'प्रयास एप' पर अपलोड किया जाएगा।
- **आपूर्ति में कमी**: - आपूर्ति में कमी की दूसरी अवधारणा के रूप में पीड़ितों के संबंध में दो एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन **"प्रयास"** और **"साथी"** और गुप्त रूप से उनके मुद्दों को पहचानने, समझने और लड़ने के लिए।
- **जन जागरूकता**: - जन जागरूकता के लिए "धाकड़" कार्यक्रम को युवाओं, विशेष रूप से छात्रों के बीच मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यवहार कौशल सहित ज्ञान प्रदान करना और उन्हें शिकार होने से रोकने के लिए स्वयं और समूह निगरानी के लिए एक समर्थित प्रणाली विकसित करना शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख छात्रों और उनके संबंधित परिवारों को शामिल किया जाएगा, जो राज्य की आबादी का लगभग आधा है। उपरोक्त के अलावा, एचएसएनसीबी ने पूरे राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और समाज में 883 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 358390 व्यक्ति/युवाओं ने उक्त कार्यक्रमों में भाग लिया है और 110236 ई-प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र एचएसएनसीबी वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए गए हैं।

(v) हॉक सॉफ्टवेयर:-

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग व्यापार के संपूर्ण मानचित्रण**,** संचालकों के ठिकाने**,** उनके पारिवारिक इतिहास और सामाजिक नेटवर्क की मैपिंग के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ **'HAWK'** सॉफ्टवेयर विकसित किया है।

(vi) टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (90508-91508)

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग पीड़ितों और मुखबिरों के लिए एक ड्रग हेल्पलाइन नंबर (**9050891508)** की स्थापना की है**,** इस हेल्पलाइन का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग करने वालो एवं पीड़ितों की सहायता करना है।

To Double the Income of Farmers

62. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether it is a fact that cost of crops is increasing day by day in the State but the income of the farmers is decreasing whereas the promise has been made by the Government to double the income of the farmers by the year

2022; if so, the steps taken or likely to be taken by the Government in this regard togetherwith the details thereof?

कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : श्रीमान जी, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। किसानों की आय बढ़ाने हेतू विभाग द्वारा उठाए गए कदमः-

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के माध्यम से राज्य के सभी किसानों को 6,000 रूपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
2. राज्य ने गन्ने का मूल्य 362 रूपए क्विंटल घोषित किया, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य की विभिन्न चीनी मिलों के गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 136.03 करोड़ रूपए की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई।
3. खरीफ 2021 के दौरान बाजरे को भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) के तहत कवर किया गया था। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और औसत बाजार मूल्य (यानी 2,250 रूपए और 1,650 रूपए के बीच) के अंतर के रूप में 600 रूपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया।
4. भारत सरकार ने वित वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि बुनियादी ढांचे जैसे गोदाम, पैकहाउस और अन्य सभी पोस्ट हार्वेस्टिंग सरंचनाओं आदि हेतू को विकसित करने के लिए कृषि अवसरंचना कोष (एआईएफ) की घोषणा की। हरियाणा में अब तक 355 करोड़ रूपए की 346 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
5. विभाग द्वारा क्षारीय एवं लवणीय मृदा के उपचार हेतु योजना में किसानों की भागीदारी हेतु "सेम एवं कल्लर भूमि सुधार योजना" प्रारंभ की गई है। कुल 3662 किसानों ने अपनी 20,997 एकड़ भूमि को सुधार के लिए पंजीकृत किया। हिसार, भिवानी, सिरसा और सोनीपत में ऊर्ध्वाधर जल निकासी प्रणाली के तहत 20,000 एकड़ पर कार्य प्रक्रियाधीन है।
6. रबी 2021-22 से बीज उत्पादकों को पंजीकृत करने के लिए सरकारी/निजी एजेंसियों के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया गया है।
7. राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार मूल्य कम होने पर दलहन और तिलहन (सूरजमुखी, चना, मूंगफली, अरहर, तिल, उड़द) की खरीद का फैसला लिया है।
8. धान (अधिक पानी की खपत वाली फसल) के स्थान पर कम पानी की खपत वाली फसलें कपास, खरीफ दालें, खरीफ तिलहन, मक्का, चारा, बागवानी/सब्जियां और बंजर भूमि के लिए भी किसानों को 7,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्तमान खरीफ मौसम (2022) के दौरान सफेदा और पोपुलर को भी शामिल किया गया है।
9. राज्य में बाजरा के स्थान पर दलहन फसलों (मूंग, अरहर और उड़द) और तिलहन फसलों (अरंडी, मूंगफली व तिल) को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 4,000 रूपए प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी गई है।
10. धान की सीधी बिजाई (अधिकतम 2.5 एकड़ तक) के प्रदर्शन प्लॉट लगाने के लिए किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है।
11. राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की फसलों के जोखिम को कवर करती है।
12. फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) कार्यक्रम के तहत, पिछले चार वर्षों (2018-19 से 2021-22 तक) में कुल 584 करोड़ की सब्सिडी के साथ 72,777 मशीनें (व्यक्तिगत किसान को 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर को 80%) सब्सिडी पर प्रदान की गई हैं। इनमें से 6,775 कस्टम हायरिंग सेंटर को 31,446 मशीनें और व्यक्तिगत किसानों को 41,331 मशीनें दी गई हैं।

13. बागवानी विभाग ने एक अनूठा फसल समूह विकास कार्यक्रम शुरू किया है और ताजे फल व सब्जियों के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला पहला राज्य होगा। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफपीओ का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला, बागवानी उत्पादों के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस स्थापित किया जा रहा है।

14. हरियाणा देश में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन में सबसे आगे है।

15. हरियाणा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी), रामनगर, कुरुक्षेत्र में हनी ट्रेड सेंटर (एचटीसी) स्थापित करने वाला पहला राज्य है। मधुमक्खी के बक्सों और मधुमक्खी कॉलोनियों पर सब्सिडी 40% से बढ़ाकर 85% कर दी गई है।

16. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बागवानी किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) शुरू की गई है।

17. सरकार ने सामान्य दूरी पर लगाए गए नए बागों की सब्सिडी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 32,500 रुपये प्रति एकड़, उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण के लिए 16,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ और उत्तक संवर्धन खजूर के रोपण के लिए 1,21,680 रुपये से बढ़ाकर 1,40,000 रुपये प्रति एकड कर दी है।

18. सब्जी की खेती पर सब्सिडी को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। मसालों की खेती पर सब्सिडी 4,800 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ और प्राथमिकता वाले मसालों (लहसुन, हल्दी और अदरक) के लिए 4,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।

19. भावांतर भरपाई योजना में निर्धारित दरों की तुलना में बाजार दर कम होने पर सरकार किसानों को बागवानी फसलों पर मूल्य संरक्षण प्रदान करती है। इससे अधिक से अधिक किसान बागवानी को अपना रहे हैं। 2018-19 से अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपये की राशि का लाभ मिला है।

20. बागवानी विभाग उपज बढ़ाने, उपलब्धता बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ऊर्ध्वाधर खेती के रूप में नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है।

21. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार किसानों के कल्याण के कल्याण हेतू 07 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के साथ देश के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया। किसानों को फसलों की उन्नत किस्मों के साथ-साथ उनकी बुवाई की जानकारी, रोगों, कीटों और उनके समाधान, मौसम की जानकारी, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सलाह, पशुपालन और गृह विज्ञान से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान की जाएगी।

22. मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, मछली बीज फार्म को मजबूत करने और मछली फीड मिलों की स्थापना के लिए मछली किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए।

Total Number Beneficiaries Under the Scheme 'Apki Beti Hamari Beti'

63 Shri Rakesh Daultabad: Will the Minister of State for Women & Child Development be pleased to State:-

(a) the details of total number of beneficiaries under the scheme "Apki Beti Humari Beti" in State togetherwith their names, LIC Policy numbers and other details from the data of launch of scheme till to date;

(b) the details of funds allotted and expenditure incurred under the abovesaid scheme togetherwith their copies; and

(c) the details of the total number of beneficiaries under the abovesaid scheme in district Gurugram togetherwith their names, LIC Policy numbers and other details from the date of launch of the scheme till to date?

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (श्रीमति कमलेश ढांडा): श्रीमान जी, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क) इस योजना के तहत योजना षुरू होने की तिथि 22.01.2015 से 31.07.2022 तक 3,81,010 लाभार्थियों को कवर किया गया है। 31.03.2022 तक 3,55,288 लाभार्थियों को एल.आई.सी. नीतियां और सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, शेष लाभार्थियों की एल.आई.सी. पॉलिसी संख्या जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। जिलेवार और वर्शवार विवरण **फ्लैग–ए** पर है।

(ख) आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत आंबटित धनराषि और व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्श	बजट का प्रावधान (लाखों में)	खर्चा (लाखों में)
2015-16	9694.00	9669.89
2016-17	11673.86	11672.5
2017-18	17936.00	17788.64
2018-19	13400.17	13224.98
2019-20	16376.00	15142.62
2020-21	13849.00	14108.73
2021-22	24849.00	24158.81
2022-23	29833.00	7154.91

(ग) जिला गुरूग्राम में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत योजना के प्रारम्भ होने की तिथि 22.01.2015 से 31.07.2022 तक 11238 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। 31.03.2022 तक 10610 लाभार्थियों को एल.आई.सी. नीतियां और सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, षेश लाभार्थियों की एल.आई.सी. पॉलिसी संख्या जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

141

Districtwise / Yearwise status of beneficiaries provided benefit under Aapki Beti Hamari Beti Scheme (22.01.2015 to 31.07.2022)											
S.No	Name of the District	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	LIC Certificate issued on 31.03.2022	2022-23 (07/2022)	Grand Total
1	Ambala	1497	1558	2464	2750	4695	4250	4761	21975	1574	**23549**
2	Bhiwani	1583	2185	4542	1790	4875	4201	7612	26788	937	**27725**
3	C Dadri	0	0	0	0	0	0	0	0	473	**473**
4	Faridabad	250	1342	1472	1511	1442	2062	1632	9711	613	**10324**
5	Fatehabad	719	2561	2197	2001	1747	1762	1434	12421	1094	**13515**
6	Gurgaon	718	1271	1108	2592	1726	1557	1638	10610	628	**11238**
7	Hissar	1098	1876	4243	1430	4614	4470	8280	26011	3373	**29384**
8	Jhajjar	901	1483	2732	2136	1835	1872	1992	12951	661	**13612**
9	Jind	1893	2642	3377	6078	6194	2663	3323	26170	1350	**27520**
10	Kaithal	607	1816	2756	3381	3052	4579	4801	20992	1664	**22656**
11	Karnal	616	1227	6091	2948	3755	2529	6903	24069	2065	**26134**
12	Kurukshetra	920	1928	3402	2339	2616	3102	3813	18120	1425	**19545**
13	Mewat	652	538	1255	2434	2719	1137	824	9559	292	**9851**
14	Narnaul	312	921	2592	1765	2829	2403	3465	14287	779	**15066**
15	Palwal	361	387	1747	118	1090	1245	4571	9519	1211	**10730**
16	Panchkula	347	907	946	883	820	627	655	5185	305	**5490**
17	Panipat	867	1518	3468	2208	1441	1983	3623	15108	1176	**16284**
18	Rewari	969	1534	1597	1076	1604	2335	2578	11693	822	**12515**
19	Rohtak	993	1033	3210	2501	2335	2814	3042	15928	1204	**17132**
20	Sirsa	600	1371	4376	3788	1578	1538	3808	17059	856	**17915**
21	Sonepat	1780	2779	3285	2455	2919	3977	4292	21487	1251	**22738**
22	Y. Nagar	1217	1430	4385	3430	5067	3806	6310	25645	1969	**27614**
	Total	**18900**	**32307**	**61245**	**49614**	**58953**	**54912**	**79357**	**355288**	**25722**	**381010**

208

District wise/Yearwise status of beneficiaries provided benefit under Aapki Beti Hamari Beti Scheme (22.01.2015 to 31.07.2022)										
S.No	Name of the District	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	LIC Certificate issued on 31.03.2022	2022-23 (07/2022)
1	Gurugram	718	1271	1108	2592	1726	1557	1638	10610	628
	Total	**718**	**1271**	**1108**	**2592**	**1726**	**1557**	**1638**	10610	**628**

142

209

Budget Status under different Schemes-Departmentwise for 2015-16

(₹. Lakh)

Object	Budget	Revised Budget	Released By FD	Released By FD (SS)	Released By FD (CS)	Exp Till Date 31.03.2015	Balance
Department :Women and Child Development							
P-01-21-2235-02-102-78-51-N-V- Apni Betian Apna Dhan Reame as Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
01-Salary	60	55	55	0	0	52.38	2.62
03-Deamess Allowances	52	50	50	0	0	47.98	2.02
04-Travel Expenses	0.5	0.5	0.5	0	0	0.14	0.36
34-Other Charges	4035.5	6794	6794	0	0	6732.94	61.06
67-Medical Reimbursement	2	0.5	0.5	0	0	0.09	0.41
Scheme Total	4150	6900	6900	0	0	6833.53	66.47
P-01-21-2235-02-789-99-51-N-V- Fianancial Assistance to Scheduled Castes families under Apni Betian Apna Dhan Reame as Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
74-Special Component Plan for SC	4150	2900	2900	0	0	2936.95	-36.95
Scheme Total	4150	2900	2900	0	0	2936.95	-36.95

Budget Status under different Schemes-Departmentwise for 2016-17

(₹. Lakh)

Object	Budget	Revised Budget	Released By FD	Released By FD (SS)	Released By FD (CS)	Exp Till Date 31.03.2017	Balance
Department :Women and Child Development							
P-01-21-2235-02-102-78-51-N-V- Apni Betian Apna Dhan Reame as Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
01-Salary	65	82.4	82.4	0	0	63.92	18.48
03-Deamess Allowances	60	42.6	42.6	0	0	38.4	4.2
04-Travel Expenses	0.5	0.14	0.14	0	0	0.15	-0.01
34-Other Charges	6773.5	8133.86	8133.86	0	0	8132.78	1.08
67-Medical Reimbursement	1	1	1	0	0	0.4	0.6
Scheme Total	6900	8260	8260	0	0	8235.65	24.35
P-01-21-2235-02-789-99-51-N-V- Fianancial Assistance to Scheduled Castes families under Apni Betian Apna Dhan Reame as Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
74-Special Component Plan for SC	2900	3540	3540	0	0	3539.72	0.28
Scheme Total	2900	3540	3540	0	0	3539.72	0.28

Budget Status under different Schemes-Departmentwise for 2017-18

(₹. Lakh)

Object	Budget	Revised Budget	Released By FD	Released By FD (SS)	Released By FD (CS)	Exp Till Date 31.03.2018	Balance
Department :Women and Child Development							
P-01-21-2235-02-102-78-51-N-V- Apni Betian Apna Dhan Reame as Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
01-Salary	140	138	138	0	0	107.27	30.73
03-Deamess Allowances	13	13	13	0	0	5.82	7.18
04-Travel Expenses	9	9	9	0	0	0.25	8.75
34-Other Charges	9036	10136	10136	0	0	10099.4	36.6
67-Medical Reimbursement	2	2	2	0	0	0	2
70-Leave Travel Concession	0	2	2	0	0	1.87	0.13
Scheme Total	9200	10300	10300	0	0	10214.61	85.39
P-01-21-2235-02-789-99-51-N-V-							
74-Special Component Plan for SC	3955	7800	7800	0	0	7689.24	110.76
Scheme Total	3955	7800	7800	0	0	7689.24	110.76

Budget Status under different Schemes-Departmentwise for 2018-19

(□. Lakh)

Object	Budget	Revised Budget	Released By FD	Exp Till Date 31.03.2019	Balance
Department :Women and Child Development					
P-01-21-2235-02-102-78-51-N-V- Apni Betian Apna Dhan Rename As Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)					
01-Salary	140	102.15	102.15	101.22	0.93
03-Dearness Allowances	15	10	10	8.88	1.12
04-Travel Expenses	9	3	3	0.39	2.61
34-Other Charges	9828	9000.17	9000.17	8835.47	164.7
67-Medical Reimbursement	4	4	4	0	4
70-Leave Travel Concession	4	3	3	1.17	1.83
P-01-21-2235-02-789-99-51-N-V- Financial assistance to Scheduled Castes families under Apni Betian Apna Dhan Rename as Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)					
74-Special Component Plan for SC	4400	4400	4400	4389.51	10.49
Scheme Total	4400	4400	4400	4389.51	10.49

Budget Status under different Schemes-Departmentwise for 2019-20

(□. Lakh)

Object	Budget	Revised Budget	Released By FD	Released By FD (SS)	Released By FD (CS)	Exp Till Date 31.03.2020	Balance
Department :Women and Child Development							
P-01-21-2235-02-102-78-51-N-V- Apni Betian Apna Dhan Rename As Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
01-Salary	140	91	91	0	0	90.37	0.63
03-Dearness Allowances	15	12.56	12.56	0	0	12.47	0.09
04-Travel Expenses	9	1	1	0	0	0.1	0.9
34-Other Charges	9828	9376	9376	0	0	8728.02	647.98
67-Medical Reimbursement	4	4	4	0	0	1.61	2.39
70-Leave Travel Concession	4	4	4	0	0	1.98	2.02
Scheme Total	10000	9488.56	9488.56	0	0	8834.55	654.01
P-01-21-2235-02-789-99-51-N-V- Financial assistance to Scheduled Castes families under Apni Betian Apna Dhan Rename as Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
74-Special Component Plan for	4500	7000	7000	0	0	6414.6	585.4
Scheme Total	4500	7000	7000	0	0	6414.6	585.4

211

Released | Exp Till Date | Balance

Budget Status under different Schemes-Departmentwise for 2020-21

(□. Lakh)

Object	Budget	Revised Budget	Released By FD	Released By FD (SS)	Released By FD (CS)	Exp Till Date 31.03.2021	Balance
Department :Women and Child Development							
P-01-21-2235-02-102-78-51-N-V- Apni Betian Apna Dhan Rename As Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
01-Salary	120	120	120	0	0	95.6	24.4
03-Dearness Allowances	22	22	22	0	0	14.5	7.5
04-Travel Expenses	1	1	1	0	0	0.[illegible]	0.64
34-Other Charges	8349	7349	7349	0	0	7433.34	-84.34
67-Medical Reimbursement	4	4	4	0	0	0	4
70-Leave Travel Concession	4	4	4	0	0	0	4
Scheme Total	8500	7500	7500	0	0	7543.[illegible]	-43.8
P-01-21-2235-02-789-99-51-N-V- Financial assistance to Scheduled Castes families under Apni Betian Apna Dhan Rename as Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
74-Special Component Plan for SC	7000	6500	6500	0	0	6675.[illegible]	-175.39
Scheme Total	7000	6500	6500	0	0	6675.[illegible]	-175.39

Budget Status under different Schemes-Departmentwise for 2021-22

(□. Lakh)

Object	Budget	Revised Budget	Released By FD	Released By FD (SS)	Released By FD (CS)	Exp Till Date 31.03.20[illegible]	Balance
Department :Women and Child Development							
P-01-21-2235-02-102-78-51-N-V- Apni Betian Apna Dhan Rename As Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
01-Salary	120	120	120	0	0	[illegible]	28.02
03-Dearness Allowances	22	22	22	0	0	[illegible]17	0.83
04-Travel Expenses	1	1	1	0	0	[illegible]	0.05
34-Other Charges	7349	12849	12849	0	0	12[illegible]05	251.95
67-Medical Reimbursement	4	4	4	0	0	[illegible]	3.77
70-Leave Travel Concession	4	4	4	0	0	[illegible]	3.1
Scheme Total	7500	13000	13000	0	0	1271[illegible]	287.72
P-01-21-2235-02-789-99-51-N-V- Financial assistance to Scheduled Castes families under Apni Betian Apna Dhan Rename a[illegible]pki Beti Hamari Beti (Ladli)							
74-Special Component Plan for SC	6000	12000	12000	0	0	115[illegible]	438.24
Scheme Total	6000	12000	12000	0	0	11[illegible]	438.24

212

Budget Status under different Schemes-Departmentwise for 2022-23

(□. Lakh)

Object	Budget	Revised Budget	Released By FD	Released By FD (SS)	Released By FD (CS)	Exp Till Date 04.08.2022	Balance
Department :Women and Child Development							
P-01-12-2235-02-102-78-51-N-V- Apni Betian Apna Dhan Rename As Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
01-Salary	125	125	125	0	0	25.94	99.06
03-Dearness Allowances	30	30	30	0	0	8.95	21.05
04-Travel Expenses	2	2	2	0	0	0.35	1.65
34-Other Charges	15833	14833	14833	0	0	3001.44	11184.56
67-Medical Reimbursement	5	5	5	0	0	0	5
70-Leave Travel Concession	5	5	5	0	0	0	5
Scheme Total	16000	15000	15000	0	0	3703.68	11296.32
P-01-12-2235-02-789-99-51-N-V- Financial assistance to Scheduled Castes families under Apni Betian Apna Dhan Re-name as Aapki Beti Hamari Beti (Ladli)							
74-Special Component Plan for	16000	15000	15000	0	0	3486.47	11513.53
Scheme Total	16000	15000	15000	0	0	3486.47	11513.53

To Regularize the Home Guard Personnel

64 Shri Pardeep Chaudhary: Will the Home Minister be pleased to State:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the Home Guard personnel in State; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to make amendments in the service rules and salary of the Home Guards personnel in State; if so, the details thereof?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज):–

(क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) हाँ जी श्रीमान, गृह रक्षी स्वयंसेवकों के गृह रक्षी नियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है और स्वंय सेवकों के दैनिक भत्ते को पहले ही राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29.12.2021 के तहत रूपये 572/– से रूपये 788/ बढाने के आदेश जारी कर दिए गए है ।

.....

Relaxation to the Hospital by the Government

65. Shri Neeraj Sharma: Will the Health Minister be pleased to state that:-

(a) whether it is fact that a 2400 beded hospital and medical college is to be constructed by a private trust in Sector-88 of Faridabad; and

(b) whether any relaxation has been given by the Government to the above said hospital; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विजः (क) श्रीमान जी, फरीदाबाद के सैक्टर–88 में माता अमृतानंदमयी न्यास द्वारा एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी ।

.....

The Present status of SYL and Hansi Butana Link Canal

66. Shri Balraj Kundu: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the present status of SYL and Hansi Butana link canal togetherwith the steps taken by the Government to complete the said canals so far ; and

(b) the present status of Irrigation of Agriculture land in the State togetherwith the district wise details of the land irrigated through tubewells and through canal water ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) और (ख) श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर है।

विवरण

(क) एसवाईएल और हांसी बुटाना लिंक नहर की वर्तमान स्थिति सहित उक्त नहरों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम इस प्रकार हैंः–

एसवाईएल नहर की वर्तमान स्थिति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2016 को राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपना विचार दिया और पंजाब टर्मिनेश्न ऑफ एग्रीमेंट अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिनांक 28.07.2020 को उच्च स्तर पर विभिन्न हितधारकों की बैठक बुलाने का निर्देष दिया और आदेष दिया गया कि न्यायालय को उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बारे में सूचित किया जाए। परिणाम स्वरूप जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र शेखावत, के साथ पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक बैठक 18.08.2020 को हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए एस.वाई.एल- (SYL) नहर के निर्माण को पूरा करने की दृढ़ता से वकालत की। दूसरी बैठक शीघ्र ही आयोजित होने की संभावना है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 06.05.2022 द्वारा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जलशक्ति मंत्री, भारत सरकार को लिखा गया, जिसमें उनसे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरे दौर की बैठक, जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया है जोकि दिनांक 18.08.2020 को हुई बैठक के दौरान निर्णय किया गया था, ताकि एस.वाई.एल. नहर का निर्माण पूरा हो सके और हरियाणा को अपना रावी–ब्यास के अधिषेष जल का वैध हिस्सा मिल सके।

हांसी–बुटाना लिंक नहर की वर्तमान स्थिति

सभी पक्षों के गवाहों की प्रतिपरीक्षा दिनांक 02.02.2016 को समाप्त हुई। कोर्ट के निर्देष पर मामले को बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अगली तारीख अभी तय नहीं है।

एसवाईएल नहर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. दिनांक 09.02.2015 से सरकार ने प्रषासनिक सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के माध्यम से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया की भारत के सोलिसिटर जनरल/भारत के अटॉर्नी जनरल के द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ को शीघ्र सूचिबद्व करने के मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाया जाए ताकि राष्ट्रपति संदर्भ का निपटान हो सकें।
2. माननीय मुख्यमंत्री के राजनीतिक और साथ ही प्रषासनिक रूप से निरंतर प्रयासों के साथ दिनांक 25.04.2015 को आयोजित हुई उत्तरी क्षेत्रिय परिषद् (NZC) की 27वीं बैठक में एसवाईएल और राष्ट्रपति संदर्भ के मामले को उठाते हुए, राष्ट्रपति के संदर्भ से संबंधित मामला, जोकि 11 वर्ष से अधिक समय से लंबित था, फलस्वरूप दिनांक 29.02.2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई।
3. हरियाणा ने सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.01.2002 के निर्णय और डिक्री और आदेश दिनांक 04.06.2004 के कार्यान्वयन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मूल वाद संख्या 6/1996 में 01.06.2016 को निष्पादन आवेदन (आईए नंबर 6) दायर किया।
4. माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे वकीलों की निरंतर दलीलों और प्रयासों के साथ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10.11.2016 को राष्ट्रपति के संदर्भ पर राय दी गई और 2004 में पारित पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया।
5. राष्ट्रपति के संदर्भ पर निर्णय के बाद, मामले को प्रषासनिक और राजनीतिक तौर पर भारत सरकार को बताया गया कि राष्ट्रपति के संदर्भ पर बहुप्रतीक्षित निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2016 को सुनाया गया है और यह अनुरोध किया कि दिनांक 15.01.2002 के आदेषों को और 04.06.2004 के निर्णय के कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल कदम उठाएं जाएं और एस.वाई.एल. नहर के बहुत विलंबित निर्माण के कार्य को पूरा करें

ताकि दक्षिणी हरियाणा के लोगों की पीड़ा कुछ कम हो सके और जिससें उनकी सूखी भूमि के लिए अधिषेष रावी–ब्यास के जल का वैध हिस्सा प्राप्त हो सकें।

6. माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 24.03.2017 को हरियाणा राज्य के भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और बसपा के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति को किए गए अनुरोध के समान ही अनुरोध थे।

7. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब द्वारा एस.वाई.एल. को शीघ्र पूरा करने के लिए चण्डीगढ़ में 12.05.2017 को आयोजित उत्तरी क्षेत्रिय परिषद् (NZC) की 28 वी बैठक में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का मुद्दा उठाया।

8. उपरोक्त कदमों और सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप हरियाणा के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 09.07.2019 को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रीयो से अधिकारियों की एक समिति बनाने का अनुरोध किया और यह भी सुनिश्चित किया कि दोनो केंद्र सरकार के, उच्चतम स्तर पर, हस्तक्षेप से विचार विमर्श करेगें। कोई भी विकल्प केवल वही हो सकता है जो हरियाणा और राजस्थान राज्य को पूर्ण रूप से स्वीकार्य हो।

9. दिनांक 16.08.2019 और 21.08.2019 इस मुद्दे पर दो बैठकों के बाद, कुछ भी ठोस नही निकला, इसलिए मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा सचिव (डी/ओ डब्लयूआर. आरडी एंड आरडी एंड जीआर) जलशक्ति मंत्रालय को 13.11.2019 को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा गया जिसमें यह अनुरोध किया गया, कि विवेचना को माननीय न्यायालय द्वारा तय की गई समय सीमा से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि पंजाब सरकार नही मानने का फैसला करती है तो मामले को समय बढाने की मांग किए बिना आगे की कार्रवाई के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ढाई साल से अधिक समय से चली आ रही चर्चाओं से पंजाब राज्य के रूख में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नही आया है, जिससे फलस्वरूप हरियाणा राज्य के लोगो को अत्याधिक परेषानी का सामना करना पड़ रहा है।

10. सचिव, (डी/ओ डब्ल्यु/आर, आरडी एंड जीआर), जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता मे दिनांक 16.08.2019, 21.08.2019 और 06.12.2019 को हुई तीन बैठकों में हरियाणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले वर्ष 2002, 2004, 2016 और 2019 मे नवीनतम आदेश स्पष्ट रूप से एसवाईएल नहर के निर्माण पर जोर देता है। हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी ले जाने हेतु एसवाईएल के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, जो नरवाना नहर का एक बैकअप है, वर्तमान में राज्य के लिए एस.वाई.एल. एक जीवन रेखा है और चिंता व्यक्त की कि छोटे मुद्दों पर पहले की बैठकों में हुई आपसी सहमति से भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। हरियाणा

पक्ष का मानना है कि सतलुज यमुना लिंक नहर राज्य के लिए रावी ब्यास जल मे 3.50 एमएएफ के अपने वैध हिस्से को ले जाने के लिए अति आवश्यक है।

11, दिनांक 18.08.2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ पंजाब और हरियाणा के सीएम की बैठक के दौरान सीएम हरियाणा ने एसवाईएल नहर के निर्माण को पूरा करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की जोरदार वकालत की। उन्होने आगे कहा कि हमें हरियाणा को आवंटित पानी के वैध हिस्से को पहुंचाने के लिए क्षमता बढाने की आवश्यकता है। पानी की उपलब्धता कम होने के पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होने कहा कि एसवाईएल का निर्माण और पानी की उपलब्धता दो अलग–अलग मुद्दे है। हमें दो मुद्दों को भ्रमित नही करना चाहिए क्योकि पानी की वर्तमान उपलब्धता के आधार पर ही राज्यों को पानी आवंटित होता है। यह 1981 के समझौतो में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एसवाईएल नहर का निर्माण पूरा करने के लिए है। ट्रिब्यूनल द्वारा तटवर्ती राज्यों के बीच पानी का सटीक आवंटन और वितरण तय किया जा सकता है। उन्होनें यह भी कहा कि रावी, सतलुज और ब्यास के पानी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान में चला जाता है। चूंकि नरवाना शाखा और बीएमएल 60 वर्ष से अधिक पुरानी है, इसलिए हमें अपने वैध हिस्से के पानी के परिवहन के लिए एक वैकल्पिक वाहक की आवश्यकता है।

12. हरियाणा विधानसभा ने 05.04.2022 को अपने विशेष रूप से बुलाए गए सत्र में प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उपाय करने का आग्रह किया।

13. माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार को एक अर्ध सरकारी पत्र संख्या सीएमएच–2022/3527 दिनांक 06.05.2022 द्वारा अनुरोध किया गया कि 18.08.2020 को हुई बैठक के दौरान तय किए गए निर्देश के अनुसार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक का दूसरा दौर जल्द से जल्द आयोजित किया जाए ताकि एसवाईएल नहर का निर्माण पूरा हो और हरियाणा को रावी ब्यास का अधिशेष जल का वैध हिस्सा मिले।

14. एसवाईएल नहर को पूरा करने का मामला माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 09.07.2022 को जयपुर में आयोजित उतरी क्षेत्रीय परिषद् की 30 वीं बैठक में भी उठाया गया।

हांसी –बुटाना नहर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. माननीय मुख्यमंत्री जी ने हांसी– बुटाना नहर के मुद्दे को विभिन्न राजनीतिक बैठकों/मोर्चों पर बार–बार उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 25.04.2015 को आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की 27वीं बैठक में भी यही मुद्दा उठाया गया।

2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2019 को आयोजित एसवाईएल पर अधिकारियों की समिति की दूसरी बैठक में '' भाखडा मेन लाइन–हांसी शाखा–बुटाना शाखा बहुउद्देशीय लिंक चैनल'' (बीएमएल एचबीबी–एमपीएलसी) का भाखडा मेन लाईन पर एक और ऑफ–टेक प्वांइट खोलने का काम शुरू करने का मुद्दा उठाया गया। हरियाणा ने जोर देकर कहा कि यह नहर पंजाब द्वारा दायर मूल वाद 1/2007 और राजस्थान द्वारा दायर 2007 के मूल वाद 3, जिसमे कहा गया है कि इसका निर्माण हरियाणा द्वारा उनकी सहमति के बिना किया गया है, के कारण पिछले कुछ मीटरों को छोड़कर पूर्ण है। बैठक के दौरान, हरियाणा ने आश्वासन दिया कि बाढ़ पर पंजाब की चिंताओं की संतुष्टि को सरकार द्वारा सबोधित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने दिनांक 10.10.2007 और 04.01.2008 के पत्रों के माध्यम से पूर्व में दी गई अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया जिसमें बीएमएल में अपने हिस्से के बारे में राजस्थान की आशंकाओं को दूर करने के लिए बीबीएमबी की निगरानी/पर्यवेक्षण के तहत पानी की डिलीवरी की परिकल्पना की गई है। आश्वासन के आलोक में, सचिव (डी/ओ डब्लयूआर, आरडी एंड जीआर) नें पंजाब से इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर 2007 के अपने ओएस 1 को वापिस लेने पर विचार करने का अनुरोध किया। सचिव ने कहा कि राजस्थान के व्तपहपदंस ैनपज 3/2007 को वापिस लेने के लिए मामला उठाया जाएगा ताकि हरियाणा के लाभ के लिए बीएमएल–एचबी–एमपीएलसी को तुरंत पूरा किया जा सकें। पंजाब ने दोहराया कि बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए अब हरियाणा द्वारा बनाई गयी हांसी बुटाना लिंक चैनल एसवाईएल का प्र्याप्त विकल्प है। हरियाणा ने कहा कि यह लिंक केवल प्राप्त होने वाले पानी की वास्तविक मात्रा के समान वितरण के लिए है और इसे एसवाईएल नहर के विकल्प के रूप में नही माना जा सकता है।

3. हरियाणा विधानसभा ने अपने विशेष रूप से बुलाए गए सत्र में दिनांक 05.04.2022 को पारित प्रस्ताव द्वारा आग्रह किया कि केंद्र सरकार पंजाब राज्य को सहमत करें कि पंजाब राज्य अपना मामला वापस ले और हांसी बुटाना नहर को हरियाणा राज्य के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने और समान वितरण करने की अनुमति दें।

ख) राज्य में कृषि भूमि की सिंचाई की वर्तमान स्थिति के साथ –साथ नलकूपों और नहर के पानी के माध्यम से सिंचित भूमि का जिलावार विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष 2019–20 के दौरान 39 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में से कुल 33.87 लाख हेक्टयर क्षेत्र को सिंचित किया गया है। इसमे से 12.31 लाख हेक्टेयर नहर के पानी के माध्यम से और 21.56 लाख हेक्टेयर नलकूपों के माध्यम से है।

यदि रबी और खरीफ दोनों के लिए सकल सिंचित क्षेत्र को माना जाए तो यह कुल 62.79 लाख हेक्टेयर यानि 23.26 लाख हेक्टेयर नहर के पानी से और 39.53 लाख हेक्टेयर नलकूपों के माध्यम से सिंचित है।

वर्ष 2019–20 के लिए नलकूपों और नहर के पानी के माध्यम से सिंचित भूमि का जिलावार विवरण Annexure-1 के रूप में संलग्न है।

ANNEXURE-I 225

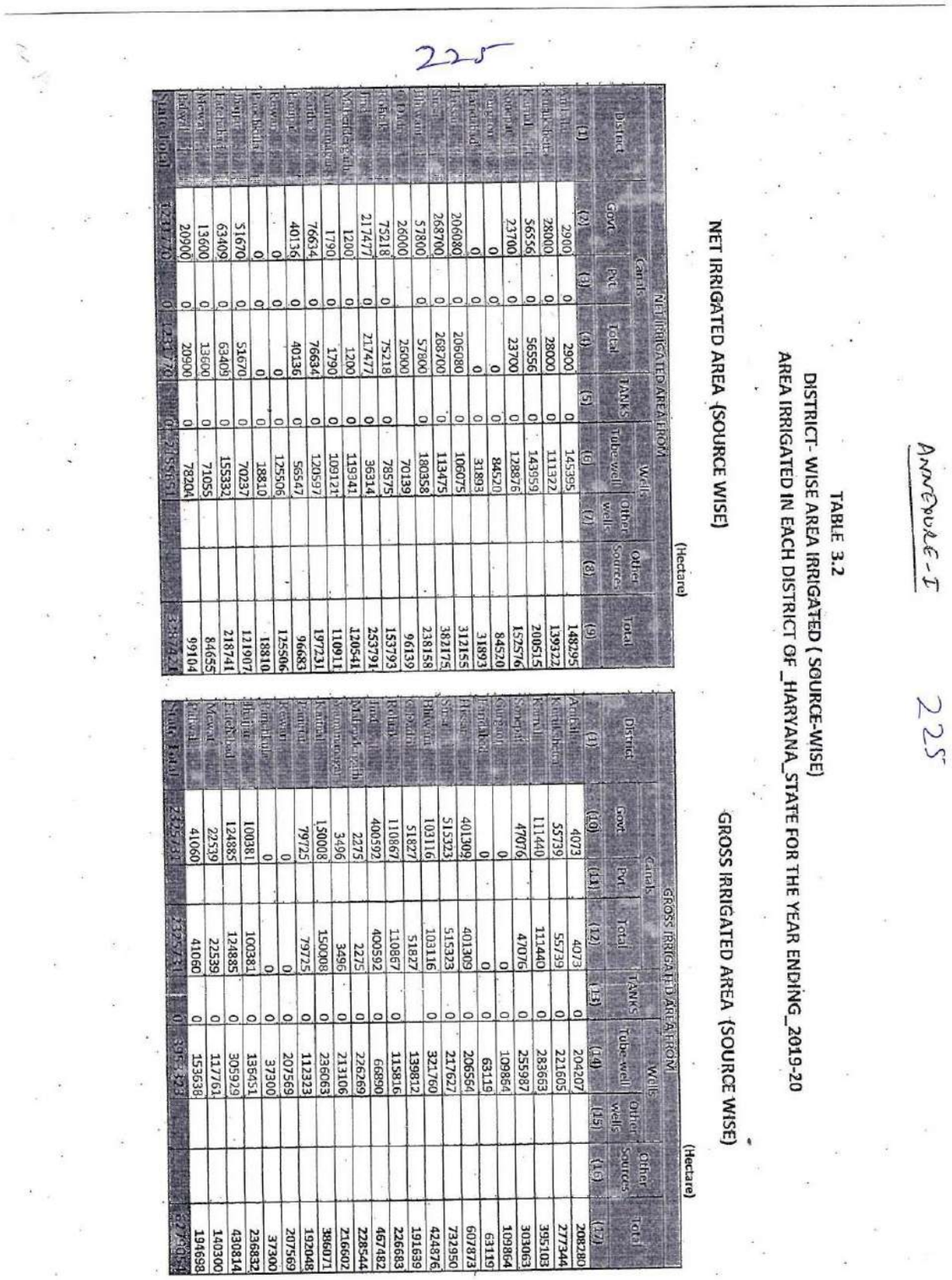

TABLE 3.2

DISTRICT- WISE AREA IRRIGATED (SOURCE-WISE)

AREA IRRIGATED IN EACH DISTRICT OF _HARYANA_STATE FOR THE YEAR ENDING_2019-20

NET IRRIGATED AREA (SOURCE WISE)

(Hectare)

District	NET IRRIGATED AREA FROM							
	Canals			TANKS	Wells		Other Sources	Total
	Govt.	Pvt.	Total		Tube-well	Other wells		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ambala	2900	0	2900	0	145395			148295
Kurukshetra	28000	0	28000	0	111322			139322
Karnal	56556	0	56556	0	143959			200515
Sonepat	23700	0	23700	0	128876			152576
Gurgaon	0	0	0	0	84520			84520
Faridabad	0	0	0	0	31893			31893
Hissar	206080	0	206080	0	106075			312155
Sirsa	268700	0	268700	0	113475			382175
Bhiwani	57800	0	57800	0	180358			238158
C.Dadri	26000		26000		70139			96139
Rohtak	75218	0	75218	0	78575			153793
Jind	217477	0	217477	0	36314			253791
Mahendergarh	1200	0	1200	0	119341			120541
Yamunanagar	1790	0	1790	0	109121			110911
Kaithal	76634	0	76634	0	120597			197231
Panipat	40136	0	40136	0	56547			96683
Rewari	0	0	0	0	125506			125506
Panchkula	0	0	0	0	18810			18810
Jhajjar	51670	0	51670	0	70237			121907
Fatehabad	63409	0	63409	0	155332			218741
Mewat	13600	0	13600	0	71055			84655
Palwal	20900	0	20900	0	78204			99104
State Total	1231770	0	1231770	0	2155651			3387421

GROSS IRRIGATED AREA (SOURCE WISE)

(Hectare)

District	GROSS IRRIGATED AREA FROM							
	Canals			TANKS	Wells		Other Sources	Total
	Govt.	Pvt.	Total		Tube-well	Other wells		
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Ambala	4073		4073	0	204207			208280
Kurukshetra	55739		55739	0	221605			277344
Karnal	111440		111440	0	283663			395103
Sonepat	47076		47076	0	255987			303063
Gurgaon	0		0	0	109864			109864
Faridabad	0		0	0	63119			63119
Hissar	401309		401309	0	206564			607873
Sirsa	515323		515323	0	217627			732950
Bhiwani	103116		103116	0	321760			424876
C.Dadri	51827		51827		139812			191639
Rohtak	110867		110867	0	115816			226683
Jind	400592		400592	0	66890			467482
Mahendergarh	2275		2275	0	226269			228544
Yamunanagar	3496		3496	0	213106			216602
Kaithal	150008		150008	0	236063			386071
Panipat	79725		79725	0	112323			192048
Rewari	0		0	0	207569			207569
Panchkula	0		0	0	37300			37300
Jhajjar	100381		100381	0	136451			236832
Fatehabad	124885		124885	0	305929			430814
Mewat	22539		22539	0	117761			140300
Palwal	41060		41060	0	153638			194698
State Total	2325731		2325731	0	3953323			6279054

225

To Construct Foot Over Bridge

67. Shri Deepak Mangla: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the permission has been granted by the Government to construct foot over bridge on ROB at Mohan Nagar and Sallagarh on Palwal Jewar Aligarh Road; and

(b) If so, the time by which it is likely to be constructed togetherwith the details thereof?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

क) हां, श्रीमान जी।

ख) इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि संरचनात्मक डिजाइन और रेखाचित्रों को साइट की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।

The number of Beneficiaries under Kaushal Rozgar Nigam

68. **Shri Ram Kumar** : Will the Chief Minister be pleased to state the block wise details of the beneficiaries under Kaushal Rozgar Nigam in district Karnal till to date? -

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री (श्री मूलचंद शर्मा): श्री मान जी, जिला करनाल में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अन्तर्गत लाभार्थियों का खण्ड–वार ब्यौरा दिनांक 05.08.2022 तक निम्नलिखित है:–

क्रमांक	ब्लॉक	संख्या
1	असन्ध	261
2	घरौण्डा	299
3	इन्द्री	408
4	करनाल	857
5	कुंजपुरा	190
6	मुणक	231
7	नीलोखेड़ी	411
8	निसिंग	616

कुल संख्या	3273

.....

To Upgrade the Veterinary Dispensaries

69. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Veterinary Dispensaries of villages Kari Rupa and Norangabad Rajputan as Veterinary Hospital; if so, the details thereof ?

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री **जय प्रकाश दलाल**): नहीं, श्रीमान् जी, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Present Status of Development Works

70 Shri Varun Chaudhry : Will the **Development & Panchayats Minister** be pleased to state that :- Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state the present status of development works under the Chief Minister Announcement of Rs. 5 crores in Mullana Assembly Constituency ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान् जी, कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्न अनुसार है :–

राशि : करोड रूपये में

क्रं0 सं0	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वित्तिय स्थिति			भैतिक स्थिति			
		स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	खर्च की गई राशि	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पुर्ण हो चुके कार्यों की संख्या	प्रगतिधीन कार्यों की संख्या	शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या
1	मुलाना	2.92	2.87	2.15	63	47	7	9

.....

To prevent the Theft of Grain

71. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Agriculture and FarmersWelfare Minister be pleased to State the steps taken or likely to be taken by the Government to prevent theft of grains by various agencies in the name ofmanagement of wheat in the godowns of State together with the district wisedetails thereof?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): महोदय, इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाता है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद के लिए एक नोडल एजेन्सी है। खरीद का कार्य मुख्यतः तीन एजेन्सियों द्वारा क्रमशः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम द्वारा किया जाता है। कस्टम मिलिंग के लिए उपरोक्त सभी एजेंसियों को आबंटित चावल को मण्डी से सीधा मिलों को पहुंचाया जाता है। गेंहू की खरीद का कार्य भी भारत सरकार की ओर से किया जाता है। गेंहू का अधिकतम स्टॉक सीधे मंडी से भारतीय खाद्य निगम को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन एक बडी मात्रा भारतीय खाद्य निगम को नहीं पहंचाई जाती है, जिसे उपरोक्त तीनो एजेन्सियो द्वारा अपने गोदामों में तब तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों अनुसार अनाज में अधिकता सहित भारतीय खाद्य निगम को वितरित नहीं किया जाता है। यदि भारतीय खाद्य निगम को गेंहू के प्रेषण में कम लाभ/सामान्य कमी देखी जाती है तो जिम्मेवार कर्मचारियें/अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि स्टाक में असामान्य कमी पाई जाती है तो विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के अतिरिक्त आपराधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाती है।

2. उपरोक्त एजेन्सियों के गोदामों में गेंहू के स्टॉक की चोरी से सम्बन्धित मामलों की घटनाओं को रोकने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। गोदामों से गेंहू के स्टॉक की प्राप्ति और प्रेषण पर उचित नजर रखने के लिए विभागीय नार्मस अनुसार पी0आर0 चौकीदार नियुक्त किये जाते हैं।

3. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभाग के गोदामों में भण्डारित स्टाक की गुणवत्ता एवं मात्रा को बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाता है। गोदामों पर भण्डारित स्टाक के स्वास्थ्य के समुचित संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाये जा रहे हैं-

- मुख्यालय द्वारा जिला स्तर पर गठित कमेटियों तथा लेखा परीक्षा समितियों द्वारा हर वर्ष 30 जून तथा 31 दिसम्बर को समाप्त अवधि का विभाग के पास भण्डारित स्टॉक/स्टॉक आर्टिकल्स की भौतिक जांच की जाती है।
- विभाग के पास भण्डारित स्टाक के स्वास्थ्य तथा रख-रखाव के लिए मुख्यालय द्वारा समय-समय पर हिदायतें तथा गाईडलाईंस जारी की जाती हैं।

- मुख्यालय स्तर पर भण्डारित स्टाक के प्रेषण तथा कम-अधिकता की मासिक तथा वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा कोताही करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।
- इसके अतिरिक्त चोरी की घटनाओं को कम करने तथा स्टॉक की सुरक्षा के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम द्वारा चरणबद्ध तरीके से सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

यहां यह भी वर्णन किया जाता है कि किसी भी केन्द्र पर भण्डारित किसी भी खरीद वर्ष के स्टाक का पूर्ण प्रेषण भारतीय खाद्य निगम को होने के उपरान्त स्टॉक की मात्रा, स्टॉक में आई कम-अधिकता तथा गुणवत्ता के दस्तावेजों की जांच की जाती है तथा कोताही करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से कोई शिकायत मुख्यालय के संज्ञान में आती है तो दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

Details of Teachers Trainings

72 Shri Rakesh Daultabad: Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) the subject wise number of teachers (JBT, TGT, PGT) trainings conducted by the DIET (District Institute of Education and Training), Gurugram in last 5 years;

(b) the criteria and procedure under which the knowledge level of teachers before and after training has been evaluated by the DIET; and

(c) the criteria and procedure adopted for ranking of DIET teachers togetherwith whether the DIET rank teachers solely as per their knowledge level ?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) श्रीमान जी, पिछले 5 वर्षों में कुल 8376 शिक्षक (3320 पी.आर.टी., 2015 टी.जी.टी., 424 एच.टी., 435 ई.एस.एच.एम., 420 प्राचार्य, 1721 पी.जी.टी., 41 उच्च मुख्याध्यापक), 46 डाइट फैकल्टी, 80 ए.बी.आर.सी/बी.आर.पी., 180 छात्र और 282 फील्ड जांचकर्ता, डाइट गुरुग्राम द्वारा प्रशिक्षित किये गये हैं।

(ख) शिक्षक के ज्ञान स्तर का मूल्यांकन, प्रशिक्षण पूर्व और प्रशिक्षण के बाद टेस्ट और प्रशिक्षण के बाद फीडबैक सत्र आयोजित करके किया जाता है।

(ग) श्रीमान जी, डाइट शिक्षकों की कोई रैंकिंग नहीं की जाती है।

.....

Number of Beneficiaries Under Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

73. Shri Balraj Kundu: Will the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Minister be pleased to state:-

(a) the total number of persons who have applied under Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana implemented in the State from the year 2018 till to date togetherwith the time period within which the amount of kanyadan/shagun is received to the applicant from the date of application;

(b) whether any time limit has been fixed by the Government for the release of amount under abovesaid Yojana; if so, the details thereof;

(c) the number of the applicants who have been benefitted under the said scheme out of the total received applications so far; and

(d) the total number of applicants who have not received benefit of the said scheme so far togetherwith the total number of applications lying pending till to date ?

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री (डॉ. बनवारी लाल):

(क) वर्ष 2018 से दिनांक 31.07.2022 तक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 1,69,780 है। उक्त योजना सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित है जिसके तहत आवेदनकर्ता के आवेदन पर कार्यवाही हेतु 30 दिन की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) अनुसार यह योजना सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित है जिसके तहत आवेदनकर्ता के आवेदन पर कार्यवाही हेतु 30 दिन की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

(ग) वर्ष 2018 से दिनांक 31.07.2022 तक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत कुल आवेदकों 1,69,780 में से लाभान्वित आवेदकों की संख्या 1,28,067 है एवं अपात्रता के कारण 39,359 आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये है।

(घ) उक्त समयावधि में कुल 39,359 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुये है एवं 2354 वर्तमान में लम्बित हैं, जिनमें संबंधित आवेदकों के स्तर पर वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने है।

.....

To Construct the Road

74. Shri Deepak Mangla: Will the deputy Chief Minister be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the approach road of godown opposite to SD College, Palwal; and

(b) if so , the time by which the construction of the above said road is likely to be started togetherwith the details thereof ?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) और (ख) नहीं, जी श्रीमान। एस.डी. कॉलेज, पलवल के सामने गोदाम के मौजूदा अप्रोच रोड़ के सुधार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Plantation in the places lying vacant

75 **Shri Ram Kumar:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for plantation in the places lying vacant in the Government schools of rural areas in State; if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवरपाल): नहीं, श्रीमान जी ।

.....

To Setup Smart Libraries

76. **Smt. Naina Singh Chautala:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to setup village level smart libraries in State; if so, the time by which the abovesaid libraries are likely to be setup ?

विकास एवं पंचायत (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): हां श्रीमान। सरकार ने विभिन्न गांवों में स्थित 1207 मौजूदा भवनों का नवीनीकरण कर उनमें स्मार्ट/ई–पुस्तकालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन भवनों में सिविल एवं विद्युत कार्यों को पूर्ण करने तथा फर्नीचर, कंप्यूटर, सौर उर्जा संयंत्र तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।

.....

To Repair the Roads

77 Shri Varun Chaudhary: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the details of HSAMB roads pending for repair as on

15 July, 2022 in Mullana Assembly Constituency togetherwith the time by which the above said roads are likely to be repaired ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): मुलाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में **15** जुलाई, **2022** तक मरम्मत के लिए लंबित पड़ी हरियाणा राज्य एग्रीकलचर मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

क्रमांक संख्या	विवरण	संख्या	**लंबाई (कि० मी०)**	अनुमानित लागत (करोड में)	टिप्पणी
1	विशेष मरम्मत प्रगति पर	**13**	**30.50**	**4.80**	इन सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य **31.03.2023** तक पूर्ण होने की संभावना है।
2	विशेष मरम्मत की आवश्यकता	**19**	**35.06**	**6.25** इन	सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए **6.25** करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक **05.08.2022** को प्रदान की गई तथा इन कार्यों के वित्त वर्ष **2023-24** में पूर्ण होने की संभावना है।
3	यातायात सुगम सड़कें	**92**	**185.94**	-- इन	सड़कों को वार्षिक मरम्मत के अंर्तगत पैच लगाकर यातायात योग्य रखा जा रहा है।
	कुल	**124**	**251.50**		

उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या गीता भुक्कल जी ने हाऊस में कल प्रश्न काल में झज्जर की कुछ सड़कों की पिक्चर्स दिखाई थी। हमने कल शाम को ही उन तीनों सड़कों को वैरीफाई कर लिया था। माननीय सदस्या द्वारा जो पिक्चर्स दी गई हैं वे सांय चार बजे की पिक्चर्स हैं। मेरे पास तीनों सड़कों की वीडियो ग्राफी है जिसको मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। माननीय सदस्या द्वारा गड्ढों की बिल्कुल इमीजियेट ड्रेनफॉल के बाद की पिक्चराईजेशन करवाई गई है। मैंने कल जवाब में भी दिया था कि वहां लॉ–लाईंग एरिया व सीवरेज लाइन पंक्चर होने की वजह से रोड्स कंडीशन ठीक नहीं है और उनकी निरंतर रिपेयर की जा रही है। मैं चाहूंगा कि अगली बार माननीय सदस्या जो भी पिक्चर्स या जो भी वैरीफिकेशन करवाती हैं तो उसको जरूर दुरूस्त करके सदन के पटल पर लाएं।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, वे पिक्चर्स मैं आज भी लेकर आई हूं और मंत्री जी भी लेकर आए हैं। वहां गड्ढे तो हैं। वहां गड्ढे बनाए तो नहीं गये हैं। वहां बारिश भी हो रही है, गड्ढे भी हैं और गड्ढ़ों में कहीं–कहीं जो सड़कें नजर आ रही है उससे बहुत ज्यादा एक्सीडैंट्स भी हो रहे हैं। मैंने सदन के पटल पर कोई भी इंफॉरमेशन गलत नहीं रखी है। मुझे किसी और से मतलब नहीं है लेकिन मुझे तो हमारे झज्जर शहर की सड़कें ठीक चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो इंफॉरमेशन लेकर आए हैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं और उनसे निवेदन करती हूं कि आप हमारी सड़कें बना दें। इनमें से एक भी पिक्चर न गलत है और न समय गलत है, ना ही गड्ढ़े गलत हैं। उन गड्ढ़ों में कहीं–कहीं सड़कें नजर आ रही हैं। यह सबको नजर आ रहा है।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने कल स्वयं हाउस में उनकी समस्या के संदर्भ में आश्वासन दिया था। माननीय सदस्या ने

आर.डी. 1700 से लेकर 3000 तक की खराब रोड्ज की बात की थी। मैंने खुद माना था कि इनकी कंडीशन बैड है। वहां पर सीवरेज लाइन जो पंक्चर हो गई थी, वह दिसम्बर तक ठीक हो जायेगी, उसके बाद हमारा विभाग काम करना शुरू कर देगा। मैं आर.डी. वाइज डिटेल बताता हूँ। आर.डी.–0 से 70 तक रोड्ज की गुड कंडीशन है। आर.डी. 120 से 1700 तक रोड्ज की गुड कंडीशन है। इसके बाद ओल्ड एन. एच.–71 पासिंग थ्रू झज्जर सिटी अर्थात् आर.डी. 0 से 50 तक रोड्ज की एवरेज कंडीशन है। आर.डी. 50 से 1500 तक रोड्ज की गुड कंडीशन है। आर.डी. 1500 से लेकर 2000 तक स्किन पैचेज आकर्ड ऑन द रोड सरफेस, एवरेज कंडीशन में है। आर.डी. 2000 से लेकर आर.डी. 2200 तक रोड्ज की गुड कंडीशन है। आर.डी. 2200 से लेकर 2390 तक एवरेज कंडीशन है। इसके बाद फिर रोड्ज की बैड कंडीशन आती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल सदन में भी यह माना था कि यहां पर एक पैच है जिसकी बैड कंडीशन है और मुझे लगता है उन्हीं गड्ढों के उपर जाकर माननीय सदस्या ने फोटोग्राफी कर दी और उसे यहां सदन में ले आई।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, this is not the way to talk with a senior Member. This is not the way. अध्यक्ष महोदय, क्या यह हमारे द्वारा बनाये गए गड्ढ़े हैं? यहां पर इतने एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। आखिरकार हमें इसके बारे में अपनी जनता की आवाज को तो उठाना ही पड़ेगा।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कल शाम की इन तीनों सड़कों की वीडियोग्राफी है। आज कल तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है। सदन में स्क्रीन भी लगे हुए हैं। इनको स्क्रीन पर प्ले करके दिखाया जा सकता है। स्क्रीन पर वीडियोग्राफी को प्ले करके सारे सदन को वस्तु–स्थिति से अवगत कराया जा सकता है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन की सीनियर सदस्या की बात मानने की बजाय अपनी बात को ज्यादा तरजीह देने का काम क्यों रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया। अब हमारे यहां सड़कों में गड्ढों की समस्या है तो गड्ढों की ही फोटो तो हम भेजेंगे ? हमारे यहां सड़क नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आप मोटरेबल सड़कों की फोटोग्राफ ले आयें मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिन सड़कों की मैंने बात की है, ये तो महज कुछ ही सड़कें हैं। इनके अतिरिक्त जब बारिश हुई तो मेरे पास उस समय के within one week के 62 न्यूज पेपर्ज भी हैं। उनको तो मैंने अभी तक टेबल ही नहीं किया है। यह पूरे का पूरा एक बंडल है। मुझे यह लगा था कि इस बाबत शायद सदन में किसी अखबार को दिखाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 62 के 62 न्यूज पेपर्ज की खबर को डिप्टी सी.एम.साहब को व्हाट्सअप फोरवर्ड करूंगी। इन रोड्ज से लगातार डी.सीज. भी निकलते हैं, एस. पीज. भी निकलते हैं और यही नहीं नगर परिषद के चुनावों के दौरान पूरी सरकार वहां से निकली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, उप–मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना है कि कुछ एरियाज के अंदर ऐसी स्थिति है जैसे कि आप बता रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, कुछ एरियाज की नहीं सभी जगह की स्थिति बद्तर है और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे वहां के कुछ अधिकारियों के मुझे फोन आये कि मैडम आपने तो प्रश्न लगाकर उन्हें फंसा दिया है। इन अधिकारियों ने सरकार को बार–बार एस्टिमेट्स बनाकर भेजे हैं। इससे संदर्भित पत्र मेरे पास हैं। अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री जी के पास यह एस्टिमेट्स भेजे गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे एस्टिमेट्स, साल–डेढ

साल से लंबित हैं आप उनको क्लीयर करवा दो। पत्र संख्या डेट के साथ मैं आपको दे दूंगी। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मेरी बात मान लेनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने माननीय सदस्या को फोन किया है, उनके नाम ही बता दो जो आपको कह रहे हैं इन्होंने उनको फंसा दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, जो भी एस्टिमेट्स हमारे यहां के अधिकारियों ने भेजे हैं, हमने उन्हें लेकर ग्रीवेंस कमेटी से लेकर अनेक दूसरे मंचों तक इस मैटर को बहुत बार टेकअप करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि कल भी आपने इस विषय पर चर्चा करवाई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को अपने विभाग की गलतियों को मानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि 15 महीने में छुछकवास बाई पास बना देंगे। पिछली बार मैंने यह भी कहा था कि ग्वालीशन से लेकर छुछकवास तक की सड़क के बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि यहां पर थेगली लगनी शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चैलेंज करती हूँ कि मेरे झज्जर एरिया में एक जगह भी पैच वर्क तक नहीं किया गया है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्या लैंड अवेलेबल करा दें तो हम 15 महीने में यह बाईपास बना देंगे। पिछली बार लैंड एक्विजीशन के लिए इनको कहा गया था। ये लैंड अवेलेबल करा दें और हम बाई पास बना देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, land is available there. केवल 4 किसानों को छोड़कर बाकी सभी किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने वहां पर रेट वेरिएशन बहुत ज्यादा बना रखी है । किसान रेट वेरिएशन के चक्कर में बैठे हुए हैं। इस तरह से सरकार लैंड एक्विजीशन में जा ही नहीं सकती। ये लोग एक तरफ किसानों को जमीन के ज्यादा दाम लेने के लिए भड़काते हैं और फिर सदन में ऐसी बात करते है। इन लोगों ने खुद वहां पर ऐसी व्यवस्था बना दी है कि किसान आज रेट वरिएशन के चक्कर में बैठा हुआ है।

Smt. Geeta Bhukkal: No Sir, it means they do not want to do anything for Jhajjar Constituency. हमारे यहां चार किसानों को छोड़कर बाकी सभी किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, लैंड एक्विजीशन की पॉलिसी है। सरकार किसानों को रेट देना नहीं चाहती है। सरकार को लैंड एक्विजीशन पॉलिसी के हिसाब से किसानों की लैंड एक्वॉयर करनी चाहिए और उस पॉलिसी के हिसाब से ही कंपनसेशन देनी चाहिए। किसान ज्यादा रेट मांग रहे हैं, यह कोई जवाब नही हुआ। किसान तो अपना हक मांगेगा ही मांगेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि किसान ज्यादा रेट मांग रहे हैं, यह कोई जवाब है ? किसान तो अपना हक मांगेगा ही ? लैंड एक्विजीशन की राष्ट्रीय नीति बनी हुई है, उसके हिसाब से काम क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब इस सदन में क्वैशचन आवर के बाद आए हैं और ये खुद मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने अपने समय में किसानों की लैंड एक्वॉयर करके किसानों को जीते जी मारने का काम किया था और आज तो हम सबने खुद सत्य प्रकाश जरावता जी को इनके समय में हुए लैंड घोटाले के संदर्भ

में रोते हुए देखा है। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने किसानों की लैंड एक्वायर करके उन्हें जीते जी मारने का काम किया था ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल एक ही सवाल है। माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कहा कि संबंधित विधायक जमीन अवेलेबल करवा दे। मेरा सवाल यह है कि विधायक कहां से जमीन अवेलेबल करवायेंगे, यह काम तो सरकार का होता है। सरकार जमीन एक्वायर करे और किसानों को उनका उचित मुआवजा दे और उसके बाद सरकार को बाईपास का निर्माण करना चाहिये। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की स्टेटमैंट तो केवल बात टालने जैसी जाहिर होती है। यदि सारे के सारे विधायक जमीन अवेलेबल करवायेंगे तो सरकार क्या करेगी? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि लोगों के काम ही नहीं होंगे तो फिर सरकार किसलिए बनी हुई है? यदि सरकार अपने लैवल का काम ही नहीं करेगी तो फिर वह काम कौन करेगा? माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सदन में यह आश्वासन देना चाहिए कि हम जमीन एक्वायर करेंगे और जल्दी ही बाईपास का निर्माण भी करेंगे लेकिन संबंधित विधायक जमीन अवेलेबल करवाने वाली बात सही नहीं है। इस तरह का जवाब सदन में नहीं देना चाहिये।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि झज्जर से बादली डांसा बॉर्डर तक आज के दिन गड्ढों में सड़क दिखाई देती है। दिनांक 18.02.2022 को इस सड़क का टैंडर हुआ था और उसके बाद दिनांक 18.05.2022 को ही इसका टैंडर कैंसिल हो गया। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के टैंडर कैंसिल होने के क्या कारण रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा।

शून्य/व्यवधान काल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों से संबंधित सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मेरे पास 10 माननीय सदस्यों की शून्यकाल में बोलने के लिये रिक्वैस्ट आई हुई है, इसलिए सभी 10 सदस्यगण अपनी–अपनी बातें केवल तीन मिनट के अंदर ही कम्पलीट करे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप 10 सदस्यों के नाम तो बता दीजिये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, ये 10 सदस्यगण श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री कुलदीप वत्स, श्री सुभाष गांगोली, श्रीमती नैना सिंह चौटाला, श्री प्रदीप चौधरी, श्री नीरज शर्मा, श्रीमती किरण चौधरी, श्री मेवा सिंह, श्री प्रमोद विज और श्री मामन खान हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपने जो सिस्टम बनाया है, वह बिल्कुल ठीक है लेकिन यह प्रोवीजन रूल्ज में भी डाल दे। जब यह प्रस्ताव हाउस ने पास कर दिया तो यह प्रोवीजन रूल्ज में भी जरूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इसको रूल्ज में डाल देंगे। शमशेर सिंह गोगी जी, अब आप बोलना शुरू कीजिए।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने कौन–कौन से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं और कौन–कौन से अस्वीकृत किए हैं और किस–किस कारण से अस्वीकृत हुए हैं, उनकी अभी तक कोई डिटेल्ड जानकारी सदन में नहीं दी गई है। (शोर एवं व्यवधान)

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना

श्री अध्यक्षः गोगी जी, प्लीज आप बोलना शुरू कीजिए।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के से संबंधित छोटी–छोटी बातें हैं, जिनका जिक्र मैं आपके माध्यम से सदन में करना चाहता हूँ। जलभराव की समस्या इतनी भयंकर होती जा रही है, जिसके कारण आज गांव के गांव डूबे हुए हैं

लेकिन सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे हल्के के जय संगपुर गांव में तीन दिन पहले बरसात के दिनों में रात को एक मकान गिर गया और एक आदमी मर गया और उसकी घरवाली का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वह बचेगी या नहीं, यह भगवान ही बता सकते हैं। मेरे हल्के के रतक गांव में 12वीं कक्षा तक का स्कूल है लेकिन पढ़ाने वाला अध्यापक एक भी नहीं है। यदि सरकार की सरकारी स्कूल बंद करने की कोई पॉलिसी चल रही है तो वह भी सदन को बताई जाये। अध्यक्ष महोदय, अंसध को लेकर कल मेरा एक तारांकित प्रश्न लगा हुआ था लेकिन समय के अभाव के कारण वह लग नहीं पाया, इसलिए मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न के लिये एक टाईम फिक्स कर दीजिए ताकि सभी प्रश्न सदन के पटल पर आ सके या फिर प्रश्न काल का समय बढ़ा दिया जाये। असंध के रास्ते में टोल प्लाजा लगाया हुआ है जैसे हमारे ऊपर एक तरह से जजिया टैक्स लगाया हुआ है। जिसके कारण हम करनाल में अपने जिले के डी.सी. व एस. पी. से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि यह टोल प्लाजा बीच में पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, या तो यह टोल प्लाजा हटाया जाये या फिर असंध को जिला बनाया जाये। इससे असंध के लोगों को भविष्य में कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, एस.सी. /एस.टी. के बैकलॉग का कोटा आज तक नहीं भरा गया है। स्कॉलरशिप के भी 14 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आ गया और इस संबंध में विजिलैंस की रिपोर्ट भी आ गई, हमें यह बताया जाये कि सरकार इस संबंध में क्या एक्शन लेगी? सदन में महँगाई और बेरोजगारी की बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह तो इंटरनैशनल मुद्दा बना दिया गया है, इसलिए इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करने की कोई लाभ नहीं है। असंध में बिजली विभाग के दफ्तर की इमारत रात को गिर गई । अगर वह इमारत दिन में गिर जाती तो कई कर्मचारियों की मौत हो सकती थी । विधायकों को आदर्श ग्राम योजना के तहत फंड मिलता था जोकि सरकार द्वारा विपक्ष

के विधायकों के लिए बढ़िया काम किया गया था । सत्ता पक्ष के विधायक तो अपने हल्के का विकास किसी–न–किसी तरह से करवा लेते हैं लेकिन विपक्ष को इसमें कठिनाई आती है । विधायकों को अभी तक अपने हल्के के विकास के लिए मिलने वाले 5 करोड़ रुपये पूरे नहीं मिले हैं । मैंने 3 गौशालाओं के विकास के लिए पैसे की मांग की थी । उनमें से 1 गौशाला के लिए तो पैसे स्वीकृत कर दिये गये लेकिन 2 गौशालाओं के लिए पैसे स्वीकार नहीं किये गए । पता नहीं उन 2 गौशालाओं के लिए पैसे किस कारण से अस्वीकृत कर दिए गए । प्रदेश में शामलात जमीन और मालिकान जमीन का मुद्दा बहुत ज्वलंत बना हुआ है । अतः सरकार द्वारा इसके लिए एक कानून बनाकर लोगों को लाभान्वित किया जाए वरना लोगों को सदा ही कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ेंगे । स्टेडियम, व्यायामशाला, 5 पोंड सिस्टम में बहुत ज्यादा घपले हुए हैं लेकिन इनकी जांच तो करवाई नहीं जा सकती क्योंकि सरकार राष्ट्रवादी है । हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6 तारीख को नीलोखेड़ी हल्के के समाना बाहु में बैलसा रोड पर एक स्टेडियम का उद्घाटन किया है । मैं वहां पर एक व्यक्ति की डैथ पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए गया था तो वहां के लोग मुझसे कहने लगे कि आपको एक स्टेडियम दिखाते हैं । जब मैंने उस स्टेडियम को देखा तो पाया कि उस स्टेडियम की हालत बहुत खराब थी । अध्यक्ष महोदय, गौमाता और नन्दी महाराज सड़कों पर दुखी अवस्था में घूम रहे हैं । अतः उनके लिए कोई रहने–खाने आदि की व्यवस्था की जाए । इसके अलावा गौचारान की भूमि को खाली करवाया जाए ताकि गौओं को चरने के लिए जगह उपलब्ध हो सके । इसी तरह से हरियाणा में 20.12.1996 से 7.03.1997 के दौरान एम.सी. की स्ट्राइक के दौरान भी जिन कर्मचारियों ने सरकारी कार्य किया था उनको उपायुक्त, भिवानी के आदेशानुसार समायोजित कर लिया जा चुका है । कृपया करके एम.सी., असंध के श्री हरदीप सिंह और अन्य को भी समायोजित कर लिया जाए । अध्यक्ष

महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री कुलदीप वत्स (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

हरियाणा में एक सरकारी दुकान है
जिसके गल्ले पर बैठा एक नौजवान है
आप आइये एक नोटों का थैला लेकर
और पूरा करिये लूट का जो भी अरमान है ।

आज सदन में माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल के साथ माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय बहस कर रहे थे । आज पूरे प्रदेश को टैण्डर्ज के माध्यम से लूटा जा रहा है फिर चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे एक्साइज विभाग हो या फिर चाहे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो सभी विभागों में लूट मची हुई है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, आप बगैर सबूत सदन में इस तरह के वेग एलीगेशंज मत लगाइये ।

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसके सबूत हैं और उन्हें मैं सदन के पटल पर भी रखूंगा और चाहूंगा कि सरकार उनकी जांच करवाये । जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाने की बात करती थी उसी सरकार में लोक निर्माण विभाग में प्रत्येक टैण्डर के लिए 8–10 परसैंट कमीशन लिया जाता है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, आप सदन में बोल रहे हो, इसलिए आप तथ्यों के बगैर इस तरह के एलीगेशंज मत लगाइये । अगर आपके पास तथ्य हैं तो उन्हें आप हमको सौंपिये।

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसके सबूत हैं और उन्हें मैं सदन के पटल पर भी रखूंगा और चाहूंगा कि सरकार उन मामलों की जांच करवाये । (विघ्न) मैं हाउस को गुमराह नहीं कर रहा हूं । प्रदेश में रजिस्ट्रियों में जो गड़बड़ी करके घोटाला हुआ था

उस केस में सरकार ने क्या एक्शन लिया ? इसी तरह प्रदेश में जो शराब घोटाला हुआ था उस केस में सरकार ने क्या एक्शन लिया ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन घोटालों की जांच हुई ? (शोर एवं व्यवधान) लोगों को धमकियां दी जाती हैं और उनको झुकने के लिए मजबूर किया जाता है । (शोर एवं व्यवधान) मैं सरकार को इसके सबूत भी दूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि जीवन–मृत्यु, हानि–लाभ, यश–अपयश सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार लोगों की आवाज को दबा नहीं सकती और मैं कहता हूं कि सरकार इन घोटालों की जांच करवाये । माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी जी ने जमीन के मालकान हक को किसानों को देने की बात की थी । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण मेरे क्षेत्र के गांव पाटौदा में 700 किसानों की जमीन के मालिकाना हक को रिकॉर्ड में शामलात पाना कर दिया गया है । इससे उन लोगों की रोजी–रोटी पर भी खतरा पैदा हो गया है । अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर सरकार ग्रामीणों के हक में कोई कड़ा फैसला लेते हुए या तो कोर्ट में रिट पैटीशन फाइल करे या फिर सदन में कोई अमैंडमैंड बिल लेकर आये । अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में जो बातें कही हैं उनके मेरे पास सबूत हैं और उन्हें मैं सदन के पटल पर भी रखूंगा । धन्यवाद ।

श्री सुभाष गांगोली (सफीदो): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिनांक 3.04.2022 को सफीदों में जन सभा के दौरान की गयी घोषणा की तरफ दिलाना चाहूंगा। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सफीदों में एक पैरा मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कोट की थी कि यदि हमें इसके लिए पॉलिसी में भी कोई ढील देनी पड़ी तो भी पॉलिसी में ढील देकर सफीदो में पैरा मेडिकल कॉलेज जरूर खोला जाएगा। इस बात का वहां के लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया था। मैं वहां पर हाजिर नहीं था, लेकिन मैंने भी अगले दिन प्रैस कान्फ्रैस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का सफीदों में पैरा मेडिकल कॉलेज खोलने की बात के लिए धन्यवाद

किया था। मेरा कल भी क्वैश्चन लगा था, लेकिन मुझे बोलने के लिए मौका नहीं मिल पाया क्योंकि क्वैश्चन ऑवर खत्म हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे क्वैश्चन के रिप्लाई में लिखा हुआ है कि सफीदों में पैरा मेडिकल कॉलेज नहीं खोला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 16.6.2022 को फैसला किया था कि जींद के मेडिकल कॉलेज में ही पैरा मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके पीछे कारण दिया गया कि हमने जो जगह दी थी, वह 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं आती है। यह कारण बताकर पैरा मेडिकल कॉलेज को जींद के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने की बात की गयी है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध न होने के कारण डी.सी. जींद को लिखा गया है कि 10–15 किलोमीटर के एरिया के अन्दर संबंधित पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन खोजी जाए। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस बात की घोषणा की थी कि अगर माननीय विधायक जमीन उपलब्ध करवा दें तो उनसे संबंधित घोषणाओं को पूरा करवा देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एरिया जींद से 12 किलोमीटर की दूरी से शुरू होता है। जींद से 152 डी हमारे हल्के में से होकर गुजरता है और उसका एग्जिट भी 13–14 किलोमीटर पर है। मैं एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर जमीन की ऑफर करता हूं। मैंने अपने प्रयासों से गर्ल्ज कॉलेज के लिए जामनी गांव में जमीन दिलवायी थी। मेरे क्वैश्चन का रिप्लाई दिया गया है। चूंकि आज मेरा क्वैश्चन नहीं लग पाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पैरा मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जामनी गांव के पास लगती जमीन ऑफर करता हूं या इसके साथ लगते भूराण गांव की पंचायती जमीन भी उपलब्ध है। यह जमीन दिलवाने की मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन इस पैरा मेडिकल कॉलेज को सफीदों से जींद में शिफ्ट न किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि वे अपने द्वारा

की गयी घोषणा को पूरा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक चीज और कही थी कि यदि इसके लिए पॉलिसी में ढील देनी पड़ी तो पॉलिसी में ढील भी देंगे। मैं आज भी यही कहता हूं कि हमारा जो 300 बैड का निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है, उससे 15–17 किलोमीटर के दायरे में मैं जमीन ऑफर करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में घोषणा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए जामनी गांव या भूराण गांव में जमीन उपलब्ध करवा दूंगा। ये गांव 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। मैं पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बढिया प्राइम लोकेशन की जमीन दिलवाने के लिए तैयार हूं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि चाहे पैरा मेडिकल कॉलेज हो या नर्सिंग कॉलेज हो, इनको अपने अभ्यास के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है। इसलिए पॉलिसी में यही बात है कि ये हॉस्पिटल्ज के नजदीक होने चाहिएं। मेडिकल कॉलेज के लिए भी कंडीशन है कि यह हॉस्पिटल के नजदीक होना चाहिए। यानी इसमें 8– 10 किलोमीटर का एरिया बताया गया है। पॉलिसी के अनुसार 10 किलोमीटर के अन्दर हॉस्पिटल मिलना चाहिए। सफीदों में पहले से ही एक नर्सिंग कॉलेज चल रहा है और वहां पर 50 बैड का हॉस्पिटल है। इसलिए अब इसको 10 किलोमीटर के एरिया में तो खोल सकते हैं। हां, इसमें 1– 2 किलोमीटर तो आगे– पीछे हो सकता है। पहले 12 किलोमीटर के लिए कहा था तो हमने बात करके कहा था कि इसमें 1– 2 किलोमीटर रिलैक्स हो सकता है। लेकिन 10 किलोमीटर के स्थान पर 15– 16 किलोमीटर नहीं हो सकता है। वरना पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल के 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन हो तो ही पैरा मेडिकल कॉलेज खुलेगा और हम उसी जिले में खोलेंगे, कहीं दूसरी जगह पर नहीं ले जाएंगे।

श्री सुभाष गांगोली: अध्यक्ष महोदय, हम इसके लिए 12 किलोमीटर की दूरी पर ढाठरथ गांव में जमीन दिलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: सुभाष जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं। आपकी बात पूरी हो चुकी है। अब माननीय सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला (बाढड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि बाढड़ा नगरपालिका से बाढ़ड़ा गांव और हंसावास गांव के लोगों ने मिलकर अपने गांवों को वापिस ग्राम पंचायत का दर्जा देने की बात की है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैली के दौरान कहा था कि इसके लिए आप पहले सर्वे करवा लें और अगर सर्वे में गांव के लोग चाहते हैं कि उनको दोबारा से ग्राम पंचायत का दर्जा मिले तो उनको ग्राम पंचायत में शामिल करवा देंगे। हम चाहते हैं कि अगर सर्वे रिपोर्ट्स में संबंधित ग्राम पंचायतों की तरफ से गांवों को वापिस नगरपालिका से ग्राम पंचायत में शामिल करने के लिए ज्यादा वोटिंग है तो उनको दोबारा से ग्राम पंचायत बना दिया जाये क्योंकि लोगों में एक भावना है और वे लोग यह बात कहते हैं कि नगरपालिका बनने के बाद नौकरियों में 10 परसैंट कम मार्क्स मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में लोगों की बात ही बता रही हूं और उनके मन की यह भावना है। वहां की जो भी सर्वे रिपोर्ट्स है, उस हिसाब से दोबारा उनको ग्राम पंचायत का दर्जा मिले। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दादरी को मैडिकल कॉलेज की सौगात दी थी, मैं उसके लिए इनका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। इसके लिए आपने कहा था कि अगर जमीन उपलब्ध है तो उस बारे में अवगत करवाया जाये। घसौला गांव की पूरी ग्राम पंचायत ने इक्ट्ठे होकर ग्राम सभा की है। वहां उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम लैटर भी दिया है और वे लैटर माननीय मुख्यमंत्री

महोदय से मिलकर दे देंगे। वहां पर 104 एकड़ जमीन है जो दादरी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर घसौला गांव में है। सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को जो इसके लिए प्रपोजल भेजा था, उसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सरकार से 281 करोड़ 75 लाख रुपये की मांग की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि 281 करोड़ 75 लाख रुपये लगाकर ही अगर सरकार जमीन खरीदना चाहती है तो क्यों न घसौला गांव की 104 एकड़ जमीन इस मैडिकल कॉलेज के लिए ले ली जाए, जो कि ग्राम पंचायत बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट देनी चाहती है। इसमें मैं यही कहना चाहती हूं कि इतने रुपये में तो हमारा मैडिकल कॉलेज बनकर भी तैयार हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मेरा बाढड़ा विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन होने के कारण हर जगह पर सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, परन्तु सर्दियों के दिनों में धूप न निकलने की वजह से हजारों किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहां के पशुओं को पीने का पानी भी नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि जिन किसानों की बिजली मीटर की या सोलर सिस्टम की या इसके अलावा कोई और डिमांड है तो उसको पूरा करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है तो मैं इस संबंध में यही कहूंगी कि दादरी में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए गांव के लोग आपसे मिलेंगे हालांकि इससे पहले भी मैंने सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रपोजल भेजा था कि गांव के लोग सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि मेरी बहुत सारी मांगें हैं, उनको पूरा करने का काम किया जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं।

श्री प्रदीप चौधरी (कालका): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उपमुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे कालका विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी जो नई सड़कें बनाई गई थी वे सड़कें भी टूटनी शुरू हो गई हैं। ठेकेदार को काफी हद तक पेमैंट भी हो गई थी। हमने उस समय अखबारों के माध्यम से शिकायत भी की थी कि ठेकेदार की पेमैंट रोकी जाये। सड़कों के टूटने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास कभी तो मंडावाला साइड से फोन आता है कि मंडावाला से आगे साहपुर सड़क टूटी पड़ी है। आजमपुर से टिक्करताल तक जो सड़क बनाई जा रही है, उसमें भी ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। अभी सड़क के साइड में एक बचाव दीवार बनाई गई थी, बारिश के कारण वह भी गिर गई है। आज के दिन वहां पर सड़कों की बहुत बुरी हालत है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप थापली से कैनन धामन की तरफ जाओगे तो आपको वहां पर मलबा गिरा हुआ दिखाई देगा। मैंने आज सवेरे ही इस संबंध में विभाग के अधिकारियों से बात की थी कि इस रास्ते को खोलने का काम किया जाये क्योंकि जमींदारों को अपना सामान लेकर इधर–उधर जाना पड़ता है जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आवारा पशुओं की वजह से काफी इंसीडैंट्स हो चुके हैं। अभी हाल ही में कालका में सांडों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक स्ट्रीट लाईट्स की बात है तो जब इस बारे में अधिकारियों से पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि तीन बार हमने इसका टैंडर कर लिया है। स्टेट लैवल का भी टैंडर करके देख लिया है लेकिन कोई टैंडर लेने को तैयार नहीं है। मैंने उनको कहा कि कम से कम जो खराब हुई लाईट्स हैं, उनको पहले ठीक करने का काम किया जाये क्योंकि रात के समय में काफी अंधेरा हो जाता

है। जो स्ट्रीट लाईट्स रिपेयर होने वाली हैं, वे भी रिपेयर नहीं हो पा रही हैं। हमारे पास बहुत से लोग आकर मिलते हैं कि आप विधान सभा सत्र के दौरान हमारे हकों की आवाज उठाओ। हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। इन्होंने हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियो को पंजाब के समान वेतनमान देने की बात कही थी लेकिन वह बात भी कहीं न कहीं अटकी पड़ी हुई है। हमारे मोरनी क्षेत्र के आरोग्य केन्द्र में लड़कों को 20 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने हैल्थ मिनिस्टर साहब को लिखित में ज्ञापन भी सौंपा था लेकिन उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज किसानों की धान फसल खड़ी है लेकिन इस फसल में भी कहीं न कहीं ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसकी वजह से दो–दो फुट और कहीं–कहीं पर 6–6 इंच की धान की खड़ी हुई फसल खराब हो गई है। उसकी सरकार गिरदावरी करवाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, शामलात मुस्तरका मालकान की जमीन पर भी सरकार को कोई ठोस कार्यक्रम बनाकर ध्यान देना चाहिए और लोगों को राहत दिलाने का काम करना चाहिए। आज पंचायतों में विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। उन विकास कार्यों के टैंडर्ज चाहे हुये हों या न हुये हों, लेकिन आज तक कहीं भी कोई विकास का काम शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह के विकास के तमाम कार्य करवाये जायें और पांच करोड़ रुपये तक के विकास के कार्यों की जो विधायक आदर्श ग्राम योजना थी वह अब बंद है उसे भी सरकार पुनः लागू करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद, एन,आई,टी): अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में गौच्छी ड्रेन है जो पूरे फरीदाबाद को कवर करती है। उस ड्रेन में बहुत गंदा पानी है और वही पानी फसलों के काम आता है। जिसके कारण हमारे क्षेत्र में कैंसर के रोगी सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कृपया करके सरकार को इसके समाधान की तरफ ध्यान

देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पाली से लेकर बागरी तक जो हमारी रिलायंस की टोल रोड है उस पर लोग टोल का पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी उस सड़क पर इतने गड्ढ़े हैं कि वहां पर कुछ दिन पहले बारिश में स्थानीय लोगों ने तीन–तीन फुट पानी के अन्दर बैठकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार 'सबका साथ–सबका विकास' वाली बात कहती है तो मुझे यह बात सुनकर बहुत दुःख होता है। मैंने एक प्रश्न के माध्यम से यह पूछा था कि एच.आर.डी.एफ. के तहत मेरी विधानसभा को अब तक कितने पैसे मिले हैं? जब मेरे पास इसका जवाब आया तो पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ। अध्यक्ष महोदय, एच.आर.डी.एफ. के तहत मेरे हल्के फरीदाबाद एन.आई.टी. को एक रुपया भी नहीं दिया गया, यह लिखते हुए किसी की कलम नहीं टूटी और ना ही किसी का दिल पसीजा। कम से कम 11 रुपये ही शगुन के तौर पर मेरे हल्के फरीदाबाद एन.आई.टी. को दे देते। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपये के मामले में विजिलैंस की इन्क्वॉयरी चल रही है और यह मामला सभी माननीय सदस्यों को भी पता है। दिनांक 05 अगस्त, 2020 को 31 करोड़ रुपये की एक ही दिन में ठेकेदार को पैमेंट की गयी थी उसे भी जांच के दायरे में रखा जाये, उसको जांच से बाहर न किया जाये और विजिलैंस इन्क्वॉयरी के पैर न बांधे जाये। अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ से सोहना का पुल जिसके बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, उसे भी जल्द से जल्द कम्पलीट करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारा फरीदाबाद हरियाणा का इकलौता ऐसा जिला है जिसमें माननीय केन्द्रीय परिवहन मंत्री, नितिन गडकरी के आदेशों के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी के अन्दर–अन्दर तीन जगहों पर टोल टैक्स देना पड़ता है। जैसे दिल्ली में, गजपुरी में और कोसी बोर्डर पर, उनमें से किसी एक टोल प्लाजा को खत्म किया जाये, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आज पूरा हरियाणा पावर कट से

परेशान है। हम सबको पता है कि कई–कई घंटों के पावर कट लगते हैं। सरकार के साथ अडाणी कंपनी का लॉंग टर्म पावर परचेज समझौता हुआ था उसमें कोई रियायत न बरती जाये। यह फैसला भी उस समय कैबिनेट स्तर पर हुआ था। पुरानी सरकार इस संबंध में फैसला करके गयी थी कि अडाणी देसी कोयले से 2.94 रुपये में प्रति यूनिट बिजली देगा। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि पावर कट कम से कम लगें और अडाणी सुप्रीम कोर्ट में भी यह केस हार चुका है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय हैल्थ मिनिस्टर की हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में हुए घोटाले की चिट्ठी है, मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी जांच की जाये। इस मामले को भी मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों की शिकायत को देखते हुए मुख्य सचिव, हरियाणा के पास दिनांक 18 जनवरी, 2022 को पत्रकार साथियों की एंट्री के संबंध में पत्र आया था कृपया करके इसके ऊपर भी कार्यवाही की जाये। अध्यक्ष महोदय, कल सदन में कानून व्यवस्था पर बात हो रही थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 05 जनवरी 2021 को पत्र लिखा था कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस मैटर को भी मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा, इन सबकी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने का समय लगभग पूरा हो गया है, कृपया करके आप घंटी बजाकर मेरे दिल को मत धड़काना, मैं 3 मिनट में ही अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। (घंटी) अध्यक्ष महोदय मेरी एक अन्तिम बात यह है कि हम विधायकगण किसी भी कार्य के लिए किसी को पत्र लिखते हैं, हमें सिर्फ उनकी सूचना अवश्य दी जाये कि आपकी चिट्ठी मिल गयी है। धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूंगी कि मेरे हल्के में सड़कों की हालत बहुत खराब है इस पर माननीय संबंधित मंत्री जी जरूर ध्यान दें। इन सड़कों में खास तौर पर मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हैं। इनमें बीरण से दांगपुर, दांग कलां से सांगवान, दांग

कलां से बलियाली, भुरटाना से जमालपुर रोड, पिंजौखड़ा से छपार रांगड़ान, चंदाना से शहीद सतपाल सिहाग रोड जो आगे तक जा रही है, झावरी से बागनवाला, कैरू से मंसरवास, कैरू से खारियावास, चंदावास से लालावास, भूसान से भारियावास रोड, ढाणी कटवार से ईशरवाल, जो ढाणी कटवार की फिरनी है वह भी बुरे हाल में है इसको भी दोबारा से बनवाया जाये। बीरण से ढाणी बीरण, डिनोद से भिवानी और ढाणी माहू से जितनवास वह भी बहुत बुरे हालत में है जिस पर पिछले 8 सालों में कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। इसके अलावा पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड आर.) की भी 17 सड़कें हैं जिनमें से सागवान बस स्टैंड से सागवान गांव, भुरटाना से हांसी तोशाम रोड, भुरटाना से जमालपुर रोड, मांगे की ढाणी से किरावड़ तक, पिंजौखड़ा से नलवा, गारणपुरा खुर्द से लेकर नलवा तक और भूसान से तोशाम ईशरवाल रोड, चंदाना से ढाणी धीरज रोड, बीरण से रिवासा रोड, गोलागढ़ से खैरपुरा रोड, गोलागढ़ से हरि की ढाणी की रोड और पटौदी से भेरा वाया झूली फिरनी रोड, भूसान से भारियावास व दूसरी रोड बजीणा से ढाणी बीरण है। बुटाना से बवानी खेड़ा रोड इत्यादि पी. डब्ल्यू.डी. की रोड्ज हैं। इसी प्रकार से गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, बापोड़ा के लिए दो साल पहले फण्ड्ज सैंक्शन हुए थे लेकिन आज तक वे फण्ड्ज रिलीज नहीं किये गये हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि उसका संज्ञान लें। ऐसे ही गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, सांगवान के फण्ड्ज की भी सैंक्शन हो चुकी थी वे भी अभी तक नहीं गये हैं। मैं इस सम्बन्ध में लिखित में मंत्री जी के पास सूचना भेज दूंगी। गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, ढाणी रिवासा की बाऊंड्री वॉल जर्जर हालत में है। उसको भी ठीक करवाया जाये। राम कलां गांव के अंदर बारिश का पानी बुरी तरह से भरा पड़ा है उसको भी ड्रेनेज करवाया जाये। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब गांव ईसरवाल में जून, 2020 या 2021 में गये थे लेकिन आज तक भी वहां पर वह स्कूल शुरू नहीं हुआ है। वहां पर कोई क्लॉसिज नहीं लगाई जा रही हैं। इसके

अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि रोड़ा के अंदर अभी तक भी स्टेडियम नहीं बना है। मेरे मंत्री रहते समय वहां पर 20 लाख रुपये दे दिये गये थे लेकिन बार–बार पत्र लिखने के बावजूद भी वहां पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से सालेवाला गांव का भी स्टेडियम नहीं बना है जबकि इसके लिए गांव में 6 एकड़ लैंड स्पोर्टस डिपार्टमैंट को दे दी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि गांव अलगपुरा के स्टेडियम की बाऊंड्री वॉल को भी बनाया जाये। ग्राम राम कलां में ढाणी रवासा, खरकड़ी माखवान में, सरकड़ी सोहान में और झामड़ी में सारे के सारे स्टेडियम के अंदर पानी भरा पड़ा है।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : स्पीकर सर, एक मुद्दा एग्रीकल्चर मिनिस्टर का आया है, इसलिए मैं दो लाईन बोलना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की नेता भिवानी में आई थी। उन्होंने स्टेज पर आते ही बोला 'जो बोले सो निहाल, सत्श्री अकाल' । उनके ऐसा कहने पर भिवानी वाले बोले कि वहां पर तो कोई सरदार नहीं है, ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। आखिरकार यह क्या मामला है? फिर किसी ने बताया कि दूसरा कागज जो फतेहाबाद वाला था वह उनके हाथ लग गया और उन्होंने वही पढ़ दिया। इस प्रकार के नेताओं को कोई जो कुछ भी लिखकर दे देता है वे उसी को पढ़ देते हैं। उनको धरातल पर कुछ भी पता नहीं होता। उनके जो हाथ लग जाता है वे उसी को पढ़ देते हैं। उसके अलावा उनको कुछ और पता नहीं होता।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, गांव ईसरवाल में मंत्री जी को आज ही जाने दें वहां के लोग इनके लत्ते न फाड़ दें तो मेरा नाम बदल देना। यह वहां पर बोल कर आये हैं। सारा कुछ करके आये हैं। ये झूठ का पुलिंदा रखते ळें और हर तरीके से

भ्रमित करते हैं। इनसे बढ़कर भ्रमित मंत्री नहीं है, इस पूरे के पूरे सदन के अंदर। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, आप इन दोनों को ही गांव ईसरवाल भेजें। इसके अलावा एक कमेटी भी कांस्टीच्यूट की जाये जो इन दोनों के साथ गांव ईसरवाल में जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मेवा सिंह जी, अब आप बोलें।

श्री मेवा सिंह (लाडवा): अध्यक्ष जी, कई साथियों ने शामलात भूमि, मुस्तरका भूमि ाऔर जुमला मालकान इत्यादि का जिक्र किया। हरियाणा प्रदेश का किसान इससे चिंतित है क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश आये हैं कि इनके इंतकाल कैंसिल करके इस प्रकार की जमीनों को सम्बन्धित पंचायतों के नाम किया जाये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के आदेशों को रद्द किया जाये क्योंकि पूरे प्रदेश के किसान संगठनों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ एजीटेशन करने का ऐलान कर दिया है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापिस लिया जाये ताकि प्रदेश के किसानों का दोबारा एजीटेशन न हो। सरकार कोई अच्छी पॉलिसी लेकर आये। जिस प्रकार से नगर परिषद् और नगर पालिका की दुकानों में जो किराएदार बैठे हैं उनको उन दुकानों का मालिकाना हक दिया जा रहा है, इसी प्रकार से इस तरह की जमीनों के लिए भी कोई न कोई कानून लाया जाये। ऐसे ही मेरा यह भी कहना है कि जिन जमीनों पर मकान बने हुए हैं और जहां पर पिछले 30 से 40 वर्षों से लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उनको भी उस जमीन का मालिकाना हक दिलवाया जाये ताकि दोबारा से किसानों का आंदोलन न हो। इसके अलावा मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के जो ट्यूबवैल्ज खराब हो जाते हैं उनका एस्टीमेट्स बनकर एक्स.ई.एन. के पास आता है, फिर एस.ई. के पास जाता है, उसके बाद चीफ इंजीनियर के पास जाता है और

अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग में पास होता है। इस सारी की सारी प्रक्रिया में 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह पॉवर एस.ई. लैवल के अधिकारी के पास होनी चाहिए। वहीं पर इसकी परमीशन मिलनी चाहिए क्योंकि 6 से 8 महीने में तो पानी के बिना लोग बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लाडवा से करनाल फोर लेन की सड़क बनाई गई। पहले तो उसमें सात किलोमीटर का एक टुकड़ा छोड़ दिया गया था। मैंने हरियाणा विधान सभा के प्रत्येक सैशन में इस मुद्दे को उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अनाउंसमैंट की। अब उसके ऊपर पांच किलोमीटर लाडवा की तरफ काम चल रहा है। उसकी मंजूरी मिल गई लेकिन उस सड़क पर तीन किलोमीटर के टुकड़े को अभी भी छोड़ दिया गया है। इस कारण वे वहां पर हर रोज एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। वह 3 किलोमीटर की सड़क बीच में क्यों छोड़ दी गई है? जब दोनों साइड का रोड फोरलेन बन गया है तो उसको बीच में क्यों छोड़ दिया गया? इसकी इन्क्वायरी करवाई जाये कि यह 3 किलोमीटर का टुकड़ा क्यों छोड़ा गया तथा जो भी अधिकारी उसके लिए दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये तथा इस पोर्शन को भी यथाशीघ्र बनाया जाये। इसी तरह से सफाई कर्मचारी, नैशनल हैल्थ मिशन तथा वैट्रनरी डिप्लोमा होल्डर्स के कर्मचारी हमारे पास आये थे और उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है और वे हड़ताल पर जाने के लिए कह रहे हैं इसलिए उनकी समस्या का समाधान यथाशीघ्र किया जाये। इसके अतिरिक्त लाडवा के बाई पास की बात मैं हाउस में हर बार उठाता हूं क्योंकि वहां पर भारी जाम लगा रहता है लेकिन वह बाई पास अभी तक नहीं बना है। वहां पर बहुत भीड़ रहती है इसलिए उसको भी जल्दी से जल्दी बनवाया जायें। इसके साथ ही साथ लाडवा से यमुनानगर सड़क को फोरलेन बनाया जाये क्योंकि यह 5 विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ती है। इसी तरह से पिपली के बस स्टैंड को बनाने की घोषणा 7 साल पहले

माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का यह हाल है तो दूसरे विकास कार्यों का क्या हाल होगा इसका भलीभांति अंदाजा लगाया जा सकता है? आज प्रश्नकाल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि विधायक जमीन दिलवाएं ताकि प्रोजैक्ट्स जल्दी बन सकें। स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन के पटल पर खानपुर कोलियां गांव में ट्रॉमा सैन्टर बनाने के लिए आश्वासन दिया था। मैं 2 साल पहले पंचायत से 5 एकड़ जमीन फ्री में दिलवाने का रैजोल्यूशन माननीय मंत्री जी को सौंप चुका हूं लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर वह ट्रॉमा सैंटर जरूर बनवाया जाये क्योंकि मैंने 10 करोड़ रुपये की जमीन का फ्री में रैजोल्यूशन मंत्री जी को दिलवा दिया था। धन्यवाद।

.....

दिल्ली पब्लिक स्कूल, करनाल के अध्यापकों व विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज दिल्ली पब्लिक स्कूल, करनाल के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से इनका हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत करता हूं।

.....

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना(पुनरारम्भ)

श्री प्रमोद कुमार विज(पानीपत शहरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से इस महान् सदन में एक बार फिर बेसहारा पशुधन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हजारों की संख्या में बेसहारा पशु सड़कों पर घूमते हैं और सिर्फ पानीपत शहर में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि कई जगह यह स्थिति होगी। इसका कोई न कोई निदान

तो करना ही पड़ेगा। 4–5 दिन पहले पानीपत में एक 24 साल का बच्चा मनप्रीत मोटरसाइकिल पर जा रहा था और नंदी से टकरा गया और वहीं उसका देहान्त हो गया। मैं इस सदन में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वैसे तो बहुत सी गौशालाएं बनाई गई हैं और पानीपत में तो खासकर सरकार ने नैन गौशाला के नाम से एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई है, उस पर करोड़ों रुपया लगाया गया है। इसके अतिरिक्त और 22 गौशालाएं पानीपत में हैं लेकिन कई बार गौशाला वाले गौवंश को लेने से मना कर देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गौवंश को लेकर जाना भी आसान नहीं होता है। कई बार तो उसको लेकर जाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है इसलिए बेसहारा गौवंश को गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए साधन बढ़ाए जायें। इसके अतिरिक्त गौशालाओं के लिए कोई इस तरह की फंडिंग की जाये ताकि वे गौवंश को लेने से मना न करें। इस समस्या का हल पहले तो यह था कि एग्रीकल्चर में गौवंश इस्तेमाल होते थे और काम आया करते थे। आज मॉर्डन जमाना है तथा नई–नई तकनीक आ गई हैं इसलिए गौवंश को शहरों की तरफ छोड़ दिया जाता है और यह प्रॉब्लम आ रही है इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाये। दूसरी बात यह है कि पानीपत में ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया 1956 में बनाया गया था और कुछ साल पहले उसको एच.एस.आई.आई.डी.सी. को हैंडओवर कर दिया गया है। पिछले 60–70 साल में परिवारों ने अपनी प्रोपर्टी को बच्चों में बांट लिया तथा इंडस्ट्री को भी बच्चों में बांट लिया लेकिन आज जब रजिस्ट्री के लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. के पास जाते हैं तो एच.एस.आई.आई.डी.सी. के पास डिविजन ऑफ प्लॉट का प्रोविजन ही नहीं है जिसके कारण उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही हैं। अलग–अलग भाइयों की फैक्ट्री हैं लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह से वहां पर इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट का काम तो एच.एस.आई.आई.डी.सी. के पास है लेकिन उनके पास मेंटीनेंस का कोई साधन नहीं है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना

चाहता हूं। वहां पर पानी की सप्लाई तो नगर निगम, पानीपत कर रहा है और स्टॉर्म वाटर का काम भी निगम ही देख रहा है। सीवरेज का काम एच.एस.आई.आई.डी.सी. को करना है लेकिन उनके पास इसके लिए न ही तो साधन हैं और न ही फंड उपलब्ध है इसलिए वे इसको नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से एच.एस.वी.पी. द्वारा कुछ इंडस्ट्रियल सैक्टर एच.एस.आई.आई.डी.सी. को दे दिये गये हैं लेकिन आज भी सफाई, लाईट, स्टॉर्म वाटर तथा रोड्ज का काम निगम के पास है और सीवरेज का कुछ काम एच.एस.वी.पी. के पास है इसलिए उनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। मेरी प्रार्थना यही है कि एच.एस.वी.पी. के जो सैक्टर निगम को हैंडओवर कर दिये हैं उनके सारे काम ही ट्रांसफर कर दें ताकि निगम उनकी देखभाल अच्छे से कर सके अन्यथा वापिस ले लें। सारा काम किसी एक डिविजन के पास होना चाहिए ताकि लोगों की समस्या का हल निकल सके और इसी तरह से पानीपत का जो ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी निगम को वापिस दे दिया जाये ताकि लोगों को दिक्कत न आये। धन्यवाद।

डॉ. रधुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्रों से गऊशालाओं के संबंध में हमारे पास बहुत से प्रस्ताव आए हैं जिनमें 50 रुपये प्रतिदिन गऊशालाओं को गौवंश के लिए अनुदान देने बारे कहा गया है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि सरकार को इन प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की हिदायतें देनी चाहिए ताकि जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं उनकी हिफाजित हो सके।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन आवारा पशुओं से टकराकर 300 से ज्यादा लोगों की रोड एक्सीडैंट्स में जानें जा चुकी हैं इसलिए सरकार को कोई ऐसा समाधान करना चाहिए जिससे लोगों को ऐसी दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। गऊशाला वाले तो ऐसे पशुओं को लेने के लिए तैयार हैं लेकिन उनका प्रस्ताव यह

है कि अगर सरकार हमें 50 रुपये प्रतिदिन अनुदान देने के लिए तैयार हो तो हम सड़कों पर एक भी आवारा पशुओं को नहीं रहने देंगे।

श्री मामन खान (फिरोजपुर झिरका) : अध्यक्ष महोदय, 19 जुलाई 2022 को एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी जो कि आप सभी लोगों के सामने है। डी.एस.पी. सुरेन्द्र सिंह को खान माफिया वालों ने ट्रक के नीचे कुचलकर मार दिया था जिसका दुःख पूरे मेवात को है। मैं यह कहता हूं कि जिन्होंने भी उसको मारा है उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस संबंध़ में सरकार ने जो सर्च अभियान चलाया था उसमें घर–घर जाकर तलाशी ली गई थी। हमारे मेवात एरिया के साथ राजस्थान के चिनावड़ा, नांगल, छपरा, गंगेरा और मानकी गांव लगते है, वहां के गरीब लोग अपने ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ट्रॉली व जे.सी.बी. लेकर माईनिंग में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। सरकार ने उनमें से 400 से अधिक व्हीकल्ज को उठाकर जब्त कर लिया है। उनकी मोटर साइकिलों को भी जब्त कर लिया गया है। यहां तक कि वहां के बच्चों को भी उठाकर अन्दर बन्द कर दिया गया उनकी धारा 109 में जमानत करवानी पड़ी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा करके सरकार क्या करना चाह रही है? इसी तरह 24 अप्रैल 2022 को कुछ गुण्डे/असामाजिक तत्व सी.एस. एक्ट के नाम पर गांव रवा, रावली और शेखपुर में जाकर पंचायत एंड डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट की गाड़ी नम्बर एच. आर. 71 डी 4144 को ले जाकर बंदूक की नोक पर लोगों को जबरन उठाने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेवात वासी तो अंग्रेजों से भी नहीं डरे, मुगलों से भी नहीं डरे तो इस सरकार से क्या डरेंगे? हम सरकार से टकराना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सरकार का साथ दें लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। हम यहां सरकार की तरफ विकास के लिए आंखे उठाकर देखते रहते हैं लेकिन सरकार एक पर्टिकुलर माइनोरटीज को टारगेट कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हम मेवात के वासी भी हरियाणा

के निवासी हैं इनकी तरफ भी आप बराबर का व्यवहार करें तो बहुत अच्छा होगा। सरकार द्वारा एक पशु मेले का टैंडर सुखपाल भट्टी के नाम पर छोड़ा गया है। मैं यह कहता हूं कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 17249/2007 में साफ लिखा हुआ है कि जो सरकारी फीस भी लेगा तो वह भी मेले के थ्रू लेगा लेकिन मेवात में वह ठेकेदार यह कर रहा है कि अगर कोई भी आदमी एक से दूसरी जगह अपने पशु को बेचता है तो वहां भी वह टैक्स वसूल कर रहा है जोकि नाजायज है इसलिए सरकार को यह एक्ट वापिस लेना चाहिए। इसी तरह हमारे यहां मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें 80 आदमियों का स्टाफ है लेकिन उनको पिछले सात महीनों से अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई। मैं यह पेपर भी टेबल करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसको भी संज्ञान में लिया जाए। इसी प्रकार से वर्ष 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गवर्नमैंट कॉलेज नगीना की अनाउंसमैंट भी है जिसमें कॉलेज में ऑडिटोरियम व साईंस ब्लॉक बनाने थे लेकिन वह अनाउंसमैंट आज तक भी पूरी नहीं हुई उसको भी पूरा करवाया जाए। इसी तरह एन.एच. 248 रोड पर इतने गड्ढे हो गये हैं उनको भी ठीक करवाया जाए।

श्री बलराज कुंडू (महम): अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन का ध्यान 2–3 अति महत्वपूर्ण विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरा शिक्षा विभाग से संबंधित एक सवाल लगा था और मैं उसी सवाल से संदर्भित विषय पर बात करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस सवाल के संदर्भ में माननीय मंत्री जी की तरफ से मुझे आज जो डाटा दिया गया है और फरवरी के सत्र के दौरान जो डाटा दिया गया था, उसके हिसाब से अढाई हजार टीचर्ज का फर्क दिखाई दे रहा है। मेरे मन में सवाल उठा है कि क्या सरकार द्वारा इन अढाई हजार टीचर्ज की भर्ती तो नहीं कर ली गई। अध्यक्ष महोदय, शायद इस चीज को शिक्षा विभाग की तरफ से चैक नहीं किया गया है। यह शिक्षा विभाग के स्तर पर गलती है। यदि इस आंकड़े को सही मानकर

चलें तो ऐसा लगता है कि अढाई हजार टीचर्ज की रिक्रूटमैंट हो गई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 196 स्कूल बंद करने की एक डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की। कहीं चिराग योजना की तर्ज पर तो यह काम नहीं किया जा रहा है। चिराग योजना के तहत सरकार को 38000 टीचर्ज की भर्ती करनी थी लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, चिराग योजना को लाकर, स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटाकर, स्कूलों को बंद करने की सरकार की मंशा साफ नजर आती है। सरकार टीचर्ज की भर्ती इसलिए नहीं कर रही है कि चिराग योजना की तर्ज पर चलते हुए इन स्कूलों में बच्चे नहीं आयेंगे तो ये स्कूल अपने आप बंद हो जायेंगे। मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो इसके बारे में जरूर बतायें। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बहु अकबरपुर गांव का स्कूल पूरी तरह से कंडम हो चुका था जिसकी बिल्डिंग को ढहाया जा चुका है। इस स्कूल के लिए 5 करोड़ रूपये की राशि सैंग्शन हुई थी लेकिन आज तक यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि यह कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन यह भी करना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा की जो पी.जी.टी./टी.जी.टी. और पी.आर.टी. एसोसिएशंज हैं, उन्होंने सी.एम. साहब के नाम से न जाने कितनी ही ई–मेल की हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सबको बुलाकर बात करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान सी.ई.टी. के विषय की ओर भी दिलाना चाहता हूँ। सी.ई.टी. एक बहुत ही गंभीर विषय है। हरियाणा प्रदेश के 11 लाख स्टूडेंट्स, सी.ई.टी. एग्जाम के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया जाये और साथ ही सी.ई.टी. का जो पैटर्न तैयार किया जाता है, उसके बारे में भी कोई निर्णय किया जाये कि किस

तरह के प्रश्न इस टैस्ट के दौरान आयेंगे। अभी तक इस बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक अन्य विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सरकार का पूरा फोकस है कि युवाओं में ज्यादा से ज्यादा स्किल डिवैल्पमैंट को बढ़ावा दिया जाये लेकिन मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वर्ष 2019 से आई.टी.आई. के इंस्ट्रक्टर्ज की पोस्ट्स के लिए आज तक भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है और इस प्रकार आई.टी.आई. इंस्ट्रक्टर्ज की रिक्रूटमैंट नहीं हो पाई है। केवल बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब इंस्ट्रक्टर्ज की रिक्रूटमैंट होगी तभी जाकर हम अपने बच्चों को स्किल डिवैल्पमैंट के क्षेत्र में निपुण कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान महम के अंदर जल भराव की समस्या की ओर भी दिलाना चाहता हूँ। सरकार को इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए, इस समस्या के निवारण के लिए तुरंत प्रभाव से काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे यहां बेरी से महम रोड व बलम्भा रोड की हालत बहुत नाजूक है, उसकी तरफ भी सरकार को तुरंत प्रभाव से ध्यान देने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने अभी सी.ई.टी. के एग्जाम की बात कही है, इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि यह एग्जाम हमने नैशनल टैस्टिंग एजेंसी अर्थात एन.टी.ए. के माध्यम से कराना है। यह सैंट्रल गवर्नमैंट की एक एजेंसी है। इस टैस्ट की तिथियां आ चुकी है। 5, 6 तथा 7 नवम्बर को इस टैस्ट की तिथि तय हुई है। यह जानकारी मैं कुंडू साहब के लिए दे रहा हूँ।

श्री रणधीर सिंह गोलन (पुण्डरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और एजुकेशन मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले सत्र के दौरान मैंने स्कूलों के विषय में एक मांग सदन के अंदर रखी थी कि जो हमारे गरीब भाई

स्वीपर्ज हैं या पानी पिलाने वाले हैं, उनका मानदेय 8000 रूपये प्रति माह किया जाये। सरकार ने इस कार्य को मूर्त रूप देने का जो काम किया है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पुंडरी विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ और मेरा यह विधान सभा क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया था। वर्ष 1991 तक हमारे यहां से चौधरी ईश्वर सिंह भी स्पीकर के पद पर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके की एक बड़ी डिमांड है जिसके बारे में मैं पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर चुका हूँ और आज फिर इस सदन के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को सब डिवीजन बनाने की घोषणा की जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र को सब डिवीजन बनाने की जो फिजिकल रिपोर्ट डी.सी. के माध्यम से आई है, वह बिल्कुल पोजीटीव रिपोर्ट है। यह कार्य मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैंने स्कूल के संदर्भ में भी पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और एजुकेशन मिनिस्टर जी से निवेदन किया है और आज भी निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरी पुंडरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर वर्ष 1916 से ही स्कूल स्थापित है। वहां पर डी.ए.वी. कॉलेज भी है। एक महिला कॉलेज ढाण्ड में भी है और एक महिला प्राईवेट कॉलेज पुण्डरी में भी है। मैंने निवेदन किया हुआ है कि पुण्डरी में एक सरकारी महिला कॉलेज या फिर को–एजुकेशन कॉलेज जरूर होना चाहिये। इसके लिये हम सरकार को जमीन भी देने के लिये तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरी फाईल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में पैंडिंग पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, एक कॉलेज खुलने से मेरे बैकवर्ड इलाके को एजुकेशन की दृष्टि से आगे बढ़ने का मौका मिल जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सोच भी यह है कि एजुकेशन के क्षेत्र में जितना काम किया जाये उतना ही कम होता है। इसी प्रकार से मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो बड़े गांव बरसाना और पबनावा हैं। इन गांवों की जनसंख्या लगभग 15

हजार और 10 हजार हैं। यदि सरकार इन गांवों में पी.एच.सी. खोल दे तो हैल्थ की दृष्टि से मेरे हल्के में बहुत बड़ा काम हो जायेगा। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक महत्वपूर्ण बात कहकर अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पायलट प्रोजैक्ट के तहत एक योजना शुरू की है कि स्कूलों के नवीनीकरण करने का काम करेंगे। उस योजना में करनाल और जगाधरी को पॉयलट प्रोजैक्ट के तौर पर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुण्डरी हल्के को भी पॉयलट प्रोजैक्ट में कवर कर लिया जाये।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, समय पर हरियाणा के सारे के सारे स्कूल्ज कवर हो जायेंगे।

.....

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक भोजन अवकाश के लिये दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

*01:00 बजे

(तत्पश्चात् सभा दोपहर 2:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर–सरकारी संकल्पों की सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हमें जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव या गैर–सरकारी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मैं एक बार उनके बारे में सदन को सूचना दे देता हूं । हमें कुल 48 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–6 के साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–19, 29 और 30 संलग्न करके स्वीकृत की गई थी जिन पर 8.08.2022 को चर्चा हो चुकी है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–7 के साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–21, 28 और 42 संलग्न की गई हैं जोकि आज दिनांक 9. 08.2022 को चर्चा के लिए स्वीकृत की गई हैं । इसी तरह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

संख्या–45 आज दिनांक 9.08.2022 को चर्चा के लिए स्वीकृत किया गया है । कुल 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं, 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं, 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेजे गए हैं और 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्लब करके स्वीकृत हुए हैं । इसी तरह हमें कुल 3 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–19 में बदल दिया गया है, स्थगन प्रस्ताव संख्या–2 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–29 में बदल दिया गया है और स्थगन प्रस्ताव संख्या–3 को अस्वीकृत कर दिया गया है । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आप हमें इसकी पूरी डिटेल पढ़कर सुना दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है मलिक साहब, मैं इसकी पूरी डिटेल पढ़ देता हूं । हमें हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम–73 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–1 माननीय सदस्य श्री चिरंजीव राव के द्वारा 'अपराधियों द्वारा प्रदेश के विधायकों को धमकियां देने और बिगड़ती कानून व्यवस्था बारे' प्राप्त हुई थी । इसको हमने अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमें सैशन की समनिंग से पहले प्राप्त हुआ था और सैशन की समनिंग से पूर्व प्राप्त हए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–2 माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू के द्वारा 'प्रदेश में ग्रुप–सी के पदों की भर्ती के लिए दो टैस्ट – कॉमन एंट्रैंस टैस्ट और पोस्ट स्पैसिफिक एग्जामिनेशन टैसट को कराने की बजाय सिर्फ कॉमन एंट्रैस टैस्ट कराने बारे' प्राप्त हुई थी । इसको हमने अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम–73 के तहत 250 शब्दों से ज्यादा शब्दों के किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के शब्द 250 शब्दों से ज्यादा थे । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–3 माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू

के द्वारा 'प्रदेश में शिक्षा विभाग की चिराग योजना की कार्यशैली और शिक्षकों की भर्ती बारे' प्राप्त हुई थी । इसको हमने अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि इसमें तात्कालिकता का अभाव है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–4 माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू के द्वारा 'राज्य सरकार द्वारा अग्निवीरों को उनकी चार साल की नौकरी पूरी होने के बाद उन्हें 6 महीने में नौकरी देने की घोषणा बारे' प्राप्त हुई थी जिसको हमने अस्वीकृत कर दिया है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–5 माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू के द्वारा 'प्रदेश सरकार एवं एच.एस.एस.सी. की गलतियों द्वारा सरकारी नौकरी की भर्तियों में अनियमितताओं के कारण बेरोजगारी बारे' प्राप्त हुई थी । इसको भी हमने अस्वीकृत कर दिया है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–6 माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू के द्वारा 'अपराधियों द्वारा प्रदेश के विधायकों को धमकियां देने और बिगड़ती कानून व्यवस्था बारे' प्राप्त हुई थी । इसको हमने स्वीकार कर लिया था और कल दिनांक 8.08.2022 को इस पर चर्चा भी हो चुकी है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–7 माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला के द्वारा 'नूँह के तावडू में अवैध खनन रोकने पर डी.एस.पी. की खनन माफिया द्वारा डंपर से कुचलकर निर्मम हत्या बारे' प्राप्त हुई थी । इसको हमने आज दिनांक 9.08.2022 को चर्चा के लिए स्वीकृत कर लिया है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–8 माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू के द्वारा 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खामियों में सुधार बारे' प्राप्त हुई थी । इसको भी हमने अस्वीकार किया है । (विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दिया गया था । अतः आपको इसे स्वीकार करना चाहिए था और इस पर चर्चा करवानी चाहिए थी ।

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, पहली बात तो यह है कि हम इस तरह से एक–एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारें में चर्चा नहीं कर सकते । दूसरी बात यह है कि सदन नियमों के

मुताबिक चलता है । हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम–73 के तहत 250 शब्दों से ज्यादा शब्दों के किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के शब्द लगभग 350 थे । आपके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के शब्द 250 से ज्यादा थे । इसमें 250 शब्दों की एक सीमा होती है और अगर इससे ज्यादा शब्द होंगे तो उस कॉलिंग अटैंशन मोशन को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश में बेमौसमी भारी बारिश तथा गुलाबी सुंडी के कारण कपास की खड़ी फसल का नुकसान बारे स्पेशल गिरदावरी करवाने और मुआवजा देने बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको नामंजूर कर दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश में बढती बेरोजगारी बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको नामंजूर कर दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश में बढते भ्रष्टाचार बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको नामंजूर कर दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्गों की सम्मान पैंशन में कटौती बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको सरकार से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार नामंजूर कर दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश में डॉक्टर्ज और पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको नामंजूर कर दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा सिरसा जिले के गांवों के किसानों को वर्ष 2020–21 की खराब फसलों का बकाया बीमा क्लेम बैंक खातों में जमा न होने बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश में बढ़ते नशे बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको दिनांक 10.08.2022 के लिए स्वीकृत किया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश में शिक्षा विभाग में अध्यापकों तथा अन्य स्टॉफ की भारी

कमी बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको सरकार से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार नामंजूर कर दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश में जुलाई माह में हुई भारी बारिश से फसलों के नुकसान बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको सरकार से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार नामंजूर कर दिया गया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा प्रदेश में बेलगाम खनन माफिया के कारण पर्यावरण का नुकसान और सरकार का भी राजस्व नुकसान बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73(1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक होने के कारण नामंजूर कर दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश में विधायकों एवं आमजन के प्रति बढती असुरक्षा के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिस पर कल डिस्कशन हो चुका है। श्री प्रदीप चौधरी, विधायक द्वारा श्री टेक चन्द सुपुत्र श्री कांशी राम, गांव बाना की मलकियत जमीन गांव रसुन खसरा नं0 13 के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था। इसमें यह है कि मामले में तत्कालीनता का अभाव है और विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है जिसके कारण नामंजूर कर दिया गया है। श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक, राव दान सिंह, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री इन्दुराज विधायक द्वारा प्रदेश में नूंह और तावडू की पहाड़ियों में अवैध खनन और भ्रष्टाचार बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको स्वीकृत कर लिया गया है। यह ध्यानाकर्षण सूचना संख्या न0 7 जोकि आज दिनांक 9.08.2022 के लिए स्वीकृत है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 21 को भी समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न कर दिया गया है। संबंधित सदस्य इस विषय पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री वरुण चौधरी, विधायक, श्री प्रदीप चौधरी, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री अमित सिहाग, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री इन्दुराज, विधायक, श्री

बलबीर सिंह, विधायक, श्री जयवीर सिंह, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक और श्री शमशेर सिंह गोगी विधायक द्वारा ग्रामीण विकास के लिए बजट में आबंटित राशि का उपयोग नहीं होने बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिसको नामंजूर कर दिया गया है। श्री वरुण चौधरी, विधायक, श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री प्रदीप चौधरी, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री बलबीर सिंह विधायक और श्री सुभाष गांगोली, विधायक द्वारा शामलात देह जमीन जिसमें कि जुमला मुशतरका मालकान, हसब रसद जर एवं जुमला मुशतरका मालकान वा दिगर हकदरान को शामिल बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था। इसमें मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नामंजूर कर दिया गया है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय न्यायालय ने फैसला कर दिया है। यह बहुत ही गम्भीर इशू है और आने वाले समय में इससे प्रदेश के हालात बहुत खराब होंगे। इस कॉलिंग अटैंशन मोशन को दोबारा से रि–कंसीडर कर लें क्योंकि यह बहुत ही जरूरी मुद्दा है।

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, सरकार की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया है, उसमें माननीय हाई कोर्ट की अगली डेट के बारे में भी बताया गया है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसके जजमैंट की कॉपी भी है, लेकिन इस समय मैं उसको साथ लेकर नहीं आया। आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रि–कंसीडर कर लें।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इसमें गवर्नमैंट की तरफ से जो कमैंट्स आये हैं, उनको शेयर कर दें।

श्री अध्यक्षः वरुण जी, ठीक है। इस पर गवर्नमैंट की तरफ से जो कमैंट्स आये हैं उनके बारे में बता देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इससे हर गांव प्रभावित होगा और आपस में टकराव होने का खतरा है। इससे प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था भी खराब हो जाएगी।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, अगर कोई भी मामला किसी भी कोर्ट में विचाराधीन है तो उस पर यहां डिस्कशन नहीं कर सकते।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसको सरकार ने इम्पलीमैंट करने के लिए चिट्ठी भी जारी कर दी है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, इसको एक बार चैक करवा लेंगे कि क्या इसमें आगे कोई अपील की गयी है या नहीं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय कोर्ट ने फैसला कर दिया है और सरकार ने इस फैसले को इम्पलीमैंट कर लिया जिसके कारण यह हालात पैदा हुए हैं। किसानों को मुआवजा से संबंधित चिट्ठी भी चली गई थी।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हुड्डा साहब, इस विषय पर माननीय कोर्ट का फैसला आया और फैसला आने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमैंट ने एक सर्कुलर भी निकाला था कि जमीनों की इंतकाल बदलकर सरकार के नाम कर दी जाये। इस पर बाद में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अभी इस मामले में हाई कोर्ट में स्टे है। अब उस पर सुनवाई होगी। फिर भी इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका कल विधान सभा सत्र में मैं अपने उत्तर में उल्लेख कर दूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन जो प्रश्न उठता है वह यह है कि आखिरकार रेवेन्यू डिपार्टमैंट को किसानों को चिट्ठी लिखने की इतनी जल्दी क्या थी और सरकार ने आनन–फानन में डिप्टी कमिश्नर को भी यही निर्देश जारी कर दिए गए। ऐसा क्या हो गया था जो सरकार को यह सब कदम उठाने पड़े जबकि हर गांव में झगड़ा होने का खतरा है।

अब सरकार इसका क्या रास्ता निकालेगी? अब आप यह बात कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार ने कोई रिव्यू पैटीशन डाली है या नहीं? इस प्रकार की सरकार की तरफ से बातें हमारे सामने नहीं आई है। इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है? इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, मैं कल विधान सभा सत्र के दौरान इस विषय पर अपनी बात रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, श्री जयवीर सिंह, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्री इन्दुराज, विधायक, श्री बलबीर सिंह, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री सुभाष गांगोली, विधायक और श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24 दी है, जिसे मैंने नामंजूर कर दिया है। मुझे श्री अमित सिहाग विधायक, श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक और श्रीमती गीता भुक्कल, विधायकों ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 दी है, जिसे मैंने दिनांक 10.08.2022 के लिए स्वीकृत कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ संलग्न कर दिया है। संबंधित सदस्य इस विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे श्री मामन खान, विधायक, श्री प्रदीप चौधरी, विधायक और बिशन लाल सैनी, विधायकों ने पंचकूला जिला के सब तहसील मोरनी में वन विभाग की जमीन को कब्जाने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26 दी है, सरकार से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण मैंने इसे नामंजूर कर दिया है। मुझे श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री आफताब अहमद,

विधायक, श्री सुभाष गांगोली, विधायक, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री मामन खान, विधायक, श्री वरुण चौधरी, विधायक, श्री इन्दुराज, विधायक, श्री जयवीर सिंह, विधायक द्वारा परिवार पहचान पत्र की वजह से लाखों बुजुर्गों/विधवा व अन्य श्रेणी के वर्गों की सम्मान पैंशन बंद होने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 दी गई है। सरकार से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार मैंने इसे नामंजूर कर दिया है। मुझे श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री मामन खान, विधायक और श्री भारत भूषण बतरा, विधायक ने नूंह जिले में अवैध खनन के मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा जे.सी.बी. ट्रक–डम्पर और बेगुनाह लोगों को हिरासत में लेने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 दी है। जिसे मैंने दिनांक 09.08.2022 के लिए स्वीकृत कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 भी समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न कर दिया है। संबंधित सदस्य इस पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, श्री जयवीर सिंह, विधायक, श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्री बलबीर सिंह, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री सुभाष गांगोली, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, राव दान सिंह, विधायक, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री मामन खान, विधायक, श्रीमती शैली चौधरी विधायक, श्री बिशन लाल सैनी, विधायक, श्री अमित सिहाग, विधायक, श्री वरुण चौधरी, विधायक और मो. इलियास, विधायक ने प्रदेश में विधायकों एवं आमजन के प्रति बढ़ती असुरक्षा के बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 दी है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में कल दिनांक 08.08.2022 को डिस्कशन हो चुकी है। मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक ने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं विधायकों को धमकी मिलने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30 दी है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कल दिनांक 08.08.2022 को डिस्कशन हो चुकी है। मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक ने

हरियाणा में बिजली की कमी बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 दी है। जिसे मैंने नामंजूर कर दिया है। मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक ने हरियाणा में मजदूरों की दयनीय स्थिति बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 32 दी है, जिसे मैंने नामंजूर कर दिया है। मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक ने हरियाणा में बढ़ते भ्रष्टाचार बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 33 दी है। जिसे मैंने नामंजूर कर दिया है। मुझे श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक ने बाढ़डा को दिए गए नगरपालिका के दर्जा के फैसले को वापिस लेने और दोनों गांव (बाढ़डा और हंसावास खुर्द) को पूर्व की भांति पुनः ग्राम पंचायत घोषित करने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 दी है, में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण मैंने इसको नामंजूर कर दिया गया है। मुझे श्रीमती किरण चौधरी विधायक ने जलभराव एवं चकबंदी की समस्या बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है इसे मैंने दिनांक 10.08.2022 के लिए स्वीकृत कर लिया है। मुझे श्रीमती किरण चौधरी विधायक ने बढ़ती मंहगाई दर में भारी वृद्धि बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है। इसे मैंने नामंजूर कर दिया है। मुझे श्रीमती किरण चौधरी विधायक ने प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लाभों से अनुचित रूप से वंचित करने बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है। सरकार से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार इसे मैंने नामंजूर किया है। मुझे श्रीमती किरण चौधरी विधायक ने प्रदेश में सार्वजनिक रोजगार में घोटालों के साथ बेरोजगारी से युवाओं में निराशा बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है, को हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 (1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक ना हो जबकि इस ध्यानाकर्षण सूचना में 459 शब्द हैं इसलिए मैंने इसे नामंजूर कर दिया है। मुझे श्रीमती किरण चौधरी विधायक ने किसानों को वर्ष 2022 और पिछले 2 सालों में रबी की फसलों का नुकसान का मुआवजा देने बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है, को हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों

के नियम 73 (1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक ना हो जबकि इस ध्यानाकर्षण सूचना में 449 शब्द हैं इसलिए मैंने इसे नामंजूर कर दिया है। मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों की खरीद फरोख्त बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है। इसे मैंने नामंजूर कर दिया है। मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक ने हरियाणा में बढ़ता नशे का व्यापार बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है। जिसे मैंने दिनांक 10.08.2022 के लिए स्वीकृत कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ संलग्न कर दिया है। संबंधित सदस्य इस विषय पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों की खरीद फरोख्त बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे नामंजूर न करके मंजूर कीजिए।

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, सभी मामले महत्वपूर्ण होते हैं और जो मैं पढ़कर आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सदन की कार्यवाही की भी कोई समय–सीमा निर्धारित होती है अर्थात् एक दिन में दो से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जा सकते। इस बार मॉनसून सत्र की अवधि बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने तीन दिन के लिए निर्धारित की हुई है, इस हिसाब से 6 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही एडमिट किये जा सकते हैं। नीरज जी, आप खुद ही समझदार हो, इस बार माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न–विभिन्न विषयों पर 48 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये गये हैं, इस हिसाब से इस मॉनसून सत्र में 48 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कैसे एडमिट किये जा सकते हैं। मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक ने हरियाणा में बढ़ते अवैध खनन, अराजकता एवं नूहं में डी.एस.पी. की मृत्यु बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 दी है। जिसे मैंने दिनांक 10.08.2022 के लिए स्वीकृत कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ संलग्न कर दिया है। संबंधित सदस्य इस विषय पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे

श्रीमती किरण चौधरी विधायक ने तोशाम हल्के की सड़कों की खस्ता हालत के बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है, तत्कालीनता का अभाव होने के कारण और विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण मैंने इसको नामंजूर कर दिया गया है। मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक ने फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा सिलिंग के खेल बारे में ध्यानाकर्षण सूचना दी है जिसे सरकार को 48 घंटे के भीतर टिप्पणी के लिए भेजा गया है। मुझे श्री अमित सिहाग, विधायक और श्री शीशपाल सिंह, विधायक सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्कीन बीमारी के कारण सैकड़ों की तादाद में गौंवश की मृत्यु के बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है, जिसे मैंने आज दिनांक 09.08.2022 के लिए स्वीकृत कर लिया है। श्री अमित सिहाग, विधायक और श्री शीशपाल सिंह, विधायक ने ऐलनाबाद हल्के गुढ़िया खेड़ा और बंकरियां वाली गांवों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने के बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है जिसे सरकार को 24 घंटे के भीतर टिप्पणी के लिए भेजा गया है। मुझे श्रीमती किरण चौधरी, विधायक ने कपास एवं खरीफ फसल का मुआवजा एवं फसल बीमा क्लेम बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। मुझे श्री बिशन लाल सैनी, विधायक ने कुरुक्षेत्र से यमुनानगर रोड राज्य मार्ग के बारे ध्यानाकर्षण सूचना दी है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इसके अलावा मेरे पास जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आये हैं। मैं उनके बारे में सदन को जानकारी देना चाहूंगा। मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने प्रदेश में विधायक एवं आमजनों के प्रति बढ़ती असुरक्षा बारे स्थगन प्रस्ताव दिया है जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना में कंवर्ट कर दिया था और कल दिनांक 08.08.2022 को इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हो चुकी है। मुझे डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, श्री जयवीर सिंह, विधायक, श्री शीशपाल सिंह विधायक, श्री बलवीर सिंह, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री सुभाष गांगोली, विधायक, श्री आफताब अहमद,

विधायक, श्री राव दान सिंह, विधायक, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री मामन खान, विधायक, श्रीमती शैली चौधरी, विधायक, श्री बिशन लाल सैनी, विधायक, श्री अमित सिहाग, विधायक, श्री वरुण चौधरी, विधायक और मो. इलियास, विधायक ने प्रदेश में विधायकों एवं आमजन के प्रति बढ़ती असुरक्षा के बारे स्थगन प्रस्ताव दिया है और इस प्रस्ताव पर कल दिनांक 08.08.2022 को चर्चा भी हो चुकी है। श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री मेवा सिंह विधायक, श्री सुरेन्द्र पंवार विधायक, श्री सुभाष गांगोली, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, श्री अमित सिहाग, विधायक, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री रघुवीर सिंह कादियान, विधायक, श्री जयवीर सिंह, विधायक, श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्री इन्दु राज, विधायक, श्री बलबीर सिंह, विधायक, श्री आफताब अहमद विधायक ने हरियाणा फॉर्मसी कौंसिल में अनियंत्रित घोटाले एवं भ्रष्टाचार के मामले बारे स्थगन प्रस्ताव दिया है जिसे मैंने नामंजूर कर दिया है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि हमारे एडजर्नमैंट मोशन को आप नामंजूर करने के बजाये कालिंग अटैंशन मोशन में ही कंवर्ट कर दें क्योंकि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, कालिंग अटैंशन मोशन के बारे में जैसा मैंने अभी बताया कि दो कालिंग अटैंशन मोशन आज लगे हुए हैं और दो कालिंग अटैंशन मोशन कल लगे हुए हैं। निर्धारित नियमों के मुताबिक एक दिन में दो से अधिक कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा नहीं करवाई जा सकती।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, इस बारे में लोकायुक्त ने यह कहा है कि जीरो टॉलरैंस के मामले में गवर्नमैंट फेल है। अगर आप इसे कालिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट कर देंगे तो कम से कम हमें पता तो चल जायेगा कि कहां पर क्या हो रहा है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह गैर सरकारी प्रस्ताव नियम 171 के तहत श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा किसानों पर बढ़ रहे कर्ज बारे दिया गया है। यह विषय इस सत्र के अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार स्पष्ट 15 दिनों के मानदण्ड को पूरा नहीं करता है। श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के कालेजों की सम्बद्धता और अनुदान में हिस्से बारे कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया है। इसे मैंने स्वीकार कर लिया है और इस कालिंग अटैंशन मोशन पर आज हाऊस में चर्चा करवाई जायेगी। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना को वापिस लेने बारे कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया है। यह विषय इस सत्र के अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार स्पष्ट 15 दिनों के मानदण्ड को पूरा नहीं करता है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा एम.एस.पी. को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाने के लिए उचित विधायी और प्रशासनिक उपाय करने बारे कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया है। यह विषय भी इस सत्र के अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार स्पष्ट 15 दिनों के मानदण्ड को पूरा नहीं करता है। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री जयवीर सिंह, विधायक, राव दान सिंह, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक, श्री सुभाष गांगोली, विधायक और श्री वरूण चौधरी, विधायक द्वारा सैन्य बलों के लिए केन्द्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के सम्बन्ध में नियम 77–ए के तहत अल्प अवधि चर्चा करवाने के लिए प्रस्ताव दिया गया। इसको विचारोपरान्त नामंजूर कर दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक फार्मेसी काउंसिल के बारे में हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम–73 क के परन्तुक के अनुसार नोटिस के समर्थन में कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने स्वीकृत/अस्वीकृत किये हैं उनके बारे में मैंने जानकारी दे दी है।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

नूंह के तावडु में अवैध खनन रोकने पर डी.एस.पी. की खनन माफिया द्वारा डम्पर से कुचलकर निर्मम हत्या

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से नूंह के तावडु में अवैध खनन रोकने पर डी.एस.पी. की खनन माफिया द्वारा डम्पर से कुचलकर निर्मम हत्या से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 प्राप्त हुई है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–21 जोकि श्री भारत भूषण बतरा, विधायक तथा तीन अन्य विधायकों राव दान सिंह, श्री जगबीर सिंह मलिक तथा श्री इंदू राज द्वारा दी गई है। समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री भारत भूषण बतरा, विधायक तथा एक अन्य विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–28 जो कि श्री आफताब अहमद, विधायक तथा दो अन्य विधायक श्री मामन खान तथा भारत भूषण बतरा द्वारा दी गई है। समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–28 को भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री आफताब अहमद, विधायक तथा एक अन्य विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–42 जोकि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है। समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला : धन्यवाद स्पीकर सर। सर, मैं अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने से पहले आपसे एक जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम सभी को जानकारी है कि वर्तमान सत्र मानसून सत्र है। वर्तमान मानसून सीजन में पूरे हरियाणा प्रदेश में 30 परसैंट ज्यादा बारिश हुई है और 8 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो

ज्यादा बारिश की वजह से एफैक्टिड हुए हैं जहां पर किसानों की फसलें खराब हुई हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, पहले आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला : ठीक है स्पीकर सर, मैं पहले अपनी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ लेता हूं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं नूंह के तावडू में अवैध खनन रोकने पर डी.एस.पी. की खनन माफिया द्वारा डंपर से कुचल कर निर्मम हत्या बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि दिनांक 19 जुलाई, 2022 को नूंह के तावडू में अवैध खनन रोकने गए डीएसपी की खनन माफिया ने डंपर से कुचल कर निर्मम हत्या कर दी। अवैध खनन माफिया द्वारा पुलिस पर हमला पहली बार नहीं बल्कि अनेकों बार पहले भी हो चुके है। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर की दिनदहाड़े हत्या से स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन माफिया के गुंडाराज का आतंक छाया हुआ है। वर्ष 2019 से 2022 तक खनन माफिया द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमलों की 22 घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन खनन माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने की वजह से इनके हौंसले बुलंद है। पिछले 7-8 सालों में प्रवेश में अवैध खनन के हजारों केस होने के बावजूद कोई सकारात्क कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश में अन्य जिलो जैसे फरीदाबाद, पलवल, यमुनानगर, महेन्द्रगढ़ आदि में ऐसी ही स्थिति बनीं हुई है। जनवरी 2022 में भिवानी के डाडम में खनन माफिया द्वारा पहाड़ों की कटाई ठीक न करने से 5 मौते हुई।

वैसे भी 300 फीट गहराई तक पहाड़ काटे जा चुके हैं। अवैध खनन की बढ़ती अपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

श्री अध्यक्षः अब श्री भारत भूषण बतरा अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, जब इनको क्लब कर दिया गया है तो सिर्फ पहले वाली ध्यानाकर्षण सूचना को ही पढ़ा जाता है तथा उसके बाद मंत्री जी जवाब दे देते हैं। उसके बाद माननीय सदस्य उस पर अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, इस बारे में हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 73 क्या कहता है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। रूल कहता है कि :–

"Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

***[73** (1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.*

[Provided that such notice shall contain a brief statement which may not be more than two hundred and fifty words.]

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker, ask a question;

Provided that names of not more than five members shall be combined or bracketed."

अगर माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि पहले मंत्री जी जवाब दें तो वे जवाब दे देंगे उसके बाद जिन माननीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं वे अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। जिस माननीय सदस्य ने कालिंग अटैन्शन नोटिस पढ़ा है वे सप्लीमैंट्री नहीं पूछ सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, कल भी इसी तरह का कालिंग अटैन्शन नोटिस लगा हुआ था जिस पर मंत्री जी ने जवाब दे दिया था तथा उसके बाद प्रथम हस्ताक्षरी द्वारा सप्लीमैंट्री भी पूछी गई थी इसलिए मुझे भी अपनी सप्लीमैंट्री पूछने दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, मैंने नियम पढ़ कर सुना दिया है और उसके हिसाब से उसमें आपका नाम नहीं बनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि आज तक सदन बिना ही नियमों के चलता रहा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, हो सकता है इसमें कहीं कोई गलती रही होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यही है कि गलतियां अध्यक्ष की तरफ से ही हुई हैं। क्या मैं सिर्फ यह ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, मैं समझता हूं गलती तो चेयर की तरफ से ही रही होगी लेकिन रूल तो यही कहता है कि जो सदस्य ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ता है वह सप्लीमैंट्री नहीं पूछ सकता। आपको सिर्फ अपनी सूचना पढ़नी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, लिस्ट ऑफ बिजनेस में क्या लिखा हुआ है?

श्री अध्यक्षः आफताब जी, लिस्ट ऑफ बिजनेस में क्या दिया हुआ है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार जिन्होंने नोटिस दिये हैं वे सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं तथा कॉलिंग अटैन्शन पढ़ने वाला पहला आदरणीय सदस्य सिर्फ अपना नोटिस पढ़ेगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर मैं अकेला सदस्य ध्यानाकर्षण सूचना लगाता हूं और वह मंजूर हो जाती है तो सरकार की तरफ से मंत्री जी जो भी जवाब देंगे मैं उसको सुन कर चुपचाप बैठ जाऊं, उसके ऊपर क्या मैं कोई सप्लीमैंट्री नहीं पूछ सकता?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर मान लीजिए मैंने अकेले ने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है तो क्या मैं उसको पढ़कर बैठ जाउंगा? उस पर मंत्री जी जो जवाब देंगे क्या मैं उसी को ही मान लूंगा, मैं उस पर सप्लीमैंट्री नहीं पूछूंगा?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, इसका प्रोविजन ही यही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, फिर इस कालिंग अटैंशन मोशन का क्या फायदा होगा?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, कालिंग अटैंशन का मतलब यही है कि आपने सरकार का ध्यान एक जरूरी मुद्दे के ऊपर दिलाना है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आपने कालिंग अटैंशन मोशन में दो शर्तें लगा दी। एक तो आप कहते हैं उसमें 250 शब्द से ज्यादा नहीं लिख सकते और अब आपकह रहे हैं इस पर सप्लीमैंट्री भी नहीं पूछ सकते।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, ये कानून अपने समय में आपने ही बनाए थे। ये कानून न मैंने पास किये हैं और न ही सरकार ने बनाए हैं। ये कानून तो बहुत पहले के समय से चले आ रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आज तक यही परम्परा रही है कि कालिंग अटैंशन मोशन पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं और आप इस परम्परा को एक मिनट में खत्म कर देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, जो परम्परा ठीक हो सकती है उसको हम ठीक करेंगे।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, लिस्ट ऑफ बिजनेस में कालिंग अटैंशन मोशन के जवाब में आपने दिया हुआ है कि two Hon'ble Members may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice.

श्री अध्यक्ष : इसके लिए मैं कब मना कर रहा हूं।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष जी, आप यही तो कह रहे हैं कि सप्लीमैंट्री नहीं पूछनी।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है उसके लिए सप्लीमैंट्री पूछने का कोई भी प्रोविजन इसके अन्दर नहीं है। जिस सदस्य ने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है उससे अलग जो दूसरे मैंबर्स जिनका नाम इसमें है वे उस पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, अगर मैं अकेला एक कालिंग अटैंशन मोशन देता हूं और कोई दूसरा सदस्य नहीं देता है और जो मैंने अपना नोटिस पढ़ा उसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया तो क्या मैं मंत्री जी से दोबारा सप्लीमैंट्री नहीं पूछूंगा?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, इसमें सप्लीमैंट्री पूछने का प्रोविजन ही नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, यह तो हद ही हो गई। आज तक तो इस विधान सभा में सप्लीमैंट्री पूछते आए हैं। क्या आज आप नई परम्परा डाल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, सप्लीमैंट्री पूछने का प्रोविजन ही नहीं है। पहले तो बहुत कुछ चलता आया है इसलिए आप पहले की बात तो छोड़ दीजिए। (शोर)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आप उस रूल को चेंज कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, ये रूल्ज आपने ही बनाए हुए हैं। जब आप स्पीकर थे उस समय आपने ही ये रूल्ज बनाए हुए हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आपकी रूल्ज कमेटी है आप इसको रूल्ज कमेटी को रैफर करके उसमें चेंज करवा दीजिए क्योंकि पार्लियामैंट में भी यही रिवायत है/प्रेसीडैंट है कि कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ा जाता है और उसके बाद रिप्लाई दिया जाता है तथा उसके बाद जो भी उसमें हस्ताक्षरी होते हैं वे सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, वह ठीक है। अगर आप कहते हैं तो रिप्लाई पहले करवा देते हैं या बाद में इक्ट्ठा करवा देते हैं। जैसे आपकी इच्छा।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, अगर आपने कालिंग अटेंशन मोशन क्लब किये हैं और मैटर सेम है तो उस स्थिति में पढ़ा भी जा सकता है और नहीं भी पढ़ा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अगर आप चाहें तो जो अभय सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है उसका जवाब मंत्री जी दे दें। अगर नहीं तो पहले आप प्रश्न पूछ लीजिए फिर मंत्री जी इक्ट्ठा जवाब दे देंगे। जैसा आपको ठीक लगता हो वैसे कर लीजिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, अभय जी का जो प्रश्न है या क्यूरीज हैं हो सकता वे मंत्री जी की रिप्लाई में आ जाएं फिर इनको सप्लीमैंट्री पूछने की जरूरत ही न पड़े इसलिए आप मंत्री जी का रिप्लाई पहले करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी का रिप्लाई पहले करवा देते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, पिछले सैशन में भी ऐसा ही एक विषय आया था। आप पिछली प्रोसिडिंग्ज निकलवाकर देख लें कि कौन से सैशन में ऐसा विषय

आया था। उसमें आपने यही कॉन्टीन्यू करवाया था। आप इस परम्परा को क्यों बदल रहे हो? आप इसको पुराने पैटर्न पर चलने दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने as per the provisions of the Act and Rules वही पढ़कर के सुनाया है। मैं तो एक्ट के मुताबिक कह रहा हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, अगर सवाल पूछने का किसी का राईट है तो इस बात को आप मानते क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, ये जो बुक है वह हमारे लिए गाइडलाईन है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आप ये बताइये कि कालिंग अटैंशन मोशन पर सप्लीमैंट्री पूछने का हक बनता है या नहीं बनता है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछने का हक तो बनता है, बनता क्यों नहीं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इसमें सप्लीमैंट्री का प्रोविजन नहीं है लेकिन पार्लियामैंट में यह है कि मंत्री जी जो जवाब देते हैं उसके संदर्भ में सदस्य क्लैरिफिकेशन मांग सकता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी के जवाब के बाद सदस्य क्लैरिफिकेशन मांग लेंगे। पहले मंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी ज्वायंट रिप्लाई देंगे तो उससे पहले श्री अभय सिंह जी अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप ही ने कहा है कि पहले मंत्री जी का रिप्लाई ले लीजिए। हुड्डा साहब, आप सभी एक बार तय कर लें कि मंत्री जी से इक्ट्ठा जवाब लेना है या नहीं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अभय जी ने तथा बतरा जी ने जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी हैं, इन दोनों के कंटेंट्स अलग–अलग हैं इसलिए इन्हें अलग–अलग अपनी ध्यानाकर्षण सूचनाओं को पढ़ने दिया जाये।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, कंटेंट्स अलग–अलग नहीं है। इनमें जो विषय है, वह एक ही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, विषय एक ही है लेकिन कंटेंट्स अलग–अलग हैं। अगर मंत्री जी को दोनों का अलग–अलग जवाब देना है तो अभय सिंह जी ने तो अपनी सूचना पढ़ ली है। उस पर मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे और बाद में बतरा जी अपनी सूचना पढ़ लेंगे और इसके बाद मंत्री जी उनका जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्षः देखिए, अगर माननीय सदस्यों की कोई क्वैरी होगी तो मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, बात सवाल–जवाब का नहीं है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा जी, मुझे कोई आब्जैक्शन नहीं है। जवाब पहले दिया जाये या बाद में दिया जाये लेकिन बात को समझने की ज्यादा जरूरत है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपना जवाब लिखकर भेज रखा है बावजूद इसके यदि मंत्री जी कल की तरह गृह मंत्री की तर्ज पर लिखकर भेजे गए जवाब को सदन में पढ़कर अगर समय वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें।

श्री अध्यक्षः अभय जी, टाइम वेस्ट की बात आप नहीं कह सकते हैं। मंत्री जी गवर्नमैंट की तरफ से रिप्लाई कर रहे हैं। यह क्या बात हुई कि आपका कहा हुआ सब ठीक और गवर्नमैंट जो बोलती है वह सब गलत है। यह तो कोई बात नहीं हुई ?

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, कल गृह मंत्री जी ने सदन में लिखित रूप से आए जवाब को पढ़कर 40 मिनट इस बात पर वेस्ट किए कि कांग्रेस के समय में अपराध कैसा था और इनके राज में अपराध कैसा है। यहां पर तुलना थोड़े ही करनी है ? यहां पर विधायकों का जो इशू था केवल उसी पर चर्चा करनी है।

श्री अध्यक्षः अभय जी, मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं पहले वह सुन लीजिए। अगर आप इक्ट्ठा ही जवाब सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित अपना–अपना प्रश्न पूछ लिजिए।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं अपना सप्लीमैंट्री पूछ लेता हूँ।

श्री अध्यक्षः देखिए, आप अपने स्तर पर तय कर लो कि आप लोगों ने मंत्री जी से इक्ट्ठा रिप्लाई लेना है या फिर पहले प्रश्न पूछने हैं ?

श्री भारत भूषण बतराः स्पीकर सर, अगर मंत्री जी ज्वॉयंट रिप्लाई दे रहे हैं तो इस ध्यानाकर्षण नोटिस पर जो सिगनेटरी मैम्बर्ज हैं, जिनको आपने अलाउ किया है वे पहले अपना कालिंग अटैंशन पढ़ लेंगे उसके बाद मंत्री जी का जवाब आ जायेगा। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सप्लीमैंट्री पूछ ली जायेगी।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, इसमें सप्लीमैंट्री है ही कहां ?

श्री भारत भूषण बतराः स्पीकर सर, सप्लीमैंट्री से मेरा मतलब सप्लीमैंट्री क्वैश्चन से है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप सब कुछ जानते हैं। ध्यानकर्षण नोटिस पर जो पहला सिगनेटरी होता है उसने प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा तथा पांचवा सिगनेटरी प्रश्न पूछ सकता है। बतरा जी, मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप प्रश्न पूछिए। इसके बाद मंत्री जी इक्ट्ठा जवाब दे देंगे। अगर आप लोग चाहते

हैं कि अभय सिंह जी का जवाब पहले दे दिया जाये तो आप अभय सिंह के बाद बोल लेना।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं मंत्री से अपनी ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में दोबारा से कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता ?

श्री अध्यक्षः अभय जी, आप सवाल पूछ सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अगर पूछ सकता हूँ तो मुझे पहले बोलने दें।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, बतरा जी आप अपनी बात रखें।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, on a point of order. The Rule 73 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly says:-

> "(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker, ask a question;

इसके बाद लिखा है किः–

> Explanation- (i) Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only and he alone shall be allowed to read the notice."

श्री अध्यक्षः बतरा जी, ये न पढ़ो। इससे पहले जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ो।

श्री बतराः ठीक है, मैं उसको भी पढ़ देता हूँ।

> “Provided that names of not more than five members shall be combined or bracketed.”
>
> यह तो ठीक है, इसके बाद मैं फिर से पहले बोले हुए को पढ़ना चाहूंगा जोकि इस प्रकार हैः–

"Explanation- (i) Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only and he alone shall be allowed to read the notice."

There is no bar in Rule 73 to read the notice and ask a question. So, I may be allowed to read the notice and ask a question. "

अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है कि नोटिस भी पढ़ा जा सकता है और प्रश्न भी पूछा जा सकता है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए ना, आपको किसने रोका है।

श्री भारत भूषण बतराः स्पीकर सर, सबसे पहले मुझे अपना ध्यानाकर्षण सूचना को तो पढ़ने दिया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 21

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ सलंग्न

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं, राव दान सिंह, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक एवं श्री इन्दुराज, विधायक प्रदेश में नूहं और तावडू की पहाड़ियों में अवैध खनन और भ्रष्टाचार बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की और दिलाना चाहते है कि डाडम खनन घोटाले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि प्रदेश में नूंह और तावडू की पहाड़ियों में अवैध खनन ने सारे प्रदेश को भ्रष्टाचार में लपेट दिया। खनन घोटाला, खनन माफिया, अधिकारी खनन विभाग, हरियाणा पुलिस व राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। हालात इतने बिगड़ गये है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की को पत्थरों के डम्पर के नीचे रौंद डाला गया और उसकी मृत्यु हो गई है। कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है । प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । खनन घोटाले में पर्ची व खर्ची की सरकार चलती है। पर्यावरण की धज्जियां उड़ रही हैं। सरकारी सरंक्षण में अरवाली की पहाड़ियों को खनन माफिया खा गया। सरकार हमेशा मूकदर्शक बनी रही। Zero Tolerance towards corruption के नारे खोखले साबित हो रहे है। जहां पर खनन निषेध है उस एरिया में खनन कैसे हो रहा है? सरकार भ्रष्टाचार

की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्यगण मांग करते है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के समक्ष स्पष्टीकरण दें।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ सलंग्न

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं, श्री मम्मन खान, विधायक एवं श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक नूंह जिले में अवैध खनन के मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा जे.सी.बी.-ट्रक-डम्पर और बेगुनाह लोगों को हिरासत में लेने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि हरियाणा प्रदेश में अवैध खनन बहुत जिलों में प्रतिबन्धित होने के बावजूद भी खुले आम जारी है। अभी एक ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की दुखद मौत हो गई। दोषी पकड़े गए हैं। अन्य जिलों में भी अवैध खनन की घटनाएं होती है। लेकिन जिस तरीके से नूंह जिले में हरियाणा पुलिस ने चार दर्जन गांवों में हजारों पुलिस बल से घर-घर तलाशी की और उन घरों में से कोई मोटरसाईकिल/कार/ट्रेक्टर जो खेती में उपयोग होते है। जे.सी.बी व ट्रक डम्पर को जब्त किया व भारी चालान किए गए। बहुत से बेगुनाह लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस सारी कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जैसे दुर्भावना से ग्रस्त और एक इलाके के लोगों के खिलाफ अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाती/दर्शाती है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्यगण मांग करते है कि माननीय मुख्यमंत्री सदन के समक्ष अपना स्पष्टीकरण दें।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ सलंग्न

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा में बढते अवैध खनन, अराजकता एवं नूंह में डीएसपी की मृत्यु बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा में दिन प्रतिदिन अवैध खनन बढ़ता ही जा रहा है और अब तो अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बढ गए कि नूंह जिले के तावडू में तैनात डीएसपी सुरेंन्द्र सिंह बिश्नोई पर डंपर चढा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सरकार इस पर बताए कि अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कर रही है? इस पर स्थिति स्पष्ट करे ।

वक्तव्य–

खान तथा भू–विज्ञान मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

खान तथा भू–विज्ञान मंत्री (पण्डित मूल चन्द शर्मा) : श्री मान जी,

1. ध्यानाकर्षण नोटिस संख्या नं0 07 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा पूछा गया है वह अवैध खनन, खनन माफिया द्वारा हमला, जिसके परिणामस्वरूप 19.07.2022 को डीएसपी तावडू की मृत्यु हो गई और डाडम पत्थर की खदान में दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु और 300 फीट की गहराई तक हुए खनन से संबंधित है।

2. अवैध खनन की जांच के दौरान दिनांक 19.07.2022 को डी.एस.पी. तावडू की मृत्यु के संबंध में, डीजीपी, हरियाणा की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसारयह घटना स्थानीय व्यक्ति सब्बीर उर्फ मित्तर पुत्र इशाक व इकार उर्फ इकराम पुत्र सादिक जो मंगल उर्फ मुस्ताक के लिए मकान बनाने के लिए अवैध रूप से खनन किया गया पत्थर ले जा रहे थे द्वारा की गयी है। किया गया है। पुलिस विभाग के वरिष्ठअधिकारियों (डीजीपी सहित) और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों की निगरानी में तुरंत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

3. जहां तक जिला नूंह में अवैध खनन का संबंध है, यहकहा जाता है कि जिला नूंह के अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में खनन गतिविधियां माननीय सर्वोच्चन्यायालय के आदेश के अनुसार मई/दिसंबर, 2002 से बंद पड़ी हैं और मामला निर्णय के लिएलंबितहै। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षतामें जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो अवैध खनन को रोकने और उचितकार्यवाही के लिए है। पुलिस अधीक्षक, हरियाणा राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाईविभाग और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी डीएलटीएफ के सदस्य हैं। डीएलटीएफ कीकार्यवाही की रिपोर्ट की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय टास्कफोर्स कमेटी द्वारा समय-समय पर की जाती है।

4. राज्य में यद्यपि कोई संगठित अवैधखनन गतिविधि नहीं है परन्तु अवैध खनन की छिटपुट घटनाएं ही सामने आ रही हैं, जिन परकानून के अनुसार सख्ती सेकार्यवाही की जा रही है। हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिजों का भंडारण और परिवहन, और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 (राज्य नियम, 2012) मेंअवैध खनन के मामलों से निपटने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और दंड लगाया जाता है। पुलिसविभाग ने अवैध खनन के मामलों की प्रभावी और त्वरित जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है।

5. अवैध खनन में जब्त किये जाने वाले वाहनों को राज्यनियम 2012 के अनुसार खनन विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने के अलावा माननीय एनजीटी द्वारापरिभाषित पर्यावरण क्षतिपूर्ति के कारण जुर्माना देना पड़ता है। अगस्त, 2019 से जून, 2022 तक गुरुग्राम व नूंह, फरीदाबाद, यमुना नगर और महेन्द्रगढ़ जिलों में विशेष रूपसे निपटाए गए अवैध खनन के मामलों का विवरण निम्नानुसार हैः -

क्र0सं0	जिला	**30.06.2022** तक सीज कियेगये कुल वाहनों की संख्या	सुपरदारीके बाद छोडे गये वाहन	अपील में छोडे गये वाहन	वसूल की गई जुर्माने की राशि
1.	फरीदाबाद/ पलवल	832	1	582	13,09,64,809
2.	यमुनानगर	1329	170	579	17,87,86,522
3.	गुरूग्राम एवं नूह	1106	542	540	12,66,47,280
4.	महेन्द्रगढ़/ नारनौल	854	0	643	16,73,34,774
	कुल	4121	713	2344	60,37,33,385

6. इसके अलावा, अवैध खनन के मामलों का विवरण और पुलिस विभाग द्वारा पिछले 08 वर्षों के दौरान राज्य में अवैध खनन के सम्बन्ध में दर्ज की गई एफआईआर निम्नानुसार हैः-

<u>अवैध खनन से संबंधित दर्ज मामलों की संख्या</u>

क्र0 सं0	वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	जब्त किये वाहनों की संख्या	मामलों की स्थिति			
					पीसी	यूटी	यूआई	रद्द
1.	2014	758	1151	694	703	30	0	25
2.	2015	457	698	352	442	7	0	8
3.	2016	169	278	144	145	16	0	8
4.	2017	559	905	482	482	48	0	29
5.	2018	460	683	385	389	36	4	31
6.	2019	452	604	323	362	34	6	50
7.	2020	305	359	853	202	24	38	41
8.	2021	1054	1078	1121	633	35	322	64
9.	2022 (till 31, July)	450	335	299	184	12	245	9
Total		**4664**	**6091**	**4653**	**3542**	**242**	**615**	**265**

7. पुलिस कर्मियों पर हमले से संबंधित मामले (ड्यूटी पर रहते हुए)

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या	पुलिस कर्मियों की संख्या	
			घायल	मृतक
2019	10	33	6	0
2020	31	88	29	0
2021	25	78	13	0
2022	13	28	12	1
Total	**79**	**227**	**60**	**1**

8. ध्यानाकर्षण नोटिस संख्या 28 जिसे स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 के साथ भी जोड़ा गया है, दिनांक 19.07.2022 की घटना के बाद पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं कार्य से संबंधित है।

9. इस संबंध में, हरियाणा के डीजीपी ने बताया है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, जिसमें डीएसपी, तावडू की मृत्यु हो गई, तुरंत एक आपराधिक मामला {एफआईआर सं0 309/22 यू0/एस0 302, 307, 333, 353, 186, 120बी, 379, 188, 506 आईपीसी, 21(4) ए माइनिंग एंड मिनरल एक्ट, 3 (2) पीडीपीपी एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट दिनांक 19.07.2022}, दर्ज किया गया और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (डीजीपी सहित) ने पूरे प्रकरण की निगरानी की। मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

10. अवैध खनन एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में विशेष रूप से संलिप्त अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिससे ऐसी घटना दोबारा न हो। तदानुसार एक खुफिया-आधारित घेराबन्दी और तलाशी अभियान 20 जुलाई 2022 से पांच दिनों के लिए जिला नूंह के 33 गांवों में पुलिस एवं खनन विभाग के अधिकारियों को शामिल करके टीम द्वारा चलाया गया।

11. उक्त कार्यवाही के दौरान अवैध खनन में शामिल संदिग्ध चोरी वाहन और वाहन की जांच के अलावा घोषित अपराधियों, जमानतदारों के साथ-साथ जघन्य मामलों में शामिल आरोपियों की तलाशी ली गयी।

12. घेराबंदी और तलाशी अभियान के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि लक्षित गांवों के लिए बुनियादी मानदंड अवैध खनन गतिविधियों में शामिल खुफिया जानकारी पर आधारित थे। स्थानीय निवासियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए सुबह के समय तलाशी अभियान चलाया गया और स्थानीय लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के लिए पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाया गया। स्थानीय पुलिस को आज तक किसी भी ग्रामीण के उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि तीन शिकायतें (02 शिकायतें तृतीय पक्ष शिकायतकर्ता द्वारा- 01 ट्विटर हैंडल के माध्यम से और 01 मेल के माध्यम से और एक शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा एस.पी., नूंह कार्यालय में हाथ से दी गई है) घेराबंदी और तलाशी अभियान के संदर्भ में दायर की गई है।

13. उपरोक्त सभी तीन शिकायतों की जांच की गई और इन शिकायतों में लगाए गए आरोपो को पुख्ता सबूतों के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया जा सका और इसलिए योग्यता से रहित होने के कारण इनका निपटारा किया गया।

14. जहां तक डाडम पत्थर की खदान का संबंध है, यह कहा जाता है कि 01.01.2022 को हुई दुर्घटना के बाद, जिसमें पहाड़ी की चोटी से एक चट्टान के अचानक गिरने से 05 लोगों की मृत्यु हो गई, उपायुक्त, भिवानी द्वारा तुरंत बचाव अभियान चलाया गया तथा मृतक के रिश्तेदार की शिकायत पर प्राथमिकी क्रमांक 03 दर्ज की गई।

15. यह मामला दो अलग-अलग आवेदनों यानि ओ0ए0 नंबर 169/2020और ओ0ए0 नंबर 01/2022 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष भी विचाराधीन है। पूर्व ओ0ए0 में, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री प्रीतम पाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, ने माननीय एनजीटी के समक्ष अपनी रिपोर्ट दायर की है।

16. उपरोक्त दोनों रिपोर्टें माननीय एनजीटी, नई दिल्ली के समक्ष निर्णय/विचार के लिए लंबित हैं और स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें राज्य के सभी संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही शामिल है, को भी माननीय एनजीटी के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यह मामला अब 24.08.2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

17. अवैध खनन की रोकथाम और अवैध खनन के मामलों में सख्ती से निपटने के लिए खान और भू-विज्ञान विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है और यदि आवश्यक हो तो मौजूदा राज्य नियमों में सख्त प्रावधान करने के लिए उपयुक्त संशोधन लाया जाएगा ताकि राज्य में अवैध खनन की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। खान और भू-विज्ञान विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठा रहा है ताकि खनन कार्यों को परिभाषित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जा सके। जैसे कि खनन कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। अतः यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाती है।

18. यह सुनिश्चित किया जाता है कि हरियाणा राज्य अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि राज्य के किसी भी हिस्से में कोई अवैध खनन न हो और यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि राज्य में कोई खनन माफिया फल-फूल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट पूर्व की सरकार की भी है और हमारी सरकार के समय की भी है। बार–बार आरोप एक ही लगता है कि खनन की तरफ सबसे ज्यादा विधायकों का ध्यान होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008–09 की रिपोर्ट की बात करूंगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। वर्ष 2008–09 में 615 केसिज दर्ज हुए थे, 44 एफ.आई.आर. दर्ज हुई थीं और 50.62 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। वर्ष 2009–10 में 1937 केसिज दर्ज हुए थे, 88 एफ.आई.आरज. दर्ज हुई थीं और 135.15 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। इसी तरह से वर्ष 2010–11 में 1270 केसिज दर्ज हुए थे, 107 एफ.आई.आर. दर्ज हुई थीं और 146.78 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। इसी तरह से वर्ष 2011–12 में 1588 केसिज दर्ज हुए थे, 117 एफ.आई.आर. दर्ज हुई थीं और 263.33 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। इसी तरह से वर्ष 2012–13 में 2564 केसिज दर्ज हुए थे, 122 एफ.आई.आर. दर्ज हुई थीं और 163.31 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। इसी तरह से वर्ष 2013–14 में 4548 केसिज दर्ज हुए थे, 148 एफ.आई.आर. दर्ज हुई थीं और 991.59 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। इसी तरह से वर्ष 2014–15 में 5333 केसिज दर्ज हुए थे, 245 एफ.आई.आर. दर्ज हुई थीं और 1422.46 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं वर्षवार ब्यौरा की बात करूं तो वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2014 में 17855 केसिज दर्ज हुए थे और 3173.24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसी तरह से वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2022 में 17359 केसिज दर्ज हुए थे और 15437.54 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। हमने इस तरह से माईनिंग रोकने के भरसक प्रयास किये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, अगर माननीय मंत्री जी गलत फिगर्ज बोल रहे हैं तो आप बीच में टीका टिप्पणी कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह हमारी विधान सभा की चर्चा है और विधान सभा की चर्चा में लोकतांत्रिक व्यवस्था यह है कि जब भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो हमेशा तुलना की जाती है। सरकार कभी किसी पार्टी की और कभी किसी पार्टी की होती है लेकिन एक तरफा तो खुले आरोप लगाये जाते हैं कि यह चौपट हो गया, यह सब बर्बाद हो गया। इन चीजों को नकारने के लिए हमें तुलना कभी न कभी तो करनी पड़ेगी। अगर तुलना करनी पड़ेगी तो चौपट उस समय भी था और चौपट आज भी है। इस बारे में हमें आखिर बताना तो पड़ेगा इसलिए हमें ये सब हिसाब किताब लगाने पड़ेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, जो माननीय मंत्री जी ने रिपोर्ट्स का हवाला दिया है उसको रिप्लाई में भी लिखा जाना चाहिए जबकि यह बात रिप्लाई में नहीं लिखी है। It is not a part of reply.

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, यह बात रिप्लाई में है और रिप्लाई के अलावा यह विषय चर्चा में भी आयेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, हरियाणा प्रदेश में कोर्ट के आदेश से माईनिंग बंद थी।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा जी को रैवेन्यू का आंकड़ा बताना चाहता हूं और इसे मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं। इनकी सरकार के समय 2005 से लेकर 2014 तक 1267 करोड़ रुपये रैवेन्यू आया था, यह 9 सालों का हिसाब है। यानी प्रति वर्ष 130 करोड़ रुपये आये, चूंकि वर्ष 2014–15 तो इन्हीं की सरकार के समय का माना जाएगा क्योंकि इसकी आक्शन इन्हीं की सरकार के समय में हो चुकी थी। हमारी सरकार तो नवम्बर, 2014 में बनी

थी। इसके बाद वर्ष 2015–16 ऑनवर्डस से लेकर वर्ष 2021–22 तक 7 साल हो जाते हैं और हमारी सरकार के इन 7 वर्षों में 4660 करोड़ रुपये रैवेन्यू आया है।

श्री जगबीर मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका मतलब यह हुआ कि इनके समय में इल्लीगल माइनिंग ज्यादा थी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इल्लीगल माइनिंग तो इनके समय ज्यादा थी, क्योंकि हमारी सरकार ने रैवेन्यू ज्यादा कमाया है। इनकी सरकार के समय में एक साल के रैवेन्यू की एवरेज 130 करोड़ थी और बाकी माइनिंग इल्लीगल चल रही थी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें उस समय माइनिंग बंद थी। तब सरकार को इतनी ज्यादा आमदनी कहां से हुई? अगर आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ी है तो प्रदेश पर इतना ज्यादा कर्जा क्यों है?

श्री मनोहर लालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रदेश पर कोई कर्जा नहीं है। यह मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर अवसर आयेगा तब भी बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो

लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं,
जिनके खुद के खाते खराब हैं वह मेरा हिसाब लिए फिरते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की जनता सरकार से पूछ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे की बात न करें।

जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे।
मैं कितनी बार लूटा हूं, मुझे हिसाब तो दे।

अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा प्रदेश को लूट लिया गया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय,

महफिल में जो हमारी दाद देने से कतराते हैं

सुना है तन्हाइयों में वो हमारी शायरी गुनगुनाते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी, ठीक कह रहे हैं मैंने सुना है वे अपने घर बैठकर हमारी शायरी गुनगुनाते हैं। मैंने इनके बारे में सुना है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य अभय सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछें। मेरी आपसे यह विनती है कि आप डिबेट न करें, केवल प्रश्न ही पूछें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय आप यह बता दें कि प्रश्न कौन सा होता है और डिबेट कौन सी होती है?

श्री अध्यक्षः अभय जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कोई बात गलत है तो उस पर आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं बातों के बारे में पूछना चाहता हूं कि रिप्लाई में क्या–क्या गलतियां हैं?

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, 19 जुलाई, 2022 को नूहं के तावडू क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा डी.एस.पी. के ऊपर डंपर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। (विघ्न) इसमें अगली बात है कि ऐसे मामले में जहां गलती होती है मैं आपके माध्यम से वहीं बात कहना और पूछना चाहूंगा, जिससे आप भी सहमत होंगे। प्रदेश में जहां कहीं भी खनन का काम चलता है वहां क्रशर लगे होते हैं उन क्रशरों के साथ हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी गाड़ी उस इलाके में प्रवेश नहीं कर सकती। किसी इलाके में कोई भी गाड़ी तभी प्रवेश करेगी जब उसकी किसी स्टोन क्रशर वाले के साथ रजिस्ट्रेशन होगी। कोई भी चालक सम्बंधित स्टोन क्रशर से पर्ची कटवाकर माल निकाल कर लेकर जायेगा। यह इसकी

एक कानूनन प्रक्रिया है। यह जो गाड़ी पकड़ी गई थी यानि जो डम्पर पकड़ा गया जब उसके चालक को पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि वह कौन से स्टोन क्रशर के साथ काम करता था। अगर पुलिस यह पता करती कि वह डम्पर कौन से स्टोन क्रशर के साथ जुड़ा हुआ था तो फिर माफिया का भी पता चलता कि वह कितने चक्कर रोजाना लगाता था, कितना माल निकालकर वह लेकर जाता था और वह माल किसके माध्यम से जा रहा था? वहां के पुलिस कप्तान की जो स्टेटमैंट है वह आप भी देखें वह स्टेटमैंट 14 मई, 2022 की है। इस मामले में एस.पी. का यह कहना है कि घटना से जुड़े हुए डम्पर का किसी भी स्टोन क्रशर के साथ सप्लाई का लिंक नहीं है। अगर लिंक ही नहीं है तो फिर वह वहां गया कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस एरिया के अंदर आपके बैरियर हैं और पुलिस चौंकियां भी है। वहां पर सभी कुछ बना हुआ है। इतने सब के बावजूद वह कैसे गया? इसका मतलब तो यही हुआ कि वहां पर जो पुलिस चौंकियां और पुलिस बैरियर हैं वे इनके साथ मिले हुए हैं और वही लोग इस काम को वहां पर बढ़ावा दे रहे हैं। वही लोग इस काम को करवा रहे हैं। इसका सीधा–सीधा मतलब तो यही निकलता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो नूंह का क्षेत्र है पिछले 4 साल से अर्थात् वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक पुलिस के साथ यह ऐसी पहली घटना नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक यह 22वीं घटना थी। इससे पहले 21 बार इस किस्म की घटनाएं घट चुकी थी और उसके साथ–साथ वहां पर जो दो एस.डी.एम. थे जब वे दोनों एस.डी.एम. भी उस अवैध खनन को रोकने के लिए गए तो उन दोनों एस.डी.एम. के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास किया गया। जब इतनी दफा घटनाएं घट गई तो सरकार का खनन विभाग कहां पर सोया हुआ था और कहां पर राज्य का पुलिस बल सोया हुआ था। समय रहते क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की और क्यों नहीं वहां पर सख्ती की गई। उसी का नतीजा

है कि हमें अपने एक वरिष्ठ और काबिल पुलिस अधिकारी को खोना पड़ा। इस प्रकार की घटनायें 1, 2, 4 या 6 नहीं हैं। अध्यक्ष जी, उनके बारे में मैं आपको अलग–अलग डिस्ट्रिक्टवाईज जानकारी दे देता हूं। 10 दिसम्बर, 2020 को जींद में अवैध खनन को रोकने गए सिंचाई विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। उस टीम पर हमला होने के उपरांत तो सरकार को कम से कम इस मामले पर ध्यान देना चाहिए था और इस प्रकार की अवैध माईनिंग प्रदेश में जहां–जहां पर भी हो रही थी उसको रोकने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी सख्त कार्यवाही करनी चाहिए थी। उसके बाद 13 फरवरी, 2021 फरीदाबाद के छांयसा थाना इलाके के अंदर अवैध खनन माफिया द्वारा पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। जिसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गये। उसके बाद 17 मार्च, 2021 को सोनीपत में खनन माफिया द्वारा स्पैशल इनफोर्समैंट टीम पर जानलेवा हमला किया गया। उसी दौरान एक सिपाही को पीट–पीट कर घायल किया गया और ए.एस.आई. रविन्द्र कुमार की वर्दी फाड़ दी गई। सरकार को इस घटना से भी सबक लेना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, इस मामले में जो भी डिटेल आपके पास है उसे आप मंत्री जी को दे दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, क्या मैं यहां पर यह नहीं पूछ सकता कि जब प्रदेश में इस प्रकार की घटनायें घट रही थी तो उस समय सरकार और पुलिस बल क्या कर रहे थे? उसके बाद 09 दिसम्बर, 2021 को अम्बाला के नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर अवैध खनन माफिया ने खनन विभाग की टीम के ऊपर भी हमला किया। सरकार ने उस घटना से भी कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद भिवानी के डाडम क्षेत्र में पत्थर के अवैध खनन दौरान 6 व्यक्तियों की मौत हो गई और 10 से 15 लोग आज भी लापता हैं। जो 6 लोग उस हादसे में मरे थे उसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए थी जबकि उनको बचाने का

काम किया गया। उस मामले में छोटे–मोटे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके उन माफिया के लोगों को बचाया गया और उसी का नतीजा यह है कि हरियाणा पुलिस के एक डी.एस.पी. को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी तरह से 15 मार्च, 2022 को यमुना नगर में आर.टी.ए. विभाग द्वारा ट्रक को पकड़ने की कार्यवाही के दौरान एक आर.टी.ए. विभाग के अधिकारी को दुर्घटना में जिंदा जलना पड़ा यानि उस अधिकारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। सरकार ने इस घटना से भी कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद 19 जुलाई, 2022 को नूंह में घटना घटी। इस प्रकार से दिसम्बर, 2020 से मार्च, 2022 के बीच हरियाणा में खनन सम्बन्धी घटनाओं में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई। सरकार को इससे समय रहते सबक लेना चाहिए था। मंत्री जी ने अपने जवाब के पैरा नम्बर 04 में यह लिखा है कि राज्य में यद्यपि कोई संगठित और अवैध खनन गतिविधियां नहीं हैं परन्तु अवैध खनन की छुटपुट घटनायें सामने आ रही हैं। मंत्री जी ने अपने जवाब के पैरा नं. 5 में लिखा हुआ है कि आपने वर्ष 2019 से 2022 तक 5 जिलों में अवैध खनन का काम करने वाले 4121 वाहन पकड़े हैं। विभाग ने अवैध खनन का काम करने वाले इतने वाहन पकड़ लिए हैं और मंत्री जी इसको छुटपुट घटना बताते हैं। इन्हीं छुटपुट घटनाओं का अंजाम यह हुआ कि आपके डी.एस.पी. को अपनी जान गंवानी पड़ी और विभाग की वजह से आगे न जाने कितने लोगों को मरना पड़ेगा। इसी प्रकार से पैरा नं. 6 में आपने लिखा है कि हमने 1054 लोगों के खिलाफ अवैध खनन के मुकदमे दर्ज करवाये हुये हैं लेकिन इतने मामले दर्ज करके भी मंत्री जी कह रहे हैं कि यह छुटपुट घटना है। इसी तरह से आपके जवाब के पैरा नं. 8 में विभाग ने स्वयं यह लिखा है कि अवैध खनन से निपटने के लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 8 साल से विभाग तैयारी ही कर रहा है लेकिन हुआ कुछ नहीं है और इसी का नतीजा यह हुआ कि आपका एक डी.एस.पी. उसका शिकार हो गया। अब भी विभाग यही कह रहा है कि हम

अवैध खनन को रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विभाग की आंखें अब खुली हैं जब एक डी.एस.पी. इसका शिकार हो गया। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि आज भी मंत्री जी कह रहे हैं कि हम अवैध खनन को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप हाउस को आश्वस्त कीजिए कि आगे से इस तरह का अवैध खनन करने वालों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई को अंजाम देंगे। यह जो अवैध खनन हो रहा है यह विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है। आज प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया जा रहा है। अपनी गलती को दूसरों पर डालने की कोशिश की जा रही है। जब हम सवाल पूछते हैं तो सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। जब हम रजिस्ट्री घोटाले के बारे में पूछते हैं, धान घोटाले के बारे में पूछते हैं या शराब घोटाले के बारे में पूछते हैं तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है। इसी प्रकार से अब अवैध खनन के बारे में भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अगर सरकार के पास जवाब ही नहीं है तो फिर सदस्यों को यहां हाउस में क्यों बुलाया जाता है? दो–तीन दिन का सैशन करके सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है तथा हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब तो देती है और वह एक ही जवाब होता है कि एस.आई.टी. का गठन कर दिया है। उस एस.आई.टी. की न ही तो रिपोर्ट आती है और न ही कोई बड़ा आदमी गिरफ्तार होता है। जितने भी घोटाले इस सरकार में हुए हैं सरकार ने किसी का जवाब नहीं दिया है और केवल एस.आई.टी. का गठन किया है। एस.आई.टी. की नई परिभाषा बना दी है सिटिंग इनवैस्टिगेशन ऑन दा टेबल। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bharat Bhushan Batra : Thank you Speaker Sir, when there is an order of Supreme Court that there is prohibition of mining in the Aravalli

Hills, then how these crushers are being run? क्रशर में जो डम्पर जाते हैं वह किस कैपेस्टी में जाते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूं। इसका एक खता बना हुआ है कि कितने पैसे कहां पर और किसको देने हैं। पुलिस को कितने पैसे देने हैं तथा खनन अधिकारी को कितने पैसे देने हैं? मैं उस फिगर में नहीं जाना चाहता कि किसको कितने पैसे मिलते हैं लेकिन यह अखबार में पूरी डिटेल के साथ दिया गया था कि किसको कितने पैसे दिये जाते हैं। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि एक डम्पर कितने का आता है तथा कितने का बिकता है। पैसे मिलने के बाद उसकी एंट्री होती है और वे उसकी पर्ची भी देते हैं तथा हर जगह पर वही पर्ची दिखाई जाती है ताकि उसको आगे कोई न रोके। जब ब्लास्टिंग होती है तो इसकी सूचना पुलिस ऑफिसर के पास भी होती है और खनन अधिकारी के पास भी होती है कि रात को वहां पर ब्लास्टिंग होनी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कोई शिकायत कर देता है तो उसको कुछ अमाउंट देकर समझौता करके मामला खत्म कर दिया जाता है। इस बारे में माननीय मंत्री जी का अखबारों में ब्यान आया था कि अवैध खनन रोकने के लिए सरपंचों की जिम्मेदारी लगाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या अवैध खनन को रोकना सरपंच की जिम्मेदारी है? There is a statement made by the Minister in an exclusive interview in the newspaper 'English Tribune' in which the Minister has said that the officer including the Sarpanch will be responsible. क्या मंत्री जी किसी भी स्टोन क्रशर का रिकॉर्ड सदन के सामने दिखा सकते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर या माइनिंग ऑफिसर ने कभी किसी माइन्ज में चैकिंग की हो? अगर कोई डम्पर पकड़ा जाता है तो वह बताता है कि राजस्थान से आया है और लाया जाता है वहीं से 4 किलोमीटर दूर से और वह 15 हजार रुपये देकर चला जाता है। उसके बाद उसको पर्ची दे दी जाती है और वह दिखा कर चला जाता है। वहां पर जो भी

बिजनैस करता है वह कहता है कि हम 50–60 लाख रुपये महीने का बिजनैस करते हैं। उनका यही बिजनैस है और कोई बिजनैस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से कोई पत्थर नहीं आता है। आप वहां इस बात के लिए रिस्ट्रिक्शन पुट क्यों नहीं करते कि इतने बड़े अरावली एरिया के अन्दर स्टोन क्रशर्स कब क्या कर रहे हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए 20 साल से बेन किया हुआ है तो वह किस परपज के लिए वहां पर काम कर रहा हैं? आपने जीरो टॉलरेंस की बात तो बता दी लेकिन यहां पर हर एक डिपार्टमैंट का लिंक है कि एक–एक डिपार्टमैंट को कितने–कितने पैसे जाते हैं, किस हिसाब से पैसे जाते हैं, अल्टीमेटली वह ट्रक कितने पैसे का बिकता है। वह सब कुछ वहां पर साफ हो जाता है। उसके लिए रिकॉर्ड क्यों नहीं चैक हो सकता? माइनिंग ऑफिसर वहां जाकर रिकॉर्ड चैक क्यों नहीं करता कि आज स्टॉक में कितना स्टोन कहां से आया है उसकी वे पर्ची चैक करें और उसके ऊपर वह हस्ताक्षर करें और उसको पुलिस डी.एस.पी. व इंस्पैक्टर अथोराईज करे।

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी गाड़ी बिना ई–रवन्ना के खनन से बाहर नहीं निकलती है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, ई–रवन्ना तो तब होता है जब गाड़ी बाहर निकलती है लेकिन जब गाड़ी अन्दर आती है तो उसका रिकॉर्ड कहां है कि माल कहां से आया है? क्या आप राजस्थान से सामान लाकर उसको सप्लाई करेंगे ? जब 100 किलोमीटर दूर से पत्थर आएगा तो आप उसको जस्टिफाई तो करेंगे?

पंडित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब कोई माल आता है और बाहर निकलता है तो वह बिना ई–रवन्ना के नहीं निकलता। कोई भी क्रशर बिना परमीशन व बिना पॉल्यूशन क्लीयरैंस के नहीं चलता है। पूरे मेवात में सभी क्रशर्स प्रमिटिड हैं। कोई भी क्रशर बिना परमीशन के नहीं चलता है। आप इन आंकड़ों को देखिये। ये सरकार के प्रयास ही तो हैं। जब हमने प्रयास किया, मुकदमें दर्ज किये तभी तो रेवैन्यू

कलैक्शन हुआ है। आप अपना सात साल पहले का रेवैन्यू कलैक्शन देख लें और अब का रेवैन्यू कलैक्शन देख लें।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने यह कहा कि judicial inquiry is in process. Where is that judicial inquiry? It is a statement of the Home Minister that it is under judicial process. इस बात के लिए ब्यान न दिया हो तो आप बात कीजिए।

गुह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैंने यह ब्यान दिया हुआ है। इस संबंध में मैंने डिपार्टमैंट को भी लिखकर दिया हुआ है कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए।

Shri Bharat Bhushan Batra : Sir, why the Hon'ble Chief Minister is not passing any order for a judicial inquiry? Appoint any retired Sessions Judge or a retired Judge from the High Court for the inquiry. एक्चुअली पर्यावरण की धज्जियां उड़ रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसका यह हुआ, उसका यह हुआ लेकिन खनन माफिया मिली भगत से पिछले आठ सालों में सारी अरावली को खा गया। सारे पर्यावरण का भट्ठा बैठ गया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में शोर मचता है, एन.जी.टी. शोर मचाती है। उसके बाद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। Why the protection is given by the Government? Why there is protection of the officers? Why there is protection of the Mining Officers and why the protection of the politicians also?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों के सुझाव अच्छे हैं लेकिन जब इम्प्लीमैंटेशन होती है, उस समय ट्रेड के लोग, इंडस्ट्रीज के लोग, जनरल पब्लिक और हमारे सदन के सभी साथी सदस्यों की जो रिप्रजैंटेशंज होती हैं वे मैंने सुनी हैं। मैं आपको नूंह का ही उदाहरण देता हूं जिसका हमारे तीन विधायकों ने जिक्र किया है। इन्होंने कहां कि वहां पर माईनिंग बन्द है लेकिन राजस्थान से माईनिंग का जो

मैटीरियल आता है उसकी क्रशिंग के लिए तो उन क्रशर्ज को चलने दीजिए। उधर बतरा जी कह रहे हैं कि राजस्थान से कोई मैटीरियल नहीं आता है। मैं बताना चाहता हूं कि वे क्रशर्ज रजिस्टर्ड क्रशर्ज हैं और रजिस्टर्ड क्रशर्ज की जब चैकिंग की गई तो वहां उनका जो इन रजिस्टर और फिजिकल स्टॉक है उसमें बहुत बड़ा अन्तर मिला है। हमने यमुनानगर में चैक करवाया है जितने उनके एम.डी.एल्स. के स्टोर्ज हैं वहां का स्टॉक और डॉक्यूमैंट्री स्टॉक में बहुत बड़ा अन्तर है। उन सभी को उन्होंने फाइन किया है। वहां पर जिस प्रकार से ये बिजनैस चलता है उसको रोकने के लिए हर गाड़ी के साथ या इस तरह का काम करने वाले आदमी के साथ पुलिस वाले तो उतने खड़े नहीं हो सकते हैं। वहां गार्ड्ज भी खड़े होते हैं। जहां हमने पुलिस लगाई हुई है वे उनको भी पकड़ते हैं और वाहनों को भी पकड़ते हैं। ये सब हम करते हैं लेकिन जैसे ये समगलिंग टाईप मामला होता है जैसे नार्कोटिक्स के मामले को भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। माइन्स के मामले में इतने सारे केसिज होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ट्रक वाले या बाकी कोई चोरी नहीं करते हैं। हमने ऑवरलोडिड वाहनों के चालान भी बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि हम तो वाहनों को ऑवरलोड नहीं करते। हम तो मोटर व्हीकल्ज एक्ट के अन्दर जितना पैरामीटर दिया हुआ है उसके हिसाब से ही चलाते हैं। लेकिन राजस्थान के सारे ओवरलोड ट्रक आते हैं उनका मैटीरियल यहां ज्यादा वायेबल हो जाता है और हमारा मैटीरियल वायेबल नहीं रहता, इसलिए ऐसी अवस्था में महंगाई तो बढ़ेगी ही। अल्टीमेटली हमको उनको भी देखना है कि उनका क्या किया जाये। इन सबको रोकने के लिए अब हमने कुछ दिन पहले ही माइनिंग डिपार्टमैंट को कहा है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक पी.एल. आई. डालकर कम से कम आस पास के जितने स्टेट्स हैं, वहां पर तो इस चीज को लागू करें। अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे पुलिस के बहुत अच्छे आफिसर्ज को इस काम में लगाया है। उन्होंने खूब चालान करने शुरू किए तो ये सारे माइन्ज वाले भी और

गाड़ियों वाले भी सबके सब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन लेकर आ गए। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इस प्रकार की सभी चीजों का तालमेल बिठाने के लिए कई बार नियम सख्त भी करने पड़ते हैं। उसका असर क्या जाता है, आस पास के स्टेट में क्या चल रहा है, यह सब कुछ भी देखना पड़ता है। ई–रवन्ना अर्थात जहां से सोर्स है वहां से ई–रवन्ना जैनरेट होता है। हमने ऐसे–ऐसे क्रशर भी पकड़े हैं जहां पर अंडमान निकोबार, गोवा व त्रिपुरा तक का ई–रवन्ना के तहत मैटीरियल लाकर दिखाया गया है। हमने उनको पकड़ने का काम किया और तय किया कि आस पास की स्टेट्स का ई–रवन्ना तो मान्य हो सकता है लेकिन अगर कोई मैटीरियल दो स्टेट पार करके लाया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का किराया ही इतना ज्यादा हो जाता है कि मैटीरियल का रेट यहां पर वायेबल नहीं रह जायेगा। अतः आस पास की स्टेट्स अर्थात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पंजाब का ई–रवन्ना तो मान्य हो सकता है लेकिन कोई यहां से हजार किलोमीटर या दो हजार किलोमीटर दूर से गाड़ी भरकर मैटीरियल लायेगा तो वह वायेबल नहीं माना जायेगा। अतः सरकार द्वारा इस तरह की चीजों पर अंकुश लगाने के लिए तमाम प्रकार कार्रवाई की जा रही हैं। बावजूद इसके आज जो सुझाव आये हैं और उनमें जो महत्वपूर्ण व अच्छे बिंदु हैं, उनको सबको मानकर और माइनिंग के विषय में आगे भी लगातार काम करते हुए हर समय चौकस रहने की जरूरत होगी। अध्यक्ष महोदय, यदि हम एक बार कोई नियम बना दें और उसके बाद सब चौकस हो जाये, अमूमन ऐसा नहीं होता। इस तरह के विषय में लगातार सुधार करने की आवश्यकता होती है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, सदन में ई–रवन्ना पर्ची की बात तो की जा रही है लेकिन इसका भी इल्लीगल माइनिंग का एक सिस्टम बन चुका है। जब भी कोई ट्रक मैटीरियल लेकर जाता है तो उसके पास ई–रवन्ना पर्ची के साथ साथ अन्य दूसरी पर्चियां जैसेकि माइन्स डिपार्टमैंट और पुलिस डिपार्टमैंट की भी पर्चियां

होती हैं और वे उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन को भी काइंडली चैक किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अरावली हिल्ज 10000 हैक्टेयर के अंदर फैला हुआ है और वहां पर केवल 55 अधिकारी/कर्मचारी ही काम कर रहे है। How can only 55 officers/officials cover such a big area ? मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि यहां पर पुलिस डिपार्टमैंट या फिर अन्य डिपार्टमैंट से अधिकारियों/कर्मचारियों को डैपुटेशन पर लिया जाये। 55 आफिशियल्ज नीचे से लेकर उपर तक है और 10000 हैक्टेयर अरावली हिल्ज का एरिया है। यदि ये अधिकारी/कर्मचारी इतने बड़े एरिया को चैक भी करना चाहेंगे तो भी यह पोसिबल नहीं होगा। कोई रात को दो बजे माइनिंग का काम करेगा, कोई चार बजे करेगा या कोई दस बजे करेगा, आखिरकार ये 55 आदमी कहां– कहां पर जायेंगे? अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरा आखिरी सवाल यह है कि हाल ही में जो एक डी.एस.पी. की डैथ हुई this D.S.P. has been mowed down by the dumper जिसकी वजह से उसकी डैथ हो गई थी। बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने पीड़ित परिवार को कंपनसेशन देने का काम किया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, डी.एसी.पी. रैंक का वह एक सीनियर आफिसर था। उस डैथ के मामले में 11 लोग पकड़े गए बावजूद इसके आज तक पता नहीं चला कि इस सारे घटनाक्रम का सोर्स क्या था and there was a statement by the Senior Police officer कि इन 11 लोगों से पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार इस सारे घटनाक्रम का सोर्स कहां से है। अध्यक्ष महोदय, माइनिंग के काम के लिए जे.सी.बी. भी चलती है, रात को डायनामाईट से धमाके भी किए जाते है और न जाने क्या–क्या होता है लेकिन बावजूद इसके स्रोत का पता न चल सके, यह बड़ी अजीब बात है। जे.सी.बी. से गाड़ी भरी जा रही थी। आखिरकार वह कहां जा रही थी। 11 आदमी पकड़ने के बाद भी पुलिस इंवैस्टीगेशन के बाद एक भी सोर्स का पता नहीं

लगा सकी कि कौन से क्रशर पर यह सामान जा रहा था। मैं बस यही बात कहना चाह रहा था, अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में एस.आई.टी. का गठन किया गया है। 11 लोग पकड़े गए हैं और हमने तो जो लोग पहले भाग गए थे और छिप गए थे उनको भी राजस्थान में जाकर पकड़ने का काम किया है। एस.आई.टी. शब्द आपने दिया या हमने दिया यह मायने नहीं रखता। आप लोगों ने भी कभी अपने समय में एस.आई.टी. बनाई ही होगी ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सरकार के कार्यकाल में न जाने कितने ही मामलो में एस.आई.टी. गठित की गई है लेकिन क्या उनकी रिपोर्ट कभी सामने आ पाई ? कोरोना से कितनी डैथ हुई, कैसे हुई, कहां हुई उस पर भी जो एस.आई.टी. गठित की गई थी, क्या उसकी रिपोर्ट आई ? कम से कम हमें एक रिपोर्ट तो दिखा दी जाये। हमें कम से कम इतना तो दिखा दिया जाये कि आप लोगों ने जो एस. आई.टी. बनाई थी, उसकी यह रिपोर्ट आई है। इस इशु पर भी आपने एस.आई.टी. गठित की थी, क्या उसकी कोई रिपोर्ट आई ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सारी की सारी रिपोर्ट ज्युडिशियल कस्टडी में हैं। संबंधित विषय के संदर्भ में 10 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं और अगर डिपार्टमैंटल एक्शन लेना हैं तो उसके लिए टाइम तो चाहिए ही होगा। यह 22 जुलाई की घटना है। अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ है, महज 18 दिन ही हुए हैं। इतने दिन में सारी चीजें जल्दी से जल्दी बाहर निकलकर आ जायें, ऐसा नहीं होता है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, इस मामले की ज्युडिशियल इंक्वायरी करवाई जाये तो हम सब सैटिसफाई हो जायेंगे। इस पूरे मामले की एक सीनियर ज्युडिशियल आफिसर से इंक्वायरी करवाई जाये।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 5 दिनों से गाड़ियों को पकड़ने की एक जबरदस्त अभियान शुरू किया था। उस अभियान में भी बहुत से लोगों को ऐतराज हुआ है कि इन गाड़ियों को क्यों पकड़ा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो दोषी लोग थे केवल उन्हीं को गिरफ्तार किया था। जिन गाड़ियों में कमी थी अर्थात् जिनका नम्बर नहीं था, आर.सी. नहीं थी या आर.सी. होते हुए भी गाड़ी का नम्बर उतार रखा था, केवल उन्हीं गाड़ियों को पकड़ा। संबंधित जिले के तीनों विधायक भी मेरे से मिलने आये थे, अगर कोई निर्दोष आदमी पकड़ा गया तो उसको जांच–पड़ताल करके छोड़ेंगे और पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लेंगे और जो पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी अच्छा काम करेंगे उनकी पीठ भी थपथपायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोसैस में हमारे पुलिस के लोग और अन्य लोग भी लगातार काम पर लगे हुए हैं। फिर भी हम इस संबंध में जो भी अच्छे सुझाव निकलकर सामने आयेंगे उनको मानने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं भी इस संबंध में एक सुझाव यह देना चाहता हूँ कि जो भी गाड़ी इल्लीगल माइनिंग के सामान के लिये पकड़ी जाती है, वह गाड़ी जब्त होनी चाहिये। वह गाड़ी संबंधित मालिक को वापिस नहीं होनी चाहिये। हमें इस प्रकार का कोई ना कोई कानून जरूर बनाना चाहिये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको यह कहता हूँ कि आप इस मैटर की ज्युडिशियल इन्क्वॉयरी करने का सुझाव सदन के नेता को दें। (शोर एवं व्यवधान) ज्युडिशियल इन्क्वॉयरी के माध्यम से सरकार के बहुत बड़े–बड़े मगरमच्छ जाल में फंस सकते हैं। जब तक ज्युडिशियल इन्क्वॉयरी नहीं होगी तब तक पर्यावरण,

एन.जी.टी. और लोगों को इस दूषित हवा से छुटकारा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस संबंध में ज्युडिशियल इन्क्वॉयरी का सुझाव सरकार को देंगे तो यह आपके लिये ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में ज्युडिशियल इन्क्वॉयरी के लिये लिखकर दिया हुआ है। प्रदेश के गृह सचिव रिटायर्ड होने की वजह से जरूर इस प्रोसैस में डिले हुआ है। अब नए गृह सचिव ने अपना पदभार सम्भाल लिया है और इस प्रोसैस को आगे बढ़ायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि हम ज्युडिशियल इन्क्वॉयरी करवायेंगे। (इस समय सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह कहना चाहता हूँ कि मैंने इस संबंध में विपक्ष के माननीय सदस्यों के प्रश्न सुने हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के सदस्यगण कार्रवाई चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि सरकार कार्रवाई करती है तो विपक्ष के माननीय सदस्यगण ऐतराज करना शुरू कर देते हैं। (विघ्न) विपक्ष के माननीय सदस्यगण कहना शुरू कर देते हैं कि सरकार ने सभी गाड़ियां पकड़नी व उनकी चैकिंग करनी शुरू कर दी है। इस प्रकार से सरकार कैसे आगे कार्रवाई कंटीन्यू कर सकती है। हमने कहा है कि जितनी भी बिना नम्बर की गाड़ियां हैं उन सबको जब्त कर लो, यब बात मैंने संबंधित स्थान के लिये नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिये कही है। अध्यक्ष महोदय, जितना भी इस संबंध में क्राइम हो रहा है वह बिना नम्बर की गाड़ियों के माध्यम से ही हो रहा है। अवैध रूप से चल रही गाड़ियों से क्राइम हो रहा है। क्या सदन को इसमें कोई ऐतराज है?

आवाजेंः अध्यक्ष महोदय, हमें कोई ऐतराज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग का इस संबंध में एक डी.एस.पी. शहीद हो गया है, क्या हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? हम कार्रवाई जरूर से जरूर करेंगे।

क्या हम अपने पुलिस वालों को ऐसे ही मरने देंगे? अध्यक्ष महोदय, हमें जो अवैध गाड़ियां वहां से मिली हैं, हम उनकी भी जांच कर रहे हैं। कितनी गाड़ियों के ऑरिजनल मालिक हैं और कितनी चोरी की हुई हैं, सबकी जांच करेंगे। जो ऑरिजनल मालिक होंगे उनको उनकी गाड़ी वापिस कर देंगे और जो चोरी की गाड़ियां होंगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों को इसमें भी ऐतराज है।

आवाजें: अध्यक्ष महोदय, हमें कोई ऐतराज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, सदन हाउस की प्रोसीडिंग्ज निकाल कर देखे तो पता लगेगा कि कितने विधायकों ने यह कहा कि इतनी पुलिस वहां पर तैनात कर रखी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में यही कहना है कि हम इतने पुलिस वालों की तैनाती क्यों न करे, क्योंकि वहां पर मेरे विभाग का एक डी.एस.पी. शहीद हो गया है। मैं जरूर से जरूर कार्रवाई करूंगा। क्या इस संबंध में कार्रवाई नहीं होनी चाहिये?

आवाजें: अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई जरूर होनी चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग का डी.एस.पी. शहीद हुआ है, इसलिए मैं किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं छोडूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम dead end to dead end तक जांच करते हैं। हमारी इन्क्वॉयरी वहां तक भी पहुँची है जिस क्रशर तक माल जाता था। विपक्ष के सदस्यगण हमारी इन्क्वॉयरी पर भी आवाज उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इस संबंध में किसी भी दोषी आदमी को नहीं छोड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, यह कार्रवाई कब तक पूरी हो जायेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, हर चीज के लिए टाइम की एक लिमिट तो होती ही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण के मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। अरावली श्रृंखला में सारे पहाड़ खोद दिये गये हैं । मैं इस पर सरकार को अच्छा सुझाव देना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, ऐसे तो सदन में एक ही विषय उठाया जाएगा और बाकी चीजों पर डिस्कशन हो ही नहीं पाएगी । माननीय सदस्य सारी बातें कह चुके हैं । अब कोई बात बाकी नहीं रही है, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठिये ।

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, अरावली श्रृंखला 12 हजार एकड़ भू–भाग में फैली हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि अरावली श्रृंखला कोई आज तो पैदा नहीं हुई है । वह तो बहुत पुराने समय से है । हमने तो अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए काम किया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने अरावली श्रृंखला के लिए क्या किया था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार थी तो प्रश्नों के जवाब हम देते थे । अब जब प्रदेश में भाजपा–जजपा की सरकार है तो अब जवाब सत्ता पक्ष देगा ।

श्री रणजीत सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के जवाब में बताया गया है कि यह एक stray incident है और इसमें कोई खास बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर पिछले साल 1054 एफ.आई.आरज. दर्ज हुई थी और इस साल भी लगभग 450 एफ.आई.आरज. दर्ज हो चुकी हैं । ऐसे में क्या यह एक stray incident है ? अतः सरकार का जवाब ही अपने आप में कंट्राडिक्ट्री है । मेरा प्रश्न है कि इस मामले में अब तक कितने व्यक्तियों को सजा हुई है ? इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक कितने लीज होल्ड्र्स पर केस दर्ज हुआ है? यमुनानगर के एक गांव के 5–6 लड़के यमुना नदी में डूबकर मर गए । इससे

पता चलता है कि नदी में भी माइनिंग कितनी गहराई तक की जा चुकी है । सरकार बताये कि नदी में अवैध माइनिंग की वजह से कितने लोग डूबकर मर चुके हैं ? हमें माननीय मंत्री जी बतायें कि अरावली की पहाड़ियों में कितने नये फार्म हाउसिज बने हैं और कितने फार्म हाउसिज पर कार्रवाई की जा चुकी है ? सरकार हमें बताये कि माइनिंग की वजह से अरावली में कितना वन क्षेत्र कम हो चुका है ? सरकार हमें इसकी सारी डिटेल दे । अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि गुरूग्राम और फरीदाबाद तो गैस चैम्बर बन चुके हैं । इसकी वजह से जमीनें बंजर होती जा रही हैं ।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी अपनी बात रखेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जस्टिस श्री प्रीतम पाल जी की रिपोर्ट भी आ चुकी है।

पंडित मूलचंद शर्माः मलिक साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमने जो विषय कॉलिंग अटैंशन मोशन के माध्यम से उठाया है, उसमें एक बड़ी दुखःद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक पुलिस अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद पुलिस ऑफिशियल्ज ने 5 दिनों में संबंधित एरिया के 33 गांवों में जाकर कार्रवाई की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह माइनिंग ऐसे ही नहीं होती है क्योंकि इसके लिए बती– बारूद, कम्प्रैशर, जे.सी.बी. मशीन के अलावा मजदूरों और पत्थर ले जाने के लिए व्हीकल्ज की भी आश्यकता होती है। उन 33 गांवों में कार्रवाई के दौरान 2 कम्प्रैशर पकड़े गये हैं। एक कम्प्रैशर की मशीन जे.सी. बी. के साथ पकड़ी गयी है। इनके अलावा बाकी मोटर साईकिल्ज पकड़ी गयी हैं।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई में कह दिया था कि इल्लीगल व्हीकल्ज को ही पकड़ा गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पूरे प्रदेश में बिना नम्बर्ज वाले व्हीकल्ज को ही इम्पाउंड किया गया है, इसलिए उन्हीं बातों को बार–बार दोहराकर सदन का समय बर्बाद करना ठीक नहीं है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, अगर वहां के लोगों में से किसी ने आवाज उठायी और यह कहा कि पुलिस पैसे लेकर काम करती है और पूरा सिस्टम पैसे लेता है तो इस संबंध में 23 तारीख को तावडू में एक 14 नम्बर एफ.आई.आर. दर्ज हुई। यह एफ.आई.आर. क्यों दर्ज हुई ? "आज तक" चैनल के कोरैसपौंडैंस में उन लोगों ने ऑन रिकार्ड यह कहा था कि हम इतने पैसों में इतनी गाड़ियों को निकलवाते हैं, इसलिए उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ इल्जाम लगता है कि वे इल्लीगल काम करवाते हैं तो सरकार ने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही बात पूछना चाहता हूं। क्या सरकार किसी चीज के लिए संबंधित 33 गांवों में पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई करवाकर खौफ पैदा करना चाहती है ? अगर कोई दोषी है तो उसको पकड़ लें। हम इसके लिए रोक नहीं रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी यही कहा था कि हम अवैध खनन के खिलाफ हैं और दोषियों को पकड़ा जाए, लेकिन निर्दोष लोगों को न पकड़ा जाए। इसके लिए जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों में खौफ पैदा हो। यह भी कहने की बात है कि लोगों से मोटर साईकिल्ज के भी 25,000– 30,000 रुपये के चालान वसूले गये हैं।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी अपनी बात रखेंगे।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा कहना यह है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना है कि मुझे अपनी बात रखते समय डिस्टर्ब न किया जाए। यह बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है और मैं 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्षः मामन जी, जिन माननीय सदस्यों का कॉलिंग अटैंशन मोशन आया हुआ है, उन्हीं को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, इस कॉलिंग अटैंशन मोशन में माननीय सदस्य का भी नाम है, इसलिए इनको भी बात रखने के लिए मौका दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, पहले 5 सिग्नेटरीज से ज्यादा को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ अन्याय न किया जाए। मुझे भी अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्षः मामन जी, इसमें पहले 5 सिग्नेटरीज से ज्यादा को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार से तो इस पर शाम तक डिस्कशन ही होता रहेगा।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः मामन जी, आज आपको सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया था। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी अपनी बात रखेंगे।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट दोनों एक चीज से जुड़े हुए हैं। इसमें बात अवैध माइनिंग की होती है, लेकिन यह तब रूकेगी जब वैध चालू होगी। घर/मकान बनाने के लिए पत्थर भी चाहिए और सस्ती निर्माण सामग्री भी चाहिए। अरावली के दर्द के बारे में सबने कहा है, इसलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं

कहूंगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र/दैनिक जागरण में अरावली के दर्द के नाम से 5 स्टोरीज आयी थी। इसके बारे में माननीय मंत्री जी को सब मालूम है क्योंकि छठी स्टोरी माननीय मंत्री जी के समय में हुई है। इस छठी स्टोरी में माननीय मंत्री जी का खुद का एरिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बार– बार क्यों कह रहा हूं क्योंकि दोनों क्रशर्ज जोन मेरी विधान सभा में हैं जोकि पाली और धौज में हैं। यह लाखों लोगों के रोजगार का मुद्दा भी है। किसी ने अपने खेत बेचकर क्रशर्ज लिये और किसी ने ट्रक लिये हैं। वे लोग वैध काम करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान से ट्रक भरकर आते हैं या ई– रवन्ना द्वारा यहां से आते हैं या वहां से आते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्टर ओवरलोडिंग नहीं करना चाहता है क्योंकि उससे उसकी भी गाड़ी टूटती है। परन्तु जब पिक एंड चूज हो जाता है और एक फंसता है और दूसरा छूटता है तो फिर वह कहता है कि मैं भी ओवरलोड गाड़ी चलाउंगा। मैं पिछले दिनों माननीय मंत्री जी से मिला था तो मैंने माननीय मंत्री जी को भी सुझाव दिया था और अधिकारियों को भी कहा था कि कानून की किताब के अनुसार गाड़ियों पर नम्बर हैं या नहीं है, स्पीड गवर्नर हैं या नहीं हैं, वेट कार्ड हैं या नहीं हैं, गाड़ियों की बॉडी उठी हुई हैं नीची है या टेढी हैं। इन सभी बातों को मिलाकर हरियाणा प्रदेश में 4, 5 या 6 प्वॉयंट फिक्स कर लो कि जो कोई भी माल जिस गाड़ी में आयेगा उस गाड़ी को इन सभी प्वॉयंट्स से क्लीयर कराना संभव बनवाया जाये। अगर इन प्वॉयंटस को पूरे किए बिना कोई ट्रक आ रहा है तो उसको बिल्कुल इल्लीगल माना जाये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इनको जब्त भी करो। जब इन प्वॉयंट्स को ड्यूटी पर तैनात अधिकारी द्वारा चैक कर लिया जाये कि भाई तेरी सारी चीजें ओके है तो फिर उस गाड़ी को आगे जाने दिया जाये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस गाड़ी को रास्ते में कहीं भी रोका जाये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से पत्थर लेकर ट्रक चलता है वह रेवाड़ी में, नूंह में और पलवल में वैध है। मंत्री जी हमारे

शहर से आते हैं। हमें इन पर संशय नहीं करना चाहिए। ये बढ़िया माईनिंग चला रहे हैं। हरियाणा की चैकिंग कराते हैं और साथ में यू.पी. की भी चैकिंग कराते हैं परन्तु वह ट्रक यहां आते–आते अवैध हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बात यह है कि आप अपनी अध्यक्षता में इसकी कमेटी बनाये। यह मुद्दा बहुत सेंसटिव है। हमें सांसें भी चाहिए और लोगों को रोजगार भी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा कि आप माईनिंग बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। मैंने विधान सभा सत्र में दिनांक 27.02.2020 को 58 नम्बर प्रश्न लगाया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का ही जवाब बता रहा हूं। आप भले ही मुझे उस कमेटी में बुला लें क्योंकि माईनिंग भी मेरी विधान सभा की है। इससे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वहां के हालात खराब थे। वहां पर माईनिंग चालू थी लेकिन हमारे मन में अरावली का भी दर्द उठता है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी के घर में ऑल्टो कार आती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिये।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि बार–बार यह बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने माईनिंग बंद कर रखी है। यह केस एम.सी. मेहता वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया का है। यह केस Delhi Ridge Management Board की तरफ से चला था। यह केस चलते–चलते कई जगहों पर आ गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सरकार को जो दिशा निर्देश गये थे वे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। खनन पट्टे अनुबंध देने के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रिया को अनुसूचित करे। अरावली पुनर्वास निधि की स्थापना करें। जिला फरीदाबाद के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिये

गये फैसले के अनुसार निगरानी कमेटी का गठन करें। दूसरा जिला फरीदाबाद सहित पलवल में निर्माण सामग्री के खनन के लिए 600 हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान करें। तीसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है और जो सभी सदस्य बात कर रहे थे। पूर्व में खनन की गतिविधियों की वजह से हुए नुकसान की बहाली और पुनर्वास के लिए यह योजना तैयार करे। हालांकि माननीय मंत्री जी ने काम पूरा होने के लिए टाइम बाउंड किया था परन्तु काम पूरा नहीं हुआ। मेरा इस संबंध में माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह कार्य 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाये और जिला फरीदाबाद व गुरुग्राम में सभी प्रमुख खनिजों को लाईसैंस दिया जाये। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह दिशा निर्देश है। अब कोई इसको आधा गिलास भरा कहता है तो कोई इसको पूरा गिलास भरा कहता है। मुझे इस बात का जवाब सदन में मिला है। मैंने इसके लिए हमारे ए.जी. महोदय की माननीय मंत्री जी से भी बात करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में काफी सालों से केस लग भी नहीं पाया है। यह चीज लीगल है कि यह बात कहना बहुत आसान है कि अवैध खनन बंद हो गई। अवैध खनन में पैसा भी बहुत है परन्तु अवैध खनन तो तब बंद होगी जब सरकार वैध खनन चालू करेगी। अध्यक्ष महोदय, मान लो, मुझे मकान बनाना है और मुझे इसके लिए पत्थर भी चाहिए। मैं लालच में आकर अवैध पत्थर खरीद रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं चोरी का पत्थर खरीद रहा हूं जबकि मुझे इस बात का पता होगा कि सरकारी पत्थर भी सेम रेट में मिल रहा है। आज क्रशर वालों का क्या कसूर है? धौज में सरकार ने क्रशर की जमीनें बेचीं हैं। आज हर क्रशर जोन बंद पड़ा हुआ है। उनके घर में रोजी रोटी के लाले पड़े हुए है क्या उनके बारे में कोई सोच रहा है? पाली के अंदर क्रशर जोन है। क्या उनके बारे में कोई सोच रहा है? सरकार इसके लिए कोई नीति बनाये कि भाई हमने आपको कोई चीज बेची है, आपने प्राईवेट बिल्डर से यह चीज नहीं

खरीदी है। हरियाणा सरकार से यह चीज खरीदी है। मैं यह बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अमित सिहाग, विधायक और श्री शीशपाल सिंह केहरवाला, विधायक ने सिरसा जिले में पशुओं में लम्पी स्किन बीमारी के कारण सैंकड़ों की तादाद में गोवंश की मृत्यु के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45 प्राप्त हुई है। जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है तथा चर्चा के समय श्री शीशपाल सिंह, विधायक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री अमित सिहाग, विधायक अपनी सूचना पढ़ेंगे।

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो चर्चा चल रही है मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप भी और पूरा सदन इस चर्चा को सुन रहा है। सदन में कल से ही एक विषय को लेकर डिस्कशन चल रही है कि अवैध माईनिंग को रोका जाये और माफियाओं को गिरफ्तार किया जाये। यह बिलकुल सही बात है कि अवैध गाड़ियों को रोका जाए, लेकिन मैं इसके साथ माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी की इस बात का समर्थन करना चाहूंगा कि अवैध माइनिंग को रोका जाये, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनको वैध माईनिंग का रास्ता भी दिखाया जाये। आज पत्थर एक ऐसी आवश्यकता हो गयी है कि हर आदमी को इसकी जरूरत पड़ती है चाहे वह रोड़ी के रूप में पड़ रही हो, चाहे पत्थर के रूप में पड़ रही हो या चाहे वह डस्ट के रूप में पड़ रही हो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा लेकिन इससे पहले मैं पूरे सदन से माफी मांगता हूं कि यह जो बात हो रही है कि हमारे स्वर्गीय सुरेन्द्र सिंह, डी.एस.पी. की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु को किसी ने भी अच्छा नहीं माना था और मैं समझता हूं कि वह अच्छी बात भी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, अगर वह मेरा बेटा होता तो मुझे भी इस बात का दर्द होता। उसकी मृत्यु का दर्द उसके मां–बाप को भी हुआ, उसके पड़ोसियों को भी हुआ और हमारे पूरे प्रदेश को उसकी मृत्यु का दुःख है। जो इल्लीगल माइनिंग को अच्छा भी

मानते हैं उनको भी उसकी मृत्यु का दर्द हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन यहां पर जो यह बात बार–बार आ रही है कि मेवात में आतंकी हमला हो गया और मेवात के लोगों ने उन पर गाड़ियां चढ़ाकर मार दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं कि उनको मारा नहीं गया था। वहां पर डी.एस.पी. साहब जब चैंकिग के लिए गये थे तब वह गाड़ी भरी हुई थी और डी.एस.पी. साहब पीछे से उस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, यह सही बात है।

श्री अध्यक्षः इलियास जी, आप फिर उसी विषय पर अपनी बात करने लग गये हैं।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मेवात की बात बताना चाहूंगा कि जब सिपाही किसी गाड़ी को हाथ देता है तो लोग सिपाही के डर के मारे भाग जाते हैं। जब ड्राइवर डंपर को भगाने की कोशिश कर रहा था तब डी.एस.पी. ने खिड़की से उसका हाथ पकड़ा तो ड्राइवर घबरा गया और उसने डंपर को खाली कर दिया जिससे पत्थर उनके सर पर पड़ गया। यह बहुत ही दर्दनाक घटना थी और बहुत ही बुरी बात थी, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी, की राय से भी सहमत हूं और आखिर में आपसे एक गुजारिश करता हूं कि इस घटना की इन्क्वायरी करवाई जाये और जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम किया जाये।

श्री अध्यक्षः इलियास जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए प्लीज आप बैठ जाये।

मोहम्मद इलियासः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक–दो मिनट में समाप्त कर दूंगा इसलिए मुझे बोलने का मौका दीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा। मैं भी डाडम भिवानी जिले में गया था और मंत्री जी का बयान आया था कि इस केस की जांच के लिए एस.आई.टी. गठित कर दी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस मामले में एस.आई.टी. की रिपोर्ट आई है? मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस केस की जांच एस.आई.टी कर रही है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट आयेगी। कितने दिन हो गये एस.आई.टी को बैठे हुए, इसकी रिपोर्ट कब आयेगी? हमें भी इस बात का पता होना चाहिए क्योंकि सदन की कार्यवाही चल रही है। जबकि इस केस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि this is case of high reference. एस.आई.टी. की रिपोर्ट का हमें पता होना चाहिए? जब एस.आई.टी. गठित हो गई है तो उसकी रिपोर्ट भी एक तय सीमा के अन्दर आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्या इस सम्बन्ध में गठित एस.आई.टी. की रिपोर्ट की कोई समय सीमा माननीय सम्बन्धित मंत्री जी ने निर्धारित की हुई है?

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, अब आप बैठें। अब दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव टेकअप होगा।

(II)

सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के कारण सैकड़ों की तादाद में गौवंश की मृत्यु बारे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अमित सिहाग, विधायक और श्री शीशपाल सिंह केहरवाला, विधायक से सिरसा जिले में पशुओं में लम्पी स्किन बीमारी के कारण सैकड़ों की तादाद में गोवंश की मृत्यु के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45 प्राप्त हुई है। जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है तथा चर्चा के समय श्री शीशपाल सिंह केहरवाला, विधायक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री अमित सिहाग, विधायक अपनी सूचना पढ़ेंगे।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय मैं और श्री शीश पाल सिंह केहरवाला सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के कारण सैंकड़ों की तादाद में गौवंश की मृत्यु बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि सिरसा जिले में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी तेजी से फैल रही है। गौशालाओं, नंदीशालाओं में रह रहे गौवंश को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है और इस बीमारी के कारण सैंकड़ों की तादाद में गौवंश की मृत्यु हो चुकी है। पूरे सिरसा जिले में पशु चिकित्सकों की भारी कमी होने के चलते पशुओं को उपयुक्त उपचार नहीं मिल रहा। अतः इस बीमारी के कारण पैदा हुए मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार जनहित इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

वक्तव्य –

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, लंपी स्किन बीमारी (एलएसडी) एक वायरल रोग है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** यह वायरस पॉक्स परिवार का है। लंपी स्किन बीमारी मूल रूप से अफ्रीकी बीमारी है और अधिकांश अफ्रीकी देशों में है। माना जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत जाम्बिया देश में हुई थी, जहां से यह दक्षिण अफ्रीका में फैल गई। 2012 के बाद से यह तेजी से फैली है, हालांकि हाल ही में रिपोर्ट किए गए मामले मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व, यूरोप, रूस, कजाकिस्तान, बांग्लादेश (2019), चीन (2019), भूटान (2020), नेपाल (2020) और भारत (अगस्त, 2021) में पाए गए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान देश में प्रमुख प्रभावित राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब हैं। हरियाणा राज्य में यह रोग अभी प्रारंभिक चरण में है और पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसके नियंत्रण और रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं।

लंपी स्किन बीमारी मुख्य रूप से गौवंश को प्रभावित करता है। यह एक गैर–जूनोटिक रोग है। एलएसडी वायरस अत्यधिक होस्ट विशिष्ट है और मुख्य रूप से गौवंश में बीमारी का कारण बनता है। देसी गौवंश की तुलना में संकर नस्ल के गौवंश में लंपी स्किन बीमारी के कारण मृत्यु दर अधिक है। इस बीमारी से पशुओं में मृत्यु दर 1 से 5 प्रतिशत है। रोग के लक्षणों में बुखार, दूध उत्पादन में कमी, त्वचा पर गांठें, नाक और आंखों से स्राव आदि शामिल हैं। रोग के प्रसार का मुख्य कारण मच्छर, मक्खी और परजीवी जैसे जीव हैं। इसके अतिरिक्त इस बीमारी का प्रसार संक्रमित पशु के नाक से स्राव, दूषित फीड और पानी से भी हो सकता है।

लंपी स्किन बीमारी के उपचार एवं रोकथाम

वायरल बीमारी होने के कारण प्रभावित पशुओं का इलाज केवल लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे बुखार के लिए दवाएं देना, सूजन–रोधी, दर्द निवारक और घावों की मरहम–पट्टी करना। बीमारी के शुरूआत में ही इलाज मिलने पर इस रोग से ग्रस्त पशु 2–3 दिन के अन्तराल में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। किसानों को मक्खियों और मच्छरों को नियंत्रित करने की सलाह दी जा रही है, जो बीमारी फैलने का प्रमुख कारक है। प्रभावित जानवरों को अन्य जानवरों से अलग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बछड़ों को संक्रमित मां का दूध उबालने के बाद बोतल के जरिए ही पिलाया जाना चाहिए।

जनस्वास्थ्य से संबंध

यह रोग गैर–जूनोटिक है यानि यह पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है, इसलिए बीमार जानवरों की देखभाल करने वाले पशुपालकों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। प्रभावित पशुओं के दूध का उबाल कर सेवन किया जा सकता है।

हरियाणा में लंपी स्किन बीमारी की स्थिति

यह रोग मुख्य रूप से गौवंश को प्रभावित करता है। राज्य में कुल 62.92 लाख गोजातीय (भैंस और गौवंश) पशुओं में से 19.32 लाख गौवंश हैं। इन गौवंश में इस बीमारी के फैलने का खतरा है। चालू वर्ष में जुलाई, 2022 के अंतिम सप्ताह में यमुनानगर जिले से एलएसडी की प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई थी। प्रभावित पशुओं की जिलेवार सूची **अनुलग्नक–क** पर है। परीक्षण के लिए एकत्र किए गए नमूनों की सूची **अनुलग्नक–ख** पर संलग्न है।

दिनांक 08.08.2022 तक कुल मामलों की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः–

क)	प्रभावित गाँवों की संख्या	:	482
ख)	प्रभावित गौवंश की संख्या	:	6135
ग)	प्रभावित भैंसों की संख्या	:	00
घ)	रोग निदान हेतु लिए गए सैंपलों की संख्या	:	161
ड़)	मृत पशुओं की संख्या	:	23
च)	लंपी स्किन बीमारी के पुष्टि हुए केसों की संख्या	:	(राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान, भोपाल द्वारा पुष्टि की जानी लम्बित है)

लंपी स्किन बीमारी का पिछला प्रकोप लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, हिसार में सितंबर, 2021 में दर्ज किया गया था, जहाँ 60 पशुओं में लंपी स्किन बीमारी फैलने का संदेह था। सैंपल लेने के बाद 12 पशुओं में एलएसडी की पुष्टि हुई, जिनमें से एक की मौत हो गई थी।

सिरसा जिले में लंपी स्किन बीमारी की स्थिति

सिरसा जिले में कुल 103 गाँव इस बीमारी से प्रभावित हैं। इन गाँवों में कुल 825 पशु प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 276 पशु इस रोग से ठीक हो चुके हैं और 19 पशुओं की मृत्यु हुई है। सिरसा जिले में कुल 135 गौशालाएं हैं, जिनमें 56743 गौवंश है। इन गौशालाओं में से 33 गौशालाएं इस रोग से प्रभावित हैं, जिनमें 400

गौवंश इस बीमारी से ग्रस्त हैं। बीमारी से ग्रस्त गौवंश की गौशाला वार सूची **अनुलग्नक–ग** पर दर्शाई गई है।

सिरसा जिले में पषु चिकित्सा संस्थाओं एवं स्टाफ की स्थिति

सिरसा जिले में 60 राजकीय पशु चिकित्सालय और 168 राजकीय पशु औषधालय हैं। जिले में पशु चिकित्सकों के 64 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 52 पद भरे हुए हैं तथा 12 पद रिक्त हैं। जिले में पशुधन विकास सहायक (वी.एल.डी.ए.) के 239 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 199 पद भरे हुए हैं तथा 40 पद रिक्त हैं।

पषुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कदम

विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः–

1) दिनांक 05.08.2022 को वैबिनार आयोजित करके सभी जिला उपनिदेशकों को इस बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निर्देश जारी करते हुए आवश्यक कदम उठाने बारे कहा गया हैं इसके अतिरिक्त सभी पशु चिकित्सको को इस बीामारी के रोकथाम के बारे में जानकारी देकर आवश्यक कदम उठाने बारे कहा गया है।
2) इस बीमारी की रोकथाम के लिए दिनांक 06.08.2022 को विभाग द्वारा एडवायजरी जारी कर दी गई थी।
3) हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा गोट पॉक्स के 5000 वैक्सीन हिसार में लगाई जा चुकी है तथा लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए गोट पोक्स वैक्सीन की 5 लाख खुराकें एयरलिफट की गई हैं जो कि आज उपलब्ध हो जायेगी।
4) बीमारी की रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन एन0 आर0 सी0 हिसार ने इस बिमारी की वैक्सीन तैयार कर ली है, परन्तु अभी

तक केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त नही हुई है। एन0 आर0 सी0 हिसार को स्वीकृति के तुरंत बाद वैक्सीन हरियाणा राज्य को सबसे पहले आपूर्ति करने बारे लिख दिया है। नई गोट पॉक्स के टीके से गौवंश का टीकाकरण गौवंश को प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

5) विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी के लक्षणों के इलाज व बचाव हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे है तथा दवाईयों की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। इसके साथ ही उपनिदेशकों को स्थानीय बाजार से आवश्यकतानुसार दवाइयाँ खरीदने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

6) विभाग द्वारा किसानो को प्रेरित करके मक्खियों, मच्छरों और परजीवियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों के छिडकाव बारे प्रेरित किया गया हैं। किसानो को इस बीमारी के बारे में आवश्यक जानकारी के लिए 10 लाख पैम्पलेट छपवाकर बांटे जा रहे है।

7) सभी जिलों के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को गौवंश की आवाजाही रोकने के लिए लिखा गया हैं।

8) पशु मेलों / पशु मंडियों जहाँ पशु एकत्रित होते हैं, पर पाबंदी लगाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को लिखा गया हैं।

9) दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में प्रचार करके प्रेरित किया जा रहा हैं।

10) इस बीमारी के सैम्पल एन0आई0एच0एस0ए0डी0 लैब भोपाल भेजे गये है, जोकि केन्द्रीय सरकार से पशुओं की बीमारी टैस्ट करने के लिए अधीकृत हैं। पाजिटिव रिपोर्ट आने उपरांत ही इस बीमारी को नोटीफाई करने बारे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अनुलग्नक–क

लंपी स्किन बीमारी के संदिग्ध मामले (दिनांक 08.08.2022 तक की स्थिति)

क्र. सं.	जिला	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित पषुओं की संख्या		मृत पषु संख्या
			गौवंश	भैंस	
1	अम्बाला	60	283	–	–
2	भिवानी	0	0	–	–
3	चरखी दादरी	0	0	–	–
4	फरीदाबाद	0	0	–	–
5	गुरूग्राम	0	0	–	–
6	फतेहाबाद	5	32	–	–
7	हिसार	1	3	–	–
8	झज्जर	0	0	–	–
9	जींद	0	0	–	–
10	कैथल	22	191	–	–
11	करनाल	0	0	–	–
12	कुरूक्षैत्र	5	12	–	02
13	महेन्द्रगढ़	0	0	–	–
14	नूंह	0	0	–	–
15	पलवल	1	4	–	–
16	पंचकुला	10	80	–	–
17	पानीपत	0	0	–	–
18	रेवाड़ी	0	0	–	–
19	रोहतक	0	0	–	–
20	सिरसा	103	825	–	19
21	सोनीपत	0	0	–	–
22	यमुनानगर	275	4705	–	2
कुल योग		**482**	**6135**	**00**	**23**

अनुलग्नक–ख

परीक्षण हेतु लिए गए सैंपलों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	सैंपलों की संख्या
1.	सिरसा	12
2.	यमुनानगर	20
3.	भिवानी	25
4.	कैथल	18
5.	कुरूक्षैत्र	75
6.	पलवल	11
कुल योग		**161**

अनुलग्नक–ग

सिरसा जिले में लंपी स्किन बीमारी से प्रभावित गौषालाओं की सूची

क्र. सं.	गौषाला का नाम	संबंधित राजकीय पषु चिकित्सालय	हरियाणा गौसेवा आयोग रजिस्ट्रेषन नं.	रोग ग्रस्त पषुओं की संख्या	मृत पषु
1.	श्री कृष्ण भगवान गौशाला समिति, अबूबशहर	अबूबशहर	जी.एस.ए.–150	6	0
2.	श्री कृष्ण गौशाला, सकता खेड़ा	अबूबशहर	जी.एस.ए.–172	15	0
3.	संत बाबा कृष्ण सिंह जी महाराज मैमोरियल गौशाला समिति, मसितां	अलिकां	जी.एस.ए.–045	8	0
4.	श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला, मौजगढ़	अलिकां	जी.एस.ए.–422	11	0
5.	भगवान श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति, चौटाला	चौटाला	जी.एस.ए.–061	17	0
6.	श्री राम गौशाला सेवा सदन, आसाखेड़ा	चौटाला	जी.एस.ए.–315	4	0
7.	बाबा बाला समधा वाला गौशाला समिति, गंगा	गंगा	जी.एस.ए.–036	3	0
8.	श्री कृष्ण गौशाला, जण्डेवाला बिश्नाइयाँ	गंगा	जी.एस.ए.–041	5	0
9.	श्री राधा कृष्ण गौशाला, गौरीवाला	गौरीवाला	जी.एस.ए.–038	10	0
10.	श्री बाबा कृष्ण नाथ गौशाला समिति, रामगढ़	गौरीवाला	जी.एस.ए.–046	6	0
11.	श्री गौशाला, रिसालिया खेड़ा	गौरीवाला	जी.एस.ए.–028	3	0
12.	श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला, रामपुरा बिश्नोइयाँ	गौरीवाला	जी.एस.ए.–456	12	1
13.	श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला, रत्ता खेड़ा – राजपुरा	गौरीवाला	जी.एस.ए.–304	3	0
14.	श्री राम गोपाल गौशाला समिति, कलुआना	कलुआना	जी.एस.ए.–149	6	0
15.	श्री राधा कृष्ण गौशाला, अहमदपुर दरेवाला	कलुआना	जी.एस.ए.–010	3	0
16.	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, बिज्जूवाली	कलुआना	जी.एस.ए.–097	5	0
17.	श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला, गोधिकां	कलुआना	जी.एस.ए.–455	4	0
18.	श्री कृष्णा गौशाला, खुईयां मलकाना	खुईयां मलकाना	जी.एस.ए.–063	8	0
19.	श्री कृष्ण प्रणामी ग्रामीण गौसेवा केन्द्र, सावंत खेड़ा	खुईयां मलकाना	जी.एस.ए.–552	5	0
20.	संत बाबा कालू दास गिरी जी गौशाला, मतडाडू	खुइयां मलकाना	जी.एस.ए.–386	7	0
21.	श्री गौशाला मंडी, डबवाली	मंडी डबवाली	जी.एस.ए.–067	130	7
22.	नन्दीशाला, मंडी डबवाली	मंडी डबवाली	जी.एस.ए.–374	20	0
23.	श्री दुर्गा गौशाला, पिपली	किंगरे		20	0
24.	कृष्ण गौशाला, कालांवाली	कालांवाली	जी.एस.ए.–153	3	0
25.	नंद बाबा गौसेवा संस्थान, कालांवाली	कालांवाली	जी.एस.ए.–343	6	0
26.	नंदीशाला, कालांवाली	कालांवाली		7	0
27.	श्री राम भगत हनुमान गौशाला, नुहिंयावाली	ओढ़ां	जी.एस.ए.–027	2	0
28.	श्री श्री 108 बाबा सन्तोख दास गौशाला, ओढ़ां	ओढ़ां	जी.एस.ए.–030	35	3
29.	श्री बनवाला गौशाला अनुसंधान केन्द्र, बनवाला	ओढ़ां	जी.एस.ए.–015	20	0
30.	श्री कृष्ण गौशाला वेलफेयर सोसायटी, कुरंगावाली	फग्गू	जी.एस.ए.–517	3	0
31.	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, धुरका	गुडिया खेड़ा	जी.एस.ए.–362	1	0
32.	महर्षि दयानंद सरस्वती गौशाला, जमाल	जमाल	जी.एस.ए.–054	5	0
33.	श्री माधोसिगाना गौशाला, माधोसिगाना	माधोसिगाना	जी.एस.ए.–096	7	0
कुल योग				**400**	**11**

श्री अमित सिहागः उपाध्यक्ष महोदय, डबवाली, कालांवाली में यह बीमारी ज्यादा फैली हुई है। मैंने मुख्य रूप से यह ध्यानाकर्षण सूचना सिरसा जिले के लिए दी थी क्योंकि वहां पर इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा है। अब जब माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया

है तो पता चला है कि यह बीमारी केवल सिरसा में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में फैली हुई है। अपने जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि हिसार में तो इसके टीके भी पशुओं को लगाए गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय,यह ध्यानाकर्षण सूचना लगाने का मेरा मकसद यह था कि इसके माध्यम से सरकार को जगाया जा सके क्योंकि आज किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। हम व्यक्तिगत तौर पर भी जा कर किसानों से मिलते रहते हैं। एक तरफ तो प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब हो रही हैं और दूसरी तरफ पशुओं में बीमारी आ जाने से उनको डबल नुकसान का खतरा बना रहता है। जो किसान डेयरी फार्मिंग करता है या पशुपालन करता है उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए मैंने यह ध्यानाकर्षण सूचना दी थी ताकि सरकार स्तर्क हो कर इस समस्या का सामना कर सके। इसमें पहला प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि पंजाब में जून, 2022 में 400 मवेशियों की लंपी बीमारी से जान चली गई। जांच में यह पता चला है कि पंजाब में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र मुक्तसर और बठिंडा थे जो मेरे जिले के नजदीक लगते हैं। उसके साथ–साथ पिछले कुछ हफ्तों में राजस्थान और गुजरात में 3 हजार से अधिक गौवंश की इसी लंपी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अब सबसे पहला प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या सरकार को इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं थी और यदि जानकारी थी तो क्या तैयारी में कोई कमी रह गई? यह एक ट्रांसमिटिड डिजीज है। जिस प्रकार कोरोना में हमें डर लगा रहता था उसी प्रकार से किसानों को इस बीमारी का भी डर लगा रहता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि अगर सरकार के पास जानकारी थी तो तैयारी में कमी क्यों रही? जब हमें पता चल गया था कि संक्रमण हो रहा है तो समय पर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। इसके साथ–साथ मैं यह भी मानता हूं कि सरकार की कोताही के अलावा तीन और बड़े कारण हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला कारण मैं मानता हूं कि रिप्लाई में जो

आंकड़े दर्शाये गये हैं हालांकि मंत्री जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं लेकिन मैं इससे पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि वी.एल.डी.ए. और वैटरनरी सर्जन की हमारे एरिया में भारी मात्रा में कमी है। हमारे सिरसा जिले में तो बहुत भारी कमी है। हालांकि मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में आंकड़े दिये हुए हैं लेकिन मैंने खुद डबवाली के आंकड़े निकलवाए हैं। सब डिविजन डबवाली के अन्दर वी.एल.डी.ए. की 37 पोस्टें स्वीकृत हैं उनमें से आज की तारीख में केवल और केवल 15 पोस्टें भरी हुई हैं और 22 पोस्टें रिक्त हैं और वैटरनरी सर्जन की 9 पोस्टें हैं उनमें केवल 4 पोस्टें भरी हुई हैं और 5 पोस्टें रिक्त हैं। अगर चौटाला गांव को देखें जोकि बहुत बड़ा गांव है जिसके अन्दर आज सरकार की हिस्सेदारी भी है। उस गांव में 25 हजार की आबादी है और 25 हजार की आबादी में आज की तारीख में मैं मानता हूं कि तकरीबन हर घर में एक पशु जरूर होगा। वहां पर जो एक वैटरनरी डॉक्टर था उसका भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। आज की तारीख में वहां पर भी कोई वैटरनरी डॉक्टर नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि सामान्य स्थिति में भी लोगों के पास जानकारी व इलाज लेने के लिए वैटरनरी डॉक्टर नहीं है। हरियाणा में जब इस तरह की आपातकालीन स्थिति पैदा हो रही है उसके बावजूद अगर ये हालात हैं तो फिर किस तरीके से लोगों को सुविधा मिलेगी। दूसरा कारण जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष ने और एक–दो सदस्यों ने भी कहा है कि आज हमारी गऊशालाएं व नन्दीशालाओं की स्थिति दयनीय है। आज की तारीख में उनके पास जगह की भी दिक्कत है जिसके बारे में सबसे पहले मंत्री जी ने यह कहा कि इनको आइसोलेट करने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी गऊशालाएं और नन्दीशालाओं के पास इतनी जगह ही नहीं है जिससे उनको पूरी तरीके से आइसोलेट किया जा सके। उससे भी संक्रमण बढ़ रहा है। दूसरा उनके पास रिसोर्सिज नहीं हैं। मेरे पास उनका टेलिफोन आया कि

भाई साहब हमारे पास दवाइयों का खर्च व गऊशाला का बाकी काम तो आप जैसों के दान पुण्य करने से चल जाता है नहीं तो हमारे पास तो दवाई व चारा लेने का संसाधन भी नहीं है। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने बात कही है कि इनकी अनुदान राशि में 50 रुपये बढ़ाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, ये सबसे बड़ी जरूरत है कि आज की तारीख में गऊशालाओ, नन्दीशालाओं और डेरी फॉर्म्स में जितनी भी दवाइयां जाती हैं उनको सरकार निःशुल्क देने का काम करे। तीसरा जो सबसे जरूरी प्वायंट है वह शायद सरकार के ध्यान में अभी तक नहीं गया है। पहले भी मैंने इस प्वायंट को सदन में उठाया था और यह संक्रमण का बहुत बड़ा कारण भी है। जो सीमांतर का क्षेत्र है खासकर जैसे हमारा डबवाली, कालांवाली या और कोई भी क्षेत्र है। सीमांतर के क्षेत्र के अन्दर गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की एक नोटिफिकेशन है कि 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पशु मंडी नहीं लगाई जा सकती है। मैं पूरे तरीके से पुष्टि कर सकता हूं कि पंजाब में किलयांवाली साइड पर पशु मंडी लगाई जाती है। जो किसान यह मानते हैं कि ये पशु या ये गऊ हमारे लिए कारगर नहीं हैं या कामयाब नहीं हैं तो उस मंडी में उनको छोड़ दिया जाता है और फिर वह पशु हमारे क्षेत्र में आता है। उससे संक्रमण बढ़ता है। कहीं न कहीं संक्रमण का सबसे बड़ा कारण यह भी है । अगर मंत्री जी पंजाब, राजस्थान व सीमांत क्षेत्रों पर उस कानून की पालना करवाने पर दबाव डालेंगे तब काम चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अमित जी, मंत्री जी ने बताया तो है कि इसके लिए एस.पी., डी.सी. को लिख दिया गया है।

श्री अमित सिहाग : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत पहले से चलता आ रहा है। मैंने सबसे पहले सदन में भी यह मांग लिखवाई थी। आखिर में मैं यही कहता हूं कि ये तीन मुख्य कारणों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके साथ–साथ मैं दो–तीन छोटे–छोटे सुझाव देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सिहाग जी, आपको बोलते हुए आठ मिनट का समय हो गया है, अब प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री अमित सिहाग : उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले जो बात चली है वह डेढ घंटे चली है और मैं तो दो मिनट की बात कर रहा हूं और मेरे बाद सिर्फ एक व्यक्ति ने ही बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : सिहाग साहब, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो बताइये।

श्री अमित सिहाग : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न की ही बात कर रहा हूं। मैंने दो प्रश्न पूछे हैं जिनमें मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन सभी चीजों की कब तक पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। यहां वैक्सिन की बात की गई है गॉट पॉक्स की वैक्सीन जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए। इसके साथ–साथ यह एक वैक्टोरियल वायरस भी है जो मच्छर के माध्यम से फैलता है इसलिए सभी गऊशालाओं, नन्दीशालाओं और डेयरी फार्मों में निःशुल्क फॉगिंग कराने का काम करें और उनको एक टॉल फ्री नम्बर भी दिया जाए क्योंकि डॉक्टर्ज न होने पर टॉल फ्री नम्बर से सरकार को फायदा मिलेगा। धन्यवाद।

श्री शीश पाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अभी मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था और अमित सिहाग जी ने भी अपनी बात रखी थी, उसी कड़ी में मैं भी माननीय मंत्री जी से एक–दो सवाल जरूर करना चाहूंगा। जो गौ माता है, वह हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है लेकिन आज वह लम्पी नामक बीमारी से ग्रसित है और यह बीमारी एक तरह से महामारी का रूप ले चुकी है। अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान और पंजाब की तो जो राजस्थान और पंजाब के साथ जो सटा हुआ इलाका है, वहां पर इस बीमारी ने अपना गंभीर रूप धारण कर लिया है। मेरे हल्के में भी यही हाल है। गदराणा, कुरगावाली, देशूमलकाना तथा कालांवाली ये मेरे विधान सभा क्षेत्र के वे

एरियाज हैं जहां पर गौ–माता की 23 की संख्या के हिसाब से मृत्यु दिखाई गई है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस आंकड़े की एक बार अवश्य पुष्टि कर ली जाये। उपाध्यक्ष महोदय, 23 गायों की मौत तो अकेले कालांवाली हल्के में ही हो चुकी है अर्थात् यह आंकड़ा तो अकेले कालांवाली में ही पूरा हो जाता है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि जिन गायों की डैथ हो चुकी है, उनके शवों को दफनाने का काम कैसे किया जायेगा। जहां तक मेरी जानकारी है इसके लिए कोई विशेष रूप से हमारी तैयारी नहीं है। गौ–माता सड़कों के किनारे मरी हुई मिल जाती हैं। यह बीमारी जो है, यह बहुत वायरल होती जा रही है। यह बीमारी बुखार की तरह फैलती है और जो मरी हुई गाय हैं, उनसे महामारी फैलने के बहुत ज्यादा चांसिज होते हैं। मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो बतायें कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका किसानों का इलाका है। यह इलाका बेमौसमी बारिश के साथ–साथ गुलाबी सुंडी की मार भी झेल चुका है और यहां पर जो गौ–धन है वह यहां के लोगों की आय का एक साधन भी है। उस गौ–धन में जो यह बीमारी वायरल होती जा रही है उसकी वजह से मेरे हल्के के लोगों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि जिन किसानों की गायों की इस बीमारी से मृत्यु हुई या जिन किसानों को इस बीमारी के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, उनके लिए क्या सरकार कोई आर्थिक सहयोग देने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक सवाल और करना चाहूंगा कि जिस बीमारी का मैंने बताया कि वायरल होती जा रही है अगर इसकी रोकथाम करनी है तो एक फार्मालिन और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड ये जो दो दवाईयां हैं, इनका छिड़काव करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सभी गौशालाओं

में तथा हमारे वैटरनरी डाक्टर्ज के पास यह दवाईयां उपलबध हैं। क्या इन दवाईयों का छिड़काव करवाया गया है ताकि हमारे गौवंश को बचाया जा सके। माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो मेरे इन सवालों को जरूर ध्यान में रखें। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि हमारे गौवंश को बचाया जाये और यह बीमारी आज न केवल सिरसा जिले की है बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या बन चुकी है। यमुनानगर में भी 4000 से भी ज्यादा गौवंश, इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। अतः इस विषय पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।

कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हमारा विभाग इस बीमारी से पूरी तरह से चिन्तित है। यह वायरल बीमारी है और जो–जो कदम हमने उठाने थे वे हमने टाइमली उठाये हैं और इसकी आपको सूचना भी दे दी गई है। हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब व राजस्थान में यह बीमारी कई गुणा ज्यादा बढ़ चुकी है। यहां पर भारी संख्या में गौवंश की मृत्यु हुई है। हमने सभी प्रकार की एडवाइजरी जारी कर दी है। सेमीनार्ज से सब डाक्टर्ज को तथा हमारे विभाग के अध्यक्ष को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं। जिला उपायुक्तों को भी कह दिया गया है कि वे सारे पशुओं का आवागमन बंद करें। पशु मेले लगाने बंद किए जायें। दूसरे प्रदेश से पशु न आये इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये। जहां जहां जो–जो पशु हैं, उनको वही पर ही रखा जाये और मच्छर–मक्खी को मारने के लिए दवाई छिड़की जाये। इसके अतिरिक्त मरे हुए पशुओं को दफनाने संबंधी एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार की पॉलिसी के तहत बीमित पशुओं की डैथ पर मुआवजा देने का काम भी किया जाता है। 100 रूपये के हिसाब से पर–एनीमल का बीमा होता है। यही नहीं हमने तुरंत कार्रवाई करके जो गोट पोक्स की वैक्सिन है उसको भी मंगवाने का काम किया है और टैंडर प्रोसैस को

छोड़कर, दूसरे राज्यों के मुकाबले कम रेट पर हमने 5 लाख रूपये की वैक्सिन का आर्डर देकर उसको एयर लिफ्ट करने की बात को भी संभव कर दिया है। पशुओं की तुरंत प्रभाव से वैक्सिनेशन कराने की दिशा में ही हम पूरी तरह से यत्नशील है। किसानों का किसी भी तरह से नुकसान न हो, इस बारे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी चिंतित है और श्री मनोहर लाल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी चिंतित है। सरकार ने इस संबंध में जो–जो कदम उठाये हैं, वे समय–समय पर उठाये हैं और आगे भी उठाती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग किसी भी तरह की कोताही नहीं करेगा। पशु चिकित्सकों की संख्या जिलेवार बता दी गई है। यह ऑन–लाइन ट्रांसफर प्रोसैस है, इसलिए हो सकता है कि एक ब्लॉक में पशु चिकित्सकों की संख्या ज्यादा हो और दूसरे ब्लॉक में पशु चिकित्सकों की संख्या उससे कम हो। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र बॉर्डर के साथ लगता है, इसलिए संबंधित गांव वालों और सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध करें कि कुछ दिनों के लिये बीमारी को देखते हुए पशुओं का इन्टर स्टेट आवागमन बंद करें। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का सहयोग पूरी जनता से भी है। धन्यवाद।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में वैक्सिन एयरलिफ्ट करवाई जा रही है, इसके लिये माननीय मंत्री जी कोई समय–सीमा निर्धारित कर दे ताकि जनता को पता चल जाये कि इतने समय पर यह वैक्सिन उपलब्ध हो जायेगी।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारे पास यह वैक्सिन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आज–कल इस संबंध में 5 लाख वैक्सिन एयरलिफ्ट होकर हरियाणा में उपलब्ध हो जायेगी।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मेरी इस संबंध में माननीय मंत्री जी से बात हुई थी और सैम्पल की पुष्टि करने के लिये भोपाल भेजा हुआ है कि सही मायने में यह लंपी स्किन बीमारी का वायरल है भी या नहीं।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई बीमारी पैन्डेमिक घोषित करते हैं तो उसका एक प्रॉटोकोल होता है कि इतनी संख्या और इतने सैम्पल पास होने पर ही इसे महामारी की श्रेणी में घोषित कर सकते हैं। लेकिन हमने इस संबंध में अपनी कार्यवाही पहले से शुरू कर रखी है। जैसे कोविड–19 संक्रमण हुआ और जांच होने पर ही इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया। लेकिन अभी यह बीमारी महामारी घोषित नहीं हुई है लेकिन इस संबंध में जो–जो कार्यवाही हमने करनी है, वे कर रहे हैं।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो मेरे क्षेत्र में वी.एल.डी.ए. की कमी है, वे कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, वी.एल.डी.ए. की भर्ती का प्रोसैस ऑन–लाइन है। समानुपातिक रेशो के हिसाब से माननीय सदस्य के जिले में भी वी.एल.डी.ए. और पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को लेकर काफी गंभीर हूँ और इसमें कोई राजनीतिक बात भी नहीं है। मेरे क्षेत्र में 9 पदों में से 4 पद भरे हुए हैं, तथा 5 पद खाली पड़े हुए हैं। यह भी हो सकता है कि समानुपातिक रेशो के हिसाब से सिरसा जिले की पोजीशन अलग हो लेकिन मेरे डबवाली सब– डिवीजन में 37 पशु चिकित्सकों की संख्या में से 15 पद भरे हुए हैं, इस हिसाब से 22 पद रिक्त हैं। माननीय मंत्री जी कृपया करके बीमारी को देखते हुए इस विषय पर जरूर ध्यान दें।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, यदि एक जिले के अंदर ज्यादा समस्याएं आ रही हैं तो हम दूसरे जिले में से पशु चिकित्सकों को संबंधित जिले में डिप्यूट कर देंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आपने इस संबंध में बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया है।

श्री शीश पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक सुझाव यह है कि जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें जल्द से जल्द सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव जरूर होना चाहिये ताकि इस बीमारी की रोकथाम हो सके।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस संबंध में हमने एडवाइजरी जारी कर दी है लेकिन ज्यादातर गौशालाएं प्राइवेट हैं। हम चाहेंगे कि ग्राम पंचायतों और लोकल बॉडीज की तरफ से भी इस प्रकार की कार्यवाही शुरू हो। हम सभी उपायुक्त महोदय को भी निर्देश देंगे कि इस चीज का जरूर ध्यान रखें।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सिरसा जिले तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह समस्या पूरे प्रदेश अर्थात् अम्बाला आदि जिलों की भी है। इस प्रकार सरकार को सभी जगह ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस बीमारी की रोकथाम जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद।

.....

विधायी कार्य

(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. दि हरियाणा गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे ।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित हुआ ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पुरःस्थापित हुआ ।)

———————————————

2. दि हरियाणा वाटर रिसोर्सिज (कंजर्वेशन, रेगुलेशन एण्ड मैनेजमैंट) अथॉरिटी (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित हुआ ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पुरःस्थापित हुआ ।)

———————————————

3. दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित हुआ ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पुरःस्थापित हुआ ।)

———————————————

4. दि हरियाणा म्युनिसिपल कोरपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित हुआ ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पुरःस्थापित हुआ ।)

पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सदस्यों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष सरदार कुलतार सिंह संधवा, पंजाब विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री जय किशन रोड़ी, विधायक श्री रजनीश दहिया, विधायक श्री नछत्तर पाल (नवां शहर) और विधायक श्री सुखविन्दर कोटली (आदमपुर) सदन की विशिष्ट दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं । मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

.....

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(II) विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक

दि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

> कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्गण, अब गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

———————

(iii) पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 3) बिल, 2022

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2022 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2022 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

शिड्यूल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि शिड्यूल विधेयक का शिड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधयेक पारित किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

.....

खिलाड़ियों को बधाई संदेश

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक प्रस्ताव रखता हूं कि कॉमनवैल्थ गेम्ज में हमारे देश के और खासतौर से हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करके मैडल्ज जीते हैं। मेरा कहना है कि इसके लिए उनको हार्दिक बधाई देनी चाहिए और खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, हमने भी खिलाड़ियों के लिए प्रस्ताव पारित किया है और हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने खासकर के इस बार 9 गोल्ड मैडल्ज जीते हैं। यह हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों की बहुत ही सुन्दर परफॉर्मैंस रही है। इसके लिए मैं उनको बहुत– बहुत बधाई देता हूं।

(इस समय पूरे सदन ने खड़े होकर तालियां बजाकर खिलाड़ियों का अभिवादन किया।)

.....

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सरकार में किस खिलाड़ी ने कितने गोल्ड मैडल जीते और कितने सिल्वर मैडल जीते।

श्री अध्यक्ष : हमारे सम्मानीय लीडर ऑफ अपोजीशन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि चाहे वह सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, यह सबके लिए हर्ष का विषय है कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने केवल हरियाणा प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इसके लिए मैं उन सभी खिलाड़ियों को, चाहे वे खिलाड़ी मैडल लेकर आये हों या चाहे वे खिलाड़ी मैडल लेने से वंचित रह गये हों यानी जो भी खिलाड़ी टीम का पार्ट थे, उन सभी को पूरे सदन की ओर से हम हार्दिक बधाई संदेश देंगे हूं। **(इस समय मेजेंथपथपाई गईं)**

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एक बात और भी है कि हमारे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। वे भी गोल्ड मैडल लेकर आये हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन खिलाड़ियों के लिए अनाउसमैंट की थी लेकिन वह अनाउसमैंट अभी नोटिफाई नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : ठीक है, हम इसको देखेंगे।

खेल मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं सदन का बहुत धन्यवाद करता हूं । पहले हम फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड

स्थान पाने वाले खिलाड़ी को सम्मानित करते आये थे। अब जो भी खिलाड़ी चौथे स्थान पर आये हैं, उनको भी सम्मान राशि दी जा रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पहले हम चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को सात लाख रुपये देते थे। अब राष्ट्रमंडल में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से 15 लाख रुपये का इनाम दिया जायेगा। **(इस समय मेजेंथपथपाई गईं)** अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश का एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर भी रहा है। तीसरे और चौथे स्थान पर आने पर मेहनत उतनी ही लगती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों के साथ–साथ चौथे स्थान पर जो खिलाड़ी आये हैं, हमारी सरकार उनका भी मान सम्मान करेगी। पूरे भारतवर्ष में स्पोटर्स की एक अच्छी लहर चली है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ''फिट इंडिया मूवमैंट'' के तहत सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः एक बार फिर सदन का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगी।

Smt. Geeta Bhukkal: Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that

> This House recommends to the Government to seek share of affiliation of colleges in Panjab University, Chandigarh and protect the interest of citizen and students of State and assure the paying share of grant in Punjab University.

श्री अध्यक्ष :प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि यह सदन पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में महाविद्यालय की सम्बद्धता का हिस्सा मांगने तथा राज्य के नागरिकों तथा विद्यार्थियों के हित के संरक्षण तथा पंजाब विश्वविद्यालय में अनुदान की हिस्सेदारी की अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सिफारिश करता है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस समय भी हमने यह विषय होम मिनिस्टर के सामने रखा था कि हमारा कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में शेयर पहले होता था उसको दोबारा से रिवाईज किया जाये। कुल मिलाकर होम मिनिस्टर की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि इस विषय पर बातचीत करके इस पर कोई न कोई सकारात्मक एक निर्णय कराने का विषय रखेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं अपना रैजोल्यूशन पढ़ देती हूं –

"Subject: Notice under Rule 171 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

Sir,

I want to move a notice of resolution on important matter of our share of Haryana State in the Panjab University, which is relocated in 1956 at Chandigarh. As we know that Haryana State share in Panjab University, Chandigarh was granted under the Punjab Re-origination Act, 1966 and Colleges and regional centre of Haryana were affiliated to Panjab University.

Presently Haryana State has no share in the Panjab University. Consequently the students of Haryana State are not getting admission in the University, so Haryana Government should submit the request before the Chancellor of Punjab University i.e. Hon'ble Vice-President of India for the affiliation of colleges and granting the due share to the Haryana State by amending rule to restore the share of Haryana in Panjab University.

So, already I have moved the resolution that:-

This House recommends to the State Government to seek share of affiliation of colleges in Panjab University, Chandigarh and protect the interest of citizen and students of

Haryana State and assure the paying share of grant in Panjab University.

अध्यक्ष महोदय, आपने यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइवेट रैजोल्यूशन स्वीकार किया है इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूं। यह हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ विषय है और इस समय शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में स्थित है वह केवल पंजाब का या चंडीगढ़ का विषय नहीं है। यह नेशनली, इंटरनेशनली और ग्लोबली यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ हमारे हरियाणा प्रदेश की राजधानी है। इसमें हमारा सचिवालय, हरियाणा विधान सभा तथा हाई कोर्ट स्थित हैं। लेकिन आज मैं अपनी सारी की सारी बात पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी एफिलियेशन को लेकर कहना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया और अध्यक्ष महोदय, आपने भी इसका संज्ञान लेते हुए कई बार इस मामले को भारत सरकार के सामने टेकअप करने का पूरा प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की बात करें तो इसकी स्थापना शुरु में दिनांक 14 अक्टूबर, 1882 को लाहौर में हुई थी। The fate of the University after the partition of India in 1947, was deliberated at the Punjab Partition Committee. In 1956 the University was relocated to Chandigarh अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी बनी है after the partition it was established on October 1, 1947 as the “East Panjab University”. इस यूनिवर्सिटी में 78 टीचिंग एंड रिसर्च डिपार्टमैंट्स हैं। 10 सैंटर्स/ चेयर्स फोर टीचिंग और रिसर्च के लिए हैं। इसके 188 से ज्यादा एफिलियेटिड कॉलेजिज हैं which are spread in 8 districts all over the Punjab. अध्यक्ष महोदय, जैसा आप सभी को मालूम है पंजाब यूनिवर्सिटी में 550 एकड़ से ज्यादा जमीन में रैजीडैंशियल कैम्पस बना हुआ है जो कि सैक्टर 14 और 25 में चंडीगढ़ सिटी में बना हुआ है। इसकी मुख्य एडमिनिस्ट्रैटिव और एकेडिमक

बिल्डिंग सैक्टर 14 चंडीगढ़ में है जिसके साथ एक हैल्थ सैंटर व स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस समय यह यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही देश था। हमारी यह यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी है कि उससे पहले हरियाणा के कालेजिज इस यूनिवर्सिटी से एफिलियेटिड थे और उसके साथ ही साथ में हमारे रिजनल सैंटर्स भी थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूती हूं कि before shifting of this University in 1956, the name was Panjab University in 1950. सैक्शन 72 ऑफ पंजाब री–आर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 में Panjab University become an inter-state body corporate catering to the newly organized States of Punjab, Haryana and the Union Territory of Chandigarh. पंजाब री–आर्गेनाइजेशन एक्ट, 72 (3) में इसको मेंशन किया गया कि– For the removal of doubt it is hereby declared that the provisions of this section shall apply also to the Panjab University constituted under the Panjab University Act, 1947. For the purpose of giving effect to the provisions of this section. अध्यक्ष महोदय, हमने इसको स्ट्रक्चर बॉडी कारपोरेट का दर्जा देने का काम किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, 1947 आया। उससे पहले इसमें हमारा शेयर भी था । सर, इसके बाद जब हम लोगों ने पूरा प्रयास किया तो 1973 में College of Haryana were affiliated to the Kurukshetra University. ठस बारे में हमारी जो नोटिफिकेशन है उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, 1947 का भी जिक्र है। इसी प्रकार से एक नोटिफिकेशन Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi की तरफ से 27.10.1997 में जारी की गई थी। जिसके तहत पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा शेयर ओमिट हुआ । उससे पहले जब हमारी कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी तो हमने यह कहा था कि हमारे जो कॉलेजिज हैं वे कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलियेट

होंगे। मैं एक बार वर्ष 1997 की उस नोटिफिकेशन के **S.O. 747 (E)** को जरूर पढ़ना चाहूंगी, जो इस प्रकार से है :–

S.O. 747(E) - WHEREAS under Sub-Section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with Sub-Section (3) thereof, the Panjab University, constituted under the Panjab University Act, 1947 (East Punjab Act 7 of 1947), shall, on and from the first day of November, 1966, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may, from time to time, be issued by the Central Government, until other provision is made by law in, respect of the said University;

AND WHEREAS under Sub-Section (2) of Section 72, any such direction may include a direction that any law by which the said University is governed shall, in its application to that University, have effect, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the direction;

AND WHEREAS consequent on the passing of Kurukshetra University Act, 1974 (Haryana Act 28 of 1986), the said Panjab University has with effect from the 30th day of June, 1974, ceased to function and operate in the State of Haryana, vide Haryana Government Notification No.S.O.214/HA12/56/S-3A/73 dated 1st November, 1973;

सर, हमारा हरियाणा एक नवम्बर, 1966 में बना। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदसीन हुए।)** उसके बाद हमारे कॉलेजिज का डिसएफिलिएशन हुआ और इसीलिए हम राईट्स को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, इस मामले में मैं यह कहना चाहूंगी कि इस बारे में होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी कर दी और उसके बाद हमारे कॉलेजिज डिसएफिलिएट हुए। अब बार–बार यह मामला इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है वह एक स्पैशल स्टेट्स के साथ है। न ही वह एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी है और न ही यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यह हमारी एक हैरिटेज यूनिवर्सिटी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किये हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होम मिनिस्टर को उन्होंने एक पत्र लिखा है। हमारा यही कहना है कि हरियाणा की राजधानी चण्डीगढ़ है और चण्डीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी स्थापित है। हम यह चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़ में हमारे

जो राईट्स हैं वे रिस्टोर हों। पहले जो अम्बाला व यमुनानगर के कॉलेजिज पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़ के साथ एफिलिएटिड थे उनकी पुनः एफिलियेशन पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़ के साथ हो। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि चण्डीगढ़ और पंचकूला में हमारे जो इम्प्लॉयज और सिटीजन रहते हैं उनका इसमें पूरा राईट हो। उपाध्यक्ष जी, पंजाब यूनिवर्सिटी एक ग्लोबल इंटरनैशनल वैलनोन यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी के हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। फण्ड्ज का भी क्राईसिस होता जा रहा है। इसमें सैंट्रल गवर्नमैंट more than 90 per cent ग्रांट दे रही है और कुछ ग्रांट पंजाब सरकार की तरफ से भी दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बताया है कि वे इस मामले को टेक–अप कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है कि हम लोगों को इस मामले को सही ढंग से फोलो–अप करना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर यह चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाये ताकि उनकी सेवा की आयु भी बढ़ जाये। साथ ही साथ कुछ लोग यह भी चाहते हैं कि उन्हें चण्डीगढ़ का स्केल मिल जाये। इस मामले में जो केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री द्वारा रिप्लाई दिया गया है उसमें उन्होंने यह कहा है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाने जा रहे हैं इसलिए यह मामला तो क्लोज हो गया। अध्यक्ष जी, यह मामला सब–ज्युडिश भी है। सुओ–मोटो (suo-moto) पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों को नोटिस इशू किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि जो नोटिस दिया गया है उसमें सबसे बड़ी चिन्ता पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल क्राइसिज के बारे में व्यक्त की गई है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पार्टिशन से पहले लाहौर में सिचुएटिड थी उसके बाद जगह–जगह इसकी सिचुएशन बदली और वर्ष 1956 में इसको चण्डीगढ़ में स्थापित किया गया। 1 नवम्बर, 1966 में

हरियाणा बनने के बाद भी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बच्चों के एडमिशन में भी और कॉलेजिज के एफिलिएशन में भी हमारा इस यूनिवर्सिटी में शेयर था। किन्हीं हालात में हमारा इस यूनिवर्सिटी से डिसएफिलिएशन हुआ जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन के माध्यम से मोडिफिकेशन की थी। उससे पहले इसमें हमारे सीनेट मैम्बर्स भी होते थे, इसमें डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन्ज, हरियाणा भी थे, इसमें मुख्यमंत्री हरियाणा भी थे, शिक्षा मंत्री, हरियाणा भी थे और अगर हम अपना हक इसमें रिस्टोर करवाते हैं तो हमारे बच्चों को इस यूनिवर्सिटी और इससे एफिलिएटिड कॉलेजिज में एडमिशन में बेनिफिट होगा। अब हमारे बच्चों के एडमिशन चण्डीगढ़ में अन्य राज्यों का जो 15 प्रतिशत का कोटा होता है उसमें होते हैं जबकि पंजाब के जितने भी कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटिड हैं और रिजनल सैन्टर्स हैं और उनके कॉलेजिज को और चण्डीगढ़ को शेयर मिलता है और पंजाब इसमें अपना हिस्सा भी देता है। इन्टरनैशनली हमारी यह यूनिवर्सिटी 550 एकड़ में फैली हुई है जिसमें न केवल कैम्पस बल्कि इसके अलावा हमारा रैजीडेंस है, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स है, गांधी भवन है, लाईब्रेरी है और लाईब्रेरी के साथ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नॉलोजी भी है। इसमें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नॉलोजी (यू.आई.ई.टी.) भी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नॉलोजी(यू.आई.सी.ई.टी.) है तथा उसके साथ–साथ फैकल्टी ऑफ लॉ भी है। The University has two departments for teaching of law. The National Institutional of Ranking Framework ने इस लॉ यूनिवर्सिटी को इस बार 15वीं रैंक दी है जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सदस्यों से एक अनुरोध है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हम हमारे हक को रखने के लिए एक प्रस्ताव यहां से पास करें तथा पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल क्राइसिज को

समाप्त करने तथा अपना हक रिस्टोर करवाने के लिए अपने हिस्से का पैसा जमा करवायें ताकि हमारे हरियाणा के बच्चों को अपना पूरा शेयर मिल पाये तथा इसके साथ ही साथ पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर के कॉलेजिज इससे एफिलिएट हो पायें। इसके साथ ही साथ हर यूनिवर्सिटी कोर्ट में हमारे जो दो मैम्बर विधायक भेजे जाते हैं वे भी हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भेज सकें। यह मामला केन्द्र सरकार के पास भी लम्बित है तथा हाई कोर्ट में भी यह मामला पैंडिंग है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ लोकसभा और राज्यसभा में भी यह मामला इस समय उठ रहा है इसलिए इस हैरिटेज यूनिवर्सिटी में अपना हिस्सा कायम करने के लिए हमें यह प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए। हम इस मामले को चांसलर के साथ फोलोअप करते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है उसके अनुसार यह स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है क्योंकि देश के उप–राष्ट्रपति इसके चांसलर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा का भी लगातार प्रयास रहा है और उप–राष्ट्रपति के चांसलर होने के नाते हम उनको बार–बार पत्र लिखते रहे और उससे आगे वे मिनिस्ट्री ऑफ एच.आर.डी. को पत्र लिखते रहे। यह मामला इसलिए नहीं सुलझा क्योंकि यह दो राज्यों के बीच का मामला है। पिछले दिनों जब हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री जी चण्डीगढ़ आये थे तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां पर उपस्थित थे। उस समय इस बात पर चर्चा भी हुई कि हम हमारे हिस्से का शेयर भी दे दें और एफिलिएशन की भी बात करें। जिस नोटिफिकेशन के द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, 1947 में मोडिफिकेशन की गई और जिससे हमारा शेयर ओमिट हुआ वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 27 अक्तूबर, 1997 में जारी की थी। इसलिए हमें यह मामला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ टेकअप करना चाहिए तथा अपने सारे इशूज को भी टेकअप करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइनैशियल क्राइसिज की बात है तो इसमें सभी सफर कर

रहे हैं इसमें चाहे टीचिंग फैकल्टी है, चाहे नॉन टीचिंग है, चाहे वहां के स्टुडैंट्स हैं। वहां के स्टुडैंट्स की फीस बार–बार हाईक हो रही है, उनको पोस्ट मैटिक स्कोलरशिप नहीं मिल रही है या कोई और स्कोलरशिप नहीं मिल रही है उसके बाद भी उनकी बार–बार फीस बढ़ाई जा रही है। इस इंटरनैशनल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में डॉ. मनमोहन सिंह जी व सुषमा स्वराज जैसे तमाम लोग एलुमनी रहे हैं। हम लोग भी वहां से पास आउट रहे हैं। हमारे यहां जितने भी सदस्य हैं ज्यादातर वहां के पास आउट रहे हैं। पंजाब भी लगातार उसमें अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रहा है जिससे वहां पर फाईनैंशियल क्राईसिज हो गया। आज यह मामला यहां विधान सभा में आया है तो मेरा सदन में सभी से अनुरोध है कि हम सभी पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हिस्से को रिस्टोर करवाएं कभी हम हरियाणा विधान सभा की बिल्डिंग में अपने हक की बात करते हैं, कभी हम हरियाणा सचिवालय में 60–40 के शेयर की बात करते हैं, कभी चण्डीगढ़ कैपिटल की बात करते हैं तो कभी एस.वाई.एल. की बात करते हैं। इसके साथ ही यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ में जो पहले से ही हमारा हिस्सा था उस हिस्से को हमने किसी वजह से खत्म कर दिया था। अपने हिस्से को रिस्टोर करवाने के लिए रीजनल सैंटर्स और उसमें ऐफिलिएशन करवाने के लिए अपने हरियाणा के स्टेक हॉल्डर्स, सिटिजंस और बच्चों के हक की लड़ाई को लड़ते हुए इस विषय पर पूरा सदन एक आवाज में कहे कि हम लोग मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्ज से इस मामले को टेकअप करेंगे ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी में हम अपने हिस्से को, सुनिश्चित करवा सकें और हमारे हरियाणा के बच्चों को वहां दाखिला मिल सके। जितनी अच्छी पंजाब यूनिवर्सिटी है उससे बढ़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिन्दू कॉलेजिज भी पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से ऐफिलियेटिड होते थे। हिमाचल में सोलन में, होशियारपुर जालंधर में और हमारे रोहतक में इसके रीजनल सैंटर्स थे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय

मुख्यमंत्री व सदन से अनुरोध है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे हरियाणा के बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको वहां हमारे हरियाणा का पूरा हिस्सा मिलता है लेकिन हमारे हरियाणा के बच्चों को पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन व टीचिंग फैकल्टी में पूरा हक नहीं मिलता है। इसके रैस्टोरेशन के लिए हमने आज जो रैजोल्यूशन दिया है कृपा सदन इसका नोट ले और रिक्मैंड करें कि स्टेट गवर्नमैंट द्वारा अपने हिस्से के लिए जो भी कार्यवाही की जा रही है या करेंगे उसका संज्ञान सदन के पटल पर रखने का काम करे। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैडम गीता भुक्कल जी ने बड़े विस्तार से यह विषय रखा है। मैं भी इस बात का पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ को केवल एक मात्र यूनिवर्सिटी के रूप में ही न देखें क्योंकि इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ के साथ इस देश की प्री इंडीपैंडेंस पीरियड की गरिमा भी जुड़ी हुई है। जितने भी डिफरेंट फील्ड्स के चाहे आर्ट्स, साईंस, लिटरेचर, लॉ में पुराने बड़े–बड़े लोग व विद्वान हुए हैं उनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से जुड़ाव रहा है। इसमें आज जो स्थिति आई है उसमें थोड़ी बहुत हमारे व हमारी सरकारों के लैवल पर भी ढील रही है। मैं समझता हूं कि हमारे से जो सबसे ज्यादा बड़ी चूक हुई है वह यह है कि ज्यों ही हमने कुरूक्षेत्रा यूनिवर्सिटी नई बनाई उस समय अगर हम कुछ कॉलेजिज पंजाब यूनिवर्सिटी के पास भी छोड़ देते तो शायद हमारा वहां से रास्ता खुला रहता। हमारे से उस समय जो भूल हुई या जो भी उस समय कोई कारण रहे होंगे जिसके कारण हमने पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ से सारे कॉलजिज विद्ड्रा करके कुरूक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में लगा दिये। उसी कारण पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ से हमारा जो हक है वह ओमिट हो गया। उसके बाद विभिन्न सरकारें आई और इसके लैवल पर हम कुछ नहीं कर पाए। मैं चाहूंगा कि इस विषय को पॉलिटिकल

मुद्दा न माना जाए। मैं यह एक फैक्चुअल मुद्दा बता रहा हूं कि उस समय इस बात की तरफ हमारा ध्यान ही बहुत कम गया। धीरे–धीरे करके हम एक–एक कदम पीछे बढ़ते गये जिससे वह सारा का सारा स्पेस कहीं न कहीं किसी न किसी को तो ऑकोपाई करना ही था। इसमें मेरा निवेदन है कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी का महत्व केवल मात्र इसलिए कम नहीं आंकना चाहिए कि हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटीज तो बहुत हैं और आगे भी बनती रहेंगी लेकिन इतिहास में पंजाब यूनिवर्सिटी का जो नाम है, उसका अपना ही एक अलग महत्व है। अब मैं हाउस के समक्ष अपने दिल की बात बताता हूँ। मुझे प्री–इंडिपेंडेंसी से पहले की वे पुरानी शिक्षण संस्थाएं जोकि पाकिस्तान में चली गई थी, को देखने की प्रबल इच्छा है और मैंने एक बार माननीय स्पीकर साहब को कहा था कि अगर पाकिस्तान का टूर आये तो मुझे जरूर लेकर जाना। हमारी जो पुरानी संस्थायें हैं वें हमारी गरिमा हैं और उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अतः इस तरह के विषय को थोड़ा गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। जिस तरह से अभी मैडम गीता जी भाखड़ा व्यास मैनेजमैंट बोर्ड में हरियाणा की मैम्बरशिप की बात कर रही थी और इसी प्रकार की सेम नेचर के और भी विषय आते रहते हैं, उस परिपेक्ष्य में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस तरह के विषयों में जो हमारे शेयर हैं, उनको किसी भी सूरत में कम न होने दिया जाये। अगर इस तरह के शेयर की कहीं भी डाइल्यूट होने की बात सामने आये तो हमें तुरंत प्रभाव से उसकी पैरवी करते हुए अपने हिस्से को बरकरार रखने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम(नारनौंद): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इशू गीता जी ने उठाया है, यह बहुत ही अच्छा इशू है । हम सबका वास्ता पंजाब यूनिवर्सिटी से रहा है । अधिकांश विधायक साथी इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर आये हैं। मैंने भी लॉ, इसी यूनिवर्सिटी से किया है लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी से हमारा कनैक्शन टूट सा

गया है। अगर यह दोबारा से जुड़ जाये तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी गरिमा व गौरव की बात होगी। मैं तो यहां तक चाहता हूँ कि पंजाब के साथ हमारे जो भी इशूज हैं, उनका मिल बैठकर समाधान निकाला जाये। पंजाब और हरियाणा का जब बंटवारा हुआ था तो मैं उस वक्त भी इसके पक्ष में नहीं था। हम तो इस तरह के नारे लगाते फिरते थे कि मत बांटो पंजाब को लेकिन बावजूद इसके किसी वजह से पंजाब बंट गया परन्तु अब अगर दोबारा पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा वही स्टेट्स जुड़ जाये तो हमारे पंजाब के साथ जो अन्य इशूज भी है, उनको भी सोल्व करने में काफी सहायता मिलेगी। वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का जुड़ाव तो सारे पंजाब से ही रहा है।

श्री उपाध्यक्षः गौतम जी, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े हो कल तो आप कह रहे थे कि आप अनपढ़ हो। (हंसी) ठीक है अब शिक्षा मंत्री जी आप अपनी बात रखिए।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो संकल्प लेकर आई हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा हाउस इससे सहमत है और जगह–जगह जहां पर भी जरूरत होती है, वहां पर इस विषय को उठाया जाता है। अभी नार्थ जॉन की मीटिंग हुई थी वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी के सामने इस विषय को उठाया था। अध्यक्ष महोदय, 1 नवम्बर, 1973 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम के पारित होने के बाद एक अधिसूचना भी जारी की गई जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य से पंजाब विश्वविद्यालय के कार्य और संचालन को वापिस ले लिया गया। इस अधिसूचना से पहले हरियाणा के विभिन्न जिलों के 63 कालेजिज इसके साथ जुड़े हुए थे। शुरूआत में पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट को पंजाब, हरियाणा और चंड़ीगढ़ द्वारा साझा किया गया था परन्तु वर्तमान में यह खर्च केवल भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा ही खर्च किया जाता है। इसमें 90 प्रतिशत केन्द्र द्वारा और केवल 8 प्रतिशत पंजाब सरकार द्वारा वहन किया

जाता है जो 20 करोड़ के लगभग सालाना बनता है। इस समय पंजाब के 168 कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफीलिऐटेड हैं जो एक बहुत बड़ी संख्या है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के कारण हरियाणा का कोई भी कॉलेज इससे एफिलिऐटेड नहीं है। 27.10.1997 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की जिसमें इस अमेंडमेंट के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी की विभिन्न निकायों में से हरियाणा सरकार के नॉमिनी/प्रत्याशी को भी हटा दिया गया जिसके कारण पंजाब, हरियाणा और भारत सरकार के बीच वित्तीय दांव भी बदल गया। एक याचिका 18745 ऑफ 2016 माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है जिसकी अगली सुनवाई की तिथि 14.10.2022 है जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में बजट का प्रावधान विचाराधीन है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 31.07.2017 तथा 08.03. 2022 को माननीय गृह मंत्री, केन्द्र सरकार को डी.ओ. लेटर्स लिखे हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के हिस्से की बहाली के लिए लिखा गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी इस विषय को शिक्षा मंत्रालय व यू.जी.सी. को परीक्षण के लिए भेजा गया है। माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा भी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी व माननीय गृहमंत्री जी को दो डी.ओ. लेटर्ज लिख चुके हैं। चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत प्रदान किया गया था बाद में अमैंडमैंट करके इसे रद्द कर दिया गया, इसकी दोबारा से बहाली के लिए हरियाणा प्रयासरत भी है। अगर हरियाणा की हिस्से की बहाली हो जाती है तो हरियाणा के कॉलेजों को भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड किया जा सकेगा। जिला अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर के लगभग 42 कॉलेज इससे जोड़े जा सकते हैं। दिनांक 20.08.2019 को उत्तरी परिषद् की चण्डीगढ़ में हुई बैठक में एजेंडा संख्या 16 के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी को दिये जाने वाले अनुदान बारे विचार किया गया और सभापति ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को एक साथ बैठकर इस पर

चर्चा करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक सिविल रिट याचिका नम्बर 10775 ऑफ 2022 में डॉ. संगीता v/s पंजाब राज्य व अन्य जो माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में लम्बित है, जिसमें माननीय कोर्ट ने दिनांक 19.05.2022 को एक अन्तरिम आदेश जारी करते हुए केन्द्रीय सरकार व पंजाब यूनिवर्सिटी को इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बदलने बारे विवेकपूर्ण निर्णय लेने बारे कहा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह केस अब दिनांक 30.08.2022 को सुनवाई के लिए लगा हुआ है। हरियाणा सरकार ने इस सिविल रिट याचिका में आदेश–1, नियम–10, पाठित धारा–151 सी.पी.सी. के तहत हरियाणा सरकार पक्षधर बनने के लिए याचिका दायर करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि माननीय कोर्ट में भी हम अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। उपाध्यक्ष महोदय, शुरूआत में पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट को पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ द्वारा सांझा किया गया था, वर्तमान में यह खर्च केवल भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा ही खर्च किया जाता है। अतः हरियाणा सरकार अपने हक को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि श्रीमती गीता भुक्कल जी जो गैर–सरकारी संकल्प लेकर आई हैं, इससे पूरा सदन सहमत है और इसे सर्वसम्मति से सदन से पारित होना चाहिये।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद करते हैं कि जो गैर–सरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत हुआ है वह सर्वसम्मति से पारित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी शायद कह रहे थे कि बजट क्राइसिज की वजह से हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, वह लगातार गिरती जा रही है। ठीक है पंजाब यूनिवर्सिटी से जितने पंजाब के कॉलेज एफिलिटिड हैं, उनसे पैसा तो आता ही है लेकिन लम्बे समय से वे अपना हिस्सा पंजाब यूनिवर्सिटी के इन्ट्रस्ट में नहीं देख रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले हुए पूर्व छात्रों की बहुत बड़ी लिस्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः अनुरोध है कि हमें इस मैटर को टेकअप करते हुए इसको सर्वसम्मति से पारित करना चाहिये इसलिए

I request to the Hon'ble Chief Minister, Leader of the Opposition and all the Members of the House कि अगर पूरा सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेगा तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना हिस्सा और एफिलिएशन को रिस्टोर करने की बात को मजबूती से गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में रख सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसे सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिये मना कर दिया है। यदि यह सैंट्रल यूनिवर्सिटी बन भी जाती है तो सैंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे भी वैसे ही हो जायेंगे जैसे देश भर के बच्चे होते हैं, इसलिए यदि सदन इस गैर–सरकारी संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करेगा तो हमें बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न है–

> ''कि यह सदन पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में महाविद्यालय की सम्बद्धता का हिस्सा मांगने तथा राज्य के नागरिकों तथा विद्यार्थियों के हित के संरक्षण तथा पंजाब विश्वविद्यालय में अनुदान की हिस्सेदारी की अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सिफारिश करता है।''

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन बुधवार, दिनांक 10 अगस्त, 2022 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***17:00 बजे**

(तत्पश्चात् सभा बुधवार दिनांक 10 अगस्त, 2022 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)